अष्टम माला, खंड 11, अंक 15

सोमवार, 9 दिसम्बर, 1985
18 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 11, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 15, सोमवार, 9 दिसम्बर, 1985/18 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
*तारांकित प्रश्न संख्या : 284, 286 से 290, 292 से 294, 296 और 298	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	20—181
तारांकित प्रश्न संख्या : 285, 291, 295, 297 और 299 से 303	20—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3039 से 3054, 3056 से 3073, 3075 से 3142 और 3144 से 3203	31—179
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	181—182
राज्य सभा से संदेश	182—183
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	183
तीसरा प्रतिवेदन	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1985-86	185
श्री माधव राव सिंधिया	
नियम 377 के अधीन मामले	186—190
(एक) नावों की सुरक्षा के लिए नियम तथा विनियम निर्धारित करने के लिए राज्य अधिकारियों और मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाने की मांग	
श्रीमती किशोरी सिंह	186
(दो) बिहार तथा देश के अन्य भागों को बाढ़, सूखा आदि से बचाने के लिए उपाय करने की मांग	
प्रो० चन्द्र भानु देवी	186

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
(तीन) सूरत टैक्सटाइल मिल्स, गुजरात, के ठेका श्रमिकों को रोजगार की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री हरिहर सोरन	187
(चार) सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक व्यापक चीनी नीति बनाने की मांग	
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	188
(पांच) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता	
श्री मानकूराम सोढी	188
(छः) इलायची व्यापार निगम को और अधिक वित्तीय सहायता देने तथा इस निगम में कर्नाटक के इलायची उत्पादकों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता	
कुमारी डी० के० तारा देवी	189
(सात) आन्ध्र प्रदेश में रिपेले तथा मछलीपटमम को जोड़ने के लिए कृष्णा नदी पर एक सड़क एवं रेल पुल का निर्माण करने की मांग	
श्री एन० वेंकटरत्नम	189
रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक	190—226
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	190
खंड 2 से 36 और 1	
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	200
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव	226—279
श्री बी० आर० भगत	227
श्री एन० वेंकट रत्नम	237
श्री दिनेश सिंह	242
श्री एडुआर्डो फैलीरो	250
श्री अमल दत्त	253
प्रो० एन० जी० रंगा	257
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	262
श्री पी० कुलन्दइवेलु	263
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	266

विषय	पृष्ठ
श्री टी० बशीर	269
श्री एस० जयपाल रेड्डी	271
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	274
सभा पटल पर रखे गए पत्र	279—280
कार्य मंत्रणा समिति	280
16वां प्रतिवेदन	
वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव (—जारी)	280—314
श्री मेवा सिंह गिल	280
श्री शांति धारीवाल	283
श्री इन्द्रजीत गुप्त	284
श्री शरद दिघे	291
श्री अब्दुल रशीद काबुली	293
श्री विजय एन० पाटिल	302
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी	304
श्री बी० आर० भगत	306

लोक सभा

सोमवार, 9 दिसम्बर, 1985/18 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सहकारी समितियों को उर्वरकों के व्यापार में हानि

*284. श्री अमरसिंह राठवा† :
श्री चिंतामणि जेना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपर्याप्त और बहुत कम लाभ की गुंजाइश दिए जाने के कारण सहकारी समितियों को उर्वरकों के व्यापार में बहुत हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सहकारी समितियों की रक्षा हेतु उर्वरक व्यापार में लाभ के अन्तर की पुनरीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा है— "क" जी नहीं और "ख" से "ङ" प्रश्न ही नहीं उठते। हमारी सरकार ने गरीब वर्ग के किसानों को और किसानों को सहायता देने के लिए सहकारी को-आपरेटिव मंडियां बनाई हैं। इसके माध्यम से उसको सहायता दी जाती है। हम यह देखते हैं कि कभी अकाल पड़ जाता है और कभी अति-वृष्टि हो जाती है और तब किसानों के पास उर्वरक नहीं होता है। इस तरह से किसान अपने खेतों में उर्वरक नहीं डाल पाता है, जिसके कारण उपज कम होती है। तो ये जो सहकारी समितियां हैं, इन में ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसे इलाकों में कुछ सब्सीडी देकर किसानों को उर्वरक दिया जाए। क्या इस तरह का कोई विचार सरकार का है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : फर्टिलाइजर्स में सब्सीडी पहले से दी जाती है।

[अनुवाद]

खाद्य और कृषि संगठन की भूमि कटाव संबंधी रिपोर्ट

*286. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह† :
श्री बी० तुलसी राम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन ने एक रिपोर्ट में भारत में बड़े पैमाने पर भूमि के कटाव और भूमि के क्षरण पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत 20 अरब (2 बिलियन) जनसंख्या के लिए खाद्यान्न पैदा करने की क्षमता रखता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने "प्रोटेक्ट एण्ड प्रोड्यूज-सायल कन्जरवेशन फार डवेलपमेंट" नामक प्रकाशन में अन्य देशों के साथ-साथ भारत में बड़े पैमाने पर भूक्षरण और मृदा निम्नीकरण पर गहरी चिन्ता व्यक्त की है ।

(ख) खाद्य और कृषि संगठन ने "पोटेंश्यल पापूलेशन सपोर्टिंग कैपेसिटीज आफ लैण्डस इन दि डवेलपिंग वर्ल्ड" शीर्षक रिपोर्ट में भारत की स्थिति का विश्लेषण भी किया है । उसके निष्कर्षों से पता चलता है कि सन् 2000 ईसवी में 1036.7 करोड़ रु० की अनुमानित जनसंख्या को आदानों के निम्न, मध्यम और उच्च स्तर पर सहायता की जा सकती है । लेकिन उस रिपोर्ट में जनसंख्या के 200 करोड़ के आंकड़े का कोई सीधा हवाला नहीं दिया गया है ।

(ग) सरकार को बढ़ती हुई आबादी और विकासात्मक कार्यों तथा भूक्षरण और मृदा निम्नीकरण के कारण भूमि पर बढ़ते हुए दबाव की चिंता है । पहली पंचवर्षीय योजना से मृदा क्षरण और भूमि निम्नीकरण पर काबू पाने और देश के भूमि आधार की उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए अनेक परियोजनायें चलती रही हैं । राज्यों और केन्द्र दोनों को योजनाओं के अन्तर्गत क्रमिक योजना अवधियों में इन कार्यक्रमों का विस्तार होता है और इनमें विविधता आती है । सरकार ने "वर्ल्ड सायल चार्टर" का समर्थन किया है और उसे भी अपनी बढ़ी हुई आबादी के लिए लगातार उत्पादन बढ़ाने हेतु देश की भूमि की संरक्षा, और सुधार के बारे में चिन्ता है ।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : श्रीमन्, विवरण के भाग (ग) में सरकार ने कहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना से मृदा क्षरण और भमि निम्नीकरण पर काबू पाने के लिए कई परियोजनाएं चल रही हैं । क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि मृदा क्षरण और भूमि निम्नीकरण के अन्तर्गत कितना क्षेत्र प्रभावित है और दूसरे क्या सिंचाई परियोजनाओं की लागत में सही जल और भू-प्रबन्ध के लिए खर्च भी सम्मिलित है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : श्रीमन्, सरकार को देश में भूक्षरण के बारे में जानकारी है । वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 175 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र भूक्षरण के अन्तर्गत है जो कि देश की कुल भूमि का 53.3 प्रतिशत है । खाद्य और कृषि संगठन के विभिन्न प्रकाशनों में ये आंकड़े भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन हमारे सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा इन आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है । खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार ये करीब 147 मिलियन हैक्टेयर-यानि 90 मिलियन हैक्टेयर जल और भूक्षरण से ग्रस्त है, 50 मिलियन हैक्टेयर वायु क्षरण से प्रभावित है 7 मिलियन क्षेत्र खारेपन से ग्रस्त है; इस प्रकार कुल करीब 147 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र प्रभावित है ।

जहां तक प्रश्न के अन्य भाग का सम्बन्ध है, भू-प्रबन्ध और जल-प्रबन्ध के लिए किसानों को कृषि विज्ञान केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। जहां तक उक्त खर्च को सिंचाई में सम्मिलित करने का संबंध है, यह प्रश्न इसमें नहीं आता और यह मेरे मंत्रालय से संबंधित प्रश्न नहीं है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने जो उत्तर दिया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य और कृषि संगठन ने कहा है कि करीब 140 हैक्टेयर भूमि भूक्षरण और मृदा निम्नीकरण मे ग्रस्त है। यह बहुत अधिक प्रतिशत है। हम जानते हैं कि सकल फसल क्षेत्र करीब 180 मिलियन हेक्टेयर है। इस प्रकार यह भी अधिक प्रतिशत है। मन्त्री ने खुद स्वीकार किया है कि 53% भूमि भूक्षरण और मृदा निम्नीकरण से प्रभावित है।

इस प्रश्न के संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि भूक्षरण और भूमि के खारेपन को रोकने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं? यह एक गम्भीर मामला है और हम सब इससे चिन्तित हैं। अगर हमें इस शताब्दी के अन्त तक करीब 2 अरब की ही जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध करवाना है तो भूमि की उपजाऊ-क्षमता को बढ़ना होगा क्योंकि हम खेती के लिए अधिक भूमि उपलब्ध नहीं करवा सकते। आपके विवरण के अनुसार हम ज्यादा से ज्यादा, फसल बदलकर, फसल क्षेत्र को 190 मिलियन हैक्टेयर तक बढ़ा सकते हैं। भूमि की हालत में सुधार हो और भूक्षरण न हो और सारी भूमि पर खेती हो और इस भूमि से पैदावार भी अधिक हो, ये सब बातें सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, भूक्षरण को रोकने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। वर्तमान में, कई योजनाएं कार्यरत हैं और अनेकों पर कार्य हो रहा है।

नदी घाटी परियोजना के जल-ग्रहण में भू-क्षरण के लिए एक योजना है, एक अन्य योजना, बारम्बार बाढ़ लाने वाली नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्र में एकीकृत जल-बहाव प्रबन्ध के बारे में है। तीसरी शिफ्टिंग खेती के बारे में है, चौथी अखिल भारतीय भू और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण संगठन और पांचवीं राज्य भू-सर्वेक्षण संगठनों की स्थापना करना और उन्हें मजबूत करना है।

इन योजनाओं पर कार्य हो रहा है। अगर आप किसी विशेष योजना के बारे में सूचना चाहते हैं तो, मैं उसके बारे में विस्तार से बता सकता हूं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : श्रीमन्, मैं भी इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहा हूं। 180 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर खेती हो रही है और इसमें से 140 मिलियन हैक्टेयर भूमि भू-क्षरण और मृदा-निम्नीकरण से प्रभावित है। हालांकि ये उपाय प्रशंसनीय हैं, लेकिन ये अब तक प्रभावी नहीं रहे। सरकार आगे क्या कदम उठाने के बारे में सोच रही है—क्या वह कोई कदम उठाने जा रही है? वैधानिक उपाय करने जा रही है ताकि भूक्षरण उपायों को लागू करने की जिम्मेदारी किसानों पर हो। भूक्षरण को रोकने के लिए सरकार और क्या उपाय करने के बारे में सोच रही है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा कि मैंने कहा, हम इन सभी योजनाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। जहां तक कानूनी उपायों का संबंध है, हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए और भूक्षरण को रोका जाए।

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम : अध्यक्ष जी, मेरा ऐसा विचार है कि फोरेस्ट एरिया में, जंगलों में सब पेड़ कटवा देते हैं इसलिए यह सब होता है। जब पानी का बहाव आता है उस टाईम पर पेड़ों से

बहुत रुकावट होती थी। लेकिन अब हमारे हिन्दुस्तान में लोगों की तादाद बढ़ रही है और उस हिसाब से अनाज पैदा करने के लिए हमें जमीन भी बहुत चाहिए। हमारे यहां पेड़ों की भी ज्यादा कटाई हो रही है तो इसके लिए सरकार क्या सोच रही है कि इनकी कटाई ज्यादा न हो? इनका कटाव रोकने के लिए सरकार के पास कोई योजना है? अगर है तो वह किस ढंग से वह अमल में ला रही है और कब तक ला रही है?

अध्यक्ष महोदय : और जो लोग बांटने वाले ज्यादा बढ़ रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अध्यक्ष महोदय, योजना तो है इसीलिए फारेस्ट कंजरवेटिव ऐक्ट 82 बनाया है और पेड़ काटने की मनाही है, लेकिन पेड़ कटते हैं, वह हकीकत है, राज्य सरकारों को भी गवर्नमेंट आफ इंडिया की इजाजत के बिना पेड़ कटवाने की मनाही है और खासकर के लिंक आफ इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, रोड्स और इरीगेशन में इनके लिए कुछ छूट दी है, लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि सायल इरोजन पेड़ की कटाई से होता है, इसलिए ज्यादा पेड़ लगाना जरूरी है। सोशल फारेस्ट्री वगैरह के जरिए भी यह काम किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कुमारी डी० के० तारा देवी : श्रीमन्, क्या सरकार को जानकारी है कि रसायनिक उर्वरकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति पर बुरा असर पड़ रहा है और भूमि निम्नीकरण भी होता है। अगर हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : नहीं, क्योंकि अन्य विकसित देशों के मुकाबले भारत में रसायनिक उर्वरकों की खपत काफी कम है।

—(व्यवधान)—

उर्वरकों के अन्धाधुन्ध प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वे बहुत कम मात्रा में इन उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं।

—(व्यवधान)—

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

कुमारी डी० के० तारा देवी : कार्बनिक और अकार्बनिक का रसायनिक अनुपात असमान है इसीलिए मैं यह प्रश्न पूछ रही हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त : अध्यक्ष महोदय, विशेष तौर से ये हिमालय से निकलने वाले नदी-नाले उत्तर-भारत में बहुत भारी कटाव कर रहे हैं। मैं देहरादून जिले की बात करता हूं, वहां सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटते हैं। इसके लिए कोई कंप्रीहेंसिव मास्टर प्लान होना चाहिए। छोटी-छोटी स्कीम्स हैं और काम हो रहा है, लेकिन क्या सरकार कोई मास्टर प्लान बनाने के लिए विचार कर रही है जो इस सायल इरोजन को रोके, पेड़ों की कटाई को रोके, जमीन बचे, क्योंकि फारेस्ट की आज बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके बारे में जानना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जैसा मैंने बताया, बहुत-सी स्कीम्स हैं, 11 स्कीम्स हैं, अगर इन सबको इकट्ठा रख दें तो इसको मास्टर प्लान ही कहा जाएगा। ये जो स्कीम्स हैं—

[अनुवाद]

ये सब कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। सूखा प्रणव क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, हिमालय क्षेत्र में भू, जल और वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। इस प्रकार ये ग्यारह योजनाएं हैं जिन्हें हम भूक्षरण रोकने के लिए कार्यान्वित कर रहे हैं।

सिक्किम में संरक्षित 'जीन' वनों की स्थापना

*287. **डा० टी० कल्पना देवी**+ :
डा० जी० विजय रामा राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में 600 ऑर्किड किस्मों के और लगभग 40 रोन्डोडेन्ड्रन के पेड़ों और झाड़ियों का अमूल्य संग्रह है, जो तेजी से समाप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने के लिए सिक्किम में संरक्षित 'जीन' वन स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सिक्किम में लगभग 450 किस्म के आर्किड्स हैं। इस क्षेत्र में रोडोडेन्ड्रन की भी बहुत किस्में हैं किन्तु किस्मों की सही संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। कुछ आर्किड और रोडोडेन्ड्रन की किस्मों का लोप होता जा रहा है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए संरक्षण कार्यक्रम शीघ्र चलाए जाने चाहिएं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) सिक्किम राज्य सरकार द्वारा देवराली, गंगटोक में आर्किड संरक्षण के लिए 'जीन' वन की पहले ही स्थापना की जा चुकी है तथा रोडोडेन्ड्रन के लिए ऐसे 'जीन' वन की स्थापना सिनोबा (यूनुथांग) में की गयी है।

डा० टी० कल्पना देवी : हाल ही में कुछ संसद् सदस्यों ने सिक्किम का दौरा किया और वे आर्किड वन भी गये। एक और जहां यह सराहनीय कदम है, वहीं यह भी सच है कि सिक्किम के वित्तीय और तकनीकी स्रोत काफी सीमित हैं। अतः, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने आर्किड और रोडोडेन्ड्रन के बारे में अध्ययन किया है और वास्तविक स्थिति के आधार पर योजना तैयार की है जिससे कि इन राष्ट्रीय स्रोतों को संरक्षण मिल सके और अगर हां, तो हिमालय की इन दो किस्मों के लिए 'जीन' वनों की स्थापना के लिए वास्तविक योजना क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि अनेक योजनाएं हैं और सरकार ने आर्किडों के विकास के लिए वनों की स्थापना की है। हम आर्किडों की कुछ संकर किस्में भी विकसित कर रहे हैं और जहां तक लुप्त हो रही देशी किस्मों का सम्बन्ध है, हम सावधानी बरत रहे हैं ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके।

डा० टी० कल्पना देवी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या आई० सी० ए० आर० ने पिछले 15 वर्षों से जीन वनों के लिए एक योजना बनाई थी, लेकिन यह पूर्वोत्तर क्षेत्र जीन वन की तरह कागजों पर ही धरी रह गई।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जीन बैंक विभिन्न किस्मों के जीवाणु जीवद्रव्य पदार्थों, जातियों, काफी समय से एकत्र किए गए विभिन्न पौधों को रखने के गोदाम हैं, जिनका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। इन पौधों को या तो उनके बीज प्लांट भागों, ऊतकों या परागों के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। पौधों के जननिक सुधार हेतु ये महत्वपूर्ण हैं ताकि नई किस्मों का विकास हो सके और अंततः उत्पादन में वृद्धि हो सके।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद जीन बैंक की स्थापना कर रही है ताकि भारतीय कृषि के लिए उपयोगी सभी प्रकारों के बीज पौधों सम्बन्धी सामग्री को सुरक्षित रखा जा सके।

अध्यक्ष महोदय : डा० जी० विजय राम राव······

स्थल एवं सेवा योजना

*288. **श्री चित्त महाता** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में स्थल एवं सेवा योजना शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना की अब तक क्या उपलब्धि रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) स्थल एवं सेवाओं का प्रावधान, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना का एक घटक है। आवास राज्य का विषय होने के नाते अपनी आवश्यकताओं तथा आयोजना प्राथमिकताओं के अनुसार आवास योजनाओं को बनाना एवं कार्यान्वित करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर निर्भर करता है।

वर्ष 1985-86 के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 1,51,161 एककों के प्रावधान का लक्ष्य है। 30-9-85 तक की उपलब्धि 44,967 है।

श्री चित्त महाता : आवास की समस्या, शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गम्भीर है। आवास की आवश्यकता 1971 में 29 लाख रिहायशी एककों से बढ़कर 1985 में 59 लाख रिहायशी एकक हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्थल एवं सेवा योजना के अधीन आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किए गए बहुत से उपायों के बावजूद अभी भी बहुत सा कार्य किया जाना शेष है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्होंने स्थल एवं सेवा योजना के अन्तर्गत अपने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आवास निर्माण योजनाएं अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत की हैं।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, वैसे तो यह विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है लेकिन जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है, साइट-सर्विस के लिए दो तरह की योजनाएं हैं : पहले तो जो लोग शहरों

में रहते हैं, उनके लिए हमारे पास एक योजना है। पहले, छठी पंचवर्षीय योजना में हम, जिन परिवारों की आमदनी 350 रु० तक होती थी, उनको ई० डब्ल्यू० एस० के अन्तर्गत मानकर सहायता देते थे, अब परिवार की आय सीमा को हमने बढ़ाकर 700 रु० तक कर दिया है। छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसे लोगों को 3,000 रु० तक की सहायता दी जाती थी, परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसमें भी वृद्धि कर दी गई है और यह राशि 5,000 रु० कर दी गई है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लैंडलैस वर्कर्स के लिए साइड-डेवलपमेंट के लिए जहां पहले 250 रुपये दिए जाते थे, अब उसको बढ़ाकर 500 रु० कर दिया गया है। यह जो राशियां बढ़ाई गई हैं, वे क्रमशः 500 रु० तथा 2,000 रु० की सीमा तक बढ़ा दी गई हैं। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है कि कौनसे स्टेट से कौन-सी योजना आई है तो······

हमारा मंत्रालय प्लानिंग डिपार्टमेंट से और सम्बन्धित राज्यों से भी चर्चा कर रहा है तथा सातवीं योजना में उनकी क्या बेसिक नीड्स हैं, उनके लिए भी हमारे पास प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

श्री चित्त महाता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने सातवीं योजना के लिए राज्यों को कितना आबंटन किया है।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सातवें प्लान के लिए माननीय सदस्य ने पूछा है, तो सातवें प्लान में हमारे पास 577 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 36 करोड़ रुपया प्लान डेवलपमेंट के लिए तथा 541 करोड़ रुपया निर्माण सहायता के लिए देने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में अमलपुरम में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

*289. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले में अमलपुरम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह रिले केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : महोदय, हमारे लोगों ने इस बारे में कई बार आग्रह किया। परन्तु कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि अमलपुरम में 10 लाख लोग रहते हैं। यह एक द्वीप की भांति दिखाई देता है। इन दस लाख लोगों में से 90 प्रतिशत कृषक हैं। इस क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, बेशक दूरदर्शन कार्यक्रम कृषकों के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सातवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र को लिया जा सकेगा ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को समझता हूं परन्तु हमें कतिपय कसौटियों पर चलना होता है। मुख्य कसौटी जनसंख्या की है। गोदावरी जिले में दो कम शक्ति वाले प्रसारण केन्द्र हैं एक काकीनाडा में और दूसरा राजामुन्द्री में हैं। विजयवाड़ा में एक उच्च शक्ति का प्रसारण केन्द्र है जिसकी शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। यह और अधिक क्षेत्र को सुविधा उपलब्ध करा सकेगा। हो सकता है कि यह शहर विशेष उसमें न आये परन्तु वर्तमान वित्तीय बाधाओं के कारण हम एक सीमा से आगे नहीं जा सकते।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : काकीनाडा तथा राजामुन्द्री स्टेशन अमलपुरम क्षेत्र को सुविधा उपलब्ध नहीं कराते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस क्षेत्र को सातवीं योजना के दौरान प्राथमिकता के आधार पर सेवा उपलब्ध कराई जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : निःसन्देह आप इसे चाहते हैं परन्तु बात यह है कि क्या मंत्री महोदय इससे सहमत हैं।

श्री टी० बशीर : मैं जानना चाहता हूं कि दूरदर्शन सेवा से कितने व्यक्ति इस समय लाभान्वित होते हैं तथा सातवीं योजना में कितने और लाभान्वित होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि केरल में कितनी जनसंख्या को इस समय यह सुविधा प्राप्त है।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मेरे पास राज्यवार आंकड़े नहीं हैं।

श्री एच० ए० डोरा : आन्ध्र प्रदेश में पूरे श्रीकाकुलम जिले को किसी भी दूरदर्शन केन्द्र से सुविधा प्राप्त नहीं है। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, पृथक्-पृथक् मामले याद रखना मेरे लिए संभव नहीं है। 176 नये प्रसारण केन्द्र बन रहे हैं, इसलिए मैं अलग-अलग मामले नहीं बता सकता।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर का विस्तार कार्यक्रम

*290. श्री अमल दत्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोई विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने में इस संस्थान को कितनी सफलता मिली है;

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस संस्थान के क्रियाकलापों का विस्तार करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मछली पालकों, उद्यमियों, बीमा कम्पनियों के अधिकारियों तथा विस्तार और विकास

अधिकारियों के लिए शुरू किए गए संस्थान के विस्तार स्कन्ध, परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं, कृषि विज्ञान केन्द्रों, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संस्थान द्वारा विकसित प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने विस्तार कार्यक्रम चलाया है।

(ग) छठी योजना के शुरू में अन्तः स्थलीय जल संसाधनों से राष्ट्रीय मछली उत्पादन 8.48 लाख टन हुआ जो बढ़कर 1983-84 में लगभग 10.0 लाख टन हो गया। तालाबों और जलाशयों में कार्प मछली के बीज उत्पादन और कल्चर के क्षेत्र में केन्द्रीय अन्तः स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकियों के चलते मछली के उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन विकसित की गई प्रौद्योगिकियों को इस संस्थान के प्रोत्साहनपूर्ण प्रयासों के जरिए राज्य की विस्तार एजेन्सियों द्वारा क्षेत्रों में स्थानान्तिरत किया गया।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संस्थान के अपने क्षेत्रीय केन्द्रों में निम्न-लिखित प्रभाग होंगे।

(1) काकद्वीप (पश्चिम बंगाल) में एस्चुअरी प्रभाग;

(2) इलाहाबाद (उ० प्र०) में नदीय प्रभाग;

(3) म० प्र०/कर्नाटक में सरोवरी प्रभाग;

(4) बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) में विस्तार प्रभाग;

(5) बैरकपुर (पश्चिम बंगाल) में अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी प्रभाग;

(6) कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में मेढ़क पालन प्रभाग;

(7) बैरकपुर में अभियांत्रिकी कक्ष;

(8) काकद्वीप (पश्चिम बंगाल) में कृषि विज्ञान केन्द्र।

संस्थान के कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त प्रभागों के सृजन के अलावा, संस्थान के उपरोक्त प्रभागों के अन्तर्गत देश के विभिन्न राज्यों में 7 अतिरिक्त केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में संस्थान को 3 करोड़ रु० की कुल राशि आवंटित की गई है।

श्री अमल दत्त : इस प्रश्न का उत्तर जिस साधारण ढंग से दिया गया है उसपर मुझे आश्चर्य है। मैंने पूछा था कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या विस्तार कार्य किया गया और केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान की उपलब्धि क्या रही है? सरकार पूरे देश में अन्तर्देशीय मत्स्य उत्पादन में हुई वृद्धि के लिए इस संस्थान को श्रेय दे रही है बिना यह बताए कि इसकी गति-विधियों के क्षेत्र कौन से रहे हैं? मैने विस्तार कार्यों का विवरण मांगा है।

महोदय, उन्होंने केवल यही लिखा है कि इतनी अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में, जहां कि संस्थान का केन्द्रीय कार्यालय स्थित है, कितना कार्य हुआ, अन्य राज्यों में कितना कार्य हुआ, कितना व्यय हुआ, कितने लोगों को प्रौद्योगिकी प्रदान की गई, और आपने किस आधार पर बताया कि शुरू मे जो उत्पादन 8.48 लाख टन था वह

1983-84 में बढ़कर 10 लाख टन हो गया। क्या आपके पास इस बात के आंकड़े हैं कि कितने लोग मछली पकड़ते हैं जो कि बाजार में आती है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं हमारे द्वारा किए गए विस्तार कार्यों का विवरण दूंगा। जबकि मुख्य कार्य पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में हुआ है, परन्तु प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत असम, बिहार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोआ में भी कार्य किया गया है।

संस्थान ने 68.8 किसानों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 423 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए और 52 मत्स्य किसान दिवस मनाए जिनसे 632 व्यक्तियों ने लाभ उठाया। संस्थान ने 23 प्रदर्शनियों में भाग लिया। दूसरे तथा तीसरे राष्ट्रीय कृषि मेलों में क्रमश: पहला पुरस्कार तथा विशेष पुरस्कार जीते। संस्थान ने 17 ग्रुप वाद-विवादों का आयोजन किया जिनमें 182 व्यक्तियों ने भाग लिया। इसने फिल्मों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों का भी आयोजन किया तथा 716 किसानों और उद्यमियों को परामर्शदायी सेवा प्रदान की। इसने 3 चरणों में प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 8 किसान परिवारों को अपनाया जिनमें से 320 भूमिहीन थे, 887 आंशिक किसान थे और 101 छोटे किसान थे। संस्थान ने न्यूजलैटरा, बुलेटिनों तथा ब्रोशरों के अलावा अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में 15 एक्सटेंशन पैम्फलेट, 29 हैंडआऊट प्रकाशित किए। केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान राज्य विकास ऐजेंसियों, उद्यमियों, धन लगाने वाली ऐजेंसियों और मत्स्य किसानों के साथ मिलकर प्रौद्योगिकी अन्तरण कार्य करता है। मत्स्य उत्पादन निम्न प्रकार रहा : 1982 में 14.27 लाख टन (समुद्री) 9.32 लाख टन (अंतर्देशीय) क्षेत्र में था।

श्री अमल दत्त : मैंने आंकड़े मांगे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आंकड़े देना आपकी राज्य सरकार का कार्य है।

श्री अमल दत्त : इनका स्रोत क्या है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : स्रोत राज्य सरकारें हैं जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार भी शामिल है।

श्री अमल दत्त : बाजार में जो कुछ आता है उसके आधार पर कोई राज्य सरकार आंकड़े नहीं दे सकती। इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती। यदि आप अपने आंकड़े दे रहे हैं तो क्या ये आंकड़े किसी कार्यक्रम अथवा सर्वेक्षण पर आधारित हैं ? यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि राज्य सरकार इन्हें उपलब्ध नहीं कराती। परन्तु क्या आपके पास वे स्रोत हैं जिनसे आपने आंकड़े एकत्र किए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा उनके पास अन्य क्या स्रोत हैं ?

श्री अमल दत्त : उनके पास यह संस्थान है तथा संस्थान का आर्थिक तथा सांख्यिकी प्रभाग है, जोकि आंकड़े दे सकता है परन्तु उन्होंने ऐसा किया नहीं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : कुल उत्पादन सदा राज्यों से होता है।

श्री अमल दत्त : महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल परिव्यय 3 करोड़ रखा गया है। दुर्भाग्य से यह इस ढंग से लिखे गए हैं कि उससे ठीक तरह से पता नहीं चलता कि क्या यह राशि संस्थान को, उसकी अन्य गतिविधियों सहित, केन्द्रीय योजना अवधि के लिए आबंटित की गई है अथवा क्या यह उन विस्तार कार्यों के लिए है जिन्हें आपके क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है ? मैं चाहता

हूं कि माननीय मन्त्री इसे स्पष्ट करें। दूसरी बात यह कि एक समाचार पत्र की खबर के अनुसार संस्थान को पं० बंगाल से बाहर स्थापित किया जाएगा और इस बात को लेकर वहां कुछ जन आंदोलन भी हुआ है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या यह बात सही है कि सातवीं योजना में इस संस्थान के लिए निर्धारित अतिरिक्त कार्यकलापों का क्षेत्र पं० बंगाल के बाहर होगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : 3 करोड़ रुपए की यह राशि सातवीं योजना में सारे संस्थान के लिए आबंटित की गई है। प० बंगाल में केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान के पुनर्गठन और नए संस्थानों के रूप में मत्स्य की विधाओं के विस्तार का प० बंगाल में मत्स्य उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बल्कि इससे तो वर्तमान संस्थान और मजबूत होगा।

श्री अमल दत्त : प० बंगाल के लिए कितना आबंटित किया गया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आप इसे अलग नहीं कर सकते। यह संस्थान के लिए है और राज्यों के लिए अलग से नहीं है।

श्री अमल दत्त : मैंने यह प्रश्न इसलिए पूछा है क्योंकि खबरें मिली हैं कि इसे कम किया जा रहा है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसे कम नहीं किया जा रहा।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं चन्द शब्द और कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का उल्लेख किया है। हम सांख्यिकी के लिए एक प्रभाग भी बनाने जा रहे हैं और यह प्रभाग भी बैरकपुर में स्थापित किया जाएगा।

श्री अमल दत्त : वह तो वहां पहले से है। माननीय मन्त्री को इसकी जानकारी नहीं है। मैं खुद उस संस्थान में गया हूं वह वहां बहुत समय से है।

सरदार बूटा सिंह : यह सारे भारत के लिए नहीं है। वह वहां बैरकपुर संस्थान के एक हिस्से के तौर पर है। हम सारे देश के लिए आंकड़े चाहते हैं। नया प्रभाग यही काम करेगा और इसकी स्थापना बैरकपुर में की जाएगी।

मत्स्य उद्योग संबंधी विचारगोष्ठी

***292. श्री मानिक रेड्डी**+ :
श्री सुभाष यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1985 के दूसरे सप्ताह में देश में मत्स्य उद्योग के विकास संबंधी एक विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया;

(ग) विचार गोष्ठी में किन मुख्य बातों पर चर्चा हुई और क्या सिफारिशें की गईं; और

(घ) इससे देश के मछुआरों को किस हद तक लाभ होगा;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री मानिक रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने आन्सर में बताया है कि सेमिनार नहीं हुआ। मेरे पास एवीडेंस है कि 12, 13 नवम्बर को सेमिनार हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : बताइए साहब, इनके पास एवीडेंस है।

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रश्न यह है कि क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1985 के दूसरे सप्ताह में देश में मत्स्य उद्योग-विकास सम्बन्धी एक गोष्ठी हुई थी। माननीय सदस्य जिस सेमिनार की बात कर रहे हैं वह राष्ट्रीय मछुआरा संघ द्वारा मछुआरों के कल्याण के लिए आयोजित किया गया था।

[हिन्दी]

श्री मानिक रेड्डी : उस सैमिनार को प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अटैंड किया था और उन्होंने 3-प्वाइन्ट प्रोग्राम भी बताये। अगर आप कहें तो मैं प्रश्न करूं?

अध्यक्ष महोदय : सेमिनार जरूर हुआ, लेकिन किस पर हुआ, सिर्फ इसका मतभेद है।

श्री मानिक रेड्डी : सेमिनार फिशर मैन पर हुआ, उसमें डिस्कशन भी चला।

अध्यक्ष महोदय : वही बात है ना, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरोवा :

श्री मानिक रेड्डी : उन लोगों के वेजेज के बारे में गवर्नमेंट कोई नया सिस्टम लाना चाह रही है, क्या वह लाया गया है? यदि हां, तो कौन-सा सिस्टम लाया गया है, यह मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा?

इसमें दलाल लोग बीच में बहुत पैसा खा रहे हैं, अगर उसका मार्केटिंग सिस्टम चेंज करें तो ठीक हो, क्या मन्त्री जी कुछ कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है? मैं उसे समझ नहीं सका। क्या वह स्पष्ट करेंगे?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उनकी बढ़ोतरी के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है और दलालों को बीच से हटाने का कोई प्रोग्राम बनाया है या नहीं—यह पूछ रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वे लोग जो रेकमेंडेशन्स करने वाले हैं वह अभी हमारे पास नहीं आई हैं। वे उनको भेजने वाले हैं इसलिए हमें मालूम नहीं है कि उनकी क्या-क्या मांगें हैं और क्या-क्या रेकमेंडेशन्स हैं।

श्री मानिक रेड्डी : मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि तूफान आने से एक-एक महीने तक जो वे लोग बेकार रहते हैं तो उस समय में उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए सरकार कोई सहायता कर रही है? यदि हां, तो वह किस टाइप की सहायता होगी?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इसके लिए एक फिशरमैन फण्ड है जिसमें से उनको पैसा दिया जाता

है। मिसाल के लिए जो ओल्ड होते हैं, जो काम नहीं कर सकते उनको फिशरमैन फण्ड से सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

मन्त्री महोदय इस फन्ड के अध्यक्ष होते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस तथ्य की जानकारी है कि मछलियों के प्रजनन काल के दौरान अर्थात् जून से सितम्बर तक यांत्रिकी मत्स्य नौकाओं द्वारा अंधाधुन्ध मछलियां पकड़ने के कारण हमारी समुद्री सम्पदा का विनाश हो रहा है और इससे पारम्परिक मछुआरे कम मछलियां पकड़ पाते हैं। केरल के मछुआरा संघ की प्रमुख मांग होने के कारण क्या मन्त्री जी इस पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये नौकाएं मछलियां नहीं पकड़ सकतीं। तट से पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र पारम्परिक मछुआरों के लिए निर्धारित है। लेकिन कई बार बड़ी मत्स्य नौकाएं नियमों का उल्लंघन करती हैं। ऐसा वे जब भी करती हैं तो तट रक्षक हमेशा उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर छोटी बोट्स होती हैं वहां पर बड़ी बोट्स आकर मछलियां पकड़ ले जाती हैं—इस बारे मे मैंने लिखा भी है···

अध्यक्ष महोदय : आपने सुना होगा छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : बड़ी बोट्स आकर मछली पकड़ लेती है इसलिए छोटी बोट्स को मछली नहीं मिलती है। मैंने इस बारे में बहुत लिखा है कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर कम पानी हो वहां पर बड़ी बोट्स नहीं आनी चाहिए—तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया है कि एरिया स्पेसिफाइड है लेकिन कभी-कभी वह आ जाती हैं तो उनको रोकने के लिए कोस्ट गार्ड्स होते हैं।

[अनुवाद]

उथले पानी के नलकूपों के निर्माण के लिए राज सहायता और ऋण

293. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उथले पानी के नलकूपों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमांत किसानों को राज सहायता और ऋण देने के लिए प्रति खण्ड 3.50 लाख रुपए की राशि का उपयोग करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इस काम में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) भारत सरकार ने 1983-84 में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे तथा सीमांत किसानों को सहायता देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना सभी राज्यों में शुरू की थी जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। लघु-सिंचाई के घटक के लिए 3.50 लाख रु० प्रति खण्ड की दर से राज सहायता की व्यवस्था की गई थी। वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) योजना के लघु सिंचाई घटक के अन्तर्गत उथले नलकूपों, खुदे हुए कुओं और छोटे सतही भण्डारण ढांचों, पम्प सेट लगाने जैसे निर्माण कार्य शुरू किए जाने थे। समेकित ग्रामीण विकास की पद्धति के अन्तर्गत आवश्यक राज सहायता के इस्तेमाल के लिए बराबर-बराबर ऋण की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं के जरिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जानी थी। लघु सिंचाई के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को 1983-84 के दौरान 267.80 लाख रुपये तथा 1984-85 के दौरान 307.23 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने 1983-84 में 502 लाख रुपये तथा 1984-85 में 427 लाख रुपये जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के लिए स्वीकृत किए जो केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर-बराबर बांटे जाने थे। विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा इनमें से 233.49 लाख रुपये 1983-84 में तथा 279.15 लाख रुपये 1984-85 में इस्तेमाल किए गए।

(ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कमी के कारण इस प्रकार हैं:—

(1) 1983-84 में कार्यक्रम को देर से शुरू करना।

(2) वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देनें में हिचकिचाहट।

(3) भूमि जोतों का अपखण्डन।

(4) इस कार्यक्रम के चलने का मौसम वित्तीय वर्ष की सीमा से आगे निकल जाता है जिसके फलस्वरूप खर्च आगामी वित्तीय वर्ष में चला जाता है।

डा० फूलरेणु गुहा : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में उथले पानी में कितने नलकूपों का निर्माण किया गया है? इनमें से कितने मिदनापुर जिले और कितने कन्टई सब डिवीजन में हैं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : नलकूपों की संख्या के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन मैं आपको लघु सिंचाई के बारे में ब्यौरा दे सकता हूं।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : जहां तक 1984-85 में पश्चिम बंगाल में बनाए गए नलकूपों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने हमें इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी है। लेकिन 1983-84 में 4,838 नलकूपों का निर्माण किया गया और 5,156 पम्पसेट लगाए गए थे। जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी ने अभी-अभी कहा है, मुझे खेद है कि हमारे पास जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

डा० फूलरेणु गुहा : महोदय, कुछ पैसा खर्च करके कुछ नलकूपों का निर्माण किया गया है। मेरे विचार से इनमें से उथले पानी के कुछ नलकूपों का निर्माण कन्टई सहित मिदनापुर जिले में किया गया है। लेकिन महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या उथले पानी के सारे नलकूप अदृश्य नलकूप हैं। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह स्वयं नलकूपों की संख्या की जांच

करें क्योंकि जहां तक मेरा सम्बन्ध है मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र कन्टई में उथले पानी के बहुत नए नलकूप देखने को नहीं मिले हैं। मैं कन्टई निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, हम राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार चलते हैं। जी हां, हमारे लोग कभी-कभी स्वयं जाकर जांच करते हैं। मैं अपने लोगों से कहूंगा कि जब वे लघु सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में राज्यों का अगला दौरा करने जाएं तो वे माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित स्थान विशेष पर भी जाएं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, भारत सरकार की जितनी स्कीम वैस्ट बंगाल को दी जाती है, खास तौर से जिनका गरीबों से ताल्लुक होता है, मार्जिनल फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स तथा गेहूं के सम्बन्ध में हो या ट्यूब वैल्स के सम्बन्ध में, उन पर पूरा पैसा खर्च होता है या नहीं ? आपकी जो भी टीम वहां पर जांच करने के लिए जाती है, उसने इस बारे में कोई जानकारी नहीं की है। वैस्ट बंगाल में भारत सरकार जितना पैसा देती है वह स्कीमों पर लगाया है या नहीं लगाया है या दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया है—मैं इस बारे में मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : महोदय, ज्यादातर भारत सरकार राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर देती है कि वे धनराशि का, खासकर सिंचाई और भूमि संरक्षण के उद्देश्य से दी गई धनराशि को कहीं और न लगाएं। लेकिन पता चला है कि कुछ राज्य स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते हैं। इस समय मेरे पास लागत व्यय और स्वीकृत की गई धनराशि के आंकड़े हैं लेकिन मुझे खेद है कि उनके उपयोग किए गए धन से सम्बन्धित आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

जैतून के उत्पादन के लिए इतालवी प्रौद्योगिकी

*294. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उगाये जाने वाले जैतून का उत्पादन बढ़ाने तथा इसकी गुणवता में सुधार लाने के लिए इतालवी प्रौद्योगिकी का आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां आयातित प्रौद्योगिकी के आधार पर जैतून की खेती की जायेगी;

(ग) इससे गुणवता तथा उत्पादन में कितना सुधार होगा; और

(घ) इस पर कितना धन व्यय होगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार भारत में जैतून के उत्पादन में वृद्धि करने और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इटली की सरकार की सहायता से एक परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इटली की प्रौद्योगिकी से जम्मू एवं काश्मीर में श्रीनगर और जम्मू, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और चम्बा तथा उत्तर प्रदेश में देहरादून एवं नैनीताल जिलों में जैतून की खेती की जायेगी।

(ग) जैतून की भारतीय किस्मों में से तेल बहुत थोड़ी मात्रा में निकलता है, जबकि इटली

की किस्में ऊंची पैदावार देती हैं तथा उनमें तेल की मात्रा अधिक होती है ।

(घ) इस परियोजना की कुल लागत लगभग 7 करोड़ रुपये है, जिसमें से 25 प्रतिशत लागत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जायेगी और शेष राशि की व्यवस्था इटालियन सहायता से की जायेगी ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या भारतीय सरकार जैतून उत्पादकों को अधिक जैतून उत्पादन करने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही हैं और इसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जैतून के उत्पादन को बढ़ाकर आयात को रोकने के लिए इटालियन तरीके के अलावा कोई अन्य तरीका भी अपनाया है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटासिंह) : यह विशेष परियोजना हमारे देश में जैतून के बागानों के विकास हेतु एक मुख्य परियोजना है । निस्सन्देह परिणामों के प्राप्त होने के पश्चात् हम इसका विस्तार करना चाहेंगे । अभी तक यह इटालियम सरकार के सहयोग से मात्र एक प्रायोगिक परियोजना है ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय मंत्री ने जवाब दिया है कि इटालियन प्रौद्योगिकी से जम्मू और काश्मीर में श्रीनगर तथा जम्मू, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और चम्बा तथा उत्तर प्रदेश में देहरादून एवं नैनीताल में जैतून की खेती की जायेगी । अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इटालियन प्रौद्योगिकी से खेती करने के लिए जिलों का चयन करने के लिए सरकार ने क्या आधार या मापदंड अपनाये हैं तथा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए दार्जिलिंग तथा गंगतोक का चयन न करने के क्या कारण हैं ?

सरदार बूटासिंह : पहले तो इसके लिए इटालियन सरकार से बातचीत की गई थी और जहां तक जैतून के बागान तथा उनके संसाधित करने का संबंध हैं, इटली को विश्व का अग्रणी देश समझा जाता है और इस परियोजना के बारे में इटालियन सरकार से बातचीत की गयी थी; तथा धनराशि की सीमा 7 करोड़ रुपये है । क्षेत्रों को स्वयं समझौते में निर्दिष्ट किया गया है । जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि जैसे ही हमें इस प्रायोगिक परियोजना के परिणाम प्राप्त होंगे—हम अपनी योजना बनायेंगे—हम इसका देश के अन्य भागों में भी विस्तार करने की योजना बना सकते हैं, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में जहां पर जैतून बागान की बढ़ोतरी के लिए बहुत ही साधन क्षमता है !

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुल्तानपुरी जी, पूछिये लेकिन आप के पूछने से पहले में एक सवाल आप से पूछना चाहता हूं । मैं यह पूछ रहा हूं कि मैंने हिमाचल यूनिवर्सिटी को बहुत से पौधे भिजवाये थे ऑलिइव के जोकि इटली से मैं लाया था, उनका क्या हुआ ?

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : बहुत अच्छे लगे हैं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि काश्मीर में और हमारे यहां चम्बा और कुल्लू में इसकी खेती का प्रावधान कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके अन्दर कितना रकबा आपने मुकर्रर किया है और कहां-कहां और कौन सी स्वायल में इसके पेड़ लगने के लिए तजवीज की है । हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जैतून की खेती हो सकती है । क्या सारे प्रदेश में इसके प्लान्टेशन करवाने के लिए प्रावधान करेंगे ? इससे हमारी बहुत बड़ी समस्या तेल की हल हो सकती है । इसके बारे में आपका क्या विचार है ?

सरदार बूटासिंह : अभी यह एक पाइलट किस्म का प्रोजेक्ट है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ने खुद ही यह तय किया है कि इस जिले का कितना एरिया वे इसमें देंगी। इसमें हमने अपने एक्सपर्ट्स को ट्रेनिंग दी है। छः एक्सपर्ट्स वहां से आए हैं और 6-7 एक्सपर्ट्स वहां जाकर ट्रेनिंग लेकर आए हैं और अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर यह टेक्नोलाजी है।

[अनुवाद]

मुझे विश्वास है कि हम अच्छा काम कर सकेंगे। अनुभव होने के पश्चात् हम इस परियोजना को देश के अन्य भागों में शुरू करना चाहेंगे।

सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक और व्यावसायिक प्रबंध सम्बन्धी समिति

***296. श्री विजय एन० पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक और व्यावसायिक प्रबन्ध के सम्बन्ध में सरकार द्वारा गठित की गई समिति की सिफारिशें क्या है; और

(ख) राज्यों में कार्यरत सहकारी समितियों को सरकार ने क्या परामर्श दिया है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक और व्यावसायिक प्रबन्ध सम्बन्धी सहकारी कानून समिति का गठन 27 सितम्बर, 1985 को किया गया है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सरकार को 31 दिसम्बर, 1985 तक प्रस्तुत करनी हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : मन्त्री महोदय ने बहुत ही संक्षिप्त उत्तर दिया है। मैंने उनसे सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक और व्यावसायिक प्रबंध सम्बन्धी समिति और उसकी सिफारिशों के बारे में पूछा था। परन्तु मैं देखता हूं कि मेरे लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा नहीं की गयी है। मन्त्री महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर देने में मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने मात्र एक व्यावसायिक उत्तर दे दिया है! मेरी रुचि सिफारिशों में है। वह कम से कम समिति की अन्तरिम सिफारिशें, कौन-कौन इसके सदस्य है तथा कौन इसके अध्यक्ष हैं, इसके सदस्य दे सकते थे क्योंकि मैं महाराष्ट्र राज्य से हूं जिसने सहकारी समितियों के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है और हमारी रुचि इस समिति की शिफारिशों के जानने में है।

दूसरे पक्ष के मेरे मित्र मत्स्यपालन में अनुसंधान की बात कर रहे थे। मैं एक पिछड़े जनपद से आया हूं; और उस जनपद से भी हमने कलकत्ता तथा गुजरात को मछली तथा दूध भेजा हैं, अर्थात् सहकारी समितियों के द्वारा धूलिया से। मैं जानता चाहता हूं कि समिति कि अन्तरिम सिफारिशें क्या हैं, समिति ने कौन से स्थानों का दौरा किया है, तथा क्या समिति को कोई मार्गनिर्देश दिया गया है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने माननीय सदस्य को अभी सूचित किया है कि समिति ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है अतः सिफारिशें जपलब्ध नहीं हैं। समिति अपना प्रतिवेदन 31 दिसम्बर, 1985 को देगी। उसके बाद सिफारिशें उपलब्ध होंगी।

जहां तक समिति की रचना का सम्बन्ध है उसके अध्यक्ष श्री के० एन० अर्धनारीस्वरन हैं; सर्वश्री के० सुन्दरराजुलू, आर० बी० गुप्ता, आर० पार्था सारथी, के० बी० लाल, मोहन कंडा, बी० के० मित्तल (जो उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों के पंजीकार हैं), रायसिंह तथा राष्ट्रीय कृषि

तथा ग्रामीण विकास बैंक बम्बई के प्रतिनिधि और ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द के निदेशक इसके सदस्य हैं। श्री बी० के० सिन्हा इसके सदस्य-सचिव है। यह समिति की रचना है। सचिवों तथा सहकारिता विभागों के मंत्रियों के अधिवेशन में भी, जो 28 तथा 30 अक्तूबर को हुआ था, कुछ सिफारिशें की गई हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों को कोई मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं और सदस्यों के नामों को देखने से मैं पाता हूं कि महाराष्ट्र से कोई भी सदस्य इसमें नहीं है जहां पर सहकारिता आन्दोलन अधिक है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महाराष्ट्र का एक सदस्य पहले से ही है। बम्बई के सदस्य महाराष्ट्र से हैं। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें नामों को फिर से पढ़कर सुना सकता हूं।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं जानना चाहता हूं··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जगन्नाथ पटनायक। अनुपस्थित। प्रश्न 298। डा० कृपासिन्धु भोई।

श्री योगेन्द्र मकवाना : राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसका मुख्यालय बम्बई में है, के प्रतिनिधि भी समिति में हैं।

महोदय, वह मार्गनिर्देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्न 298 ले लिया है।

श्री विजय एन० पाटिल : डा० भोई एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रश्न 298 ले चुका हूं।

खेती वाला क्षेत्र और खाद्यान्न का उत्पादन

***298. डा० कृपासिन्धु भोई :**
श्री मानवेंद्र सिंह :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984 और 1985 (30 जून, 1985 तक) के दौरान देश में कुल कितने क्षेत्र में खेती की गई,

(ख) वर्ष 1984 और 1985 (30 जून, 1985 तक) के दौरान देश में खाद्यान्नों का प्रति एकड़ कितना उत्पादन हुआ और फसल गहनता क्या थी, और

(ग) 1 अप्रैल, 1985 को देश में कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा रही थी ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटासिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में सामान्य तौर पर खेती के अन्तर्गत कुल क्षेत्र (बोया गया निवल क्षेत्र) लगभग 1420 लाख हैक्टेयर है। 1983-84 और 1984-85 के दौरान सकल सस्यगत क्षेत्र क्रमश: 1797 लाख हैक्टेयर और 1756 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है।

(ख) 1983-84 और 1984-85 के लिए खाद्यान्नों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन और फसल गहनता निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	खाद्यान्नों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन (किलोग्राम)	फसल गहनता (प्रतिशत)
1983-84	1162	126.5
1984-85	1154	123.7

(ग) भू उपयोग सांख्यिकी के भाग के रूप में एकत्र किए गए सिंचित क्षेत्र के वास्तविक आंकड़े करीब तीन वर्षों के समय अन्तराल में उपलब्ध होते हैं। नवीनतम उपलब्ध सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार 1981-82 में निवल सिंचित क्षेत्र और कुल सिंचित क्षेत्र क्रमश: 397 लाख हैक्टेयर और 516.1 लाख हैक्टेयर था। सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार 1984-85 के दौरान सिंचाई का कुल उपयोग अनुमानतः 604 लाख हैक्टेयर था।

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं भाग्यवान हूं क्योंकि माननीय कृषि मंत्री से मुझे उत्तर प्राप्त होगा। जब इच्छा होती है तो अमल होता है और जब इच्छा नहीं होती है तो समिति बना दी जाती है।

मैं माननीय मंत्री से देश के कुल क्षेत्र, जहां पर खेती हो रही है, के बारे में जानना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर दिया है कि लगभग 1420 लाख हैक्टेयर कुल क्षेत्र है जहां पर खेती हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप उत्तर से क्यों पढ़ रहे हैं?

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि 1983-84 और 1984-85 के दौरान सकल सस्यगत क्षेत्र क्रमश: 1797 लाख हैक्टेयर और 1756 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान है! मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच अन्तर क्यों है, क्योंकि इस बात को ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है।

सरदार बूटासिंह : जब हम कहते हैं निवल क्षेत्र तो इससे हमारा अर्थ है केवल एक फसल; जब हम कहते हैं सकल सस्यगत क्षेत्र तो इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र सम्मिलित हैं जहां पर दो से तीन फसलें एक वर्ष में होती हैं। इसलिए वह सकल सस्यगत क्षेत्र हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें कुछ बीज भेजकर पहले उन्हें किसान बनायें।

डा० कृपासिन्धु भोई : अब मैं अपना प्रश्न करता हूं। गत दो वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन 11.62 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा 11.54 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अगर इस अनुपात को बरकरार रखा जाये तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं या हम भारत के समान तुलनीय किसी अन्य विकासशील राष्ट्र के यदि किसी विकसित राष्ट्र के नहीं, लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं? इसके साथ ही 1984-85 के दौरान 604 लाख हेक्टेयर के कुल सिंचाई उपयोग का अनुमान लगाया गया था; और 1981-82 में मंत्री जी कहते हैं—यह 516.1 लाख हैक्टेयर था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच अन्तर क्यों है, क्या पानी की कमी है अथवा जल प्रबन्ध में कोई समस्या है। क्या हमें इसके लिए कोई वित्तीय सहायता मिल रही है तथा क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई योजना बनाई गई है अथवा नहीं?

सरदार बूटा सिंह—मुझे खेद है कि मैं प्रश्न को नहीं समझ सका हूं।

विवरण से यह पहले ही बहुत स्पष्ट है कि निवल सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। यह 397 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 516.1 लाख हैक्टेयर हो गया है। इसी प्रकार से हम अपने निवल खेती क्षेत्र में और अधिक सिंचित क्षेत्र जोड़ना चाहते हैं। इसी प्रकार अपने निवल सिंचित क्षेत्र में अधिक सिंचित क्षेत्र जोड़ने का हमारा विचार है। इस प्रकार हम अपनी खाद्य समस्या को हल करते हैं। उत्पादन को बढ़ाने की हमेशा गुंजाइश रहती है, जिस पर हमारा ध्यान है। हम इस कोशिश में हैं कि विश्व के इस भाग में भारत प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न उत्पादन में एक अग्रणी देश बन जाये। मुझे माननीय सभा को यह जानकारी देते हुए खुशी है कि पंजाब तथा हरियाणा में हम अच्छी पैदावार कर रहे हैं जैसा कि चीन जो कि विश्व के इस भाग में कृषि क्षेत्र में एक सबसे अधिक उन्नत देश है—कर रहा है। इस तकनीक को देश के पश्चिमी तथा पूर्वी भागों तक पहुंचाना है। जहां कहीं भी सिंचाई जैसी सुविधायें हमारे पास उपलब्ध हैं यह सिद्ध हो गया है कि हम उनके बराबर पैदावार कर सकते हैं। गेहूं और चावल के मामले में हमने पश्चिम बंगाल में ऐसा करके दिखाया है। हम देश के अन्य भागों में भी कर सकते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण सम्बन्धी कार्यक्रम का दूरदर्शन पर प्रसारण

*285. **श्री जगन्नाथ चौधरी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण सम्बन्धी एक कार्यक्रम का 4 नवम्बर, 1985 को दूरदर्शन पर प्रसारण किया गया था, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा आम जनता ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के दौरान उठाए गए मामलों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में दूरदर्शन प्रसारण में उठाये गए मुख्य मुद्दे निम्नलिखित से सम्बन्धित थे :

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सार्वजनिक अन्तरापृष्ठ (इंटरफेस) में भ्रष्टाचार।

(ii) निर्माण की कोटि, तथा

(iii) कार्यकरण में सुधार

सरकार इन मुद्दों को अत्यधिक महत्व देती है तथा इस स्थिति में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास करती रही है।

इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने कोटि नियन्त्रण कक्ष को सुदृढ़ किया है।

(ii) जहां कहीं अधिकारियों को निष्ठा के प्रतिकूल पाया गया है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

(iii) विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण को तेज कर दिया है। कार्य स्थलों पर अधिक-से-अधिक अचानक निरीक्षण किये जाते हैं तथा सामग्रियों की जांच की जाती है।

(iv) एकरूपता तथा घनिष्ठ प्रबोधन की दृष्टि से परिकलन पद्धति आरम्भ की गई है।

(v) अध्ययन करने तथा संगठन के कार्य को सरल बनाने के लिए सुझाव के लिए टाटा परामर्शी सेवाओं को कार्य में लगाया गया है।

[अनुवाद]

भवन निर्माण श्रमिकों के लिए केन्द्रीय विधान

*291. श्री बी० बी० देसाई : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण श्रमिकों के रोजगार की शर्तें अविलम्ब विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण श्रमिक सम्बन्धी केन्द्रीय विधान अभियान समिति के सदस्य 7 नवम्बर, 1985 को उनसे मिले थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे समिति ने एक व्यापक श्रम विधेयक के मसौदे की रूपरेखा उनको प्रस्तुत की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने विधेयक के मसौदे की रूपरेखा की जांच की है;

(घ) सरकार द्वारा केन्द्रीय विधान सम्बन्धी मांगों को किस हद तक स्वीकार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां। उनसे 6-11-1985 को मुलाकात हुई (न कि 7-11-1985 को)।

(ख) से (ङ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

जी, हां। तथापि, निर्माण श्रमिक सम्बन्धी राष्ट्रीय सेमिनार, जिसने राष्ट्रीय अभियान समिति का निर्माण किया, ने सिफारिश की कि भवन निर्माण उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधान होना चाहिए। उक्त सेमिनार के निष्कर्ष संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं :

(क) निर्माण श्रमिकों के नियोजन और निर्माण कार्यकलापों को विनियमित करने, न्यूनतम गारंटी मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण उद्योगों की व्यवस्था करने के लिए एक केन्द्रीय विधान होना चाहिए।

(ख) नियोजन का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा एवं समाज कल्याण उद्योगों को सुनिश्चित कराने का काम किसी स्वायित्व संस्था या एजेंसी को दिया जाना चाहिए, जो एक त्रिपक्षीय निकाय होगी।

(ग) श्रमिकों और ठेकेदारों एवं बिल्डरों का पंजीकरण कर नियोजन का विनियमन किया जा सकता है जो कि उक्त अधिनियम के सीमाक्षेत्र से बाहर किसी प्रकार के निर्माण कार्यकलाप नहीं करेंगे।

(घ) उक्त संस्था को मजदूरी के ढांचे का निर्धारण करने, सुरक्षा और कल्याण निधियों का प्रबन्ध करने और विवादों का तुरन्त समाधान करने की शक्तियां प्रदत्त होंगी।

इस सेमिनार ने विधेयक के नमूने को तैयार करने का काम राष्ट्रीय अभियान समिति को सौंपा है। राष्ट्रीय अभियान समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह उक्त विधेयक का नमूना तैयार किये जाने और वह सरकार को पेश किए जाने के बाद उस पर विचार करे।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिन्दरी अधिसूचित क्षेत्र समिति को दिया जाने वाला अंशदान

*295. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्दरी अधिसूचित क्षेत्र समिति को किये जाने वाले अंशदान के बारे में भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक तथा बिहार सरकार के बीच कोई विवाद विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा अंशदान न दिये जाने के कारण सिन्दरी अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारियों को गत पांच महीने से वेतन नहीं मिल सका है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) यद्यपि अधिसूचित क्षेत्र समिति को दिये जाने वाले अंशदान के बारे में फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के सिन्दरी एकक तथा बिहार सरकार के बीच कोई विवाद विद्यमान नहीं है, तथापि कम्पनी ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य शुल्क से छूट मांगी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक विज्ञापन

*297. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक विज्ञापन आरम्भ करने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण के लिए रेडियो स्टेशनों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) नये कार्यक्रम से कितनी धनराशि प्राप्त होने की आशा है; और

(घ) क्या ग्रामीण विकास हेतु उपयोगी विज्ञापनों के लिए कोई व्यवस्था की गई है और क्या ऐसे विज्ञापनों पर कुछ रियायत दी जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) जनवरी, 1985 से ग्रामीण कार्यक्रमों, महिलाओं के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों, श्रोताओं

की पसन्द, फिल्म संगीत आदि जैसे कार्यक्रमों के सन्दर्भ में आकाशवाणी के 55 केन्द्रों के प्राथमिक चैनलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन शुरू किए गए हैं। प्राथमिक चैनलों से प्रेषण से व्यापक कवरेज होता है। अतः विज्ञापनों का लाभ ग्रामीण समुदाय को भी पहुंच रहा है। आकाशवाणी के उन 55 केन्द्रों, जहां से प्राथमिक चैनलों पर वाणिज्यिक विज्ञापन प्रसारित हो रहे हैं, की राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

2. अप्रैल-अक्तूबर, 1985 के दौरान, प्राथमिक चैनलों पर इस प्रकार के विज्ञापनों से अर्जित कुल राजस्व 18.75 लाख रुपए हैं। स्कीम प्रगति पर है।

3. विज्ञापनों की बुकिंग में, उन मदों, जो लक्ष्य दर्शकों से सम्बन्धित होंगी, को शामिल करने पर समुचित ध्यान दिया जाता है। ग्रामीण कार्यक्रमों के स्पाटों तथा प्रयोजकता के लिए दरें अधिक लोकप्रिय कार्यक्रमों के लिए तदनुरूपी दरों से कम हैं।

विवरण

उन आकाशवाणी केन्द्रों की (राज्य-वार) सूची जिनके प्राथमिक चैनल चरण-2 पर वाणिज्यिक विज्ञापन शुरू किए गए हैं

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. बड़ौदा
3. राजकोट

कर्नाटक

4. बंगलौर
5. भद्रावती
6. धारवाड़
7. गुलबर्गा
8. मंगलोर
9. मैसूर

मध्य प्रदेश

10. भोपाल
11. ग्वालियर
12. इन्दौर
13. जबलपुर
14. रायपुर

महाराष्ट्र

15. बम्बई
16. औरंगाबाद
17. जलगांव
18. नागपुर
19. पणजी
20. परभनी
21. पुणे
22. रत्नागिरि
23. सांगली

पश्चिम बंगाल

24. कलकत्ता
25. सिलीगुड़ी
26. गोहाटी

पंजाब और हिमाचल प्रदेश

27. जलंधर
28. शिमला

केरल

29. कालीकट
30. त्रिचुर
31. त्रिवेन्द्रम

उड़ीसा

32. कटक

संघ शासित क्षेत्र

33. दिल्ली
34. रोहतक

आंध्र प्रदेश

35. हैदराबाद
36. कुड्डपा
37. विजयवाड़ा
38. विशाखापत्नम

राजस्थान

39. जयपुर
40. बीकानेर
41. जोधपुर

उत्तर प्रदेश

42. इलाहाबाद
43. गोरखपुर
44. लखनऊ
45. मथुरा
46. रामपुर
47. वाराणसी

तमिलनाडु

48. मद्रास
49. कोयम्बतूर
50. पांडिचेरी
51. तिरुचिरापल्ली

बिहार

52. पटना
53. रांची

जम्मू और काश्मीर

54. जम्मू
55. श्रीनगर

दिल्ली में सरकारी भूमि का अतिक्रमण

*299. **श्री कमल नाथ** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी भूमि के अतिक्रमण में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकारी भूमि पर अनेक झुग्गियों का निर्माण तेजी से हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पिछले कुछ समय में दिल्ली में सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण एवं झुग्गियों की प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं हुई है।

सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण के किसी विस्तार को रोकने की शीघ्र कार्रवाई करने और पर्याप्त रूप से उच्च स्तर पर इस प्रयोजन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए भू-स्वामित्व वाले अभिकरणों एवं स्थानीय प्राधिकरणों को सरकार द्वारा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

आकाशवाणी के यूनिटों का विस्तार

*300. प्रो नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गीत और नाटक प्रभाग, क्षेत्र, प्रचार तथा आकाशवाणी के अनुसंधान और विकास के नैटवर्क के विस्तार सम्बन्धी कोई प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और उन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तीनों यूनिटों में से प्रत्येक यूनिट के प्रस्तावित विस्तार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के पहले वर्ष के लिए इस प्रयोजन हेतु कौन-कौन-सी योजनाएं मंजूर की गई हैं और वे किन-किन स्थानों के लिए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० पाडगिल) : (क) जी, हां। गीत और नाटक प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और आकाशवाणी के अनुसंधान और विकास संगठन का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है और उन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीनों यूनिटों के विस्तार का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) गीत और नाटक प्रभाग : मुख्यालय और रवीन्द्र रंगशाला को सुदृढ़ करने के अलावा 10 कार्यक्रम डिजाइनिंग यूनिटें, त्रिवेन्द्रम में एक क्षेत्रीय केन्द्र और तीन सीमावर्ती उप केन्द्र (जम्मू, गंगटोक और पिथौरागढ़ में एक एक) खोलने का प्रस्ताव है।

(2) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय : 5 क्षेत्रीय कार्यालयों, 70 क्षेत्रीय प्रचार एककों और 3 जोनल कार्यक्रम डिजाइनिंग केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(3) आकाशवाणी का अनुसंधान और विकास संगठन : यह निम्नलिखित क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को हाथ में लेगा :

(1) दूरदर्शन के लम्बी दूरी के संग्रहण के लिए प्रसार अध्ययन।

(2) अर्ध-छाया क्षेत्र में वी० एच० एफ० प्रसार।

(3) मिश्रित भूमि और समुद्री मार्गों से वी० एच० एफ० प्रसार।

(4) दूरदर्शन में दुहरी ध्वनि प्रेषण।

(5) 5 चैनल पी० सी० एम० स्टूडियो-ट्रांसमीटर लिंक के लिए बेस बैंड यूनिट का विकास।

(6) एम० एफ० और एच० एफ० ट्रांसमीटरों के लिए माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड परसेन्टेज मोडुलेशन इण्डीकेशन प्रणाली।

(7) हाई गेन एफ० एम० लिंक ऐरियलों का विकास।

(8) स्टीरियोफोनी के लिए स्टीरियो एनकोडर और डी०-कोडर का विकास ।

(9) ध्वानिकी अध्ययन ।

(10) ट्रेपेजोइडल मोडुलेशन का उपयोग करते हुए आन बैंड बिड्थ आवश्यकता ।

(11) टी० वी० आर० ओ०/आर० एन० टर्मिनल टैस्टिंग के लिए सिगनल जनरेटर ।

(ग) योजना के प्रथम वर्ष के लिए इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की गई स्कीमों और उनके स्थापन स्थलों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) **गीत और नाटक प्रभाग :**

(1) पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के लोक रूपों का उपयोग करने के लिए प्रायोगिक परियोजना स्कीम (शिलांग) की स्थापना ।

(2) त्रिवेन्द्रम में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना ।

(3) सीमावर्ती प्रचार योजना के अन्तर्गत गंगटोक, जम्मू और पिथौरागढ़/गोपेश्वर/श्रीनगर में एक-एक उप केन्द्र की स्थापना ।

(4) रवीन्द्र रंगशाला का उपयोग ।

(5) मुख्यालय में एक तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में 9 कार्यक्रम डिजाइनिंग केन्द्रों की स्थापना ।

(6) मुख्यालय को सुदृढ़ करना ।

(2) **क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय :**

(1) एक क्षेत्रीय कार्यालय और 14 क्षेत्रीय प्रचार एककों की स्थापना करना । उनके स्थापना स्थलों के बारे में अभी निर्णय किया जाना है ।

(3) **आकाशवाणी का अनुसंधान और विकास संगठन :**

यह संगठन छठी योजना की चल रही स्कीमों पर अनुसंधान कार्य तथा उपरोक्त (ख) के सम्मुख उल्लिखित स्कीमों में से कुछ स्कीमों के लिए प्राथमिक अध्ययन तथा अनुसंधान और विकास कार्य हाथ में लेगा ।

दूरदर्शन पर विदेशी नाटकों, संगीत आदि के प्रसारण पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

*301. श्री मूल चन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान दूरदर्शन पर विदेशी नाटकों, संगीत, खेलों और अन्य धारावाहिक कार्यक्रमों के प्रसारण पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दूरदर्शन पर ये प्रसारण परस्पर आदान-प्रदान के आधार पर किए गए हैं;

(ग) उपरोक्त कार्यक्रम किस आधार पर प्रसारित किए जाते हैं, उनके चयन का तरीका क्या है और हमारी संस्कृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) उपर्युक्त मदों के वीडियो कैसेटों के निर्यात से भारत को प्रतिवर्ष कितनी आय होती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ये टेलीकास्ट पारस्परिक आधार पर नहीं हैं। कार्यक्रम आवश्यकताओं के अनुसार ये वाणिज्यिक लेन-देन हैं।

(घ) दूरदर्शन ने वाणिज्यिक आधार पर वीडियो कैसेटों का निर्यात अभी शुरू करना है। दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यक्रमों की विदेशों में बिक्री के लिए बढ़ावा देने के लिए एक एजेंट पहले ही नियुक्त कर दिया गया है।

विवरण

(1) विदेशी नाटक, संगीत, खेल और अन्य श्रृंखलाओं को टेलीकास्ट करने के बारे में वर्ष 1984-85 के दौरान खर्च की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम संख्या	स्रोत	कार्यक्रम का ब्यौरा	तारीख	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5
1.	ए० बी० यू० मलयेशिया	ए० बी० यू० अंशदान खेलनिधि-1 जुलाई, 83 से जून, 84 तक	24-4-84	4,500 अमरीकी डालर
2.	बी० बी० सी०	येस मिनिस्टर श्रृंखला-3	7-5-84	2,800 पौंड
3.	ए० बी० यू० मलयेशिया	लास एंजिल्स ओलम्पिक ए० बी० यू० को अंशदान	29-6-84	35,000 अमरीकी डालर
4.	ए० बी० यू० मलयेशिया	वर्ल्ड कप फुटबाल-84 द्वितीय अंशदान	10-10-84	3,370 एस० एफ०
5.	फेयरमाउण्ट	स्टार ट्रैक	13-11-84	13,550 अमरीकी डालर
6.	फेयरमाउण्ट	स्टार ट्रैक	13-11-84	48,360 अमरीकी डालर
7.	फेयरमाउण्ट	लूसी शो	13-11-84	13,390 अमरीकी डालर
8.	ब्राइट स्टार	ओलम्पिक गेम्स (हाकी)	2-12-84	5,533 अमरीकी डालर
9.	बी० बी० सी०	दि लिविंग प्लानेट	4-12-84	19,200 पौंड
10.	बी० बी० सी०	गुड बाई मिस्टर कैंट	4-12-84	2,800 पौंड
11.	बी० बी० सी	सॉरी श्रृंखला-1	4-12-84	2,400 पौंड

1	2	3	4	5
12.	थेम्स टी० वी०	जेमी एण्ड दि मैजिक टार्च	6-12-84	4,500 पौंड
13.	बी० बी० सी०	दि कम्प्यूटर प्रोग्राम	11-2-85	3,500 पौंड
14.	ए० बी० यू० मलयेशिया	ए० बी० यू० अंशदान खेल निधि जुलाई, 84 से जून, 85 तक	22-2-85	450 अमरीकी डालर
15.	बी० बी० सी०	विम्बलडन, 84	27-2-85	1,000 पौंड
16.	ए० एन० जेड बैंक हैड आफिस, 20, मार्टिन प्लेस, सिडनी (आस्ट्रेलिया)	वर्ल्ड कप क्रिकेट, 85	9-3-85	57,200 अमरीकी डालर 3,700 आस्ट्रेलियन डालर
17.	ए० बी० यू० मलयेशिया	1984 यूरोपियन चैम्पियनशिप	12-3-85	330 अमरीकी डालर
18.	ए० बी० यू० मलयेशिया	एशियन नेशन कप	12-3-85	340 अमरीकी डालर
19.	ए० बी० यू० मलयेशिया	एशियन नेशन कप	12-3-85	330 अमरीकी डालर
20.	बी० बी० सी०	सारी शृंखला-3	12-3-85	1,800 पौंड
21.	फेयर माउण्ट	लूसी शो	17-3-85	4,120 अमरीकी डालर
22.	बी० बी० सी०	टारगेट-शृंखला-1	25-3-85	7,200 पौंड
23.	बी० बी० सी०	टारगेट-शृंखला-2	25-3-85	6,400 पौंड
24.	ए० बी० यू०	लास एंजिल्स ओलम्पिक	25-3-85	40,103 अमरीकी डालर
25.	हैसन इण्टरनेशनल	फ्रेगल रॉक	28-3-85	18,000 अमरीकी डालर
26.	जैसमिन एन्टरप्राइज	प्रोजेक्ट यू० एफ० ओ०	28-3-85	36,400 अमरीकी डालर
27.	बंगलादेश टी० वी०	द्वितीय एशिया कप हाकी टूर्नामेंट	28-3-85	600 अमरीकी डालर
28.	चैनल 9 सिडनी	यू० एस० ओपन टेनिस, 84	28-3-85	5,112 आस्ट्रेलियन डालर

(2) उन विदेशी धारावाहिकों, संगीत और खेल समारोहों के टेलीकास्ट के लिए बड़ी मांग है जिनमें भारतीय भाग लेते हैं। इनका चयन एक प्रिव्यू समिति द्वारा इनकी उपयुक्तता, मनोरंजन अथवा शैक्षिक मूल्य, दरों जिन पर इनकी पेशकश की जाती है, तथा उनके टेलीकास्ट के लिए जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कुछ घटनाओं को सीधे भी टेलीकास्ट किया जाता है। चूंकि ये कार्यक्रम मुख्यतः मनोरंजन के लिए होते हैं, अतः भारतीय संस्कृति पर इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

नारियल बागान का विकास

*302. **श्री जार्ज जोसफ मंडाकल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल बागान के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ख) नारियल की "रूट वैल्ट" बीमारी और नारियल के तेल और खोपरे के बहुत कम मूल्य को देखते हुए क्या सरकार इसके लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का विचार कर रही है; और

(ग) इस वर्ष नारियल के अतिरिक्त उत्पादन को देखते हुए, क्या कमजोर वर्गों के किसानों को राज सहायता देकर खोपरे का निर्यात करने का सरकार का विचार है, जैसाकि वर्ष 1971 में रबड़ के निर्यात के लिए किया गया था ?

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नारियल के विकास के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 5 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ख) केरल राज्य सरकार ने इस वर्ष 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर खोपरे की खरीद के लिए एक योजना लागू की है। नारियल उत्पादकों को सहायता देने हेतु राज्य सरकार के सहयोग से खोपरा के लिए बाजार में दखल देने के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास एक प्रस्ताव है।

(ग) इस समय बड़े पैमाने पर खोपरा निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह निर्णय लिया गया है कि 1985-86 के दौरान नेपाल को 500 मीटरी टन तक खोपरा नारियल के उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति दी जाए।

कीटनाशी दवाओं का कुप्रभाव

*303. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीटनाशी दवाओं का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में मनुष्यों और जानवरों की मृत्यु हो रही है तथा पारिस्थिति का असन्तुलन पैदा हो रहा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(ख) क्या देश में मानव जीवन पर कीटनाशी दवाओं के प्रभाव के सम्बन्ध में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या ये कीटनाशी दवाएं उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हैं, जिन्हें अपेक्षित पोषक आहार उपलब्ध नहीं होता; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में कीटनाशी दवाओं का आयात किया गया और उसका विदेशी मुद्रा में कितना मूल्य है ?

कृषि मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) यह सच नहीं है कि कृमिनाशी दवाओं का अधिकाधिक प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में मनुष्यों और जानवरों की क्षति हुई है और पारिस्थितिकी असन्तुलन पैदा हुआ है। यह सच है कि यद्यपि सभी कृमिनाशी दवायें स्वरूप में जहरीली होती हैं, परन्तु इनसे कोई खतरनाक प्रभाव नहीं पड़ता अगर इनका विवेकपूर्ण ढंग से और निर्धारित विस्तृत निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जाता है।

2. इस समय देश में कृमिनाशी दवाओं की खपत कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में प्रति वर्ष प्रति हैक्टार खपत केवल 295 ग्राम है, जो अमेरिका में उपयोग की गई मात्रा का करीब आधा, जापान में उपयोग की गई मात्रा का एक-तीसवां और हंगरी तथा इटली में उपयोग की गई मात्रा का एक चालीसवां भाग है।

3. कृमिनाशी दवाओं का पंजीकरण करते समय सांविधिक पंजीकरण समिति द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित ध्यान रखा जाता है कि समुचित सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियों का निर्धारण किया गया है और अवशेष का स्तर निर्धारित सह्य सीमाओं के भीतर है। कृमिनाशी दवाओं की मात्रा, उपयोग का तरीका, ली जाने वाली सावधानियों सभी का नुसखा स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ये आवश्यकतायें कृमिनाशी दवाओं के आधानों के साथ सप्लाई किए गए लेबलों और परचों में दिए गए निर्देशों का भाग होती हैं। पंजीकरण समिति पंजीकर्त्ताओं द्वारा उन कार्यकर्त्ताओं, जो सामान्य कृषि पद्धतियों के अन्तर्गत छिड़काव कार्य में लगे हुए हैं, के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रबोधन करने के आंकड़ों का सृजन और प्रस्तुत करने पर भी बल देती है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के आधार पर अगर किसी कृमिनाशी दवा का मनुष्यों, जानवरों अथवा पर्यावरण के किसी अन्य घटक पर अवांछनीय प्रभाव पाया जाता है, तो पंजीकरण समिति किसी विशेष कृमिनाशी दवा पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा उपयोग पर रोक लगाने अथवा धीरे-धीरे उसके उपयोग को कम करने के बारे में निर्णय ले सकती है। अभी तक पंजीकरण समिति ने 10 कृमिनाशी दवाओं का पंजीकरण करने से मना अथवा स्थगित किया है, दो कृमिनाशी दवाओं के उपयोग को धीरे-धीरे कम किया है, दो अन्य का आयात करने से मना किया है और दो अन्य कृमिनाशी दवाओं का केवल सीमित उपयोग करने के लिए ही स्वीकृति दी है।

4. इस समय मनुष्य के स्वास्थ्य पर कृमिनाशी दवाओं के प्रभाव के बारे में देशव्यापी कोई सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, कृमिनाशी दवाओं के उपयोग में लापरवाही के कारण आकस्मिक विषाक्तता के बारे में छुट-पुट रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

5. अल्पपोषित व्यक्तियों पर कृमिनाशी दवाओं के प्रभाव के बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) जैसा कि वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के "मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया" के प्रकाशन में दिया गया है, वर्ष 1981-82 और 1982-83 (फरवरी, 1983 तक) के दौरान कीटनाशी दवाओं, फफूंदीनाशी दवा, खर-पतवार

नाशी आदि सहित कृमिनाशियों की निम्न मात्रा का आयात किया गया :—

वर्ष	मात्रा क्विंटल में	लगभग मूल्य (लाख रुपये में)
1981-82	4,393 (संशोधित आंकड़े)	1,200
1982-83 (फरवरी, 1983 तक)	11,692*	2,900

(*वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महा-निदेशालय से प्राप्त अग्रिम आंकड़ों के आधार पर)

बाद की अवधि की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पायी है।

आयात, आयातित कृमिनाशी दवाओं के नाम, उनके निर्यात के देशों के बारे में जानकारी "मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ दी फारेन ट्रेड आफ इंडिया—वोल्यूम-2-इम्पोर्ट्स" नामक प्रकाशन में प्रकाशित की जाती है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध करायी जाती हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति बसंत बिहार को अतिरिक्त प्लाटों का आवंटन

3039. श्री कमोदी लाल जाटव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति बसंत बिहार, नई दिल्ली का शान्तिनिकेतन में अतिरिक्त प्लाटों के विकास हेतु भूमि आवंटित करने का एक प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त प्लाटों के प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मक्खनिया दुग्ध चूर्ण का आयात

3040. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि के दौरान विदेशों से उत्पादन देशवार महीनेवार मक्खनिया दुग्ध चूर्ण की कितनी मात्रा प्राप्त हुई/खरीदी गई और इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया गया;

(ख) विदेशों से प्राप्त मक्खनियां दुग्ध चूर्ण की कितनी मात्रा बफर स्टाक में रखी गई और छठी योजना अवधि के दौरान पहली अप्रैल को वर्षवार कितनी मात्रा उपलब्ध थी; और

(ग) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान मक्खनियां दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आयात

करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो एक दशक के पश्चात् फिर से इस नीति को अपनाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1980 से 1985 तक के दौरान आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अधीन भारतीय डेरी निगम द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अमेरीका सहकारी संघ तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम से सप्रेटा दुग्ध चूर्ण की त्रैमासिक प्राप्ति संलग्न विवरण में दी गई है। आपरेशन फ्लड-1 के तहत प्राप्त हुआ सप्रेटा दुग्ध चूर्ण महानगर की डेरियों तथा मुख्य परियोजना/सुगम डेरी, बड़ौदा को सप्लाई किया गया था। आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त हुआ सप्रेटा दुग्ध चूर्ण देश में प्राप्त किए गए सप्रेटा दुग्ध चूर्ण के साथ पूल किया गया था और इसे भारतीय डेरी निगम द्वारा सरकारी तथा सहकारी डेरियों को जारी किया गया। पुन: दूध बनाने के लिए तरल दूध के संयन्त्रों की मांग को पूरा करने के बाद जिंसों की सीमित मात्रा शिशु आहार तथा घी का विनिर्माण करने के लिए 1980 तथा 1981 में डेरियों को जारी की गई। तथापि, 1982 से भारतीय डेरी निगम द्वारा ये जिंस केवल पुन: दूध बनाने के लिए सरकारी तथा सहकारी डेरी सम्यन्त्रों को आबंटित किए गए।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में उपलब्ध सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का पूल बफर स्टाक निम्नत् था :—

	मात्रा मीटरी टन में
1 अप्रैल, 1980	12,392
1 अप्रैल, 1981	2,902
1 अप्रैल, 1982	23,736
1 अप्रैल, 1983	19,900
1 अप्रैल, 1984	1,446

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान सप्रेटा दुग्ध चूर्ण का वाणिज्यिक आयात करने के बारे में इस समय किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

(मात्रा मीटरी टन में)

(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय से

माह	1980	1981	1982	1983	1984	1985
1	2	3	4	5	6	7
जनवरी-मार्च	11765	8448	31893	5503	6695	21614
अप्रैल-जून	500	3100	2558	शून्य	21355	2375 (अनन्तिम)
जुलाई-सितम्बर	2283	18146	14867	शून्य	5500	शून्य
अक्तूबर-दिसम्बर	2300	10500	14645	1000	500	—

1	2	3	4	5	6	7
(ख) क्लूसा से						
अप्रैल-जून	—	—	—	—	9754	—
जुलाई-सितम्बर	—	—	—	—	2113	—
अक्तूबर-दिसम्बर	—	—	—	—	6680	—
जनवरी-मार्च	—	—	—	—	—	1287
(ग) विश्व खाद्य कार्यक्रम						
जनवरी-मार्च	352	995	(—) 27 पूर्व के त्रैमासिक में समंजन)			
अप्रैल-जून	3327	2477				
जुलाई-सितम्बर	959	1349				
अक्तूबर-दिसम्बर	कोई नहीं	कोई नहीं				

निजामापत्तनम मत्स्य पत्तन का छोटे बन्दरगाह का दर्जा दिया जाना

3041. **श्री सी० सम्बु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामापत्तनम मत्स्य पत्तन का छोटे बन्दरगाह के रूप में दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) क्या इस योजना को अगली पंचवर्षीय योजना में, विशेषकर उस मत्स्य पत्तन को छोटे बन्दरगाह के रूप में बदलने के लिए वहां उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और अनुकूल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, शामिल करने का कोई विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) निजामापत्तनम मत्स्य पत्तन निर्माणाधीन है। निजामापत्तनम स्थित मत्स्यन बन्दरगाह को छोटे पत्तन का रूप देने के सम्बन्ध में अपेक्षित सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

मत्स्य संसाधनों का विकास

3042. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 नवम्बर, 1985 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के 23वें अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने विश्व के मत्स्य संसाधनों के व्यवस्थित विकास और प्रबन्ध के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक भारतीय मत्स्य उद्योग का सम्बन्ध है, उस बारे में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) देश में मत्स्य उद्योग का विकास करने के लिए सरकार द्वारा पहले ही निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) देशी, आयातित तथा भाड़े पर लिए गए मछली पकड़ने वाले जलयानों का विवेकपूर्ण मिश्रण से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाना।

(2) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले देश में निर्मित जलयानों की लागत में 33 प्रतिशत की राज-सहायता प्रदान करना।

(3) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए आसान शर्तों पर ऋणों की व्यवस्था करना।

(4) विदेशी मत्स्यन उद्योग के साथ संयुक्त उद्यम कार्यक्रम को प्रोन्नत करना।

(5) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी सर्वेक्षण को तेज करना।

(6) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का संवर्ग बनाने हेतु मात्स्यकी प्रचालकों को प्रशिक्षण देना।

(7) प्रमुख तथा छोटे पत्तनों पर स्थित मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण करने तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों में माल उतारने तथा संभालने की सुविधाओं के लिए सहायता करना।

(8) एम० जेड० आई० (विदेशी जलपोतों द्वारा मत्स्यन विनियमन अधिनियम, 1981 का प्रवर्तन करके एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलपोतों द्वारा मत्स्यन विनियमन।

सरकारी क्षेत्र के कार्यक्रमों का प्रसारण

3043. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दूरदर्शन द्वारा सरकारी क्षेत्र के प्रसारित किये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इन कार्यक्रमों को निःशुल्क प्रसारित किया गया अथवा प्रत्येक कार्यक्रम के लिए नाम मात्र का शुल्क लिया गया, तथा यदि हां, ती कितना शुल्क लिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल : (क) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट किए गए सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रमों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और उसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

(ख) दूरदर्शन द्वारा सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रमों को निःशुल्क टेलीकास्ट किया गया है।

राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के बारे में कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर दिखाना/प्रसारण

3044. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के बारे में लोगों में जागृति लाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कार्यक्रम प्रसारित करने और दिखाने के उचित प्रबन्ध किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित सरकारी माध्यमों को दिए गए नीति मार्गदर्शी सिद्धान्तों से उद्धरण नीचे दिए गए हैं :—

सरकार समानतावादी समाज की स्थापना और देश में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। सरकार की सभी विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के सन्दर्भ में सरकारी माध्यम एककों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। प्रचार कार्यक्रमों को सोचने, उनकी योजना बनाने और उनको कार्यान्वित करने की विभिन्न प्रक्रियाओं को इन दिशाओं में होने वाले प्रयासों के अनुरूप बनाना है। लोगों को सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के प्रति जागरूक करना है और इन कार्यक्रमों के लिए जन समर्थन प्राप्त करना है। इसलिए सरकारी माध्यम एककों के लिए यह जरूरी है कि वे इस प्रकार के कार्यक्रमों और नीतियों के समर्थन में सूचना प्रदान करें और प्रेरणा उत्पन्न करें। यह इसी संदर्भ में है कि माध्यमों की गतिविधियां को राष्ट्र निर्माण कार्यों में साधन बनाना चाहिए। उनको लोगों के विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। आत्म-निर्भरता की धारणा को प्रोत्साहित करना चाहिए और एकता तथा राष्ट्रीय मेल-मिलाप की शक्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।

2. यह सब कुछ सरकारी माध्यमों द्वारा सृजनात्मकता, मौलिकता और विदग्धता की कतिपय मात्रा के साथ किया जाना है ताकि सरकारी माध्यम समाज के सभी वर्गों और विशेषकर देश के युवकों के लिए विश्वसनीय और रोचक बने रहें।

इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आकार पर आकाशवाणी केन्द्र विभिन्न रूपों में कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

तमिलनाडु आवास बोर्ड और तमिलनाडु गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड को सहायता

3045. **श्री एन० डेनिस :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु आवास बोर्ड और तमिलनाडु गन्दी बस्ती सफाई बोर्ड को भारी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) किसी योजना या विकास शीर्ष से सम्बन्धित किए बिना राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता एकमुश्त ऋण तथा एकमुश्त अनुदान त रूप में दी जाती है। आवास राज्य का विषय होने के कारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार वित्तीय सहायता का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र है।

उर्वरकों का उपयोग करने में किसानों को दिशा निर्देश

3046. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल, गेहूं, पटसन और अन्य वाणिज्यिक फसलों की खेती के लिए प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक की औसत मात्रा के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में किसानों को दिशा निर्देश देने के लिए सरकार ने क्या प्रबन्ध किए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न फसलों में प्रयोग किए गए उर्वरक की मात्रा से सम्बन्धित आंकड़े रखने की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, 1984-85 में उर्वरक खपत का अखिल भारत अनुमानित औसत 48.39 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर था।

(ख) सरकार के उर्वरक के प्रयोग के सम्बन्ध में किसानों को दिशा निर्देश देने के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध किए हैं :—

(1) राज्य सरकारें अपनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं और विस्तार एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को उर्वरकों/खादों का संतुलित तथा कारगर प्रयोग करने के बारे में सलाह देती है।

(2) 14 प्रमुख राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षण तथा दौरा प्रणाली क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत विषय वस्तु विशेषज्ञों/विस्तार अधिकारिक पाक्षिक दौरों के माध्यम से ग्राम सेवकों के जरिए नवीनतम प्रौद्योगिकी अनुसंधान वैज्ञानिकों से किसानों को अन्तरित की जाती है।

(3) "किसान आदान प्रदान कार्यक्रम" के तहत फसल उत्पादन की आधुनिक प्रौद्योगिकी से उनको परिचित कराने के लिए अन्य राज्यों में उनके दौरों की व्यवस्था की जाती है।

(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने अनुसंधान संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से उनके कृषि विज्ञान केन्द्रों, प्रयोगशाला से खेत तक के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय प्रदर्शनों के माध्यम से कार्य करती है।

(5) उन 104 चुनिंदा जिलों में, जिनमें पर्याप्त वर्षा/अच्छी वर्षा होती है पर उर्वरक की खपत कम है, प्रमुख उर्वरक विनिर्माताओं के जरिए गहन उर्वरक सम्वर्धन अभियान शुरू किया गया है।

(ग) और (घ) उर्वरक की कम खपत को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

बिचौलियों को हटाना

3047. श्री अनादि चरण दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिचौलिए देश में स्वतः नियोजित उत्पादकों की तथा माध्यमिक क्षेत्र तथा टरशरी क्षेत्र में भी आय कम करने के लिए उत्तरदायी हैं; और

(ख) देश के प्रत्येक आर्थिक कार्यकलाप से बिचौलियों को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। परियोजनाओं में अनुमान लगाई गई आय प्राप्त करने के लिए आगे-पीछे के गठजोड़ों के सुधार पर बल दिया गया है। राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि विभिन्न निगम/सहकारी समितियां इन लाभार्थियों को सीधे सहायता प्रदान करें। जहां वर्तमान संगठन सहायता देने हेतु पर्याप्त अथवा समर्थ नहीं हैं वहां राज्य अपनी सुविधानुसार इस प्रयोजन के लिए नई जिला पूर्ति तथा मण्डी सोसाइटियां या कोई अन्य ढांचा स्थापित कर सकते हैं।

(ख) विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में बिचौलियों द्वारा किए जा रहे शोषण को दूर करना वांछनीय है। सरकार इस प्रयोजन के लिए सहकारी समितियों तथा अन्य संस्थानों को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय विपणन महासंघ, भारतीय कपास निगम, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हस्तशिल्प बोर्ड जैसे कुछेक ऐसे केन्द्रीय निकाय हैं जो उत्पादकों को सेवाएं तथा सहायता प्रदान करते हैं। इसी प्रकार राज्यों ने उत्पादकों तथा स्वनियोजित लोगों को शोषण से बचाने के लिए महासंघ, निगम, विपणन सोसाइटियां तथा निकाय गठित किए हैं।

त्योहारों के मौके पर जारी की गई चीनी

3048. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दशहरा और दिवाली के अवसर पर 7.63 लाख टन चीनी जारी की गई थी;

(ख) यदि हां, तो चीनी की इस मात्रा का सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार में बिक्री के लिए किस प्रकार आबंटन किया गया;

(ग) क्या गत वर्ष इस सीजन में चीनी का औसत मूल्य 5.45 रुपये प्रति कि० ग्राम था जबकि इस वर्ष 7.25 रुपए प्रति कि० ग्राम था; और

(घ) क्या सरकार ने चीनी के मामले में बेहिसाब लाभ अर्जन को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) 3.63 लाख मीटरी टन चीनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी के रूप

में और 4 लाख मीटरी टन चीनी खुले बाजार में खुली बिक्री की चीनी के रूप में निर्मुक्त की गई थी।

(ग) सितम्बर से नवम्बर, 1985 के दौरान प्रमुख मण्डियों में खुली बिक्री की चीनी का औसत खुदरा मूल्य 6.71 रुपए प्रति किलोग्राम था जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह मूल्य 5.37 रुपये प्रति किलोग्राम था।

(घ) सरकार का विचार है कि स्थिति से निपटने के लिए मुनाफाखोरी और काला बाजारी से सम्बन्धित लागू विभिन्न कानून पर्याप्त हैं।

शैक्षणिक कार्यक्रमों का तैयार किया जाना

3049. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने सातवीं योजना में शैक्षणिक कार्यक्रमों के निर्माण के लिए अनेक यूनिटें स्थापित करने की योजनाएं बनाई हैं;

(ख) क्या स्कूलों, विश्वविद्यालयों और प्रौढ़ शिक्षा तथा खेलों सम्बन्धी कार्यक्रमों का व्यापक प्रसारण किया जाएगा; और

(ग) क्या दूरदर्शन विदेशों में भारतीय टीमों के साथ खेले जाने वाले क्रिकेट तथा हाकी के सभी महत्वपूर्ण मैचों का प्रसारण करने की स्थिति में नहीं हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) शिक्षा तथा खेल पर कार्यक्रमों को समर्थन तथा कवरेज प्रदान करने के लिए इस समय आकाशवाणी के क्रमशः 44 और 10 केन्द्रों पर शैक्षणिक कार्यक्रम निर्माण एकक तथा खेल-कूद कवरेज सैल कार्य कर रहे हैं। सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के निर्माण के लिए इन यूनिटों तथा सैलों को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

शैक्षणिक प्रसारण करने वाले केन्द्रों तथा जहां इस समय निर्माण एकक कार्य कर रहे हैं, उन स्थानों को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है, जिस स्थान पर खेल-कूद सैल कार्य कर रहे हैं उन केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण-2 में दी गयी है।

(ग) दूरदर्शन प्रेषण समय की उपलब्धता तथा उपग्रह बुकिंग पर निर्भर करते हुए घरेलू तथा बाहरी महत्वपूर्ण खेल-कूद घटनाओं को कवर करने को कोशिश करता है।

क्रिकेट और हाकी मैचों सहित विदेशों में चुनींदा खेल-कूद गतिविधियों का सजीव या डैफर्ड कवरेज प्राप्त करने का हमेशा प्रयत्न किया जाता है।]

विवरण-1

शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारण करने वाले केन्द्र

1. त्रिवेन्द्रम
2. कालीकट
3. मद्रास
4. तिरुचिरापल्ली
5. बंगलोर
6. धारवाड़

7. हैदराबाद
8. विजयवाड़ा
9. बम्बई
10. पुणे
11. नागपुर
12. जलगांव
13. पणज़ी
14. अहमदाबाद
15. राजकोट
16. जयपुर
17. उदयपुर
18. दिल्ली
19. रोहतक
20. जलंधर
21. शिमला
22. जम्मू
23. श्रीनगर
24. लखनऊ
25. भोपाल
26. कटक
27. जेपोर
28. पटना
29. दरभंगा
30. कलकत्ता
31. कुर्सियांग
32. गोहाटी
33. शिलांग
34. कोहिमा
35. पोर्ट ब्लेयर
36. डिब्रूगढ़
37. इम्फाल
38. ऐजवाल
39. रांची
40. गोरखपुर
41. जगदलपुर
42. अगरतला
43. छतरपुर
44. सम्बलपुर
45. विशाखापत्नम
46. कुड्डपा
47. भागलपुर
48. बड़ोदा
49. भुज
50. त्रिचूर
51. अल्लेपी
52. इन्दौर
53. रायपुर
54. ग्वालियर
55. जबलपुर
56. रीवा
57. अम्बिकापुर
58. बीकानेर
59. जोधपुर
60. अजमेर
61. कोयम्बत्तूर
62. तिरूनेलवेली
63. इलाहाबाद
64. नजीबाबाद
65. वाराणसी
66. औरंगाबाद

67. परभनी
68. सांगली
69. रत्नागिरि
70. सिलीगुड़ी
71. पांडिचेरी
72. गुलबर्गा
73. भद्रावती
74. डिब्रूगढ़

1 से 44 तक के केन्द्रों पर शैक्षिक कार्यक्रम निर्माण एकक मंजूर किए गए हैं।

विवरण-2

आकाशवाणी केन्द्र, जिनमें खेल-कूद कवरेज सेल कार्य कर रहे हैं :

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. कलकत्ता
4. मद्रास
5. बंगलोर
6. कटक
7. हैदराबाद
8. जलंधर
9. लखनऊ
10. त्रिवेन्द्रम

सहकारी समितियों को ऋण देने संबंधी नियम

3050. **श्री मोहन भाई पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और केन्द्रीय सरकार का विचार सहकारी रूप से विकसित और पिछड़े राज्यों के लिए विहित समान प्रकार के नियमों की अपेक्षा उन राज्यों की सहकारी समितियों के लिए जहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी अधिक है, लघु सीमांत किसान तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग रहते हैं, ऋण देने सम्बन्धी पृथक नियम बनाने का विचार है; और

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का विचार सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा उपभोक्ता व्यवसाय पूंजी में निवेश के लिए पुनर्वित सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सहकारी ऋण संस्थाओं से ऋण जारी करने का कार्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों के अधीन किया जाता है। इन मानदण्डों का निर्धारण मौसमी लक्षणों, वसूली के स्तर, गैर अतिदेय राशि, जमा धन के स्तर, अपने धन और लेखा-परीक्षा वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। ये मानदण्ड सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक समान हैं। लेकिन, सहकारिता की दृष्टि से कमजोर राज्यों खासकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और कमजोर वर्गों के किसानों के लिए इन मानदण्डों को शिथिल कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना अवधि के लिए केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए एक विशेष योजना

को अन्तिम रूप दिया जा रहा है, ताकि सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने के मामले में उनकी अंश पूंजी की आवश्यकता के लिए अनुदान की व्यवस्था की जा सके।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का निर्माण

3051. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों को अनेक वर्षों तक आबंटित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के कितने फ्लैटों का निर्माण किया और इनमें से अब तक कितने फ्लैट पहले ही आबंटित कर दिए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने फ्लैटों का निर्माण करने का विचार है, और अब तक स्थान-वार कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जैसे ही फ्लैट सौंपने के लिए तैयार होते हैं उनकी पेशकश की जाती है/उन्हें आवंटित किया जाता है।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

	निर्मित फ्लैट	आवंटित/नियतित फ्लैट
मध्यम आय वर्ग	1452	961
निम्न आय वर्ग	2364	2842
जनता	281	2445
समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	230	—
स्ववित्त पोषित योजना	2968	1718
योग	7294	7966

(ग) विभिन्न श्रेणियों के 78520 फ्लैट विभिन्न स्थानों पर निर्माणाधीन हैं।

[अनुवाद]

पट्टे की सम्पत्ति को पट्टे से मुक्त करना

3052. श्री के० एस० राव : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पट्टे की ऐसी सारी सम्पत्ति को, जिसका पन्द्रह वर्ष से अधिक समय तक इस्तेमाल किया जा चुका है, पट्टे से मुक्त करने का एक नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त नीति के अन्तर्गत पहले ही पट्टे की कुछ आवासीय/वाणिज्यिक सम्पत्तियों को पट्टा मुक्त कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । नीति के अनुसार मालिक से इस आशय का वचन पत्र कि वह उस परिसर को अगले 3 वर्षों के लिए लीज पर नहीं देगा, प्राप्त करने पर रिहायशी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लीज परिसरों को लीज की तारीख से 10 वर्षों के बाद मुक्त कर दिया जाता है ।

(ग) और (घ) सम्पदा निदेशालय द्वारा दिल्ली में रिलीज की गई लीज सम्पत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पुल से बाहर सम्पदा निदेशालय द्वारा समय-समय पर रिलीज की गई लीज सम्पत्तियों की सूची

क्रम सं०	सम्पत्ति का विवरण	लीज की तारीख	उपयोग	रिलीज की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	पी-24 ग्रीन पार्क (प्रथम तल) नई दिल्ली	31-1-1968	रिहायशी	1-5-78	
2.	एफ-2 ग्रीन पार्क (प्रथम तल) नई दिल्ली	17-2-68	—वही—	1-6-78	
3.	114, सुन्दर नगर (प्रथम तल फ्लैट) नई दिल्ली	27-8-55	—वही—	13-6-78	अपराह्न
4.	यू-1 ग्रीन पार्क नई दिल्ली	1-3-68	—वही—	23-9-78	
5.	114, सुन्दर नगर (भूतल) नई दिल्ली	27-8-45	—वही—	13-10-78	
6.	थापर हाउस, नई दिल्ली	21-11-55	वाणिज्यिक/ कार्यालय वास	20-11-80	
7.	2, पूसा रोड प्रथम तल फ्लैट) नई दिल्ली	12-4-83 (मुक्त किया) 11-8-48 (लीज में प्रवर्तित किया)	रिहायशी	1-1-81	

1	2	3	4	5	6
8.	फ्लैट नं० 1112, अंसल भवन नई दिल्ली	1-9-76	कार्यालय वास	2-8-81	
9.	फ्लैट नं० 1111 अंसल भवन नई दिल्ली	16-8-76	—वही—	30-11-84	अपराह्न
10.	2, पूसा रोड (पूर्वी भाग) का भूतल, नई दिल्ली	1-8-48	—वही—	20-5-85	
11.	श्री राम इंस्टिट्यूट बिल्डिंग 19 इनवस्टी रोड, दिल्ली	1-7-54	—वही—	— *	

*रिलीज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं परन्तु भवन का कब्जा मकान मालिक को अभी नहीं दिया गया है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात

3053. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात के लिए राज्यवार कितने आवेदन सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) ये आवेदन कब तक निपटा दिए जाएंगे;

(ग) क्या केन्द्र इन नौकाओं का बेड़ा बढ़ाने के लिए राज्यों को कोई विशेष सहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सहायता किन-किन राज्यों को प्राप्त हुई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सामान्य आयात स्कीमों, शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी स्कीमों और मत्स्य ग्रहण नौका अधिग्रहण समिति द्वारा विचार किए जाने तक चार्टर बाध्यताओं के अधीन गहरे समुद्र में मत्स्य ग्रहण नौकाओं के लिए आवेदन पत्रों की संख्या राज्यवार निम्नवत :

राज्य का नाम	आवेदन पत्रों की संख्या
उत्तर प्रदेश	2
दिल्ली	7
आन्ध्र प्रदेश	11
महाराष्ट्र	2
पश्चिम बंगाल	2
मद्रास	6
केरल	1
पांडिचेरी	1
उड़ीसा	2

(ख) आयात के लिए आवेदन पत्रों पर प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर विचार किया जाता है। बशर्ते कि डिजाइन, मूल्य और अन्य सुसंगत तथ्यों से संकलित शर्त पूरी होती हो। इस प्रकार आवेदन पत्रों की निकासी के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना

3054. श्री सरफराज अहमद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक पक्की सड़कों से जोड़े गए गांवों की संख्या कितनी है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पक्की सड़कों से कितने गांवों को जोड़ने का प्रस्ताव है; और

(ख) उन गांवों की संख्या कितनी होगी जो इसके बाद भी पक्की सड़कों से जोड़े जाने से रह जाएंगे और उन गांवों को पक्की सड़कों से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) 1-4-85 की स्थिति के अनुसार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 से अधिक की आबादी वाले 77888 गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया था। सातवीं योजना के दौरान, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1000 से अधिक की आबादी वाले लगभग 24000 गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

(ख) 1-4-85 की स्थिति के अनुसार, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के मानदण्डों के अन्तर्गत आने वाली आबादी वाले 48129 गांवों को अभी बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना बाकी है। छठी योजना के प्रलेख में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 1500 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 के बीच की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना है।

[अनुवाद]

रामगुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए सिंगरेनी कोयला खान द्वारा भूमि दिए जाने की पेशकश

3056. श्री जी० भूपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खान ने आन्ध्र प्रदेश में रामगुण्डम इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए भूमि तथा अन्य सुविधाओं की पेशकश को करते हुए कोई प्रस्ताव दूरदर्शन अधिकारियों को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रामगुण्डम में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज लिमिटेड ने रामगुण्डम क्षेत्र सहित अपने कोलियरी क्षेत्र में टी० वी०

कवरेज के लिए उस स्कीम का ब्योरा मांगा है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि को अपने-अपने क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना में वित्तीय सहायता देने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम का पूरा ब्योरा उक्त कम्पनी को भेजा जा रहा है।

[हिन्दी]

वित्तीय रूप से कमजोर सहकारी केन्द्रीय बैंकों के पुनर्वास की योजना

3057. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय रूप से कमजोर सहकारी केन्द्रीय बैंकों से सम्बद्ध ऋण समितियों के सदस्यों के हित में 1972-73 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान ऐसे बैंकों के पुनर्वास की कोई योजना कार्यान्वित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बैंकों के पुनर्वास के लिए अनुदान न दिए जाने पर बैंक ऋण सीमा पर प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप किसान सदस्यों को उत्पादन के प्रयोजनों के लिए ऋण की पर्याप्त राशि के ऋण नहीं मिलेगी; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसान सदस्य ऋण सुविधा से वंचित न हों केन्द्रीय सरकार का विचार इस योजना को पुनः आरम्भ करने का शीघ्र निर्णय करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त योजना का उद्देश्य कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तीन वर्षों से देय उनके डूबे और संदिग्ध ऋणों, संचित हानि और अन्य अप्राप्य बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है। भारतीय रिजर्व बैंक/नेबार्ड द्वारा की गई समीक्षा से पता चलता है कि चूंकि पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए अधिकांश केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने अपनी ऋण देने वाली, वसूली और जमा राशि, आदि में सुधार किया है, अतः 1980 में इस योजना को बन्द करने के बारे में निर्णय लिया गया। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वे केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिनके पास मांग की 60 प्रतिशत और उससे अधिक बकाया राशि है, नेबार्ड से नयी वित्तीय सहायता पाने के पात्र नहीं हैं। यद्यपि वे केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिनके पास 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक बकाया राशि है। नेबार्ड से ऋण सीमा प्राप्त करने के पात्र नहीं हो सकते हैं। परन्तु नये और अनजाने में दोषी व्यक्तियों के अल्पावधि उत्पादन ऋण की मांग के बारे में पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें उनकी मांग के अनुसार उत्पादन ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त नेबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अपने उधार देने वाले आन्तरिक संसाधनों में से आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें, ताकि वे कृषि कार्यों के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कृषक सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपने संसाधनों को मजबूत बना सके।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

सिंचित क्षेत्रों में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट

3058. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की 56 प्रतिशत जनसंख्या का पोषण सिंचित क्षेत्रों में होने वाले कृषि उत्पादन से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचित क्षेत्रों में खाद्यान्नों के उत्पादन की दर में गिरावट आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में उत्पादित कुल खाद्यान्नों का 55 से 60 प्रतिशत सिंचित क्षेत्रों से प्राप्त होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

एक परिवार में एक सदस्य को रोजगार

3059. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने प्रतिशत व्यक्तियों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों की व्यवस्था करना तथा उनमें वृद्धि करना है ताकि एक वर्ष में प्रत्येक भूमिहीन श्रमिक परिवार के कम से कम एक सदस्य को 100 दिन तक रोजगार प्रदान किया जा सके। इस कार्यक्रम को 1983 से क्रियान्वित किया जा रहा है। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम को जारी रखने तथा इसमें विस्तार करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में यह अनुमान लगाया गया है कि 1985 में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या 37 लाख थी। योजना दस्तावेज में यह कहा गया है कि यदि बेरोजगारी की दर में कमी नहीं होनी है, तो योजना अवधि के दौरान शिक्षित व्यक्तियों के लिए कम से कम 94 लाख नौकरियों को सृजित करने की आवश्यकता होगी।

[अनुवाद]

वाटर एण्ड वेस्ट वाटर अथारिटी, केरल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता

3060. **श्री मुल्लापुल्ली रामचन्द्रन** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वाटर एण्ड वेस्ट वाटर अथारिटी को किसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सी से कोई वित्तीय अनुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन एजेन्सियों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने कितनी धनराशि दी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वाटर एण्ड वेस्ट वाटर अथारिटी द्वारा ऐसी धनराशि का किए गए उपयोग का विवरण क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केरल जलपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना के लिए 41 मिलियन डालर के आई० डी० ए० ऋण के लिए 24 सितम्बर, 1985 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 937 मिलियन डालर (85.2 मिलियन अमेरिकी डालर) है। इस परियोजना का कार्यान्वयन मुख्य रूप से केरल जल तथा मल जल प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और यह 31 मार्च, 1990 तक पूरी की जानी है। इस करार को अभी प्रभावी होना है और इसलिए ऋण के अन्तर्गत अभी तक कोई निधियां नहीं ली गई हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के यूनिटों के पास उर्वरक भंडार का जमा होना

3061. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :**
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों को उनके पास बिना बिके पड़े भारी स्टाकों के परिणामस्वरूप गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) 15 नवम्बर, 1985 को सरकारी क्षेत्र के विभिन्न यूनिटों के पास स्टाक की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या माल के जमा हो जाने के परिणामस्वरूप उत्पादन में भी कटौती कर दी गई है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कम उठान का कारण भारी मात्रा में किए गए आयात हैं, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्टाक को बेचने और उठान बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) यद्यपि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयन्त्रों को बिना बिके स्टाक के कारण किस गम्भीर समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तथापि इनमें से कुछ कम्पनियों की स्टाक में वृद्धि के कारण गोदाम सुविधाओं और नकद प्रवाह की कठिनाई हो रही है।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उत्पादक एककों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्टाक स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उर्वरकों के उठान में कमी का मुख्य कारण भूमि पर नमी का अभाव और शीत ऋतु की वर्षा में विलम्ब है।

(ङ) उर्वरकों की खपत में वृद्धि के लिए उर्वरक प्रवर्धन कार्यक्रम, किसानों को ऋण सुविधा आदि जैसे उपयुक्त कदम सरकार द्वारा पहले ही उठाये गए हैं। ऐसे उपायों तथा इसके साथ-साथ पर्याप्त वर्षा हो जाने से उर्वरकों के उठान में सुधार होगा।

विवरण

15-11-1985 को उर्वरक की भंडार स्थिति, आयातित सहित, जैसी कि कम्पनियों द्वारा सूचित की गयी है :

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	इकाई	मात्रा
1.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	मी०टन	1,72,600
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स लि०	मी०टन	1,34,639
3.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	मी०टन	1,18,439
4.	फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया	मी०टन	92,733
5.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	मी०टन	4,29,064
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	मी०टन	80,466

नई चीनी नीति

3062. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने सरकार द्वारा घोषित नई चीनी नीति पर सहमति व्यक्त की है;

(ख) किन संगठनों ने इस नीति का स्वागत किया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किए गए सुधारों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग का विचार चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने का है; और

(घ) क्या चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार करने के लिए सरकार का विचार दोनों ही सरकारी और गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्र के चीनी उत्पादकों का एक सम्मेलन बुलाने का है; यदि हां, तो कब ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाल ही के समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, चीनी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो एपेक्स निकायों, अर्थात् दि नेशनल फेडरेशन आफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड तथा दि इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सरकार द्वारा चीनी वर्ष 1985-86 के लिए घोषित की गई नई चीनी नीति का स्वागत किया है। उक्त दोनों एसोसिएशनों ने यह विचार व्यक्त किया है कि नई नीति के फलस्वरूप गन्ने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी।

(घ) जी, नहीं।

बंगलौर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों का आवंटन

3063. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि बंगलौर में रक्षा विभाग के सिविलियन कर्मचारियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों का आवंटन नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सम्बन्धित कार्यालय को पहले बंगलौर में सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए पात्र घोषित किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए रक्षा मंत्रालय से कार्यालयों, सिविल कर्मचारियों की संख्या इत्यादि के ब्यौरे भेजने का अनुरोध किया गया है। ये सूचनाए केवल नवम्बर, 1985 के तीसरे सप्ताह में प्राप्त हुई हैं।

[हिन्दी]

झुंझुनू राजस्थान में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

3064. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार झुंझुनू (राजस्थान) में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करने के लिए कोई प्रयास कर रही है क्योंकि इस क्षेत्र की जनता निरन्तर इसकी मांग कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, हां। सातवीं योजना अवधि के दौरान झुंझुनू में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिह्न

3065. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन चिह्न के बारे में 25 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1189 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान की आवश्यक प्रमाणन चिह्न योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए 93 उत्पादों की सूची सदन के सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) क्या निकट भविष्य में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए दियासलाई, बिजली के तार, बिजली के ट्यूब और बल्ब इत्यादि वस्तुओं को उक्त सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारतीय मानक संस्था के प्रमाणन चिह्न की सांविधिक मान्यता

वे उत्पाद जिनके लिए देश में भारतीय मानक संस्था का प्रमाणन चिह्न बाध्यकर है :

(क) खाद्य रंग तथा खाद्य रंग से बनी सामग्री

(1) आई एस : 1694—1974	टार्ट्रेजिन, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(2) आई एस : 1695—1974	सनसैट येल्लो पी० सी० एफ०, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(3) आई एस : 1696—1974	ऐमारन्थ, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(4) आई एस : 1697—1974	एरिथ्रोसीन, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(5) आई एस : 1698—1974	इन्डिगो कार्मिन, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(6) आई एस : 2558—1974	पॉन्सो 4 आर, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(7) आई एस : 2923—1974	कामाईजीन, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(8) आई एस : 2924—1974	फास्ट-रैड ई, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(9) आई एस : 5346—1975	कोलतार फूड कलर प्रिपरेशन एण्ड मिक्सचर्स के लिए विशिष्टि
(10) आई एस : 6022—1977	फास्ट ग्रीन पी० सी० एफ०, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(11) आई एस : 6029—1977	ग्रीन एस, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि
(12) आई एस : 6406—1977	ब्रिलिएन्ट ब्लू एफ० सी० एफ०, खाद्य ग्रेड के लिए विशिष्टि

(ख) खाद्य योगज

(13) आई एस : 2557—1963	खाद्य उत्पादों के लिए आन्नाटो रंग
(14) आई एस : 447—1967	सोडियम वेन्जोएट, खाद्य ग्रेड

(15) आई एस : 4448—1967	बेन्जोइक ऐसिड, खाद्य ग्रेड
(16) आई एस : 4467—1980	कैरामेल
(17) आई एस : 4750—1968	सारबिटॉल, खाद्य ग्रेड
(18) आई एस : 4451—1968	पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइट, खाद्य ग्रेड
(19) आई एस : 4752—1968	सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, खाद्य ग्रेड
(20) आई एस : 4818—1968	सोर्विक ऐसिड, खाद्य ग्रेड
(21) आई एस : 5191—1969	सोडियम एल्जिनेट, खाद्य ग्रेड
(22) आई एस : 5306—1978	सोडियम कार्बोक्सिमेथिल सेल्यूलोज, खाद्य ग्रेड
(23) आई एस : 5342—1969	ऐस्कॉर्बिक ऐसिड, खाद्य ग्रेड
(24) आई एस : 5343—1969	ब्यूटिलेटिड हाइड्रोक्सिएनिसोल, खाद्य ग्रेड
(25) आई एस : 5344—1969	ब्यूटिलेटिड हाइड्रोक्सिटोल्यून, खाद्य ग्रेड
(26) आई एस : 5707—1970	अगर, खाद्य ग्रेड
(27) आई एस : 5719—1970	जिलेटिन, खाद्य ग्रेड
(28) आई एस : 6030—1971	सोडियम प्रोपिओनेट, खाद्य ग्रेड
(29) आई एस : 6031—1971	कैल्शियम प्रोपिओनेट, खाद्य ग्रेड
(30) आई एस : 6793—1972	फ्यूमेरिक ऐसिर खाद्य ग्रेड
(31) आई एस : 7905—1973	कैल्शियम एल्जिनेट, खाद्य ग्रेड
(32) आई एस : 7908—1975	सल्फर डाइऑक्साइड, खाद्य ग्रेड
(33) आई एस : 7928—1975	एल्जिनिक ऐसिड, खाद्य ग्रेड
(34) आई एस : 8356—1977	टाइटेनियम डाइऑक्साइड, खाद्य ग्रेड

(ग) खनिकों के सेफ्टी लेदर बूट्स एण्ड शूज

(35) आई एस : 1898 (भाग-I व II)—1978 खनिकों के सेफ्टी लेदर बूट्स एण्ड शूज

(घ) छपाई का सफेद कागज

(36) आई एस : 1848—1971	छपाई का सफेद कागज

(ङ) सीमेंट

(37) आई एस : 269—1976	आर्डनरी रेपिड हार्डनिंग एंड लो हीट पोर्टलैण्ड सीमेंट
(38) आई एस : 455—1976	पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फरनेस स्लैग सीमेंट।
(39) आई एस : 1489—1978	पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट
(40) आई एस : 3466—1967	मैसोनरी सीमेंट

(41) आई एस : 6552—1972	संरचनात्मक प्रयोग के लिए हाई एल्यूमिना सीमेंट
(42) आई एस : 6909—1973	सुपरसल्फेटेड सीमेंट
(43) आई एस : 8041—1978	रेपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट
(44) आई एस : 8042—1978	सफेद पोर्टलैंड सीमेंट
(45) आई एस : 8043—1978	हाईड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट
(46) आई एस : 8112—1976	हाई स्ट्रेन्थ आर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट
(47) आई एस : 8229 ई—1976	ऑयल वैल सीमेंट

(च) खानों में प्रयुक्त सेफ्टी हेलमेट्स

(48) आई एस : 2925—1975	खानों में प्रयुक्त सेफ्टी हेलमेट्स

(छ) खनिकों की कैप लैम्प बैट्रीज

(49) आई एस : 2512—1978	खनिकोकी कैप लैंप बैट्रीज

(ज) बिजली के फ्लेमप्रूफ उपकरण

(50) आई एस : 2148—1981	—वही—

(झ) एल० पी० जी० सिलेन्डर्स

(51) आई एस : 3196—1982	एल पी जी सिलेण्डर्स

(ट) खानों में प्रयुक्त वायर रोप्स

(52) आई एस : 1855—1977	खानों में प्रयुक्त वायर रोप्स

(ठ) मृदु इस्पात की ट्यूबें

(53) आई एस : 1161—1979	मृदु इस्पात की ट्यूबें
(54) आई एस : 1239 (भाग-I)—1969	मृदु इस्पात की ट्यूबें
(55) आई एस : 4270—1967	मृदु इस्पात की ट्यूबें

(ड) इस्पात और इस्पात के उत्पाद

(56) आई एस : 226—1975	संरचनात्मक इस्पात (मानक गुणता)
(57) आई एस : 277—1977	गेल्वे नाइज्ड इस्पात की चादरें
(58) आई एस : 279—1972	टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के प्रयोजनों के लिए गेल्वेनाइज्ड लोहा तथा इस्पात की तारें
(59) आई एस : 280—1978	सामान्य इन्जीनियरी प्रयोजनों के लिए मृदु इस्पात की तारें
(60) आई एस : 432 (भाग-1 व 2)—1966	ठोस सुदृढ़ीकरण के लिए मृदुस्टील तथा मीडियम टेनसाइल इस्पात की छड़ें और हार्ड ड्रॉन स्टील वायर।

(61) आई एस : 513—1975	कोल्ड रोल्ड कार्बन स्टील शीट्स
(62) आई एस : 961—1975	संरचनात्मक इस्पात (हाई टेनसाइल)
(63) आई एस : 1029—1970	हॉट रोल्ड इस्पात स्ट्रिप्स
(64) आई एस : 1079—1973	हॉट रोल्ड कार्बन इस्पात की चादरें व स्ट्रिप्स
(65) आई एस : 1139—1966	ठोस सुदृढ़ीकरण के लिए हॉट रोल्ड मृदु इस्पात और मीडियम टेनसाइल इस्पात की डिफार्म्ड छड़ें।
(66) आई एस : 1418—1978	संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए रिवट छड़ें
(67) आई एस : 1149—1978	संरचनात्मक प्रयोजनों के लिए हाई टेनसाइल रिवट छड़ें
(68) आई एस : 1786—1979	ठोस सुदृढ़ीकरण के लिए कोल्ड ट्विस्टिड डिफार्म्ड इस्पात की छड़ें
(69) आई एस : 1875—1978	गढ़ाई के लिए कार्बन इस्पात के बिल्लेट्स ब्लूम्स, स्लैब्स तथा छड़ें।
(70) आई एस : 1977—1975	संरचनात्मक इस्पात (साधारण गुणवत्ता)
(71) आई एस : 1990—1973	बायलरों के लिए इस्पात की रिवट तथा स्टे बार्स
(72) आई एस : 2002—1975	बायलरों के लिए इस्पात की प्लेटें।
(73) आई एस : 2062—1969	संरचनात्मक इस्पात (फ्यूजन वेल्डिंग क्वालिटी)
(74) आई एस : 2073—1970	(इसके स्थान पर आई एस : 7283—1974) मशीन के पुर्जों के उत्पादन के लिए कार्बन इस्पात की छड़ें
(75) आई एस : 2830—1975	संरचनात्मक स्टील में रि-रोलिंग करने के लिए कार्बन इस्पात बिल्लेट्स (मानक क्वालिटी)
(76) आई एस : 2831—1975	संरचनात्मक स्टील में रि-रोलिंग करने के लिए कार्बन इस्पात बिल्लेट्स (साधारण क्वालिटी)
(77) आई एस : 2879—1975	मैटल आर्क वेल्डिंग इलैक्ट्रोड कोर वायर के लिए मृदु इस्पात।
(78) आई एस : 3502—1966	इस्पात की चार खानेदार प्लेटें
(79) आई एस : 3748—1978	हाट वर्क के लिए टूल और डाई

(80) आई एस : 3749—1978	कोल्ड वर्क के लिए टूल और डाई
(81) आई एस : 3930 -1979	फ्लेम एन्ड इन्डक्शन हार्डनिंग इस्पात
(82) आई एस : 4368—1 67	सामान्य इन्जीनियरी प्रयोजनों के लिए अलॉय इस्पात बिल्लेट्स, ब्लूम्स तथा स्लैब्स।
(83) आई एस : 4397—1972	बॉल तथा रोलर बेयरिंग कोजिज के लिए कोल्ड-रोल्ड कार्बन इस्पात।
(84) आई एस : 4398—1972	बाल्स, रोलर्स तथा बेयरिंग रेसेज के विनिर्माण के लिए कार्बन-क्रोमियम इस्पात
(85) आई एस : 4430—1979	मोल्ड इस्पात
(86) आई एस : 4431—1978	कार्बन तथा कार्बन मैंगनीज फ्रीकटिंग इस्पात
(87) आई एस : 4432—1967	केस हार्डनिंग इस्पात
(88) आई एस : 4882—1968	बेयरिंग उद्योग में प्रयुक्त रिबटों के लिए लो कार्बन इस्पात
(89) आई एस : 5489—1975	बेयरिंग उद्योग में उपयोग के लिए कार्बुराइजिंग स्टील
(90) आई एस : 5517—1978	हार्डनिंग तथा टॅपरिंग के लिए इस्पात
(91) आई एस : 5518—1979	ड्राप फोरजिंग हेतु डाई ब्लाक्स के लिए इस्पात
(92) आई एस : 5522—1978	औजारों तथा अस्पताल में प्रयुक्त बर्तनों के लिए जंगावरोधी इस्पात की चादरें, कॉयल्स तथा सर्कल्स।

(ढ) वनस्पति

(93) आई एस : 10633—1983	वनस्पति

उपभोक्ता सुरक्षा परिषद की सिफारिशें

3066. **श्री अजय विश्वास :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता सुरक्षा परिषद् ने वर्ष 1983 और 1984 में कितनी सिफारिशें की हैं और इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने अब तक कितनी सिफारिशें क्रियान्वित की हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, जो एक परामर्शदात्री निकाय है, ने 1983 तथा 1984 में निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं :—

(1) उपभोक्ता संरक्षण कानूनों में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने हेतु उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वावधान में कार्यकारी दल का गठन करना;

(2) उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा में सहायक प्रशासकीय प्रक्रियाओं का पता लगाना, उन्हें मजबूत करना तथा उन्हें सरल बनाना;

(3) राज्य सरकारों द्वारा मौजूदा कानूनों के कार्यान्वयन में तेजी लगाना और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता करना;

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान बेची जाने वाली पैकेज में रखी वस्तुओं के विनियमन से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करना;

(5) उपभोक्ता संरक्षण तथा शिक्षा पर पुस्तिकाएं तथा विवरणिकाएं निकालना;

(6) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपभोक्ता शिकायत कक्षों की स्थापना करना।

ऊपर (1) व (3) के बारे में, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के तत्वावधान में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मामले मे समय-समय पर सलाह दी जाती है तथा उनसे परामर्श किया जाता है। सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों से भी अनुरोध किया गया है कि वे मौजूदा उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की पुनरीक्षा करें। जहां तक ऊपर (4) का सम्बन्ध है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई है। ऊपर (5) के सम्बन्ध में, उपभोक्ता को शिक्षित करने के लिए अपमिश्रण तथा बाट व माप के बारे में विवरणिकाएं जारी की गई हैं। ऊपर (6) के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ता कार्य निदेशालय की स्थापना कर दी है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली

3067. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य से भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक किस्म के खाद्यान्न की कुल कितनी वसूली की गई;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रत्येक किस्म के खाद्यान्नों की वसूली के लिए (एक) खाद्यान्नों में सीलन, टूटे हुए टुकड़े, विदेशी सामग्री, आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिशतता (दो) खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम का पालन करने के बारे में किन मानदण्डों का पालन किया गया है; और

(ग) मानदण्डों का उल्लंघन करने के बारे में पिछले तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर रखे गये विवरण-1 में दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1633/85**]

(ख) (1) भारत सरकार द्वारा धान, चावल और गेहूं के निर्धारित किए गए गुणवत्ता मानकों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण-2 में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1633/85**]

(2) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियम के अन्तर्गत खाद्यान्नों की गुणवत्ता के यथा-निर्धारित मानकों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण-3 में दिया गय. है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1633/85**]

(ग) वसूली के दौरान विनिर्दिष्टियों का उल्लंघन करने के बारे में खाद्य विभाग में पिछले तीन वर्षों के दौरान सात शिकायतें प्राप्त हुई थीं और इस वर्ष के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई है।

राजस्थान में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3068. **श्री राम सिंह यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान राज्य में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गौण (उद्योग) क्षेत्र में सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या राज्य में छठी पंचवर्षीय अवधि के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे लाभार्थियों का सर्वेक्षण अथवा पता लगाने का काम किया गया है; और

(ग) ऐसे लाभार्थियों का प्रतिशत क्या है, जो छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गरीबी रेखा से ऊपन नहीं उठ सके ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) उद्योग, सेवा और व्यापार के अन्तर्गत 41.48 प्रतिशत लाभार्थियों को सहायता दी गई।

(ख) समन्वित ग्रमीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान सभी लाभार्थियों का एक परिवार सर्वेक्षण के आधार पर पता लगाया गया था।

(ग) राजस्थान में तीन वर्षों अर्थात् 1980-81 से 1982-83 के दौरान जिन परिवारों ने गरीबी रेखा पार कर ली है उनकी संख्या का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। जो परिणाम प्राप्त और संकलित किए गए हैं वे सभी क्षेत्रकों के लाभार्थी परिवारों के हैं। उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्रक सहित सभी परिवारों के सर्वेक्षण के आधार पर छठी पंचवर्षीय योजना के इन तीन वर्षों में जो परिवार गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके थे, उनकी संख्या 50.45% थी।

खाद्यान्नों के भंडार का निर्धारित लक्ष्य

3069. श्री राम प्यारे पनिका : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के भंडार के सम्बन्ध में इस वर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या लक्ष्य से अधिक भंडार बनाया जाएगा; यदि हां तो अतिरिक्त भंडार का किस तरह उपयोग किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि लक्ष्य से कम भंडार प्राप्त हुआ है तो, लक्ष्य किस प्रकार पूरा किए जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) बफर स्टाक रखने की नीति के अनुसार, वर्ष के दौरान भिन्न-भिन्न समय पर 165 से 214 लाख मीटरी टन के बीच के रेंज में गेहूं और चावल का बफर और परिचालन स्टाक अपेक्षित होगा।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकारी एजेन्सियों के पास पहली नवम्बर, 1985 तक 232 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का कुल स्टाक होने का अनुमान था जो बफर स्टाक रखने की नीति के मानदण्डों के अनुसार आवश्यकताओं से अधिक है। अधिक स्टाक को कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं :—

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर फ्लोर मिलों के लिए खाद्यान्नों के मासिक आबंटनों को उदार बना दिया गया है;

2. ग्रामीण रोजगार योजनाओं के लिए खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं मुहैया करना और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाली जनता तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों को विशिष्ट राज सहायता प्राप्त दरों पर इनका वितरण करना;

3. गेहूं और गेहूं के उत्पादों का निर्यात करने की अनुमति प्रदान करना; और

4. खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने की अनुमति देना।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विद्युत चालित करघा, किशनगढ़ (राजस्थान) में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करना

3070. श्री विष्णु मोदी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय विद्युत चालित करघा कामगार संघ, किशनगढ़, राजस्थान से इसके कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू किए जाने की मांग का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम उन विद्युत चालित करघा यूनिटों पर पहले से ही लागू होता है जो 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और जो ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहां उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जा चुका है। इस अधिनियम को अन्य क्षेत्रों पर भी लागू किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक चिकित्सीय व्यवस्थाओं को पूरा किया गया हो। इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं कि वह केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के अध्यधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को 10 से कम व्यक्ति नियोजित करने वाले विद्युत चालित करघों पर लागू कर सकती है। राजस्थान सरकार ने तदनुसार उक्त अधिनियम के उपबंधों को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले विद्युत चालित करघा यूनिटों पर लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अगस्त, 1984 में ले ली है। तथापि, राजस्थान सरकार द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले छोटे विद्युत करघा यूनिटों पर, उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया प्रतीत नहीं होता।

[अनुवाद]

रवीन्द्र रंगशाला, दिल्ली के निर्माण पर किया गया व्यय

3071. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रिज रोड पर रवीन्द्र रंगशाला के निर्माण पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ख) क्या इसका निर्माण आम जनता को सस्ते दामों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और फिल्में दिखाने के लिए किया गया था;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों से इसका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) रवीन्द्रनाथ टेगोर शताब्दी समिति एक गैर सरकारी पंजीकृत सोसाइटी ने रवीन्द्र रंगशाला का निर्माण, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के इंजीनियरिंग और आर्कीटेक्चरल स्टाफ के सामान्य पर्यवेक्षण में किया था। परिषद की किताबों के अनुसार, थियेटर और इसके उपकरणों की कुल लागत 34,85,086 रुपये थी।

(ख) थियेटर का निर्माण रवीन्द्रनाथ टेगोर की जन्म शताब्दी की याद में किया गया था

और इसकी योजना इस प्रकार बनाई गई थी कि इसका प्रयोग ड्रामों, नृत्य-नाटकों, नृत्य शो, फिल्म शो आदि के लिए किया जा सके।

(ग) और (घ) रंगशाला का प्रयोग गीत और नाटक प्रभाग ने मिश्रित कार्यक्रमों, ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों और फिल्म शो के संचालन के लिए किया है। वर्ष में लगभग दो मास रक्षा मंत्रालय द्वारा भी रंगशाला का उपयोग गणतन्त्र दिवस समारोहों के अवसर पर विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य दलों के ठहरने के लिए और उनकी रिहर्सल आदि के लिए करता है। परन्तु इसका उपयोग पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि प्रभाग के सजीव कार्यक्रमों के लिए थियेटर का स्थल सुविधाजनक सिद्ध नहीं हुआ है। प्रयोग के तौर पर रंगशाला को 21-6-85 से 30-11-85 तक एक प्राइवेट पार्टी को फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए पट्टे पर दिया गया था।

निजी आवासों का वित्त पोषण

3072. श्री शरद दिघे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि में दिये जाने वाले ऋण की तरह निजी आवासों का वित्तपोषण करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवासों की भारी कमी को दूर करने के लिए अनेक सुविधाएं देकर कोई नये प्रयास किये गये हैं जिसमें लीड बैंकों, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की मुख्य भूमिका है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक स्वतन्त्र आवास वित्त संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके विवरणों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

यमुना पार क्षेत्र में जल मल निकासी कार्य

3073. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
प्रो० चन्द्र भानु देवी :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में आनन्द विहार और अन्य कालोनियों में जल मल निकासी का कार्य आरम्भ किया गया था;

(ख) इस कार्य के पूरा होने के लिए निर्धारित समय क्या था;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि क्षेत्र में मुख्य सड़कों की खुदाई हुए लगभग एक वर्ष हो गया है जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों तथा अन्य लोगों को अनेक कठिनाइयां होती हैं और वहां बड़े पैमाने पर खुदाई के कार्य के कारण सड़क दुर्घटनाओं की कई घटनाएं हुई हैं; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1986।

(ग) इस प्रकार के गहरे मल निर्यास कार्यों से निवासियों को कुछ असुविधा अवश्य होती है तथापि, यातायात प्राधिकारियों के परामर्श से उचित मोड़ों की व्यवस्था कर दी गई है। सीवर कार्य के कारण हुई किसी सड़क दुर्घटना की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) कुछ विलम्ब हुआ है। ठेके के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य को तेजी से करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। आनन्द बिहार तथा अन्य कालोनियों को जोड़ती हुई सड़क सं० 75-बी पर सम्पूर्ण कार्य दिसम्बर, 1986 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है।

हाजिरा उर्वरक परियोजना को शुरू करना

3075. **प्रो० के० बी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा उर्वरक परियोजना के शुरू करने में कोई देरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह परियोजना कब तक शुरू की जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) हाजिरा उर्वरक परियोजना को चालू करने में होने वाला विलम्ब तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा फोडस्टाक-गैस की सप्लाई करने में हुई देरी के कारण हुआ है।

(ग) इस परियोजना के दोनों चरण शुरू किये जा रहे हैं और यूरिया उत्पादन की सुविधाओं के अन्तर्गत 26 नवम्बर, 1985 से परीक्षण के तौर पर यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है। चरण-1 और चरण-2 के लिए वाणिज्यिक उत्पादन की सम्भावित तारीखें क्रमशः फरवरी, 1986 और अप्रैल, 1986 हैं।

कृषि योग्य और अकृष्यकर भूमि से सम्बन्धित योजनाएं

3076. **श्री गदाधर साहा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु भूक्षरण रेत के टीलों का बदलना, तटवर्ती रेत के टीले, नमी प्रभाव, पृष्ठ अपरदन, खादर, जलप्लावित खादर भूमि गली अपरदन जैसी कृषि योग्य और अकृष्यकर भूमि के बारे में सरकार की क्या योजना है;

(ख) इस प्रकार की योजना कब तक आरम्भ की जाएगी; और

(ग) यदि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है तो क्या अब तैयार किए जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से जल तथा वायु से होने वाले भूक्षरण को रोकने, नमी बनाए रखने तथा मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण करने तथा कृषि योग्य तथा गैर-कृषि योग्य दोनों किस्म की भूमि का कुछ वर्गीकरण करने के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अलावा निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से केन्द्रीय सहायता दी जा रही हैं :—

1. मरू विकास कार्यक्रम

2. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

3. बारानी क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण संचयन प्रौद्योगिकी का संवर्द्धन ।

4. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ।

5. बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध ।

6. हिमालय में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण ।

7. ग्रामीण जलावन लकड़ी के रोपण सहित सामाजिक वानिकी ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समस्या वाले निम्नलिखित क्षेत्रों में भी कार्य शुरू करने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं :—

1. खड्डे वाले क्षेत्रों का विकास तथा स्थिरीकरण ।

2. उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल मग्न क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास

3. तटीय लवणीय बलुई क्षेत्रों का विकास

4. कृषि योग्य बंजर भूमि तथा चालू परती भूमि को छोड़कर अन्य परती भूमि का सर्वेक्षण, वर्गीकरण तथा पुन: स्थापन ।

संसाधन सम्बन्धी स्थिति अनुकूल होते ही इन कार्यक्रमों के चालू हो जाने की आशा है ।

दूरदर्शन में जनवाणी कार्यक्रम के सम्बन्ध में शिकायतें

3077. श्री आर० प्रभु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में जनवाणी कार्यक्रम के अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और अब तक प्रसारित प्रत्येक कार्यक्रम में मंत्रियों द्वारा कितनी शिकायतों का मौखिक उत्तर दिया गया;

(ग) क्या प्राप्त अन्य शिकायतों की, जिनका उत्तर नहीं दिया जाता, सबंधित मंत्रालयों द्वारा जांच की जाती है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन शिकायतों पर कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) जनवाणी कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा निर्मित और प्रस्तुत एक पाक्षिक कार्यक्रम है । यह कार्यक्रम प्रश्नोत्तर सत्र के स्वरूप का होता है । इस कार्यक्रम को अलग-अलग व्यक्तियों की शिकायतें प्रसारित करने/दूर करने के लिए मंच के रूप में प्रयोग किए जाने का इरादा नहीं है । इस कार्यक्रम को प्रशासनिक प्रक्रियाओं, पद्धतियों में कमियों तथा अनुदेशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों में खामियों पर प्रकाश डालने और यह स्पष्ट करने के लिए कि किस प्रकार इन कार्यक्रमों को लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है, किन्तु कुछ कारणों से इनका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है । विषय का चयन कर लिए जाने के बाद उपरोक्त पहलुओं पर दूरदर्शन को सुझाव भेजने के लिए जनता के सदस्य आमंत्रित किए जाते हैं । इस कार्यक्रम में जनता के कुछ प्रतिनिधि वास्तव में भाग लेते हैं और प्रश्न पूछते हैं । तब

उक्त विषय के संबंधित प्रभारी केन्द्रीय मंत्री द्वारा उन्हें उत्तर दिया जाता है । जैसा कि इस कार्यक्रम के लिए दर्शकों का उत्तर उत्साहजनक रहा है अतः दूरदर्शन प्राधिकारियों द्वारा जनता से बड़ी संख्या में सन्दर्भ पत्र प्राप्त किए जाते हैं, टेलीकास्ट के लिए उपलब्ध सीमित समय में ऐसे सभी संदर्भ पत्रों पर कारंवाई करना सम्भव नहीं है, अतः बताई गई कठिनाइयों अथवा उल्लिखित प्रक्रियाओं में कमियों को आपस में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें उठाया जाता है । तब मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हैं । कार्यक्रम को टेलीकास्ट कर दिए जाने के बाद दूरदर्शन ऐसे सभी संदर्भपत्रों को, चाहे कार्यक्रम में उन पर कार्यवाही की गई हो अथवा नहीं, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेजता है ताकि सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग मामले पर आगे विचार कर सके और यथा अपेक्षित अनुवर्ती/उपचारात्मक कारंवाई कर सके । अब तक विभिन्न विषयों पर इस प्रकार के 16 कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जा चुके हैं ।

दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाना

3078. डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजधानी की सुन्दरता बनाये रखने के लिए राजधानी में बढ़ रही गन्दी बस्तियों को हटाने का विचार है;

(ख) यदि हां, गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को किन स्थानों पर बसाया जाएगा; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सारे देश में और राजधानी में भी छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के समय से ही मलिन बस्ती निवासियों का व्यापक पुनर्वास सरकारी नीति के तहत समाप्त कर दिया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर बल दिया जायेगा । इसके लिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजधानी में आरम्भ किए जाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव है :

(i) मलिन बस्ती क्षेत्रों में पर्यावरणीय सुधार

(ii) स्लम कटरों में संरचनात्मक सुधार

(iii) मलिन बस्ती क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलना ।

(iv) शाहजहांनाबाद का विकास ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोत विकास निधि समिति के माध्यम से मत्स्य नौकाओं की खरीद

3079 श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बड़ी मत्स्य नौकाओं की खरीद के लिए पोत विकास निधि समिति से ऋण प्राप्त करने हेतु विभिन्न निर्माण कम्पनियों के प्रयासों के बारे में जानकारी है;

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात और उनके संसाधन करने वाली ऐसी सभी कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है कि यदि बड़ी कम्पनियां सीधे मछली पकड़ने लगें तो छोटे मछुआरों को नुकसान पहुंचेगा; और

(घ) क्या उन मछुआरों के लिए वैकल्पिक विपणन व्यवस्था की जाएगी जिनके पास संसाधन की सुविधाएं नहीं हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । जहाजरानी विकास निधि समिति की वित्तीय सहायता कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत उन मत्स्यन कम्पनियों/फार्मों, जिनका अपना मुख्य उद्देश्य समुद्र में मछली पकड़ना है और जो उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों को पूरा करती हों, को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं । इसमें यह शर्त भी है कि एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० के अन्तर्गत आने वाले बड़े घराने जहाजरानी विकास निधि समिति के जरिए आसान शर्तों पर ऋण की सुविधाओं के लिए पात्र नहीं हैं । तदनुसार जहाजरानी विकास निधि समिति के ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है और जहाजरानी विकास निधि समिति के अन्य मानदण्डों को पूरा करने के पश्चात् गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रालरों के अधिग्रहण के लिए ऋण स्वीकृत किया जाता है ।

(ख) उन कम्पनियों का, जिन्हें अभी तक ऋण मंजूर किए गये हैं, अपना मुख्य उद्देश्य समुद्र में मछली पकड़ना है । अतः इसका प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गुजरात में पेय जल की पूर्ति

3080. **श्री यू० एच० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से पेयजल की सप्लाई के कुछ ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कारंवाई की गई ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) पेय जल की पूर्ति करने की जिम्मेदारी राज्यों की है । केन्द्रीय सरकार, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने में राज्यों की सहायता करती है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष 1985-86 के लिए, गुजरात के लिए 771.64 लाख रुपये का अनन्तिम आबंटन किया गया है जिसमें से 540 लाख रु० मुक्त किये जा चुके हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए 5202.93 लाख रुपये की सात योजनाएं विदेशी सहायता के लिए रखी गई हैं ।

राज्य सरकार ने 30 अक्तूबर, 1985 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें सूखा से पीड़ित क्षेत्रों में पेय जल की व्यवस्था करने के साथ-साथ सूखा राहत के लिए सहायता की मांग की गई है ।

स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 7 से 10 नवम्बर, 1985 को राज्य का दौरा किया था। राज्य को सूखा राहत के लिए कुछ केन्द्रीय सहायता मिलने की संभावना है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की दरें

3081. **श्री जायमल अबेदिन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इण्डियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी" ने विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की दरों पर पुनर्विचार किए जाने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है क्योंकि "इण्डियन एंड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी" के अनुसार वर्तमान दरें अलाभकर हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1-9-1985 से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की विज्ञापन दरें 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का पहले ही निर्णय ले लिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्लाटों और फ्लैटों का आबंटन

3082. **श्री राम भगत पासवान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग के अब तक कितने फ्लैट बनाए गए और श्रेणी-वार अब तक कितने प्लाटों और फ्लैटों का आबंटन किया गया है;

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत फ्लैट/प्लाट अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की एक समिति बनाकर इस आरक्षण के मामले में जाच करने का है; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अग्रिम धनराशि जमा कर दी है परन्तु उन्हें अब तक फ्लैट या प्लाट आबंटित नहीं किए गये हैं और इनमें संसद सदस्यों की संख्या कितनी है और उनके नाम आबंटन के लिए कब से पंजीकृत हैं।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

3083. श्री रेणुपद दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा परिकल्पित योजनाओं की अर्थ-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में अब तक समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को किस प्रकार लागू किया गया है;

(ख) क्या यह कार्यक्रम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले भूमिहीन और सीमांत किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों की समस्याओं की तह तक पहुंच पाया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक की उपलब्धि क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ (केन्द्र और राज्य सहित) 15 मिलियन परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले में, 16 6 मिलियन परिवारों को शामिल किया गया और 1661 करोड़ रुपए की धनराशि का उपयोग किया गया।

(ख) और (ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित नमू ा परिवारों में से केवल 40 प्रतिशत जोतदार अथवा लघु और सीमांत किसान थे। शेष भूमिहीन वर्ग से संबंधित थे, जिनमें मुख्य व्यवसायिक समूह थे, श्रमिक (26 प्रतिशत), सेवा (11 प्रतिशत), कारीगर (8 प्रतिशत) और अन्य (15 प्रतिशत)। इससे यह पता चलता है कि इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भूमिहीन वर्ग के लोगों को शामिल किया जा सका है। लघु और सीमांत किसानों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

छठी योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति

क्रम सं०	राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के नाम	उपयोग में लायी गयी निधियां (लाख रु० में)	जुटाया गया आवधिक ऋण (लाख रु० में)	सहायतादत्त परिवार (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	13322.31	24395.94	1212699
2.	असम	4220.28	6117.85	306641
3.	बिहार	17078.81	30012.40	1923135
4.	गुजरात	7469.55	13004.14	751437
5.	हरियाणा	3353.80	4829.79	481292

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	2318.57	2861.93	215209
7.	जम्मू और कश्मीर	2005.35	2542.47	174004
8.	कर्नाटक	7922.67	14935.81	715101
9.	केरल	5176.89	11489.05	529979
10.	मध्य प्रदेश	15125.49	33579.29	1425993
11.	महाराष्ट्र	10445.87	22539.00	962515
12.	मणिपुर	406.25	22.38	31149
13.	मेघालय	261.11	—	23845
14.	नागालैण्ड	624.00	—	47893
15.	उड़ीसा	8751.86	12952.04	921761
16.	पंजाब	4591.38	7399.57	395762
17.	राजस्थान	8982.84	13305.74	710076
18.	सिक्किम	101.90	111.11	9961
19.	तमिलनाडु	14662.02	25727.46	1396016
20.	त्रिपुरा	658.01	1179.90	52423
21.	उत्तर प्रदेश	31173.46	73049.52	3432349
22.	पश्चिम बंगाल	5393.45	8818.91	717351
23.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	10.49	14.28	863
24.	अरुणाचल प्रदेश	761.67	—	43978
25.	चण्डीगढ़	2.97	—	1206
26.	दादरा और नगर हवेली	28.94	36.33	1666
27.	दिल्ली	202.00	405.65	16845
28.	गोआ, दमन और दीव	415.45	591.85	30730
29.	लक्षद्वीप	99.85	—	1510
30.	मिजोरम	410.15	6.80	12493
31.	पांडिचेरी	138.60	232.64	16845
	अखिल भारत योग :	166116.28	310161.85	16562727

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए आबंटित भूमि

3084. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक उपयोग के लिए आबंटित भूमि के इस्तेमाल के बारे में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक भूमि का कितना प्रतिशत तथा कितने एकड़ भूमि आबंटितियों द्वारा इस्तेमाल नहीं की जा रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। नवीनतम सर्वेक्षण अप्रैल, 1985 के माह में किया गया था।

(ख) 7,353 प्लाटों में से, 1,396 प्लाटों (कुल का 18.98 प्रतिशत) का निर्माण नहीं किया गया है।

(ग) आबंटन/पट्टाविलेख की शर्तों के अनुसार, प्रत्येक प्लाट धारक को प्लाट पर मकान बनाने के लिए 3 वर्ष का समय मिलता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो पट्टे की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त कारंवाई की जाती है।

अनिवासी भारतीय योजना के अन्तर्गत फिल्मों का आयात

3085. **श्री बृजमोहन महन्ती :**
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 12 अक्तूबर, 1984 से प्रारम्भ अनिवासी-भारतीय योजना के अन्तर्गत भारत में कितनी विदेशी फिल्में आयात की गई हैं;

(ख) क्या अनिवासी भारतीय के मामले में फिल्मों की संख्या पर और कुल परिव्यय के रूप में कोई उपरी सीमा निर्धारित नहीं की गई है;

(ग) भारत ने प्रसारण के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी फिल्में आयात कीं;

(घ) क्या यह निर्णय किया गया है कि "ए" प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्मों को भारतीय दूरदर्शन पर रात 10 बजे के समाचारों के पश्चात् प्रदर्शित किया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार ने भारतीय फिल्मों की किस्म में सुधार और विदेशी फिल्मों के आयात को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अनिवासी भारतीय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों के बिलों के अनुसार

12-10-1984 (अर्थात इस प्रकार की आयात के लिए फीचर फिल्मों के आयात के लिए नीति की घोषणा की तारीख) से 31 अक्तूबर, 1985 तक अनिवासी भारतीय द्वारा 44 फिल्में आयात की गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) दूरदर्शन अपने लिए कोई विदेशी फीचर फिल्मों का आयात नहीं करता। तथापि, दूरदर्शन द्वारा आयातित 15 विदेशी धारावाहिकें 1984-85 के दौरान दिखाई गईं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी 1-4-1984 से 31-10-1985 तक की अवधि के दौरान केवल टेलीकास्ट के प्रयोजन हेतु तीन फीचर फिल्मों का आयात किया।

(घ) दूरदर्शन पर 10 बजे रात्रि के बाद उच्च गुणवत्ता की फिल्में दिखाने का निर्णय लिया गया है। ये फिल्में "ए" प्रमाणपत्र वाली होंगी परन्तु इनको इस प्रकार के उन भागों को हटाकर ही दिखाया जाएगा जो परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्त न हों।

(ङ) और (च) फिल्मों का निर्माण मुख्यत: निजी क्षेत्र में है। अत: फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार करना निर्माताओं पर आश्रित है। सरकार ने भारतीय फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है तथा इस प्रकार की फिल्मों के निर्माण को भी हाथ में लेता है।

(2) फिल्म समारोह निदेशालय भारत सरकार की ओर से प्रत्येक वर्ष एक राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करता है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सौंदर्यात्मक विशिष्टताओं और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

(3) फिल्म समारोह निदेशालय भारतीय फिल्म निर्माताओं और जनता को विश्व सिनेमा की कला की उत्कृष्टता को व्यापक रूप से उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष एक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का भी आयोजन करता है।

(4) सरकार भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फिल्मोत्सवों के भारतीय पेनोरमा वर्ग के लिए प्रति वर्ष लगभग 21 फीचर फिल्मों और कुछ छोटी फिल्मों का चयन करती है। इन फिल्मों को जो भारतीय सिनेमा की उत्कृष्ट फिल्में होती हैं, अन्य तरीकों द्वारा अर्थात् उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और अन्य देशों में भारतीय फिल्म सप्ताहों में प्रवेश देकर तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सिफारिश करके कि इन्हें मनोरंजन करके भुगतान से छूट दी जानी चाहिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

जहां तक फिल्मों के आयात का सम्बन्ध है, उनकी संख्या घटाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया यूनिट का उत्पादन

3086. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया स्थित यूनिट की वर्तमान उत्पादन स्थिति क्या है;

(ख) इस यूनिट में उत्पादन शुरू किए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के हल्दिया यूनिट को पूर्ण क्षमता से चलाने के लिए बनाई गई योजना और कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के हल्दिया उर्वरक संयंत्र ने अभी तक वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। नवम्बर, 1985 के मध्य से परीक्षण प्रचालनों के दौरान अमोनिया तथा यूरिया का उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) संयंत्र यांत्रिक रूप से नवम्बर, 1979 में पूरा हो गया था। तथापि, चरणबद्ध तरीके से पावर की अपेक्षित मात्रा सप्लाई करने में पश्चिमी बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड (डब्ल्यू० बी० एस० ई० बी०) की असमर्थता के कारण आरम्भ में मुख्य उत्पादन संयंत्र को चालू नहीं किया जा सका। जब 1982 के आरम्भ में एक 20 मेघावाट गैस टर्बाइन कैप्टिल पावर संयंत्र से पावर उपलब्ध हुई तो आरम्भण पूर्व तथा आरम्भण स्थितियों के दौरान हुई अनेक यांत्रिक खराबियों के कारण आरम्भण क्रियाकलापों मे पुनः विलम्ब हो गया।

(ग) एक गैसीफायर लोड पर परीक्षण उत्पादन नवम्बर के मध्य से आरम्भ हो गया है। जैसे ही संयंत्र सुस्थिर होगा, द्वितीय गैसी फायर को चालू कर दिया जायेगा।

आयातित नौकाओं का मूल्य

3087. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री मुरलीधर माने :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मछली पकड़ने की विदेशी नौकाओं के अधिक मूल्य के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों को एक समान सुनिश्चित करने तथा उनको कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस प्रकार अधिक राशि के बिल बनाने के कारण गत तीन वर्षों में लगभग कितनी विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ;

(घ) देश के हितों की रक्षा के लिए 1 नवम्बर, 1985 से क्या उपाय शुरू किये गये हैं;

(ङ) क्या अधिग्रहण समिति की गतिविधियों की समीक्षा के लिए कोई निगरानी निकाय बनाया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो सतर्कता बनाए रखने के लिए कौन-सी व्यवस्था उपलब्ध है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) एक अन्तः मंत्रालयी मत्स्यन जलयान अधिग्रहण समिति मूल्य का तर्कसंगत मूल्यांकन करने के लिए आयातित जलयानों के आकार तथा बनावट के अनुसार मूल्य पर विचार करती है। जहां आवश्यक समझा जाता है प्रत्याशित आयातकर्ताओं को मूल्य कम कराने की सलाह दी जाती है।

(ग) उपरोक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं होता।

(घ) इस संबंध में 1 नवम्बर, 1985 से कोई नये उपाय नहीं किए गए हैं।

(ङ) जी नहीं।

(च) कोई विशेष व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

[हिन्दी]

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) में दूरदर्शन टावर की स्थापना

308 ?. श्री राज कुमार राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कोई दूरदर्शन टावर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर एक दूरदर्शन टावर स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) क्योंकि आजमगढ़ गोरखपुर और वाराणसी के मौजूदा उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र में आता है, अतः आजमगढ़ में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

झाबुआ (मध्य प्रदेश) में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

3089. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दूरदर्शन सुविधायें कब तक उपलब्ध हो जायेंगी;

(ख) क्या झाबुआ में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना हेतु स्थान का चयन करने के लिए इस बीच कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां तो क्या इस बीच स्थान का चयन कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल): (क) झाबुआ में अल्प शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर सातवीं योजना अवधि के दौरान स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इसका कार्यान्वयन धनराशि की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए कार्रवाई स्कीम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय मंजूरी मिल जाने के बाद की जायेगी।

[अनुवाद]

खेती के नये तरीके अपनाना

3090. श्री एस० एम० भट्टम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों द्वारा केवल एक ही फसल अर्थात् गेहूं अथवा चावल की खेती करने पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण उनका निर्वाह मुश्किल से होता है;

(ख) क्या किसानों की दशा सुधारने की दृष्टि से सरकार ऐसे तरीकों का पता लगाने तथा उन्हें अपनाने के लिए जिनके द्वारा कृषि एवं अन्य ग्रामीण व्यवसायों से आय तथा रोजगार क्षमता में वृद्धि हो सके, वैज्ञानिकों तथा विकास प्रशासकों की सहायता ले रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं; और

(घ) खेती से उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसके उत्पादन लागत को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। यदि किसान उन्नत प्रौद्योगिकियों और प्रबन्ध के साथ गेहूं या चावल जैसी केवल एक फसल की खेती पर ध्यान केन्द्रित करते हैं तो उनके लिए लिए निर्वाह करना कठिन नहीं है। फिर भी, कृषि की उन्नत प्रौद्योगिकियों से फसल में तीव्रता बढ़ाने और अधिक उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु बेहतर फसल परिणाम होने की सम्भावना बन गयी है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) उत्पादन, रोजगार और आमदनी बढ़ाने के लिए फसल की अच्छी उपज देने वाली किस्मों और खेती व प्रबन्ध की उन्नत पद्धतियों को विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान कार्यक्रम समर्पित हैं। इसी तरह के प्रयास पशुधन उत्पादन, मछली पालन, बागवानी बागानी फसलों के क्षेत्र में किए जा रहे हैं। नयी विकसित प्रौद्योगिकियों से मिलवां कृषि पद्धति, बहु-फसली कृषि पद्धति आदि की तीव्रता में वृद्धि हुई है जिससे अधिक रोजगार और आमदनी के अवसर बढ़े हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्राथमिक विस्तार परियोजनाओं, कृषि मंत्रालय/कृषि के राज्य विभागों के प्रशिक्षण एवं निरीक्षण पद्धति और कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के गरीबी निवारण परियोजनाओं के माध्यम से इन प्रौद्योगिकियों को खेतिहर वर्ग में प्रचारित किया जाता है।

(घ) खेती की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खेती की लागत को कम करने के लिए वैज्ञानिक कृषि प्रबंध और बीज, उर्वरक, पादप रक्षण उपाय, सिंचाई जल आदि के उत्पादन निवेशों की उन्नत उपयोग दक्षता को बढ़ाया जा रहा है। बीज व उर्वरक व्यवस्था, प्रति यूनिट क्षेत्र सर्वोत्तम पौध-संख्या का रखरखाव, बुआई की गहराई आदि जैसी मुफ्त और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन से खेती की लागत में काफी कमी आती है। शुष्क भूमि क्षेत्रों में जल फसल कटाई वाली प्रौद्योगिकियों से बेहतर उत्पादन और लागत की तुलना में लाभ की प्राप्ति हुई है।

पश्चिम बंगाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में वनरोपण

3091. श्री भोलानाथ सेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कंगसावती नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल के

हिमालय क्षेत्रों में वन रोपण के रूप में भू संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय करने हेतु कोई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी योजना के वास्तविक लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि उक्त लक्ष्यों में कोई कमी रह गई है तो उसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सातवीं योजना के लिए क्या वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से, निम्नलिखित दो योजनाएं भू-संरक्षण से अधिक सम्बन्धित है। इनमें कंगसाबती तथा तीस्ता नदियों के स्रवण क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल के हिमालय में वन रोपण शामिल हैं :—

1. हिमालय में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण।

2. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा-संरक्षण।

यद्यपि उपरोक्त पहली योजना का उद्देश्य हिमालय की दुर्बल परिस्थितिकी पद्धति का संरक्षण करने की दृष्टि से वृक्षारोपण चारागाह विकास तथा पौध उगा कर मृदा तथा जल संरक्षण करना है तथापि नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्र में मृदा-संरक्षण की योजना का उद्देश्य कृषि और गैर.कृषि दोनों प्रकार की भूमि का समेकित मृदा संरक्षण का उपचार करना है। इसमें अपवाह और भू-क्षरण को कम करने तथा जलाशायों के समय से पूर्व गाद से भरने को रोकने के लिए इंजीनियरी संरचनाओं का निर्माण करना शामिल है।

(ग) और (घ) छठी योजना के लक्ष्यों में लगभग 75 प्रतिशत की वास्तविक उपलब्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप लगभग 25 प्रतिशत की कमी रही। यह कमी पश्चिमी बंगाल सरकार को दी गई सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुई है।

(ङ) सातवीं योजना के लिए अस्थायी वास्तविक लक्ष्य लगभग 37,400 हैक्टार है।

ग्रामीण जनता को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वनस्पति की सप्लाई

3092. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वनस्पति घी नहीं मिलता है क्योंकि इसका उत्पादन इसकी मांग की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वनस्पति की कुछ मात्रा उचित दर की दुकानों के माध्यम से भी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसे आम जनता को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी नहीं। कड़ी प्रतियोगिता के कारण, वनस्पति विनिर्माता अपने उत्पादन को दूर-दराज के तथा दूरस्थ ग्रामीण

इलाकों में बेच रहे हैं। वनस्पति घी के उत्पादन का वर्तमान रुख उसकी मांग के परिणामस्वरूप ही है।

(ख) और (ग) मार्च, 1984 में, राज्य सरकारों/संघ-शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई थी कि वे अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में 30% तक वनस्पति घी के उत्पादन की अधिप्राप्ति राज्य सरकारों के नामितों के माध्यम से अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेचने हेतु करें, ताकि आम आदमी को यह आसानी से उपलब्ध हो सके।

समाचार पत्रों को अखबारी कागज का कोटा

3093. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई समाचार पत्रों को सरकार से अखबारी कागज का आबंटित कोटा प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आबंटित कोटे से कम अखबारी कागज प्राप्त हो रहा है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी समाचार पत्रों को आबंटित अखबारी कागज का शत-प्रतिशत कोटा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति को अंतिम रूप दिए जाने तक, समाचार पत्रों को अखबारी कागज वर्ष 1984-85 के लिए उनकी हकदारी तक आबंटित करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) और (ङ) समाचार पत्रों को आबंटित अखबारी कागज के सम्पूर्ण कोटे को देना स्वदेशी अखबारी कागज तथा विदेशी मुद्रा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

भूमि की अधिकतम सीमा घटाना

3094. श्री हरिकृष्ण शास्त्री : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि की अधिकतम सीमा को घटाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख) हाल ही में मई, 1985 में हुए राज्यों के राजस्व मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्यों से यह भी सिफारिश की गई थी कि वे भूमि की अधिकतम सीमाओं को कम करने पर विचार करें और 5 सदस्यों के परिवार हेतु सर्वोत्तम श्रेणी की भूमि की अधिकतम सीमा 5 हैक्टेयर निर्धारित करें जिसमें सिंचाई की सुविधा हो और उसमें साल में कम से कम 2 फसलें उगाने की क्षमता हो, अगली श्रेणी की सीमा 7.5 हैक्टेयर

हो जिसमें सिंचाई की सुविधा हो और साल में कम से कम एक फसल उगाने की क्षमता हो तथा अन्य प्रकार की भूमियों के लिए 12 हैक्टेयर की सीमा हो।

मत्स्य उद्योग का विकास

3095. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मत्स्य उद्योग के विकास में सहायता देने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले नये और छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है;

(ग) मत्स्य क्षेत्र में बड़े व्यापारिक घरानों तथा बड़े उद्योगपतियों के प्रवेश को रोकने के लिए वर्तमान सुरक्षा उपाय क्या हैं;

(घ) बड़े व्यापारिक घरानों को मत्स्य नौकाओं का आयात करने से रोकने के लिए वर्तमान उपाय क्या हैं; और

(ङ) ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में मत्स्य उद्योग के विकास में सहायता देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) देशी आयातित तथा भाड़े पर लिए गए मछली पकड़ने वाले जलयानों के विवेकपूर्ण मिश्रण से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बेड़े को बढ़ाना।

(2) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली देश में निर्मित जलयानों की लागत 33 प्रतिशत की राजसहायता प्रदान करना।

(3) जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से मछली पकड़ने वाले जलयानों की खरीद के लिए आसान शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करना।

(4) विदेशी मत्स्यन उद्योग के साथ संयुक्त उद्यम कार्यक्रम को प्रोन्नत करना।

(5) एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी सर्वेक्षण को तेज करना।

(6) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति का संवर्ग बनाने हेतु मात्स्यिकी प्रचालकों को प्रशिक्षण देना।

(7) प्रमुख तथा छोटे पत्तनों पर स्थित मत्स्यन बन्दरगाहों का निर्माण करने तथा छोटे मत्स्यन केन्द्रों में माल उतारने तथा संभालने की सुविधाओं के लिए सहायता करना।

(8) एम० जेड० आई० (विदेशी जलपोतों द्वारा मत्स्यन विनियमन) अधिनियम, 1981 का प्रवर्तन करके एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में विदेशी जलपोतों द्वारा मत्स्यन विनियमन।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) बड़े व्यापारिक घरानों तथा बड़े उद्योगपतियों के मात्स्यिकी क्षेत्र में प्रवेश करने

पर कोई रोक नहीं है। तथापि, मछुवा सहकारी समितियों, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, छोटे तथा मध्यम उद्यमियों को मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों को भाड़े पर लेने तथा आयात के लिए बड़े घरानों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, बड़े घराने जलयानों का अधिग्रहण करने के लिए सरकार से आसान शर्तों पर ऋण पाने के पात्र नहीं हैं। मत्स्य परिसंस्करण के मामले में उन बड़े घरानों को जिनके अपने निजी परिसंस्करण एकक हैं, केवल अपने निजी ट्रालरों से पकड़ी गई मछली का परिसंस्करण करना होता है। अपने निजी और उन्हें बाहर से कच्ची सामग्री खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती है।

रेडियो और दूरदर्शन के बारे में भारत-चीन समझौता

3096. **श्री अनिल बसु :**
श्री प्रकाश वी० पाटिल :
श्री टी० बाल गौड़ :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो और दूरदर्शन के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) भारत और चीन के बीच रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में नई दिल्ली में दिनांक 10 फरवरी, 1985 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन में रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने, दोनों देशों के लोगों के बीच समझबूझ बढ़ाने के लिए टेलीविजन डाकुमेंट्रियों और फीचरों का संयुक्त रूप से निर्माण करने, दोनों पक्षों के रेडियो और टेलीविजन संगठनों द्वारा एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवसों पर उपयुक्त कार्यक्रम देने और दोनों देशों के रेडियो और टेलीविजन रिपोर्टरों की परस्परता आधार पर यात्राओं की व्यवस्था है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों द्वारा उसका अनुसमर्थन कर दिए जाने के बाद ही प्रवृत्त होगा। तथापि, 4 नवम्बर से 12 नवम्बर, 1985 तक नई दिल्ली में हुई सरकारी स्तर की बातचीत में 1986 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भारत और चीन के बीच सहमति हुई है। इस कार्यक्रम में, अन्य बातों के साथ-साथ, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में निम्नलिखित रूप में आदान-प्रदान की व्यवस्था है :—

(1) "दोनों पक्षकार रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे। इसका ब्यौरा आपसी परामर्श से तय किया जाना है।"

(2) "दोनों पक्षकार प्रसिद्ध चीनी बौद्ध विद्वान ह्यून सांग पर एक टेलीविजन फिल्म संयुक्त रूप से बनाने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए हैं। इसका ब्यौरा आपसी परामर्श से तय किया जाना है।"

(3) "भारतीय पक्षकार एक रेडियो/टेलीविजन प्रतिनिधिमण्डल चीन भेजेगा। इसका ब्यौरा आपसी परामर्श से तय किया जाना है।"

(4) "चीनी पत्रकार एक रेडियो/टेलीविजन प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा के लिए भेजेगा। इसका ब्यौरा आपसी परामर्श से तय किया जाना है।"

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय (फैजाबाद उ० प्र०) में इंजीनियरिंग कालेज खोलना

3097. **श्री निर्मल खत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय (उत्तर प्रदेश) में इंजीनियरिंग कालेज खोलने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान, क्योंकि यह मामला नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कार्य-क्षेत्र में आता है।

मोहोली (केरल) में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

3098. **श्री तम्पन थामस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मोहोली में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : यह समझा जाता है कि माननीय सदस्य ने केरल के एलेप्पी जिले में मावलीकारा में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का उल्लेख किया है। मावलीकारा कोचीन और त्रिवेन्द्रम के उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की सेवा परिधि के अन्तर्गत आता है। तथापि, वित्तीय संसाधनों पर दबाव को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना अवधि के दौरान मावलीकारा में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से दालों की सप्लाई

3099. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले नौ महीनों के दौरान दालों की कीमतें बढ़ती रही हैं और इतनी अधिक हो गई हैं कि आम आदमी इन्हें खरीदने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि इससे कमजोर वर्गों द्वारा दाल का उपभोग कम हो जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या उचित दर की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्य पर दालें सप्लाई करने की कोई योजना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) पिछले 9 महीनों के दौरान दालों के मूल्यों में मिश्रित रुख रहा है। इस अवधि के दौरान कुछ दालों के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई, जबकि अन्य दालों के मूल्यों के सम्बन्ध में कमी का रुख था। सरकार ने देश में दालों की उपलभ्यता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं। सरकारी नीति में मुख्य बल दालों का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है। दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत करने की अनुमति है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्यों पर दालों का वितरण करने के लिए दालों की खरीद करते रहे हैं। इसके अलावा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी रोकने के उपाय के रूप में दालों के स्टाक के लिए सीमाएं लागू की गई हैं। केन्द्रीय सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण करने के लिए दालों की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी लेने की कोई योजना नहीं है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए दालों को शामिल करें। कुछ राज्य सरकारों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दालों को शामिल कर दिया है और इसके लिए दालों की खरीद हेतु उन्होंने अपने प्रबन्ध किए हैं।

उड़ीसा में रेडियो केन्द्रों की स्थापना

3100. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बरहामपुर, राउरकेला, भवानी पटना, क्योंझर और कुछ अन्य स्थानों को रेडियो केन्द्रों की स्थापना के लिए छठी योजना में शामिल किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) उड़ीसा के क्योंझर में 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, बहुउद्देशीय स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं आदि के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने की छठी योजना की एक अनुमोदित स्कीम है भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है। केन्द्र के 1986 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु दिशा निर्देश

3101. **श्री मुरलीधर माने** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में उड़ीसा में और अन्य राज्यों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने हेतु अपनाई गई नीति क्या है; और

(ग) उक्त योजना अवधि में इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां रहीं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के दौरान उड़ीसा और अन्य राज्यों में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अपनायी गयी नीति निम्न प्रकार है :—

1. अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत क्षेत्र का विस्तार।

2. अच्छी किस्मों के बीजों के प्रयोग में वृद्धि करना।

3. उर्वरकों का कुशल उपयोग और उनके उपयोग में वृद्धि करना।

4. सिंचाई के पानी का कुशल उपयोग और सिंचाई के तहत क्षेत्र का विस्तार करना।

5. बहुत बड़े क्षेत्र में पर्याप्त पौध रक्षण उपायों को अपनाना।

6. सूखा प्रवण क्षेत्रों में बारानी प्रौद्योगिकी के जरिए फसल उत्पादन का स्थिरीकरण।

7. पुनर्गठित विस्तार पद्धति-प्रशिक्षण और दौरों के जरिए प्रौद्योगिकी का अन्तरण।

8. किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देना;

9. उपयुक्त प्रौद्योगिकी के लिए अनुसन्धान का तीव्रीकरण।

10. उचित मूल्य नीतियों को अपनाना।

(ग) छठी योजना के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में प्राप्त उपलब्धियां नीचे दी गयी हैं।

	(दस लाख मीटरी टन)
1980-81	129.59
1981-82	133.29
1982-83	129.52
1983-84	152.37
1984-85	146.22

[हिन्दी]

किसानों को खेती के विकास हेतु ऋण

3102. श्री सी० डी० गामित : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को उनकी खेती के विकास हेतु ऋण देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई थी और निर्धारित निधि में से उपयोग की गई राशि कितनी है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय छोटे और सीमांत किसानों को उनकी खेती के विकास के लिए ऋण देने की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, छोटे और सीमांत किसानों को उनकी खेती के विकास के लिए सहकारी समितियों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं, लघुकालिक उत्पादन ऋण तथा निवेश ऋण दिये जाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं।

खांडसारी एककों द्वारा गन्ने की खरीद

3103. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में केवल लाइसेंसशुदा खांडसारी एककों को ही खांड बनाने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे एकक किसानों द्वारा उपजाये गये गन्ने को खरीद सकेंगे;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों को ऐसी पाबन्दियों को उठाने हेतु निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) चीनी फैक्ट्रियों और खण्डसारी यूनिटों के बीच गन्ने के उचित वितरण को सुनिश्चित करने के मुख्य उद्देश्य से राज्य सरकारें खण्डसारी यूनिटों को लाइसेंस देने विषयक कार्रवाई करती है। खण्डसार सामान्यतया गन्ना उत्पादकों से गन्ना खरीदते हैं और उन्हें चीनी फैक्ट्रियों के लिए बांधे गए गन्ने की पिराई नहीं करनी होती है। राज्य सरकारों को इस आशय के अनुदेश देने का कोई विचार नहीं है कि वे खण्डसारों को चीनी फैक्ट्रियों के आरक्षित क्षेत्रों में गन्ने की पिराई करने की अनुमति प्रदान करें क्योंकि समूचे चीनी क्षेत्र के हितों की सुरक्षा करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। वास्तव में राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि खण्डसार उनको सौंपे गए क्षेत्रों के बाहर अनधिकार प्रवेश नहीं करते हैं।

कच्छ में दूरदर्शन के लिए हाई पावर ट्रांसमीटर स्थापित करना

3104. श्री नरसिंह मकवाना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के कच्छ जिले में दूरदर्शन प्रसारण की क्या व्यवस्था की गई है, उस केन्द्र का नाम क्या है जहां से इस क्षेत्र के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं;

(ख) क्या सम्पूर्ण कच्छ जिले में पाकिस्तान दूरदर्शन के कार्यक्रम देखे जा रहे हैं और यदि हां, तो सरकार ने इसे बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कच्छ में दूरदर्शन के लिए एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय लिया जायेगा और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कच्छ जिले के भागों में राजकोट तथा द्वारका स्थित दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से सेवा प्राप्त होती है । भुज में अल्प शक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है तथा इसके 1986 के मध्य तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

(ख) और (ग) ऐसे समाचार हैं कि सीमा-पार के टेलीकास्ट कुच्छ क्षेत्र में प्राप्त होते हैं । उस क्षेत्र में भारतीय दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान भुज स्थित अल्प शक्ति वाले ट्रांममीटर के स्थान पर 10 किलोवाट की उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है । तथापि, इस परियोजना का कार्यान्वियन धन-राशि की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

[अनुवाद]

झींगा मछली संसाधनों का संरक्षण

3105. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगा मछली पकड़ने के कार्य में अन्तिम चरम सीमा प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो समुद्री झींगा मछली संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि कुछ क्षेत्रों में झींगा मछली संसाधनों के उपयोग में कमी और उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई गई है, फिर भी झींगा मछली पकड़ने के कार्य में अन्तिम चरम सीमा नहीं पहुंची है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल में मत्स्यकी विश्वविद्यालय

3106. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में मत्स्यकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में वर्षा से सिंचित ऊंची तथा सीमांत भूमि में फसल उत्पादन का स्थायीकरण

3107. श्री श्रीकांत नरसिंह राव वाडियर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा से सिंचित ऊंची और सीमांत भूमि में फसलों के उत्पादन का स्थायीकरण करने हेतु कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में कर्नाटक और अन्य राज्यों में इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में कर्नाटक सहित 15 राज्यों में कार्यान्वित विशिष्ट केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/कार्यक्रम शामिल हैं।

(ग) और (घ) दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :

	(रुपए लाखों में)
1983-84	125.001
1984-85	244.495

इसके अलावा, अन्य संगठनों द्वारा भी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें तथा पत्रिकाए

3108. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन प्रभाग ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं तथा प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(ख) इन प्रकाशनों का वितरण किस प्रकार किया जाता है और उसके गोदामों में कितना अवितरित स्टाक है;

(ग) इस सामग्री के प्रकाशन के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(घ) प्रकाशनों/पत्रिकाओं के प्रकाशन में औसत समय कितना लगता है; और

(ङ) क्या कुछ प्रकाशनों को दो सप्ताह के अन्दर निकाल दिए जाते हैं और कुछ को अन्तिम रूप देने में वर्षों लग जाते हैं और यदि हां, तो इस प्रकार विलम्ब से निकलने वाले प्रकाशनों के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) विवरण-1 और 2 सभा पटल पर रखे जाते हैं । [ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-1634/85]

(ख) इन प्रकाशनों का वितरण/बिक्री समूचे देश के अनेक स्थानों, जिनमें सभी महानगर, राज्यों की राजधानियां, जिला और उप-प्रभागीय मुख्यालय सम्मिलित हैं, में स्थित एजेन्टों (जिनकी संख्या 3000 है) के माध्यम से किया जाता है । पुस्तकों की बिक्री नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्रिवेन्द्रम, पटना, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित प्रकाशन विभाग के विक्रय भण्डारों के माध्यम से की जाती है तथा मुख्यालय से भी पुस्तकालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राज्य सरकारों को सीधे ही बिक्री की जाती है । प्रकाशन विभाग के भण्डारण में 31-3-84 के दिन की स्थिति के अनुसार 1·70 करोड़ रुपए के मूल्य ही की पुस्तकें पड़ी थीं ।

(ग) पुस्तकों के निपटान/बिक्री की स्थिति के बारे में नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और उनका यथा समय निपटान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं । इनमें से कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन देना;

(2) राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारपत्रों/व्यावसायिक पत्रिकाओं में प्रकाशनों की समीक्षा देना;

(3) प्रकाशन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सम्भावित खरीदारों से सम्पर्क करना;

(4) महत्वपूर्ण अवसरों पर पुस्तकों की प्रदर्शनियों का आयोजन करना;

(5) एजेंटों, शैक्षणिक संस्थानों, पुस्तकालयों, राज्य सरकार की एजेंसियों आदि को व्यापार परिपत्र भेजना ।

(6) पुस्तकों के पुराने स्टाक की बिक्री पर उदार रियायतें; और

(7) बिक्री कर्मचारियों के लिए एक प्रोत्साहन योजना मंजूर की गई है ।

(घ) अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशनों को सामान्यतः यथा सम्भव कम समय में प्रकाशित किया जाता है, किन्तु आर्ट, बड़े आकार और भाषाओं के प्रकाशनों में अधिक समय लग जाता है और इस प्रकार औसत लगभग 15 मास आती है । प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने तथा पुस्तकों के प्रकाशन में लगने वाले समय को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । पत्रिकाएं अपनी सामान्य आवधिकता के अनुसार प्रकाशित होती हैं सिवाए एक या दो पत्रिकाओं के मामले के, जहां विभिन्न कारणों से देरी हुई । इस प्रकार की देरी न हो, इसके लिए आवश्यक शोधक कार्रवाई की जा रही है ।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान, केवल 12 शीर्षकों, जिनमें से अधिकांश समयबद्ध थे, दो सप्ताह के अन्दर प्रकाशित किए गए थे । देर से छपे शीर्षकों की सूची विवरण-3 में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-1634/85]

मध्य प्रदेश में मछली का उत्पादन

3109. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान आन्तरिक जल क्षेत्र में मछली के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इन वर्षों में मध्य प्रदेश में आन्तरिक जल क्षेत्र में कितनी मात्रा में मछली का उत्पादन हुआ ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश में अन्तर्देशीय जल क्षेत्र में मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपायों में केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन करना शामिल है :

(1) विश्व बैंक सहायता से अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के जरिए अन्तर्देशीय मात्स्यकी के विकास के लिए राज्य में 9 मछुआ विकास एजेंसियों का गठन किया गया है;

(2) बढ़िया किस्म के डिम्पोना के उत्पादन और सप्लाई के लिए 4 वाणिज्यिक डिम्पोना फार्मों/हैचरियों का निर्माण और परिचालन किया जा रहा है;

(3) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, तकनीकी सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण और अन्तर्देशीय मात्स्यकी सांख्यिकी का विकास जैसी अन्य योजनाएं भी शुरू की गई हैं ताकि राज्य में मछली उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

(ख) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान मछली का उत्पादन निम्न प्रकार है :

वर्ष	मात्रा मीटरी टन में
1982	15524
1983	13479
1984	23796 (अनन्तिम)

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बाल श्रमिकों की सहायता का अध्ययन

3110. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रम की समस्या का संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा अन्य सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा गहन अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस समस्या का समाधान करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बाल श्रम में कमी हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस समस्या का सामना करने के लिए भविष्य की क्या योजना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) देश में बाल श्रम की समस्या का अध्ययन संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और कुछ अन्य संगठनों/संस्थाओं द्वारा किया गया है। ये अध्ययन बाल श्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे सांख्यिकी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और काम-काज तथा रहन-सहन की दशाओं से सम्बन्धित है।

सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है कि परिस्थितिवश काम करने

वाले बच्चे मानवीय और सुरक्षित दशाओं में काम कर सकें। इस उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) कारखानों, खानों और कुछ अन्य जोखिमपूर्ण नियोजनों में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है।

(2) बालक नियोजन अधिनियम, जिसके अधीन कुछ नियोजनों में 14 और 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाता है, में संशोधन किया गया है और इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए शास्तियां अधिक कठोर निर्धारित की गई हैं।

(3) केन्द्रीय सरकार को बाल श्रम की समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है। इसके विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि उक्त बोर्ड (क) कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए विधायी उपायों एवं कल्याण उपायों का सुझाव देगा, और (ख) कामकाजी बच्चों के लिए कल्याण उपायों की प्रगति की समीक्षा करेगा। कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भी ऐसे बाल श्रम सलाहकार बोर्ड गठित किए हैं।

(4) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर भदोई क्षेत्र में गलीचा बुनकर बालकों और (2) शिवाकाशी में और इसके आस-पास माचिस उद्योग में काम कर रहे बच्चों के कल्याण की रक्षा करने और उसकी देख-भाल करने के लिए दो प्रायोगिक परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(5) बाल श्रम से सम्बन्धित स्वैच्छिक संगठनों को कामकाजी बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बद्ध कार्रवाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।

(ग) बाल श्रम के योजना-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1971 की जनगणना के अनुसार, कामकाजी बच्चों की संख्या 107 लाख थी और योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, मार्च, 83 में कामकाजी बच्चों की संख्या 173.6 लाख थी। कामकाजी बच्चों के कल्याण के लिए उनके स्वास्थ्य, पोषण, अनौपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए सातवीं योजना में 1.50 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है।

पटौदी में वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट

3111. श्री एम० बी० चन्द्र शेखर मूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री हरियाणा में वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में 26 जुलाई, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 235 और 15 अप्रैल, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 428 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड ने फूड एण्ड वेजीटेबल प्रोसेसिंग प्लांट की व्यवहारिकता रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या संयंत्र स्थापित करने के लिए पटौदी में भूमि प्राप्त कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्लांट में काम कब से शुरू हो जाएगा और प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस प्लांट को स्थापित करने में इतना अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी भी कम्पनी के विचाराधीन है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल द्वारा उचित दर की दुकानों के माध्यम से नारियल के तेल की सप्लाई

3112. श्री पी० ए० एंटनी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नारियल के तेल की उचित दर की दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर सप्लाई करने के बारे में केरल सरकार के निर्णय की जानकारी है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार अन्य आयातित खाद्य तेलों की तरह नारियल का तेल खरीदे और उसे विभिन्न राज्यों को वितरित करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी देशीय खाद्य तेल की खरीद नहीं की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में दलहन और तिलहनों का उत्पादन

3113. श्री कुंवर राम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या परियोजनाएं/योजनाएं आरम्भ की गई हैं और उनके उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस बीच उत्पादन का कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ग) चालू वर्ष तथा आने वाले वर्षों के दौरान आरम्भ की जाने वाली/कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में दलहनों और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं :

दलहन :

1. गहन दलहन विकास कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ग्रीष्म मूंग उत्पादन और बढ़िया तक कार्यक्रम सहित);

2. मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।

गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में दलहनों के उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1982-83	7.30	7.02
1983-84	8.53	8.34
1984-85	8.55	8.38

उपरोक्त योजनाओं को 38.67 लाख रुपए की अनुमानित लागत से चालू वर्ष (1985-86) के दौरान जारी रखा जा रहा है।

मिनिकिट प्रदर्शन कार्यक्रम की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए चालू वर्ष में बिहार राज्य को 8475 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए परिव्यय का अभी आंकलन नहीं किया गया है।

तिलहन :

गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में तिलहन उत्पादन की निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं/परियोजनाएं चल रही हैं :

वर्ष	योजना का नाम
1983-84	सोयाबीन विकास
1984-85	राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना
1985-86	राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना

गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में तिलहनों का उत्पादन निम्न प्रकार है :

वर्ष	तिलहन उत्पादन
	(लाख मीटरी टन में)
1982-83	1.14
1983-84	1.43
1984-85	1.41

राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य को वर्ष 1985-86 में 37.885 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है।

यह परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान जारी रहेगी।

[अनुवाद]

पेयजल की सप्लाई के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

3114. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में पेयजल की सप्लाई करने की कोई योजना है जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) क्या पिछले वर्ष राज्यों में पड़े भयंकर सूखे को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा धनराशि के आबंटन में उदार नीति अपनाई जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) पेयजल की पूर्ति करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। केन्द्रीय सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने में राज्यों की सहायता करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष 1985-86 के लिए 298.83 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

इसके अलावा, जब कभी सूखा से पीड़ित राज्य अनुरोध करते हैं, केन्द्रीय सरकार सूखा से राहत के लिए सहायता देती है तथा यह सहायता किसी विशेष अवधि के लिए दी जाती है। चालू वर्ष 1985-86 के दौरान सूखा से पीड़ित क्षेत्रों में पेय जल के लिए 85.21 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

चालू वर्ष 1985-86 के दौरान सूखा से पीड़ित क्षेत्रों में दी गई केन्द्रीय सहायता की धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	धनराशि (करोड़ रुपए में)
1. आन्ध्र प्रदेश	18.59
2. हरियाणा	2.70
3. हिमाचल प्रदेश	2.15
4. जम्मू और कश्मीर	2.00
5. कर्नाटक	14.96
6. मध्य प्रदेश	11.30
7. महाराष्ट्र	14.7
8. पंजाब	1.35
9. राजस्थान	8.57
10. उत्तर प्रदेश	8.88
योग :	85.21

रंगीन दूरदर्शन तथा श्वेत-श्याम दूरदर्शन स्टुडियो की स्थापना

3115. श्री अमरसिंह राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम तैयार करने के लिए कितने रंगीन दूरदर्शन और श्वेत श्याम दूरदर्शन स्टुडियो कार्य कर रहे हैं और ये किन-किन स्थानों पर हैं; और

(ख) क्या देश में और अधिक स्टुडियो लगाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कितने रंगीन दूरदर्शन और श्वेत श्याम दूरदर्शन, स्टुडियो स्थापित किये जाने की सम्भावना है और वे किन स्थानों पर स्थापित किये जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) देश में इस समय निम्नलिखित स्थानों पर दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

1. दिल्ली
2. बम्बई
3. कलकत्ता
4. जलंधर
5. श्रीनगर
6. मद्रास
7. लखनऊ
8. गोहाटी
9. त्रिवेन्द्रम
10. बंगलौर
11. दिल्ली (उपग्रह केन्द्र)
12. कटक
13. हैदराबाद

इसके अलावा, अहमदाबाद में भारतीय उपग्रह अनुसंधान संगठन के स्पेस एप्लीकेशनस सेंटर के दूरदर्शन स्टुडियो का उपयोग कार्यक्रमों के निर्माण करने के लिए किया जाता है। क्षेत्र विशेष पर आधारित फील्ड कार्यक्रमों के सीमित निर्माण के लिए रांची, गोरखपुर, नागौर और राजकोट में सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

2. जबकि ये स्टूडियो केन्द्र सादे में कार्य करने के लिए आवश्यक रूप से सुसज्जित होते हैं, उन्हें रंगीन में क्षेत्र आधारित सीमित कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रानिक न्यूज गेदरिंग (ई० एन० जी०) उपकरण उपलब्ध किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और जलंधर में रंगीन ओ० बी० वाहनों की मदद से रंगीन में स्टूडियो आधारित कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। रंगीन में फील्ड आधारित सीमित कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए रांची, राजकोट, गोरखपुर और नागौर में ई० एन० जी० उपकरण की व्यवस्था की गई है।

3. बंगलौर, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में रंगीन प्रचालन के लिए दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र और सिलचर, डिब्रुगढ़, तुरा, कोहिमा, शिलांग, इम्फाल, ऐजवाल और ईटा नगर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र कार्यान्वियनाधीन हैं। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जलंधर, श्रीनगर, लखनऊ, जयपुर और हैदराबाद में सादे स्टूडियो उपकरणों को रंगीन उपकरणों में बदलने की परिकल्पना है। बर्ष कार निधियों की उपलब्धता के अधीन सातवीं योजना अवधि के दौरान भोपाल, पटना, भुवनेश्वर, अगरतला, शिमला, हरियाणा की राजधानी, मदुरै, राजकोट, पुणे, हैदराबाद, रांची और विजयवाड़ा में रंगीन कार्य करने के लिए दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्रों की स्थापना करने और रायपुर, गुलबर्गा, गंगटोक,

पोर्ट ब्लेयर, पणजी, पांडिचेरी, चण्डीगढ़, बरेली, सिलीगुड़ी और डाल्टनगंज में सीमित कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करने का भी प्रस्ताव है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु एक विशेष कक्ष की स्थापना

3116. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अनुसंधान हेतु एक विशेष कक्ष की स्थापना करने के बारे में 7 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10168 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्ट (ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास सम्बन्धी परिषद) ने अपना कार्यक्रम, नीतियां और प्राथमिकताएं तैयार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गत वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों का सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक यह तैयार कर ली जाएगी और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-1635/85]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में संशोधन

3117. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में संशोधन के बारे में 5 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6817 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास कार्यों के लिए तेजी से भूमि अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में संशोधन कर दिए गए हैं; और

(ख) क्या राज्य सरकारें उन्हें लागू कर रही हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) विकास कार्यों के लिए तेजी से भूमि के अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1984 को भूमि अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम सं० 68) द्वारा संशोधित किया गया है। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, यह सारे भारत पर लागू होता है। नागालैंड राज्य अपनी विधान सभा के संकल्प द्वारा अभी इसे अपनायेगा। राजस्थान राज्य ने कुछ अनुकूलनों का प्रस्ताव रखा है। अन्य सभी राज्य संशोधित केन्द्रीय अधिनियम को क्रियान्वित कर रहे हैं।

चकबन्दी की पुनरीक्षा

3118. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में चकबन्दी की कोई पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं और पश्चिमोत्तर क्षेत्र के पर्वतीय राज्य में इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वियन में क्या मुख्य रुकावटें बनाई गई हैं और उनका क्या हल बताया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में कोई पुनरीक्षा की जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में जोतों की चकबन्दी को मई, 1985 में राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में समीक्षा की गई थी और इस पर चर्चा की गई थी। विभिन्न राज्यों में छठी योजना के दौरान हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है। छठी योजना के अन्त तक खेती योग्य लगभग 33 प्रतिशत भूमि की चकबन्दी की जा चुकी थी। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में चकबन्दी-कार्य साधारणतया स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है तथा जम्मू और कश्मीर एवं राजस्थान में लागू नहीं किया गया है, यद्यपि उन सभी के यहां कानून मौजूद हैं। चकबन्दी का कार्य हरियाणा और पंजाब में वास्तविक अर्थ में पूरा हो गया है, उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति पर है तथा बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में प्रगति सराहनीय है। निम्नलिखित एकाधिक कारणों से बहुत से क्षेत्रों में चकबन्दी की प्रगति में रुकावटें आई हैं :—

(क) अद्यतन भूमि अभिलेखों के अभाव में, जिसमें काश्तकारों और बटाईदारों के काश्तकारी अधिकारों के अभिलेख भी शामिल हैं।

(ख) पहाड़ी अथवा असमतल भूमि।

(ग) भूमि के स्वरूप में असमानता।

(घ) स्थानीय लोगों की उत्कट भावना।

(ङ) काश्तकारों और बटाईदारों में बेदखली का भय और यह आशंका कि बड़े-बड़े किसानों को बढ़िया जमीन मिल जाएगी।

(च) लोगों द्वारा इसे भली-भांति न समझ पाना और न उसमें पर्याप्त सहयोग करना।

जहां तक उत्तर-पश्चिमी पर्वतीय राज्यों का सम्बन्ध है, यह मानते हुए कि इसका संकेत हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्य की ओर है; जबकि हिमाचल प्रदेश में स्वैच्छिक आधार पर चकबन्दी ऊपर लिखे एकाधिक कारणों से रुकी हुई है; तो जम्मू और कश्मीर में यह 1978 में रोक दी गई थी, क्योंकि कृषि सुधार अधिनियम के लागू होने के साथ अद्यतन भूमि अभिलेख तैयार नहीं थे, जिनके बिना उसका क्रियान्वयन पूरा नहीं होता, क्योंकि पात्र व्यक्तियों को पूर्ण स्वामित्व के अधिकार निर्धारित लेवी का भुगतान न करने के कारण अभी तक नहीं दिए जा सके हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने ऋण की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा है।

राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में यह धारणा थी कि राज्यों को चाहिए कि वे काश्तकारों और बटाईदारों का इन्दराज करने की कार्रवाई करें तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाएं। उन्हें चाहिए कि वे सातवीं योजना में चकबन्दी के योग्य भूमि के 25 प्रतिशत क्षेत्र को

चकबन्दी करने का प्रयास करें और सिंचित क्षेत्रों, खास तौर से पूर्वी क्षेत्र में चावल की गहन खेती के लिए चुने हुए खंडों को और चुन-चुनकर ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दें जहां छोटे और सीमान्त कृषकों तथा अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों की जोतों की संख्या अधिक है ताकि भूमिगत पानी और अन्य सेवाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके।

विवरण

(लाख हैक्टेयर में)

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	5वीं योजना तक चकबन्दी किया गया क्षेत्र	6वीं योजना तक चकबन्दी किया गया क्षेत्र	मार्च, 1985 तक चकबन्दी किया गया कुल क्षेत्र (2+3)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	3.31	—	3.31
बिहार	6.43	1.26	7.69
महाराष्ट्र	140.27	26.72	166.99
मध्य प्रदेश	38.66	—	38.66
गुजरात	12.64	5.67	18.31
हरियाणा	3.06	0.14	3.20
हिमाचल प्रदेश	2.26	0.80	3.06
जम्मू और कश्मीर	0.47	—	0.47
कर्नाटक	10.83	—	10.83
उड़ीसा	0.46	3.22	3.68
पंजाब	90.20	00.21	90.41
राजस्थान	17.12	—	17.12
उत्तर प्रदेश	133.50	18.20	151.70
दिल्ली	2.57	—	2.57
योग :	461.78	56.22	518.00

विशाखापत्तनम शीत में भंडारण सुविधाओं की कमी

3119. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशीतन की कमी के कारण 20,000 टन मछली पकड़ने के बाद विशाखापत्तनम में समुद्र में फेंक दी गई; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सस्ते तथा प्रोटीनयुक्त पौष्टिक आहार के ऐसे भारी नुकसान को कम करने हेतु कोई कारगर उपाय करने का विचार है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद की मदद से विशाखापत्तनम सहित देश में उपलब्ध प्रशीतन की सुविधाओं का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। सरकार देश में मत्स्यन उद्योग की समस्या का लगातार प्रबोधन कर रही है ताकि उपयुक्त उपाय किए जा सकें।

अशोक विहार फेज चार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्तपोषी योजना के फ्लैटों का निर्माण

3120. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या शहरी विकास मंत्री अशोक विहार, फेज चार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्तपोषी योजना के फ्लैटों के निर्माण के बारे में 19 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक विहार, दिल्ली के फेज चार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्व-वित्त-पोषी योजना के फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सीमेंट, स्टील, जी० आई० पाइप जैसी निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण मकान पूर्ण नहीं किए जा सके। 405 मकानों में से, 210 स्व-वित्त पोषित मकान 31 मार्च, 1986 तक पूर्ण हो जाएंगे तथा शेष 195 स्व-वित्तपोषित मकान 31 जुलाई, 1986 तक पूर्ण हो जाएंगे।

धनबाद में न्यायाधिकरण संख्या-I में न्यायाधीश के पद का खाली पड़े रहना

3121. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद में न्यायाधिकरण संख्या-I में न्यायाधीश का पद लगभग एक वर्ष से खाली पड़ा है जिसके कारण कर्मचारियों को उनके अनिर्णीत मामले के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-I, धनबाद के पीठासीन अधिकारी का पद 1-9-84 से रिक्त पड़ा है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-I धनबाद में रिक्ति होने से पहले अर्थात् फरवरी, 1984 से पीठासीन अधिकारी के पद को भरने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश को केन्द्रीय

सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-I, धनबाद के पीठासीन अधिकारी के पद के लिए चुना गया। परन्तु जब इस मंत्रालय द्वारा उन्हें नियुक्ति का औपचारिक प्रस्ताव दिया गया, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

2. मंत्रालय ने बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को लिखा है कि वे पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए सेवारत और इच्छुक न्यायिक अधिकारियों, जो जिला और अपर जिला जजों के रैंक के हों, की सेवाएं प्रदान करें। मंत्रालय राज्य सरकारों की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहा है। राज्य सरकारों से सिफारिशें प्राप्त होते ही, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या-I, धनबाद में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति किए जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

बाढ़ प्रवण नदियों एकीकृत पनधारा प्रबन्ध के लिए अपर्याप्त धन

3122. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों की एकीकृत पनधारा प्रबन्ध सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान धन के अपर्याप्त आबंटन से चालू तथा भावी परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान, बाढ़, प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में इस समय चल रही समेकित पनधारा प्रबन्ध सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 50,000 हैक्टार का वास्तविक लक्ष्य और 12.90 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है, जबकि 1984-85 के दौरान लगभग 56,260 हैक्टार को वास्तविक उपलब्धि हुई और 12.40 करोड़ रुपए का व्यय हुआ।

चालू कार्यक्रम में तेजी लाने तथा नये स्रवण क्षेत्र जोड़कर योजना के तहत क्षेत्र में विस्तार करने के प्रश्न पर संसाधनों की स्थिति में सुधार होने पर विचार किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में राय चौक मत्स्य पत्तन पर आधारभूत ढांचे की सुविधाएं

3123. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक आधारभूत ढांचे तथा मरम्मत करने की सुविधाओं के अभाव में राय चौक मत्स्य पत्तन से मछली पकड़ने की नौकाएं कार्य करने में असमर्थ हैं;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बेहतर आधारभूत ढांचा तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। चरण-I में मंजूर किए गए सभी मुख्य कार्यों की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने राय चौक मत्स्यन पत्तन में बेतार के उपस्कर लगाने का प्रस्ताव किया है। राज्य से संशोधित प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

विदेशी मछली पकड़ने का नौका (ट्रालर) किराए पर लेने सम्बन्धी करार

3124. **श्री अमल दत्त :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने व्यक्तियों ने विदेशी पार्टियों से मछली पकड़ने की नौका (ट्रालर) किराए पर लेने सम्बन्धी करार करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) समझौतों के राज्यवार और देशवार आंकड़े क्या हैं और इन समझौतों के निष्पादन और क्रियान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ग) किराए पर लेने की सुविधा का लोगों द्वारा लाभ न उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1981 से 36 कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों ने विदेशी पार्टियों के साथ चार्टर करार करने के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विदेशी कम्पनियों ने मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों को भाड़े पर लेने के लिए काफी उत्साह दिखाया।

विवरण

क्र० सं०	उन कम्पनियों/निगमों के राज्य-वार ब्यौरे, जिन्होंने चार्टर करार करने के लिए आशय-पत्र जारी किए हैं	विदेशी सहयोगियों का देश-वार ब्यौरा	निष्पादन/क्रियान्वयन सम्बन्धी स्थिति
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश (सोलह)	10 कम्पनियों ने सिंगापुर के साथ 2 कम्पनियों ने जापान के साथ 4 कम्पनियों ने हांगकांग के साथ	अब तक आशय-पत्र की शर्तें पूरा करने के बाद 12 कम्पनियों ने चार्टर सम्बन्धी अनुमति पत्र जारी किए हैं।
2.	गुजरात (एक)		आशय-पत्र की शर्तें पूरा करने के बाद चार्टर सम्बन्धी अनुमति पत्र जारी किए गए।
3.	केरल (एक)	एक समझौता सिंगापुर के साथ एक और समझौता इटली के साथ	आशय-पत्र की शर्तें पूरा करने के बाद एक अनुमति पत्र जारी किया गया है।

1 2	3	4
4. महाराष्ट्र (एक)	सिंगापुर	आशय-पत्र की शर्तें पूरा करने के बाद अनुमति पत्र जारी किए गए ।
5. उड़ीसा (एक)	सिंगापुर	—तदेव—
6. तमिलनाडु (एक)	जापान	—तदेव—
7. नई दिल्ली (पन्द्रह)	12 कम्पनियों ने सिंगापुर के साथ 2 कम्पनियों ने हांगकांग के साथ 1 कम्पनी ने बुलगेरिया के साथ	आशय-पत्र की शर्तें पूरा करने के बाद अब तक 8 कम्पनियों ने चार्टर अनुमति पत्र जारी किए हैं ।

चावल की भूसी तथा मक्का से खाद्य तेल

3125. डा० जी० विजय रामाराव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने चावल की भूसी तथा मक्का से खाद्य तेल निकालने की आवश्यकता की रूपरेखा प्रस्तुत की है जिससे इनके आयात में 50 प्रतिशत की कटौती की जा सकेगी और यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि "क्लूआ" तिलहन परियोजना सहित अनेक अनुसंधान परियोजनाओं के बावजूद देश तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करने में असफल रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार अब या कुछ वर्षों के पश्चात् खाद्य तेलों का आयात बन्द करने और इसके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए लाभप्रद मूल्य देने का है; और

(घ) वर्ष 1978 में चावल-भूसी खाद्य तेल परियोजना के लिए जापानी सहयोग की पेशकश को स्वीकृति प्रदान न किए जाने के क्या कारण थे ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चावल की भूसी को खाद्य तेल के एक स्रोत के रूप में खोज निकाला है। मक्के का बीज भी इसके लिए एक सम्भावित स्रोत हैं। किन्तु चावल की भूसी से उपयोग में लाये जाने वाले तेल की अधिकतम क्षमता लगभग 0.235 मिलियन टन है और मक्के के बीज से 0.02 मिलियन टन के लगभग है जिसमें से खाने के उद्देश्य से आर्थिक रूप से उपयोग की जाने वाली मात्रा बहुत कम होगी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान । देश में तिलहन उत्पादन प्रौद्योगिकी से तिलहन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार आत्म-निर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से खाद्य तेलों के उत्पादन और उपलब्धता को सुधारने और बढ़ाने हेतु देश की क्षमता को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है । उत्पादन प्राप्ति और आवश्यक प्रौद्योगिकियों में सुधार लाने से हम आयात की निर्भरता से समय पर

छुटकारा पा सकते हैं। खाद्य तिलहनों के लिए निर्धारित मूल्य निश्चित करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

(घ) एक परोपकारी अलाभकारी सामाजिक संगठन के द्वारा 1980 में एक जापानी फर्म से चावल भूसी के तेल के स्थिरीकरण तथा शोधन के लिए प्रौद्योगिकी और आरेखण का पता लगाने हेतु एक प्रस्ताव रखा गया था। यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं पाया गया क्योंकि यह लघु व मध्यम श्रेणी के उद्यमियों की प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण के लिए किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या संगठन से उपयुक्त रूप से सम्बन्धित नहीं है। तदनुसार प्रार्थी को राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से बात करने और एक संशोधित प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गयी थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

गौ-हत्या पर प्रतिबन्ध

3126. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और इसके पड़ोसी राज्यों से हजारों गाय वध के लिए हावड़ा भेजी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पूरे देश में विभिन्न संगठन गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध की मांग कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) विभिन्न संगठनों से कई प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें गौ-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं।

(ग) पशु संरक्षण एक ऐसा विषय है, जिस पर राज्य विधान मण्डलों को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। उसके अनुसार, विभिन्न राज्य सरकारों ने गौ तथा उसकी संतति के वध को रोकने से सम्बन्धित कानून बनाए हैं। राज्य सरकारों से समय-समय पर यह अनुरोध किया जाता है कि वे प्रतिबन्ध लागू करें और असंगत तरीकों से उसके निरोध की अनुमति न दी जाए।

सरकारी क्वार्टरों का किराया निर्धारित करना

3127. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलों सहित विभिन्न टाइप के सरकारी क्वार्टरों का किराया निर्धारित करने के लिए सरकार के कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ये मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं और कब बनाए गए थे;

(ग) क्या इन निदेशों की कभी पुनरीक्षा की गई और यदि हां, तो क्या संशोधन किए गए;

(घ) क्या अधिकांश मकानों के निर्माण पर खर्चे की राशि सरकार द्वारा किराए के रूप में पहले ही वसूल की जा चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या रहन-सहन की बढ़ती हुई लागत, विशेषकर वेतनभोगी कर्मचारियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इन मकानों का किराया कम करने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये मूलभूत नियम 45-क में दिए हुए हैं जो कि 1 जनवरी, 1922 से लागू हुए।

(ग) लाइसेंस फीस निकालने के लिए स्थल की लागत और इसकी तैयारी को शामिल करने के लिए इस नियम को 1978 में संशोधित किया गया था।

(घ) चूंकि सरकारी विभाग समय-समय पर सम्पूर्ण देश में अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी वास का निर्माण करते हैं तथा मरम्मत और अनुरक्षण पर व्यय करते हैं, इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है कि निर्माण पर व्यय की गई राशि लाइसेंस फीस के रूप में वसूल कर ली गई होगी। हाल ही के वर्षों में हुए निर्माण की लागत के आधार पर उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार कर्मचारियों से वसूली गई राशि रिआयती है तथा यह भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत की लागत तक की भी प्रतिपूर्ति नहीं करती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

3128. श्री बी० बी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुस्थल विकास कार्यक्रम को पूर्णतः केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के अनुपात में इसके लिए धनराशि दी जाती थी;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने बताया था कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत देश के 121 ब्लाक आते हैं अब शत-प्रतिशत केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा;

(घ) क्या अब गरीबी हटाओ कार्यक्रम को तेज करने का विचार है;

(ङ) क्या इसके लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था और 1978-79 तक इस कार्यक्रम के समस्त व्यय को केन्द्रीय सरकार ने वहन किया था। 1979-80 से आगे, केन्द्रीय सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा खर्चा बराबर-बराबर वहन किया जा रहा था। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल ही में अनुमोदित सातवीं पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए वित्तीय पैटर्न को संशोधित किया जाए ताकि इसे शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित बनाया जा सके।

(ग) एक वक्तव्य दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार अब मरुभूमि विकास कार्यक्रम के लिए शत-प्रतिशत निधियां प्रदान करेगी। तथापि, इस समय इस कार्यक्रम को पांच राज्यों के 21 जिलों के 131 (न कि 121) खण्डों में लागू किया जा रहा है।

(घ) से (च) सातवीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई है कि निर्धनों के लिए परिसम्पत्तियों और मजदूरी वाले रोजगारों तथा क्षेत्र-विशेष का समग्र रूप से विकास करने के लिए कार्यक्रमों के एकीकरण के माध्यम से उनके लिए आय-सृजन के विशेष कार्यक्रमों की गति तेज रखी जाए। निर्धनता-निवारण के वही प्रमुख कार्यक्रम जारी रहेंगे, अर्थात् समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम। क्षेत्र विकास कार्यक्रमों अर्थात् सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य रूप से यह उद्देश्य है कि इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखा जाए, और भूमि, जल एवं पशुधन संसाधनों की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता की जाए तथा ग्रामीण लोगों की आय और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी भी जारी रखी जाए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे इन प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सातवीं योजना में अनुमोदित केन्द्रीय क्षेत्र का परिव्यय इस प्रकार रखा गया है :

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	—	1186.79 करोड़ रुपया
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	—	1250.81 करोड़ रुपया
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—	1743.78 करोड़ रुपया
सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	—	237.00 करोड़ रुपया
मरुभूमि विकास कार्यक्रम	—	245.00 करोड़ रुपया

खाद्यान्नों की वसूली के लिए उपयुक्त नीति निर्धारण तथा पंजाब में धान का मूल्य

3129. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खाद्यान्नों की वसूली के लिए नीति बनाने और पंजाब में खाद्यान्न उत्पादन का स्तर बनाए रखने के लिए मूल्य निर्धारित करने का विचार है;

(ख) क्या पंजाब सरकार ने विचार व्यक्त किया है कि सरकार द्वारा निर्धारित धान का वसूली मूल्य इसके उत्पादन की लागत के अनुरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार की यह घोषित नीति है कि प्रमुख खाद्यान्नों के लाभकारी अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाएं ताकि किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने और अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके, इसके अतिरिक्त, सरकार घोषित मूल्यों पर सरकार तथा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद सम्बन्धी कार्यों का आयोजन कराती हैं।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

नगदी फसलों की खेती सम्बन्धी अर्थव्यवस्था का अध्ययन

3130. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नगदी फसलों जैसे कपास और पटसन की कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नगदी फसलों की खेती सम्बन्धी अर्थव्यवस्था का कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कपास और पटसन सहित सभी मुख्य फसलों की खेती सम्बन्धी अर्थव्यवस्था का अध्ययन, 1970-71 में शुरू की गई भारत में मुख्य फसलों की खेती/उत्पादन-लागत की व्यापक योजना, के अन्तर्गत लगातार किया जा रहा है। ये अध्ययन विभिन्न फसलों के बारे में उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़े सुलभ कराते हैं जो समय-समय पर सरकार द्वारा नियत किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का स्तर निश्चित करने में मूल पहलू होते हैं। इस प्रकार नियत किये गये न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन-लागत शामिल होती है तथा उसमें उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियां अपनाने हेतु काफी गुंजाइश होती है। ये मूल्य किसान के लिए इस बात का आश्वासन होते हैं कि मंडी में भाव गिरने पर निर्दिष्ट सरकारी एजेन्सियां किसानों के उत्पादन को निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगी।

बायो उर्वरक सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना

3131. श्री बी० वी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बायो-उर्वरक सम्बन्धी राष्ट्रीय परियोजना को स्वीकृति दे दी है जिसके शुरू में फसलों के लिए प्रति वर्ष लगभग 46,000 टन नाइट्रोजन उपलब्ध होगी;

(ख) क्या उक्त परियोजना से, जिसके लिए एक राष्ट्रीय, 6 क्षेत्रीय और 40 उप-केन्द्र स्वीकृत किए गए थे, प्रतिवर्ष 375 टन राइनोफिडियम कल्चर और 400 टन ब्लूग्रीन एलगी का उत्पादन होगा;

(ग) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अक्तूबर, 1985 में नई दिल्ली में बायो-उर्वरक के सम्बन्ध में दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार गोष्ठी का उद्घाटन किया था;

(घ) यदि हां, तो गोष्ठी के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) क्या उक्त विचार गोष्ठी के दौरान बायो-उर्वरक की स्वीकृति के बारे में चर्चा की गई थी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) और (ङ) विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 9-10 अक्तूबर, 1985 को हुए जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग सम्बन्धी राष्ट्रीय सम्मेलन में जैव उर्वरकों के उत्पादन सम्वर्द्धन, विपणन और गुण नियन्त्रण के बारे में विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 9-10 अक्तूबर, 1985 को हुए जैव उर्वरकों के विकास और उपयोग संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशें :

1. यह स्वीकार किया गया कि कृषि उत्पादन के लक्षित स्तर को प्रति इकाई समय प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता में वृद्धि करके प्राप्त किया जा सकता है। कृषि उत्पादन के लक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्बनिक छीजन और जैव उर्वरकों का पुनः चक्रण करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग की कमी को पूरा किया जा सकता है। यह समेकित पोषक सप्लाई पद्धति के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।

2. देश में एक राष्ट्रीय एजेंसी के अन्तर्गत पर्याप्त मुख्य केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि समेकित पोषक सप्लाई पद्धति का समन्वय किया जा सके।

3. जैव उर्वरकों में नाईट्रोजन की मांग को पूरा करने की काफी गुंजाइश पायी गई है। बलहनों और फलीदार तिलहनों के लिए और नमी वाली भूमि में चावल उगाने के लिए नीले हरे शैवाल के लिए राइजोबियम का व्यापक उपयोग किया जाता है। अन्य जैव उर्वरकों, अर्थात् एजोटोबेक्टर एजोस्पीरीलम और एजोला का उपयोग करने के लिए अनुसंधान प्रयासों को जारी रखे जाने की आवश्यकता है।

4. राइजोबियम और नीली हरी शैवाल के लिए एक राष्ट्रीय कल्चर संचयन बैंक स्थापित किया जाना चाहिए। यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि सभी किस्मों को पूर्ण प्रलेखों के साथ बैंक में जमा कराया जाये। यह केन्द्र न्यासी और सेवा केन्द्र दोनों के रूप में कार्य करेगा।

5. जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने और उनकी मांग का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य विस्तार कार्यकलापों को शुरू किया जाना चाहिए।

6. जैव उर्वरकों के उत्पादन, विपणन, भण्डारण और परिवहन सम्बन्धी तकनीकी जानकारी को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिए।

7. गुण नियंत्रण जैव उर्वरकों के सम्वर्द्धन और उपयोग का एक अनिवार्य घटक है। उत्पादन यूनिटों के पास विपणन के लिए जैव उर्वरकों को निर्मुक्त करने से पूर्व स्वतः निर्मित गुण नियंत्रण सम्बन्धी सुविधाएं होनी चाहिए।

8. अनुसंधान सम्बन्धी कार्यकलापों को जैव उर्वरकों के उपयोग से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मुद्रा फसल/परिस्थिति की ओर पर्यावरण सम्बन्धी विभिन्न परिस्थितियों के लिए उपयुक्त प्रभावी किस्मों का विकास करना चाहिए।

9. स्वीकृत जैव उर्वरकों के मानक का निर्धारण करने और उनकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए।

10. उर्वरक उद्योग को जैव उर्वरकों के विपणन, वितरण और सम्वर्द्धन में प्रभावी रूप से शामिल किया जाना चाहिए। जैव उर्वरकों का सम्वर्द्धन उनके सम्वर्द्धनात्मक कार्यकलापों का एक घटक होना चाहिए।

11. विपणन संघों, कृषि उद्योगों, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगमों, राज्य फार्म निगमों का जैव उर्वरकों का उत्पादन और विपणन शुरू करना चाहिए।

12. एक राष्ट्रीय, छः क्षेत्रीय और 40 उप केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई जैव उर्वरकों की राष्ट्रीय परियोजना की प्रशंसा की गई ! यह सिफारिश की गई कि इस परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए, ताकि जैव उर्वरकों के के सम्वर्द्धन विपणन और गुण नियंत्रण के लिए इस कार्यकलापों में वृद्धि की जा सके।

13. जैव उर्वरकों का उत्पादन करने के इच्छुक निजी उद्यमियों को भी क्षेत्रीय प्रदर्शन और अन्य विस्तार कार्यक्रमों के जरिए इसके सम्वर्द्धन में पूंजी लगानी चाहिए।

14. यह नोट किया गया कि विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का आस्ट्रेलिया, अमरीका, ब्राजील, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, चीन और वियतनाम जैसे विभिन्न देशों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने न केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है, बल्कि विपणन, परिवहन और वितरण सम्बन्धी पद्धतियों का भी विकास किया है। भारत को इन देशों के अनुरूप कार्य करना चाहिए और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल उपयोग की जाने वाली सीमा तक इन देशों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए।

यूरिया का आयात

3132. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया गया और उस पर कितनी लागत आई है;

(ख) कौन-कौन से देश भारत को यूरिया सप्लाई कर रहे हैं और उसकी प्रति टन लागत कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान यूरिया के आयात पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई है;

(घ) यूरिया में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यूरिया में आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित यूरिया की मात्रा तथा उस पर खर्च की गई कुल धनराशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	आयातित यूरिया की मात्रा (लाख मीटरी टन में)	लागत तथा भाड़ा मूल्य तथा अन्य लागतें (करोड़ रुपए में)
1982-83	8.44	243.37
1983-84	13.91	336.78
1984-85	37.35	1094.20

(ख) ये ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) सातवीं योजना अवधि के दौरान यूरिया के कई नए संयंत्र स्थापित किए जा

रहे हैं। परन्तु आगामी वर्षों में यूरिया की खपत में अपेक्षित वृद्धि दर को देखते हुए निकट भविष्य में यूरिया के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

विवरण

महत्वपूर्ण देशों के नाम तथा गत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए यूरिया की (भाड़ा सहित) प्रति मीटरी टन औसत लागत

(अमेरिकी डालर)

क्रम सं०	देश का नाम	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	अमेरिका/कनाडा	167.30		182.70
2.	कतार	161.50	133.50	171.00
3.	पश्चिमी जर्मनी	158.00		181.00
4.	बेलजियम	158.50		
5.	हालैण्ड	156.00	150.00	185.50
6.	रोमानिया	145.50	127.00	148.00
7.	इटली	152.00	143.00	190.00
8.	पूर्वी जर्मनी	150.00	125.00	118.50
9.	रूस		141.00	146.50
10.	मिश्र		147.00	
11.	कुवेत		134.50	173.50
12.	साऊदी अरब		150.50	171.50
13.	फ्रांस		149.00	181.00
14.	नीदरलैंड		125.00	163.00
15.	हांगकांग		124.00	
16.	आबूधाबी		138.00	160.00
17.	पाकिस्तान		150.00	
18.	जोर्डन		95.00	150.00
19.	चेकोस्लावाकिया			167.00
20.	ब्रिटेन			178.00
21.	बहमास			162.25

1	2	3	4	5
22.	बुलगारिया			183.16
23.	स्पेन			188.75
24.	स्विटजरलैंड			191.00
25.	यूगोस्लाविया			189.00
26.	फिनलैंड			193.00
27.	लिबिया			192.00
28.	हंगरी			206.00

संरक्षी खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए निधि का अन्यत्र उपयोग

3133. डा० जी० विजया रामा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं तथा चावल के अधिक उत्पादन होने के कारण अब कृषि उत्पादन में विविधता लाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार संरक्षी खाद्यों, जैसे दूध, फल, सब्जियां, खुंभी आदि कमी वाले उत्पादकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी; और

(ग) क्या सरकार गेहूं तथा चावल उत्पादन के लिए दी जाने वाली राज-सहायता की धन-राशि की संरक्षी खाद्य पदार्थों के उत्पादन के प्रोत्साहन पर खर्च करेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार दूध, फल, सब्जियां, खुम्भी आदि जैसे पोषक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले ही कृषि में विविधता लाने की नीति का अनुपालन कर रही है। इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की जा रही है।

अन्तर्राज्यीय बस अड्डे दिल्ली में मूलभूत सुविधायें

3134. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बहुत ही गन्दा और अस्वच्छ है वहां प्लेटफार्मों की धुलाई नहीं होती तथा शौचालयों की सफाई नहीं होती तथा समुचित पेय जल और अन्य सुविधाओं की कमी है;

(ख) सरकार का इस बस अड्डे के बेहतर रखरखाव को किस प्रकार करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, दिल्ली में उपयुक्त रखरखाव तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) चारों ओर स्वच्छता बनाये रखने के लिए चौबीसों घण्टे लगभग 250 सफाई कर्मचारी

तथा अन्य क्षेत्रीय और अनुरक्षण स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहता है। शौचालयों में नये जुड़नारों तथा दरवाजों की व्यवस्था करने का कार्य हाल ही में आरम्भ कर दिया गया है तथा यह प्रगति पर है।

(ii) प्रस्थान तथा आगमन ब्लाकों में पेय जल के पर्याप्त नलके लगा दिये गए हैं। ग्रीष्म ऋतु में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए 24 पानी की ट्रालियों को लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों/आगन्तुकों के लिए शीतल जल भी उपलब्ध रहता है।

(iii) अन्य सुविधायें जो कि मुहैया की गई हैं तथा अनुरक्षित की जा रही हैं उनमें जनता को सम्बोधित करने की पद्धति, दूरभाष बूथ, खाद्य तथा आवश्यक मदों की बिक्री के लिए दुकानें और कियोस्क, लाइसेंस धारी कुल्ली, अमानती सामान घर, बैंक, डाकघर, पार्किंग सुविधा जैसी आवश्यक सुविधायें तथा यात्रियों को सुविधा के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र शामिल हैं।

सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर मकानों का आबंटन

3135. श्री विष्णु मोदी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास के लिए आवेदन करते हैं परन्तु उन्हें उन मकानों का आबंटन लगभग 15-20 वर्ष पश्चात किया जाता है जबकि वे अपनी सेवा के अन्तिम चरण में पहुंच जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य आवास बोर्डों से सेवानिवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मकानों के आबंटन में प्राथमिकता देने और उन्हें एक निर्धारित समय के भीतर मकानों का आबंटन करने को कहने के लिए योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय है और राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी-अपनी आवश्यकताओं और योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिए स्वतन्त्र हैं। तथापि, सरकार ने हाल ही के वर्षों में दो प्रमुख कदम उठाए हैं; नामतः,

(i) गृह निर्माण अग्रिम नियमों को उदार बनाने (जिसमें 70,000 रुपये की अधिकतम सीमा को 1,25,000 रुपए तक बढ़ाने सहित) और

(ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा अवधि के दौरान मकान बनाने की सुविधा देने के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना की निधियों में से स्वामित्व आवास योजना की वित्त व्यवस्था करना ताकि उनकी सेवा-निवृत्ति के पश्चात उनकी कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

अग्रता आधार पर वास अर्जित करने के लिए सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित तीन योजनाएं भी आरम्भ की हैं :

(i) सेवा निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सामान्य आवास योजना।

(ii) सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष स्व-वित्त पोषित योजना।

(iii) सेवा-निवृत्त/सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आवास पंजीकरण योजना, 1985।

उर्वरकों के उत्पादन का लक्ष्य

3136. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को उर्वरकों के सम्बन्ध में आयात पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) क्या इसके आयात पर अत्यधिक व्यय करना पड़ता है और इसमें क्रमिक रूप में कमी करने की आवश्यकता है;

(ग) देश में सरकारी और निजी क्षेत्रों में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) क्या नए कारखाने स्थापित करते समय क्षेत्रीय सन्तुलन सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) देश में किसी वर्ष के दौरान उर्वरकों के अनुमानित देशीय उत्पादन और सम्भाव्य आवश्यकता के बीच के अन्तर को भरपाई करने के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर उर्वरकों का आयात किया जाता है और यह मात्रा हर वर्ष अलग-अलग होती है।

(ख) वित्तीय व्यय आयातित उर्वरकों की मात्रा पर निर्भर करता है। वर्तमान संकेतों के अनुसार उर्वरकों का आयात कुछ वर्षों तक जारी रह सकता है।

(ग) सरकारी, गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में उर्वरक उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक मुख्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से उर्वरक उत्पादन की संस्थापित क्षमता सातवीं योजना (1989-90) के अन्त तक नाइट्रोजन के 59 लाख मीटरी टन और पी$_2$ ओ$_5$ के 15.7 लाख मीटरी टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर नाइट्रोजन के करीब 95 लाख मीटरी टन और पी$_2$ ओ$_5$ के 29 लाख मीटरी टन हो जाने की सम्भावना।

(घ) नए उर्वरक संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय सम्भरक-भण्डार, विभिन्न इलाकों/क्षेत्रों में मांग आपूर्ति की स्थिति, कमी वाले क्षेत्रों तक तैयार उर्वरकों की परिवहन लागत, पिछड़े क्षेत्रों आदि में उद्योगों के स्थान से सम्बन्धित सरकारी नीति आदि तकनीकी-आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है।

सभी राज्यों में हरित क्रांति के विस्तार का कार्यक्रम

3137. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री बी० तुलसी राम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश फालतू खाद्यान्न केवल दो अथवा तीन राज्यों से आता है;

(ख) यदि हां, तो क्या फालतू खाद्यान्नों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए अन्य राज्यों में भी हरित क्रांति के विस्तार का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) क्या इसकी प्राप्ति के लिए भू-उपयोग नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य राज्यों में भी खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने और फालतू उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपाय अपनाए जा रहे हैं :

1. केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चुनिन्दा खण्डों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के माध्यम से असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी राज्यों में चावल के उत्पादन में वृद्धि करना।

2. जिन फसलों और क्षेत्रों में उत्पादन कम हुआ है और जिनमें उत्पादन दर ऊंची नहीं रही है, उन फसलों और क्षेत्रों दोनों में वर्षा सिंचित खेती की प्रौद्योगिकी का प्रचार।

3. केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में विशेष दाल विकास कार्यक्रम के जरिए दालों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।

4. सिंचाई-क्षमता के उपयोग को बढ़ाना।

(ग) राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड ने 17-10-1985 को हुई अपनी पहली बैठक में विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा के प्रारूप पर विचार किया और रिपोर्ट को संशोधित करने तथा भूमि उपयोग नीति सम्बन्धी विवरण तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया। विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति की रूपरेखा के मसौदे के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है भूमि पर आधारित पद्धति से मिलने वाले कुल उत्पादन को बढ़ाना और भूमि का इस्तेमाल उत्पादकता को लगातार बढ़ाने तथा भूमि को खराब होने से बचाने के दोहरे उद्देश्य के लिए करना।

सिंधु गंगा मैदानों का उपग्रह द्वारा सर्वेक्षण

3138. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपग्रह सर्वेक्षण द्वारा लिए गए सिंधु गंगा मैदान के चित्रों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये चित्र भारी पैमाने पर भूमि के कटाव और पानी के जमाव को दर्शाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो मृदा क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से सिंधु-गंगा के मैदानों में कृष्ट तथा अकृष्ट भूमि के भू-क्षरण को रोकने से सम्बन्धित कार्यक्रम शुरू किए हैं। सिंधु-गंगा के मैदानों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं।

1. नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

2. गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित जलधारा प्रबन्ध।

3. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम।

4. मरु विकास कार्यक्रम।

5. ग्रामीण जलावन लकड़ी वृक्ष रोपण सहित सामाजिक वानिकी।

इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा राज्य दोनों क्षेत्रों के बहुत ऊबड़-खाबड़ भूमि के सुधार तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

पश्चिम बंगाल में रायचौक फिशिंग हार्बर के लिए सुविधाएं

3139. श्री अमल दत्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में रायचौक फिशिंग हार्बर के लिए सभी नियोजित सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अभी पूरा किए जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की योजना है और परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रथम चरण के लिए नियोजित सभी मुख्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं का कार्य-निष्पादन

3140. श्री अमल दत्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर ने क्या-क्या परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) इन परियोजनाओं की लागत कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान को क्या विशिष्ट कार्य दिया गया है और उससे क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा चलाई गई प्रमुख प्रयोजनाएं ये हैं :

(i) अन्तःस्थलीय अधिग्रहण मात्स्यिकी प्रबन्ध, (नदीय एवं सरोवरी);

(ii) मेढ़क पालन;

(iii) शीतल जल में मछली पालन;

(iv) ताजे जल में जल कृषि;

(v) खारे जल में जल कृषि;

(vi) कृषि विज्ञान केन्द्रों के द्वारा प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम और विस्तार कार्य।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) संस्थान को सौंपे गए विशिष्ट कार्य ये थे—अधिग्रहण मात्स्यिकी प्रबन्ध पर अनुसंधान, मेढ़क कल्चर, शीतल जल में मछली पालन, खारे जल में मछली पालन, ताजे जल में मछली पालन तथा विस्तार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम।

उपलब्धियां।

निम्नलिखित कार्यों में संस्थान ने महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं;

(i) उच्च लवणीय तटवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त झींगा एवं धान तथा झींगा पालन पद्धति के लिए नई उत्पादन प्रौद्योगिकी;

(ii) टाइगर झींगा सहित खारे जल में झींगा पालने के लिए अण्डा सेने की पद्धति;

(iii) कार्प सीड के पूरे वर्ष उत्पादन के लिए कार्प का गैर-मौसम में प्रजनन;

(iv) 15 दिन की प्रति फसल के प्रति हैक्टेयर 15 मिलियन फ्राई पैदा करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास;

(v) डकवीड का आहार के रूप में प्रयोग करके कम लागत वाली कार्प उत्पादन पद्धति (4 टन/हैक्टेयर);

(vi) फ्लोटिंग केज में 140 से 180 किलो०/वर्ष/10 स्क्वायर मीटर के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी;

(vii) भारत में पहली बार गोल्डेन महासीर, टोर पुटीटोरा और स्नोट्राउट के लिए प्रजनन और नर्सरी व्यवस्था;

(viii) भारत में पहली बार अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों में (औसत समुद्र तल से 4000 फुट की ऊंचाई पर) भारत की प्रमुख कार्प मछलियों का प्रजनन;

(ix) व्यावसायिक राना टिग्रीना मेढ़क को पालना।

कृषि विज्ञान केन्द्रों, प्रशिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, परिचालन अनुसंधान प्रायोजना और प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत विस्तार कार्यक्रमों के द्वारा कृषकों, उद्यमियों, विस्तार कार्यकर्त्ताओं, विकास अधिकारियों आदि सहित 2892 व्यक्तियों को कार्प कल्चर, हवा में सांस लेने वाली मछलियों को पालने, समेकित कृषि और संस्थान द्वारा विकसित अन्य प्रौद्योगिकियों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया गया।

रोम में हुआ खाद्य और कृषि संगठन सम्मेलन

3141. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर, 1985 को रोम में हुए संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य और कृषि संगठन के तीन सप्ताह के सम्मेलन में 156 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व खाद्य स्थिति में सुधार पर बातचीत कार्य सूची का प्रमुख मद था;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा क्या सुझाव दिए गए; और

(घ) सम्मेलन द्वारा कौन से सुझाव स्वीकार किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) खाद्य और कृषि संगठन के 9 से 28 नवम्बर, 1985 तक रोम में हुए 23वें द्विवार्षिक सम्मेलन में कुल 158 सदस्यों में से 120 से अधिक सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के अध्यक्ष कृषि मंत्री थे, जिन्हें इस सम्मेलन के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया। विश्व खाद्य स्थिति कार्यसूची की एक मुख्य मद थी। अन्य मुख्य मदों में निम्नलिखित मदें शामिल थीं—विश्व खाद्य सुरक्षा समझौता, विश्व खाद्य कार्यक्रम के लक्ष्य नियत करना, कीटनाशी दवाओं के वितरण और इस्तेमाल पर अन्तर्राष्ट्रीय आचार संहिता, खाद्य और कृषि संगठन की विभिन्न समितियों के कार्य की समीक्षा और 1986-87 की द्विवर्षीय अवधि के लिए खाद्य और कृषि संगठन का बजट। सम्मेलन के विचार-विमर्श के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने खाद्य और कृषि सम्बन्धी स्थिति को विशेषकर, विकासशील देशों में, सुधारने में खाद्य और कृषि संगठन की भूमिका के महत्व तथा गरीब देशों के बीच एवं अमीर और गरीब देशों के बीच और अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया ताकि खाद्य और कृषि के क्षेत्र में प्रगति हो सके। खाद्य और कृषि के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की बड़ी सराहना की गई। सम्मेलन द्वारा पारित किए गए संकल्पों में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल द्वारा हमारी सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के आधार पर दिए गए सुझावों का काफी प्रभाव था।

उपदान निधि के लिए पृथक न्यास स्थापित करना

3142. **श्री सुभाष यादव** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि योजना की भांति उपदान निधि सम्बन्धी प्रशासन के लिए एक पृथक न्याय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक कार्यान्वित होने की सम्भावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) उपदान की अदायगी करने के लिए नियोजकों के दायित्व का अनिवार्यतः बीमा कराने/एक पृथक न्यास निधि की स्थापना करने के बारे में उपदान संदाय अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध जोड़ने के लिए 25 और 26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन में एक सुझाव पर विचार किया गया और इसे सामान्यतः स्वीकार कर लिया गया। सम्मेलन की इस सिफारिश पर आगे कार्रवाई करने के लिए अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जाएगा।

बाल श्रमिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा हेतु योजना

3144. **डा० फूल रेणु गुहा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाल श्रमिकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और/अथवा सामान्य शिक्षा के लिए क्या योजनाएं हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितनी कार्य कर रही हैं और वर्ष 1985-86 के दौरान कितनी और योजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी; और

(ग) किन स्थानों पर ये योजनाएं कार्यान्वित की जाएंगी और इनसे कितने छात्रों को लाभ होगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) श्रम मंत्रालय बाल श्रमिकों की व्यावसायिक शिक्षा या सामान्य शिक्षा के लिए योजनाओं का संचालन स्वयं नहीं कर रहा है। तथापि, यह मंत्रालय बाल श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित योजनाएं अर्थात, स्वास्थ्य, पालन-पोषण, औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण, इत्यादि आरम्भ करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देता है। वर्ष 1985-86 के दौरान, इस मंत्रालय ने अब तक ऐसी 5 योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी है जिनके अन्तर्गत कर्नाटक, औरंगाबाद, बम्बई, कलकत्ता और अहमदाबाद में काम कर रहे लगभग 850 बच्चे आते हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चार और योजनाएं प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में उद्योगों में तालाबन्दी और उनके बन्द होने के कारण प्रभावित औद्योगिक श्रमिक

3145. **डा० फूल रेणु गुहा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में उद्योगों में तालाबन्दी और उनके बन्द होने के कारण कितने औद्योगिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ख) उनका उद्योग-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में 31 दिसम्बर, 1980 को क्या स्थिति थी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, 31-10-85 की स्थिति के अनुसार, राज्य में तालाबन्दी के 73 मामले हुए जिनमें 42,760 कर्मकार अन्तर्वलित थे और काम बन्दी के 100 मामले हुए जिनमें 15,994 कर्मकार अन्तर्वलित थे। इस सम्बन्ध में उद्योग-वार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

उद्योग	तालाबन्दी		कामबन्दी	
	मामलों की संख्या	अन्तर्वलित कर्मकारों की संख्या	मामलों की संख्या	अन्तर्वलित कर्मकारों की संख्या
1. जूट	5	18,500	—	—
2. इन्जीनियरी	27	8,891	31	5,035
3. कपास	5	2,535	—	—
4. अन्य	36	12,834	69	10,959
कुल :	73	42,760	100	15,994

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार, 1980 में तालाबन्दी के 130 मामले हुए जिनमें 85,358 कर्मकार अन्तर्वलित थे और कामबन्दी के 62 मामले हुए, जिनमें 5,156 कर्मकार अन्तर्वलित थे।

भारतीय उर्वरक निगम के धनबाद में निर्मित बांध की मरम्मत

3146. श्री वसुदेव आचार्य : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा बिहार के धनबाद जिले में भोजुडिह के समीप निर्मित बांध कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) 1949-50 में भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक द्वारा निर्मित किया गया बराज (डैम नहीं) दामोदर वैली कार्पोरेशन द्वारा दामोदर नदी पर डैम निर्मित करने के परिणामस्वरूप अपनी उपयोगिता खो बैठा है। तथापि, कम्पनी बिहार सरकार से सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं ताकि उस क्षेत्र के आसपास अतिरिक्त पीने के पानी की आपूर्ति सुविधाजनक करने के लिए उक्त बराज का सर्वोतम उपयोग किया जाए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार वाचकों का चयन

3147. श्री विजय एन० पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के अंग्रेजी तथा हिन्दी समाचार वाचकों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या सरकार को अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में ही निम्न कोटि के समाचार वाचन और कुछ समाचार वाचकों द्वारा गलतियां किए जाने की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो समाचार वाचन में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार वाचकों के दो ग्रेड हैं—कनिष्ठ ग्रेड और वरिष्ठ ग्रेड। कनिष्ठ ग्रेड के पदों को आकाशवाणी के पात्र स्टाफ आर्टिस्टों में से 100 प्रतिशत सीमित चयन द्वारा भरा जाता है जिसके न होने पर सीधी भर्ती से भरा जाता है। वरिष्ठ ग्रेड के पदों को कनिष्ठ ग्रेड के पदों में से चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।

(ख) और (ग) अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में समाचार वाचन की कोटि में सुधार करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। समाचार सेवा प्रभाग विभिन्न समाचार वाचकों के कार्यनिष्पादन की जांच करता है और उन्हें प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान करता है। सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों का एक पैनल भी बनाया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन्द्रप्रस्थ एस्टेट में होटल का निर्माण

3148. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एशियाड-82 के लिए इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में एक होटल का निर्माण आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य पूरा होने का निर्धारित समय क्या था और इस पर कितनी धनराशि खर्च होनी थी;

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(घ) विलम्ब और अधिक लागत के क्या कारण हैं;

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय होटल निर्माण का कार्य आरम्भ करने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या यह सच है कि एक गैर सरकारी पार्टी अधूरे होटल को भी खरीदने को तैयार थी परन्तु दिल्ली विकास प्राधिकरण सहमत नहीं हुआ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। परियोजना एशियाड 82 के लिए अभ्यास हाल तथा सम्बद्ध सुविधाएं मुहैया करने की शकल में परिकल्पित की गई थी।

(ख) होटल इमारत भूमि मूल्य सहित 16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अगस्त, 1983 तक पूर्ण हो जाने की संभावना थी जिसमें कोले बोरेटरों द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदें, जो निश्चित नहीं की गई थीं, शामिल नहीं थी।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोलेबोरेटर निश्चित नहीं किए गए हैं। अतः समय अनुसूची अथवा पूर्ण लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) कोलेबोरेटरों का निश्चित न होना।

(ङ) इन्दिरा गांधी स्टेडियम के उपान्त में उचित रिहायशी सुविधाएं मुहैया करने के लिए इस सम्पूर्ण कम्प्लैक्स हेतु तैयार की गई व्यापक योजनाओं के अन्तर्गत प्लेयर्स ब्लाक नामक भवन का निर्माण खेल कम्प्लैक्स के एक अभिन्न अंग के रूप में आयोजित किया गया था।

(च) जी नहीं।

[हिन्दी]

सड़कों से जुड़े गांव

3149. श्री मूल चन्द डागा :
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1500 तक की आबादी वाले कितने गांवों को मुख्य सड़कों अथवा अन्य गांवों को जाने वाली सड़कों से जोड़ा गया है;

(ख) क्या ये सड़कें पक्की हैं और अभी भी विद्यमान हैं या क्षतिग्रस्त दशा में हैं;

(ग) क्या अभी भी 1500 आबादी तक के ऐसे गांव हैं जिन्हें अभी तक मुख्य सड़कों से नहीं जोड़ा गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं और उनको मुख्य सड़कों से न जोड़े जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) छठी योजना प्रलेख के अनुसार, 1500 से अधिक की आबादी वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 के बीच की आबादी वाले 5(प्रतिशत गांवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990 तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ा जाना है तथा ऐसे 50 प्रतिशत गांवों को छठी योजना के दौरान जोड़ा जाना था। इस प्रकार, 1000-1500 के बीच की आबादी वाले केवल 6177 गांवों (1-4-80 तक जोड़े गए 22128 गांवों के अतिरिक्त) को 1990 तक सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़े जाने की परिकल्पना की गई थी। इसके मुकाबले, योजना आयोग के अनुसार छठी योजना के दौरान इस श्रेणी के 6839 गांव सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ दिए गए हैं।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में यह परिकल्पना की गई है कि गांवों को सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों से जोड़ा जाए। सड़कों के रख-रखाव की सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 1990 तक जोड़े जाने वाले इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले गांवों का लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। तथापि, 1000-1500 के

बीच की आबादी वाले 27642 गांव ऐसे हैं, जिन्हें अभी सड़कों से जोड़ा जाना है। इनमें से 3851 गांवों को सातवीं योजना में जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

आयातित चीनी और गेहूं का भण्डारण

3150. श्री मूल चन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास भांडागार स्थान की कमी है;

(ख) जनवरी से अगस्त, 1985 तक की अवधि के दौरान चीनी की कितनी मात्रा का आयात किया गया है;

(ग) आयातित चीनी का भंडारण किस प्रकार किया जाता है, किन स्थानों पर किया जा रहा है तथा प्रत्येक स्थान पर कितनी मात्रा में किया जा रहा है;

(घ) जनवरी, 1985 से अब तक खराब भंडारण के कारण अथवा अन्य कारणों से किन स्थानों पर तथा कितनी मात्रा में आयातित और स्वदेशी चीनी खराब हो गई;

(ङ) इस तरह खराब हुई चीनी का निपटान किस प्रकार किया गया; और

(च) क्या भारतीय खाद्य निगम के भांडागारों में आयातित चीनी के भंडारण के कारण गेहूं की बोरियां पिछले कई महीनों से खुले में पड़ी हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप उनकी मात्रा में खराबी आ रही है तथा चोरी हो रही है, यदि हां, तो किस सीमा तक ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1985 से अगस्त, 1985 तक देश में आयातित चीनी की कुल हुई वास्तविक आमद लगभग 6.5 लाख मीटरी टन बैठती है।

(ग) आयातित चीनी हमेशा ढके हुए भाण्डागारों में रखी जाती है। विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में आयातित चीनी की अनुमानित स्टाक स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(घ) भारतीय खाद्य निगम मई, 1985 से आन्तरिक वितरण के लिए आयातित चीनी संभाल रहा है। जालन्धर में हुए एक मामले को छोड़कर, जहां नगर में अभूतपूर्व बाढ़ें आने के कारण जुलाई, 1985 के दौरान पानी से 142 मीटरी टन आयातित चीनी प्रभावित हुई थी, प्राप्त हुई रिपोर्टों से इस बात का संकेत नहीं मिलता है कि आयातित चीनी खराब भण्डारण अथवा अन्यथा के कारण खराब हुई है।

वर्षा, परिवहन, क्षति होने, मौसम में नमी, लम्बे समय तक भण्डारण करने, आदि के कारण जनवरी-अगस्त, 1985 के बीच 13649.8 मीटरी टन स्वदेशी चीनी खराब हो गयी थी। इस तरह खराब हुई स्वदेशी चीनी का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) खण्डसारी निर्माताओं, हलवाइयों, कन्फैक्शनर्स आदि जैसे बल्क उपभोक्ताओं से खुले

टेंडरों/नीलामियों द्वारा पेशकश आमन्त्रित करके उस खराब हुई चीनी का निपटान किया जा रहा है।

(च) जी, नहीं।

विवरण-1

भारतीय खाद्य निगम के पास 31 अगस्त, 1985 को रखी आयातित चीनी के स्टाक का राज्यवार ब्यौरा बताने वाले विवरण

(आंकड़े मीटरी टनों में)

31-8-85 को (अनन्तिम)

1	2	3
पूर्वी जोन।		
1. असम :		
	न्यू गुवाहाटी	2158
2. बिहार :		
	दानापुर	1159
	दीघाघाट	742
	टाटा	2984
	रांची	4363
		9248
3. उड़ीसा :		
	कटक	249
	बहरामपुर कोर्ट	682
	तितिलगढ़	331
	बालसोरे	780
	सम्बलपुर	208
		2250
उत्तरी जोन :		
1. दिल्ली :		
	दिल्ली	10450

1	2	3
2. हरियाणा :		
	कुरुक्षेत्र	8
	पानीपत	498
	गुड़गांव	327
	अम्बाला	46
	हिसार	601
		1480
3. पंजाब :		
	जालंधर	1818
	अमृतसर	1468
	पटियाला	1069
	लुधियाना	1191
		5546
4. राजस्थान :		
	अजमेर	342
	जयपुर	2894
	जोधपुर	1330
	उदयपुर	792
	कोटा	1007
	भरतपुर	396
		6791 (30/8)
5. उत्तर प्रदेश :		
	वाराणसी	2776
	चन्दरी (कानपुर)	16378
	लखनऊ	3288
	आगरा कैन्ट	3743
	हापुड़	328
		26513 (2/9)

1	2	3
दक्षिण जोन :		
1. आन्ध्र प्रदेश :		
	सनतनगर	62
2. कर्नाटक :		
	बंगलौर	1893 (30/8)
पश्चिमी जोन :		
1. गुजरात :		
	साबरमती	16
2. मध्य प्रदेश :		
	जबलपुर	931
	इन्दौर	3734
	रायपुर	2839
	निशातपुर (भोपाल)	5169
	ग्वालियर	4144
		16817
	कुल जोड़ :	83194

विवरण-2

जनवरी, 1985 से अगस्त, 1985 तक क्षतिग्रस्त हो गई स्वदेशी चीनी का क्षेत्रवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(मीटरी टनों में)

मास	राज्य	क्षतिग्रस्त और खराब हो गई चीनी
1	2	3
जनवरी	असम	138.0
फरवरी	दिल्ली	2254.0
	उत्तर प्रदेश	2737.8
मार्च	एम० ई० एफ०	13.0

1	2	3
अप्रैल	बिहार	6643.0
	मध्य प्रदेश	354.0
मई	मध्य प्रदेश	355.0
जून	—	—
जुलाई	—	—
अगस्त	उड़ीसा	1155.0
	जोड़ :	13649.8

पश्चिम बंगाल को तूफान और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए राहत सहायता

3151. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1985 के दूसरे पखवाड़े में 24 परगना और मिदनापुर जिलों के कम से कम 28 खंडों में तूफान और बाढ़ से हुए नुकसान के कारण तुरन्त आवश्यक राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बेघर हुए लोगों की संख्या, पशुओं और फसलों को हुई हानि तथा बांधों/तटबन्धों में दरार पड़ने के सम्बन्ध में स्वयं कोई आकलन किया है और यदि हां, तो कुल कितनी राशि की हानि हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अक्तूबर, 1985 के दूसरे पखवाड़े में तूफान और बाढ़ से हुए नुकसान के कारण तुरन्त आवश्यक राहत और पुनर्वास उपाय करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं मांगी है। तथापि, व्यय की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के पास 23.75 करोड़ रुपए की मार्जन धनराशि मौजूद है।

(ख) जी नहीं।

डेरी उत्पादों का उत्पादन

3152. **श्री मानवेन्द्र सिंह :**
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1984 के दौरान डेरी उत्पादों का कुल कितना उत्पादन हुआ है और उसमें भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कितना डेरी उत्पाद का उत्पादन किया गया;

(ख) वर्ष 1984 के दौरान कुल कितने डेरी उत्पादों का आयात किया गया; और

(ग) इस क्षेत्र से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अलग करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1984 के दौरान दुग्ध चूर्ण के कुल अनुमानित उत्पादन में शिशु दुग्ध आहार, कन्डेन्स्ड मिल्क और माल्टेड दुग्ध आहार की मात्रा क्रमशः 95,600 मीटरी टन, 7000 मीटरी टन तथा 23514 मीटरी टन थी। विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों द्वारा दुग्ध चूर्ण के अनुमानित उत्पादन में शिशु दुग्ध आहार, कन्डेन्स्ड मिल्क और माल्टेड दुग्ध आहार की मात्रा क्रमशः 13,437 मीटरी टन, 4772 मीटरी टन और 18542 मीटरी टन थी।

(ख) वर्ष 1984 के दौरान डेयरी उत्पादों के कुल आयात से सम्बन्धित आंकड़े, उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, भारतीय डेयरी निगम ने आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए 48,669.278 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण, 15,859.397 मीटरी टन बटर-आयल और 6421.050 मीटरी टन मक्खन यूरोपीय आर्थिक समुदाय से तथा 19,834 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण अमेरिका के सहकारी संघ से उपहार स्वरूप सप्लाई के रूप में प्राप्त किया।

(ग) सरकार सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में डेयरी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।

[हिन्दी]

आजमगढ़ में कृषि विज्ञान केन्द्र

3153. **श्री राजकुमार राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में या इसके निकटवर्ती जिलों में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस जिले में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का है;

(ग) सरकार ने किसी जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदण्ड बनाया है; और

(घ) क्या यह जिला इस मानदण्ड को पूरा करता है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कोई कृषि विज्ञान केन्द्र नहीं है। तथापि आजमगढ़ के पास के क्षेत्रों में तीन कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो बस्ती, सुलतानपुर तथा मिर्जापुर में हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में आजमगढ़ जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है यदि भारत सरकार से उसके लिए संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं।

(ग) एक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने का मानदण्ड निम्नलिखित है :

(i) प्रस्तावों में सम्बन्धित राज्य सरकार तथा राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों की सिफारिशें होनी चाहिए।

(ii) प्रस्तावित स्थल में कम से कम 50 एकड़ का एक पूर्ण रूप से विकसित फार्म होना चाहिए;

(iii) वहां किसानों के प्रशिक्षण के लिए कोई संस्था न हो;

(iv) पिछड़े वर्ग के लिए एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने के लिए प्राथमिकता; तथा

(v) प्रस्ताव पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निरीक्षण करने वाली टीम की सिफारिशें होनी चाहिएं।

(घ) इसकी अभी निरीक्षण-दल द्वारा जांच की जानी है।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सिक्किम के प्राकृतिक वनस्पति और जन्तु स्थल का सर्वेक्षण

3154. डा० जी० विजय रामा राव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने सिक्किम के प्राकृतिक वनस्पति और जन्तु स्थल का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संरक्षण के अभाव और मनुष्य द्वारा वन काटे जाने के परिणामस्वरूप इनमें से कुछ वनस्पति और जीव-जन्तु बहुत तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या सिक्किम में कोई चिड़ियाघर अथवा पक्षी विहार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ने कृषि बागबानी फसल विविधता (प्राकृतिक वनस्पति) के संग्रह के लिए वर्ष 1979, 1980 तथा 1982 के दौरान तीन पौध अन्वेषण किये हैं। ये अन्वेषण मुख्यतः सिक्किम के दक्षिण, पश्चिमी तथा उत्तर जिलों में हैं। अनेक प्रकार के संग्रह किये गये थे जिनमें अनाज/मोटे अनाज (618), फली (322), सब्जियां (120), तिलहन (26), सच्चारम तथा वन्य प्रजातियां (202) तथा अन्य (70) शामिल थे। सिक्किम को भी चिकित्सा, सुगन्धित तथा शोभाकारी पौधों में प्रचुर आनुवंशिक विविधता में जाना जाता है। इस समय इस क्षेत्र में कृषि बागबानी फसलों को एकत्रित करने के लिए ब्यूरो अनन्वेषित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर रहा है।

(ग) अधिक उपज देने वाली किस्मों की सुधरी प्रौद्योगिकी तथा अन्य आधुनिकीकरण के शुरू होने से कुछ आनुवंशिक क्षति होने की आशा है। इस क्षति से बचने के लिए संग्रह किया जा रहा है तथा सातवीं योजना की अवधि में इस कार्य को और तेज किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान । गंगटोक में एक डियर पार्क है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता

3155. श्री एस० एम० भट्टम : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि अत्यन्त अल्प है और बहुत से मामलों में मंजूर की गई पूरी राशि लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती;

(ख) क्या वित्तीय सहायता देने से पहले लाभार्थी के लिए किसी विशेष धन्धे का चयन तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का सही और विवेकपूर्ण इस्तेमाल हो, कोई कदम उठाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रोजगार-सृजन कार्यक्रम है जिससे मजदूरी ढूंढने वालों को काम मिलता है । इस कार्यक्रम में लाभार्थियों का चयन नहीं किया जाता है । सम्भवतः, प्रश्न समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित है जिसके बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है :—

यद्यपि, पहले प्रति व्यक्ति निवेश कम था, फिर भी छठी पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों में काफी प्रगति हुई है। प्रति व्यक्ति निवेश जिसमें आर्थिक सहायता तथा ऋण शामिल है, 1980-81 में 1642 रुपये से बढ़कर छठी पंचवर्षीय योजना के वर्ष 1984-85 में 3339 रुपये हो गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्तर और बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

जहां तक स्वीकृत राशि लाभार्थियों तक न पहुंचने का सम्बन्ध है, हमारे ध्यान में लाए गए विशेष मामलों पर जांच करवाई गई है। राज्य मुख्यालय और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के स्तर पर ऐसी शिकायतों की जांच के लिए शिकायत सैल स्थापित करने हेतु मार्गदर्शिकाएं जारी कर दी गई हैं ।

लाभार्थियों का चयन एक विस्तृत पारिवारिक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है जिसमें लाभार्थी की पसन्द को भी पूछा जाता है । परियोजना की सम्भाव्यता के बारे में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर और विचार किया जाता है । चूंकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता बैंक ऋण से जुड़ी हुई है, इसलिए बैंक भी परियोजनाओं की आर्थिक सक्षमता का मूल्यांकन स्वतन्त्र रूप से करते हैं । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाता है जिसके लिए वह स्वीकृत की गई है, लाभार्थियों को परिसम्पत्तियां वस्तुओं में दी जाती हैं, नकदी के रूप में नहीं।

जल-विभाजक प्रबन्ध के लिए योजना

3156. श्री भोला नाथ सेन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के गंगा बेसिन क्षेत्र में बाढ़ों के नियंत्रण हेतु

जल विभाजकों द्वारा प्रबन्ध करने और वन रोपण के रूप में प्रभावपूर्ण उपायों के लिए योजना प्रयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी योजना के कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं; और

(घ) यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कमी रही, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत पश्चिम बंगाल के अजय तथा रूपनारायण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में बाढ़ों के नियंत्रण हेतु समेकित मृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य शुरू किए गए हैं। सभी प्रकार की भूमियों पर उनकी समस्याओं और मृदा रूपरेखा के भीतर जल भण्डारण को बढ़ाने, सतही जल को रोकने और अपवाह तथा गाद की मात्रा कम करने हेतु भू-क्षरण को रोकने की जरूरत के मुताबिक मृदा संरक्षण उपाय किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यतः कृषि भूमि में बांध बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, भूमि समतल करना और फसल उत्पादन में वृद्धि करना और गैर-कृषि भूमि में वनरोपण तथा चारागाह भूमि का विकास करना, कृषि और गैर-कृषि दोनों प्रकार की भूमियों में जल संचयन, गाद अवरोधन आदि के लिए इंजीनियरी संरचनाओं का निर्माण करना शामिल है।

(ग) और (घ) छठी योजना के वास्तविक लक्ष्य तथा प्राप्तियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

यद्यपि वनरोपण तथा चारागाह भूमि के विकास द्वारा गैर-कृषि भूमि में वास्तविक उपलब्धि लगभग 84 प्रतिशत हुई है, तथापि, राज्य कृषि विभाग द्वारा धीमी गति से कार्य शुरू किए जाने की वजह से कृषि भूमि में उपलब्धि केवल 18 प्रतिशत हुई है।

विवरण

बाढ़ प्रवण नदियों के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबन्ध की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत छठी योजना में शामिल पश्चिम बंगाल राज्य में अजय तथा रूपनारायण के स्रवण क्षेत्रों के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(क्षेत्र हैक्टार में)

क्र०सं० मद	अजय		रूपनारायण		अजय तथा रूपनारायण का योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1. कृषि भूमि	2641	57	3439	1025	6080	1082
2. गैर-कृषि भूमि	873	1366	5028	3605	5901	4971
योग	3514	1423	8467	4630	11981	6053
3. संरचनों की संख्या	6	2	24	20	30	22

गुजरात के रोजगार कार्यालयों में दर्ज अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या

3157. श्री यू० एच० पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तथा अन्य राज्यों में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में दर्ज अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को रोजगार में अपना उचित हिस्सा प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात तथा अन्य राज्यों में 1983, 1984 और 1985 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए गए और उनमें से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ;

(ग) क्या सभी गैर सरकारी और सरकारी निगमों, सार्वजनिक संस्थाओं और उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे श्रमिक और कर्मचारियों को केवल रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियुक्त अथवा भर्ती करें;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड है; और भर्ती न किए जाने के लिए उक्त सभी प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1983, 1984 के दौरान तथा जून, 1985 तक गुजरात और अन्य राज्यों में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत किए गए तथा नौकरी पर लगाए गए अ० जा०, अ० ज० जा० और अन्य उम्मीदवारों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से निजी क्षेत्र में रिक्तियों की भर्ती करना अनिवार्य नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापनाओं के मामले में, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रिक्तियों पर भर्ती केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाती है। हाल ही में, आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने ऐसे प्रशासनिक अनुदेशों को रद्द कर दिया है।

विवरण

वर्ष/अवधि 1983-85 (जनवरी-जून) के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी चाहने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति और अन्य व्यक्तियों के लिए किए गए पंजीकरणों और नियुक्तियों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/वर्ष	वर्ष/अवधि के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या				वर्ष/अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या					पंजीकरणों की तुलना में नियुक्तियों की प्रतिशतता		
	अ० जा/	अ० ज० जा/	अन्य/	योग	अ० जा/	अ० ज० जा०/	अन्य/	योग	अ० जा०/	अ० ज० जा०/	अन्य/	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गुजरात												
1983	24.5	25.5	195.1	234.9	2.4 (12.1)	1.9 (9.2)	15.9 (78.7)	20.2 (100.0)	99.88 12.88	12.4	8.1	8.6
1984	26.5	16.4	224.9	267.8	3.4 (16.4)	2.8 (13.7)	14.0 (69.9)	20.5 (100.0)	1218.8	17.1	6.2	7.5
1985* (जनवरी से जून)	7.0	5.8	50.4	63.2	1.1	1.1	5.0	7.2	15.5	18.5	9.9	11.3
अन्य राज्य												
1983	756.4	187.7	5576.8	6520.9	59.9 (12.9)	20.6 (4.4)	385.2 (82.7)	465.7 (100.0)	7.9	10.9	6.9	7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1984	719.4	171.3	5060.5	5951.2	59.0 (15.2)	18.3 (4.7)	309.5 (80.1)	386.8 (100.0)	8.2	10.7	6.1	6.5
1985* (जनवरी से जून)	338.8	84.0	2222.3	2645.1	27.0 (13.9)	9.0 (4.6)	157.9 (81.5)	193.9 (100.0)	8.0	10.7	7.1	7.3
अखिल भारत												
1983	780.9	203.0	5771.9	6755.8	62.3 (12.8)	22.4 (4.6)	401.1 (82.6)	485.9 (100.0)	8.0	11.0	7.0	7.2
1984	745.9	187.7	5285.4	6219.0	62.4 (15.3)	21.1 (5.2)	323.8 (79.5)	407.3 (100.0)	8.4	11.2	6.1	6.5
1985* (जनवरी से जून)	345.8	89.8	2272.7	2708 3	28.1 (14.0)	10.1 (5.0)	162.9 (81.0)	201.1 (100.0)	8.1	11.2	7.2	7.4

* अन्तिम

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योग की तुलना में प्रतिशतताएं हैं।

टिप्पणी : 2. नियुक्तियां अनिवार्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों में से नहीं की गई हैं जिन्होंने उक्त अवधि के दौरान अपने नाम पंजीकृत कराएं।

[हिन्दी]

भारतीय उद्यान संस्थानों की स्थापना

3158. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जलवायु क्षेत्र में पैदा होने वाले शीतोष्ण फलों के विकास के लिए सातवीं योजना में एक "हार्टीकल्चर इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया" (भारतीय उद्यान संस्थान) की स्थापना करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या व्यवस्था की गई है और कौन से वर्ष में यह संस्थान कार्य करना शुरू कर देगा और यह कहां स्थापित किया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं योजना के दौरान एक केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि योजना आयोग तथा वित्त विभाग इसे स्वीकृत करे ।

(ख) इस उद्देश्य के लिए सातवीं योजना में 50 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है । इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों के दल द्वारा जगह के चयन करने तथा अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संस्थान कार्य करना शुरू करेगा ।

उत्तर प्रदेश में सोरों में चीनी मिल की स्थापना

3159. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलाहाबाद जिले की फूलपुर तहसील में सोरों में एक चीनी मिल की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस चीनी मिल का निर्माण प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी हां । उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की फूलपुर तहसील में स्थित सोरों में चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथा-अभिस्तावित औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था । इस आवेदन पत्र में सम्बन्धित क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं की गई थी । इसे राज्य सरकार से आगे जांच करने के लिए मंगवाया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भुगतान दरें

3160. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को किए जाने वाले भुगतानों की दरें बढ़ा दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न विषयों पर जनसाधारण से प्राप्त फीचरों के प्रसारण हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। एक विवरण संलग्न है ।

(ग) दूरदर्शन रूपकों, परिचर्चाओं, भेंटवार्ताओं आदि जैसे विभिन्न फारमेटों में जिसमें जन साधारण शामिल हो, कार्यक्रम टेलीकास्ट करता रहा है। इसके अलावा, बाहरी निर्माताओं द्वारा बनाए गए कार्यक्रम भी प्रायोजित कार्यक्रमों की श्रेणी में टेलीकास्ट किए जाते हैं। बाहरी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के विचार से दूरदर्शन ने बाहरी निर्माताओं से टेली फिल्में निर्माण करने के लिए भी कदम उठाए हैं

विवरण

परफार्मिंग आर्टिस्टों आदि के शुल्कों की संशोधित दरें (1-11-1985 से प्रभावित)

क्रम संख्या	कलाकारों की श्रेणी	दरें
1	2	3
1. सामान्य :		
	(1) सामान्य प्रेषण के उद्घोषक	100 रुपए प्रतिदिन (एक भाषा) 125 रुपए प्रतिदिन (दो भाषा)
	(2) भाग लेने वाले/भेंटवार्ताकार/प्रस्तुतकर्ताओं/कम्पीयरों/क्विज मास्टर/कमेंटेटर	
	(1) भाग लेने वाले	
	(क) विभिन्न क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय	500 रुपये
	(ख) विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात अन्य भारतीय अर्थात सर्वोच्च/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद सदस्य, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग ।	250 रुपये
	(ग) अन्य	100-150 रुपये
	(2) भेंटवार्ताकार/कम्पीयर/क्विज मास्टर्स	
	(क) सामान्य शुल्क	50-250 रुपये
	(ख) बाह्य शूटिंग में शामिल होने पर अतिरिक्त शुल्क	उपरोक्त (2) (क) के 25 प्रतिशत अधिक जो 10 रु० के अगली गुणांक पर पूर्णांकित किये जाएंगे ।

1	2	3
	(ग) कार्यक्रम परिकल्पन के लिए अतिरिक्त शुल्क	-तथैव-
	(घ) टी० वी० शो के प्रस्तुतकर्ताओं :	
	(1) सामान्य	200-400 रुपये
	(2) प्रख्यात फिल्म/थियेटर/अन्य हस्तियां	1000 रुपये
	(ङ) स्लाइड/फोटोग्राफ सामग्री के लिए अतिरिक्त शुल्क	25 रुपए प्रति स्लाइड/फोटोग्राफ जो दूरदर्शन की सम्पत्ति होगी ।
	(च) कमीशन्ड ग्राफीक्स	25-40-50 रुपए प्रत्येक सामग्री के साथ जो एक बार में 500 रुपए से अधिक नहीं होगी ।
	(छ) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ पेन्टरों, कार्टूनिस्टों तथा फोटोग्राफरों विशेष रूप से कमीशन्ड	200-500 रुपए महानिदेशक की स्वीकृति से
	(3) समाचार प्रस्तुतकर्ता/रिपोर्टर	
	(क) समाचार प्रस्तुतकर्ता	150-200 रुपए
	(ख) समाचार रिपोर्टर	100-125 रुपए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के लिए विशेष अवसर पर बुक किया जाना ।
	(4) कमेंटेटरों/विशेषज्ञों	
	(क) गणतन्त्र दिवस	350 रुपए
	(ख) स्वाधीनता दिवस	250 रुपए

1	2	
	(ग) खेलकूद कमेंटेटर/विशेषज्ञ:	
	(1) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं :	
	(1) प्रतिदिन पांच घण्ट से अधिक	250 रुपए बाहरी व्यक्तियों के लिए; 150 रुपए स्टाफ के सदस्यों के लिए।
	(2) प्रतिदिन पांच घण्टे से कम	200 रुपए बाहरी व्यक्तियों के लिए; 100 स्टाफ के सदस्यों के लिए।
	(2) क्षेत्रीय/स्थानीय घटनाएं;	
	(1) प्रतिदिन पांच घण्टे से अधिक	150 रुपए बाहरी व्यक्तियों के लिए; 75 रुपए स्टाफ के सदस्यों के लिए।
	(2) प्रतिदिन पांच घण्टे से कम	100 बाहरी व्यक्तियों के लिए; 50 रुपए स्टाफ के सदस्यों के लिए।
	(3) परीक्षण कमेंटेटर:	
	(1) प्रतिदिन पांच घण्टे से अधिक	100 रुपए बाहरी व्यक्तियों के लिए; 50 रुपए स्टाफ के सदस्यों के लिए।
	(2) प्रतिदिन पांच घण्टे से कम	75 रुपए बाहरी व्यक्तियों के लिए; 35 रुपए स्टाफ के सदस्यों के लिए।
	(4) सारांश/प्रत्यक्षदर्शी	100 रुपए
	(5) स्कोरर/आंकड़ेकार	100 रुपए प्रति राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय घटनाएं; 75 रुपए अन्य घटनाओं के लिए

1	2	3	
8 नाटकीय कार्य निष्पादन			
	(1) शृंखलाओं और सोपओपेरा (दूरदर्शन द्वारा विशिष्ट विषयों पर मुकम्मल सर्वाधिकार के साथ कमीशन्ड)		
	(1) शृंखलाओं और सोप ओपेरा के लिए अनुसंधान परामर्श वैचारिक बुनियादी सामग्री का समाहरण, कहानी के कार्यकरण वादी और विशिष्ट चरित्र	सर्वश्रेष्ठ प्रति दृश्य 1500 रु०	अन्य प्रति दृश्य 750 रु०
	(2) स्क्रीन प्ले/संवादलेखन	प्रति दृश्य 100 रु०	प्रति दृश्य 500 रु०
	(2) टेलीकास्ट के लिए तैयार स्क्रीन प्ले के साथ नाटक (पूरे सर्वाधिकार के साथ)	सर्वश्रेष्ठ	अन्य
	(क) टी० वी० के लिए मुकम्मल मूल शूटिंग आलेख		
	(1) प्रहसन	1000 रु०	500 रु०
	(2) लघु नाटिका	1500-3000 रु०	750-1500 रु०
	(3) लम्बे नाटक	2500-5000 रु०	1000-2500 रु०
	(ख) रूपान्तरण	रूपान्तरकार	मूल लेखक
	(1) एक नाटक से (पूरी शूटिंग आलेख सहित)	उपरोक्त (क) का 50 प्रतिशत	उपरोक्त (क) का 50 प्रतिशत
	(2) एक कहानी/उपन्यास आदि से (पूरी शूटिंग आलेख सहित)	उपरोक्त (क) का 75 प्रतिशत	उपरोक्त (क) का 50 प्रतिशत
	(3) अनुवाद	250-1000 रु०	
	(4) निर्माण/निर्देशन		
	(1) (क) प्रहसन	2000-3500 रु०	50 प्रतिशत शुल्क यदि

1	2	3
	(ख) लघु नाटिका	निर्देशन में निर्माण नहीं है। निर्माता/निर्देशक
	(ग) लम्बे नाटक	2500-6000 रु० प्रख्यात नहीं है।
	(2) श्रृंखला या सोप ओपेरा (प्रति दृश्य 20-30 मिनट)	2000 रु० 50 प्रतिशत शुल्क यदि निर्देशन में निर्माण शामिल नहीं है। निर्माता/निदेशक प्रख्यात नहीं है।
	(5) नाटक कलाकार	
	(1) सर्वश्रेष्ठ स्तर और सुप्रतिष्ठित फिल्म कलाकार	प्रति नाटक 2000 रु० विशेष मामले में दूरदर्शन महानिदेशक अपने विवेक से अधिक का भुगतान कर सकता है।
	(2) ए श्रेणी	1000-1500 रु०
	(3) बी श्रेणी (उच्च)	300-750 रु०
	(4) बी श्रेणी	150-200-250 रु०
	(5) बाल कलाकार (14 वर्ष से नीचे के)	150 रु०
	(6) भीड़ का दृश्य/वातावरण	प्रति पांच व्यक्तियों पर 100 रु० प्रति दस व्यक्तियों पर 200 रु० प्रति व्यक्ति यदि पांच से कम हैं 25 रु०
	(6) व्यवसायिक और शौकिया थियेटर समूह द्वारा नाटक	
	(1) लघु नाटक	5000-10,000 रु० नाटक लेखक के

1	2		3
	(2) लम्बे नाटक		15,000-30,000 रु० रायल्टी को छोड़कर एक-मुश्त
	(7) (1) पृष्ठ भूमिक संगीत		आकाशवाणी शुल्क
	(2) पृष्ठ भूमिक नाटक संगीतकार		आकाशवाणी शुल्क
	(8) कला निदेशक		
	(1) प्रहसन		500 रु०
	(2) लघु नाटिका		750 रु०
	(3) लम्बे नाटक		1000 रु०
	(4) धारावाहिक		प्रति दृश्य 500 रु०
	(9) वेशभूषाकार		500-1000 रु० यदि इस क्षेत्र में एक प्रख्यात विशेषज्ञ लगाया जाना है।
	(10) पीरियड मेकप		250-500 रु०
3. संगीत			
	(1) संगीत कलाकार/कम्पीयर/समूह		आकाशवाणी शुल्क 50 प्रतिशत
	(2) सर्वश्रेष्ठ विशेषसंगीत निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार		1000-3000 रु० महानिदेशक की स्वीकृति से
4. नृत्य		स्थानीय	राष्ट्रीय
	1. सर्वश्रेष्ठ श्रेणी	3000 रु० सभी सहयोगियों सहित	6000 रु० सभी सहयोगियों सहित
		2000 रु० टेप किए गए संगीत के साथ	4000 रु० टेप किए गए संगीत के साथ
	2. द्वितीय श्रेणी	1500 रु० सभी सहयोगियों सहित	3000 रु० सभी सहयोगियों सहित
		1000 रु० टेप किए गए संगीत के साथ	2000 रु० टेप किए गए संगीत के साथ
	3- साधारण श्रेणी	1000 रु० सहयोगियों सहित	राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए बुक नहीं किया जाना
		750 रु० टेप किए गए संगीत के साथ	
	4. बाल कलाकार (एकल)	500 रु०	1000 रु०

खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर मिलने वाली राज्य-सहायता का वापस लिया जाना

3161. श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्यान्नों तथा उर्वरकों पर दी जाने वाली राज्य-सहायता को वापस लिए जाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इसका विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय सरकार इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर दी गई सम्पत्ति के भूमि किराये की वसूली

3162. श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भूमि किराये की वसूली कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान से आये विस्थापित लोगों को पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों, स्थायी पट्टे पर दी गई सम्पत्तियों, 99 वर्ष के लिए पट्टे पर और अस्थायी पट्टे पर/लाइसेंस प्रणाली पर दी गई सम्पत्तियों के संबंध में वसूल किये गये भूमि किराये का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त पट्टों को उपयोग में लाने के लिए कितना व्यय किया गया है; और

(घ) दिल्ली में इस तरह की पट्टा प्रणाली अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भूमि तथा विकास कार्यालय तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टा परिसम्पत्तियों के भूमि किराये की वसूली कर रहे है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वसूल किये गये भूमि किराये के सम्बन्ध में ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा	367.46 लाख रुपये (नजूल पट्टे)
	22.23 लाख रुपये (पुनर्वास पट्टे)
दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा	729.16 लाख रुपये

(ग) (क) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा किया गया व्यय	106.53 लाख रुपये (आंकड़ों में केवल भूमि किराया वसूल करना ही शामिल नहीं है बल्कि, सम्पूर्ण भूमि तथा विकास कार्यक्रम का व्ययभी शामिल है।
(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया व्यय	53 लाख रुपये

(घ) भूमि की कीमतों में बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर पट्टा अधिकार पद्धति का प्रतिषेधात्मक प्रभाव है, क्योंकि इसने लाभार्थ पुन: बिक्री के लिए भूमि रखने का लोभ निरुत्साहित किया है। अपेक्षित दिशा में नियंत्रित करने तथा विकास की योजना बनाने के लिए यह एक प्रभावी हथियार है।

आवश्यक वस्तुओं के आवंटन के लिए मानदण्ड

3163. श्री अमर राय प्रधान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चीनी और सीमेन्ट सहित आवश्यक वस्तुओं के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या यह मानदण्ड राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की जरूरत पूरी करता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई करने हेतु, सात आवश्यक वस्तुओं (अर्थात् गेहूं, चावल, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, साफ्ट कोक तथा नियन्त्रित कपड़े) की वसूली तथा आवंटन करने की जिम्मेदारी ली है। इन आवश्यक वस्तुओं का आवंटित सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुओं के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये जाते हैं :—

(1) गेहूं तथा चावल का आवंटन मासानुसार आधार पर किया जाता है और इसके लिए केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टाक, मांग के स्वरूप, पहले उठाई गई मात्रा तथा खुले बाजार में अनाजों की उपलभ्यता को ध्यान में लिया जाता है।

(2) आयातित खाद्य तेलों के मामलों में, ऊपर वर्णित बातों के साथ-साथ इस तथ्य को भी ध्यान में लिया जाता है कि क्या आवंटिती राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र तिलहन उत्पादक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र है।

(3) लेवी चीनी के मामले में आवंटन, 1-10-83 की अनुमानित आबादी के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलभ्यता के आधार पर किया जाता है।

(4) राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान उन्हें पिछले

वर्ष की उसी अवधि में चार माह के ब्लाक के आधार पर किये गए आबंटन में 5% की वृद्धि करके लगाया जाता है। नियमित आबंटन के अतिरिक्त, विशेष परिस्थितियों, जैसे बाढ़, सूखे, तूफान. एल० पी० जी०/साफ्ट कोक की कमी आदि से निपटने के लिए तदर्थ आधार पर भी इसकी मात्रा दी जाती है।

(5) साफ्ट कोक मुख्यतया घरेलू प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साफ्ट कोक की खपत वाले प्रमुख राज्य पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली हैं। साफ्ट कोक का राज्यवार आबंटन छमाही आधार पर, एक बार ग्रीष्मकाल के लिए तथा एक बार शरद काल के लिए किया जाता है। यह आबंटन छमाही बैठकों में मांगों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात किया जाता है और इन बैठकों में अन्य लोगों के साथ-साथ राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के नागरिक पूर्ति विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं।

(6) नियंत्रित कपड़ा (अर्थात धोतियां, साड़ियां, लांग क्लाथ तथा पोलिएस्टर, सूत मिश्रित कमीज का कपड़ा) राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को आबादी के आधार पर आबंटित किया जाता है। तथापि, इसके लिए राज्य की प्रति व्यक्ति आय तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या को भी महत्व (वेटेज) दिया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखकर, इस कपड़े का $\frac{2}{3}$ भाग कुल आबादी के आधार पर तथा $\frac{1}{3}$ गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी के आधार पर आबंटित किया जाता है।

(7) लेवी सीमेंट के मामले में, 28.2.1892 से आंशिक विनियंत्रण की पद्धति आरम्भ की गई थी तथा सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए किये जाने वाले सीमेंट के आबंटन को, राज्यों/संघ क्षेत्रों को अन्य प्रयोजनों के लिए किये जाने वाले लेवी सीमेंट के आबंटन से अलग कर दिया गया था। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आबादी के साथ-साथ, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की योजना स्कीमों को भी महत्व (वेटेज) दिया जाता है।

2. केन्द्रीय पूल से राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक वस्तुओं का किया जाने वाला आबंटन अनुपूरक स्वरूप का है और इससे इन वस्तुओं के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उम्मीद नहीं की जाती है। राज्यों की उन अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए तदर्थ आबंटन किए जाते हैं जो विशेष रूप से बाढ़, सूखे, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदा होती हैं।

उड़ीसा को खाद्य तेलों और चीनी का आबंटन

3164. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा प्रदेश को खाद्य तेलों और चीनी का मास-वार कितना कोटा आबंटित किया; और

(ख) उपर्युक्त आबंटित कोटे की कितनी मात्रा अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1985 को समाप्त पिछले छः महीनों के दौरान उड़ीसा सरकार को किए गए आयातित खाद्य तेलों और चीनी के माहवार आबंटन और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा इस प्रकार है।

आयातित खाद्य तेल　　　　　　　　　　(मी० टनों में)

माह	आबंटन	उठाई गई मात्रा
मई, 85	700	600
जून, 85	700	200
जुलाई, 85	700	400
अगस्त, 85	700	300
सितम्बर, 85	700	131
अक्तूबर, 85	700	344
	चीनी	
मई, 85	11583.6	12934
जून, 85	13433.1	13428
जुलाई, 85	11584.2	11564
अगस्त, 85	13435.2	13064
सितम्बर, 85	13435.2	13334
अक्तूबर, 85	13434.7	13440

चीनी की उठाई जाने वाली मात्रा उसके आबंटन के अनुरूप रही है। राज्य व्यापार निगम द्वारा कटक में आयातित खाद्य तेलों का पर्याप्त भण्डार रखा जाता है।

मूंगफली के उत्पादकों को प्रोत्साहन

3165. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मूंगफली का उत्पादन बढ़ाकर इसका आयात रोकने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों को सस्ते उर्वरकों, बेहतर किस्म के बीजों और उन्नत तकनीक निःशुल्क प्रदान करने जैसे प्रोत्साहन देकर मूंगफली की बारानी खेती में सुधार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत खरीफ मूंगफली की खेती, जो कि मुख्यतः

बारानी अवस्थाओं में की जाती हैं, के तहत क्षेत्रों में विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं। आदानों पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में बीज, उर्वरक, वनस्पति संरक्षण उपाय शामिल हैं। किसानों के खेत में उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सहायता दी जाती है।

दूरदर्शन द्वारा टेलीटेक्स सेवा आरम्भ करना

3166. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा 14 नवम्बर से आरम्भ की गई टेलीटेक्स सेवा श्वेत-श्याम और रंगीन टी० वी० सेटों के दर्शकों को उपलब्ध है;

(ख) क्या साधारण टी० वी० स्क्रीन पर इस सेवा के दिखाये जाने के लिए किसी अतिरिक्त गैजिट उपकरणों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन गैजिट उपकरणों की लागत क्या है और यह सेवा लागत की दृष्टि से कितनी प्रभावी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली की टेलीटैक्स्ट सेवा केवल रंगीन दूरदर्शन सेटों पर प्राप्त की जा सकती है।

(ख) रंगीन दूरदर्शन सेटों पर, जिनमें थोड़ा-सा संशोधन करना है, सेवा प्राप्त करने के लिए एक टेलीटैक्स्ट डिकोडर और एक रिमोट कन्ट्रोल की-पेड की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) डिकोडर और रिमोट कन्ट्रोल की-पैड दोनों की कीमत स्थानीय करों सहित लगभग 3000 रुपए बैठती है। इस निवेश से एक दर्शक अपनी इच्छा से सामान्य समाचार, वित्तीय समाचार, खेल समाचार, रेलगाड़ी और हवाई जहाज का समय आदि जैसी विभिन्न प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकता है। यह सूचना सतत रूप से अद्यतन होती है। इस सेवा से दर्शकों के साधारण वर्ग को तथा उन दर्शकों को, जो उपरिलिखित इन विशिष्ट क्षेत्रों में विस्तृत और अद्यतन सूचना रखना चाहते हैं, लाभ होता है। डिकोडरों वाले दूरदर्शन सेटों के निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाने की संभावना है। निहित अतिरिक्त मूल्य में तब पर्याप्त कमी हो जाने की उम्मीद है।

प्रत्यक्ष कृषि ऋण की वसूली

3167. **श्री शरद दिघे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्यक्ष कृषि ऋण की कितने प्रतिशत वसूली हुई;

(ख) क्या सरकार ने उन कारणों का पता लगाया है जो कृषि ऋण की वसूली को प्रभावित करते हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने का विचार है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विभिन्न प्रकार

की वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों की प्रत्यक्ष कृषि ऋण की वसूली की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

बैंकों का वर्ग	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
वाणिज्यिक बैंक				
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	52.2	53.2*	47.0	उपलब्ध नहीं
निजी क्षेत्र के बैंक	58.8	51.9*	उ० नहीं	उ० नहीं
ग्रामीण पुनर्निर्माण बैंक	उ० नहीं	52.0	50.1	उ० नहीं
पी० एल० डी० बैंक	61.8	64.0	58.8	51.2 अनन्तिम
पी० ए० सी० एस०	59.0	60.1	उ० नहीं	उ० नहीं

(सी० सी० बी० स्तर पर 58.6 प्रतिशत)

उ० न०=उपलब्ध नहीं।

* =नमूना आंकड़ों पर आधारित

(ख) कृषि ऋण की वसूली को प्रभावित करने वाले कारणों का पता लगाने के लिए विगत में अनेक अध्ययन किए गए हैं। कथित कारण इस प्रकार हैं :—

1. एच्छिक चूक।

2. प्राकृतिक आपदा।

3. ऋण देने की नीतियों और पद्धतियों में कमियां जिनमें वितरण समय से न करना, आवश्यकता से कम/अधिकथन देना, ऋण की अदायगी का अव्यवहारिक कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

4. विपणन के लिए सम्पर्क ऋण का न मिलना।

5. प्रभावकारी सुपरवीजन न होना और प्रबन्धकों की उदासीनता।

6. निष्फल निवेश।

7. भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वालों को उत्पादन ऋण उपलब्ध न होना।

8. ऋण लेने वालों को वास्तविक खपत के लिए ऋण न देना और उनका साहूकारों पर निर्भर करना।

9. ऋण को अविवेकपूर्ण ढंग से परिवर्तित/पुन: चरणीकृत/स्थगित करना।

10. ऋण को अविवेकपूर्ण ढंग से बट्टे खाते में डालना जिससे वसूली का माहौल खराब हो जाता है; और

11. वसूल न की जा सकने वाली बकाया रकम को बट्टे खाते में डालने की संस्थागत व्यवस्था का अभाव।

(ग) राज्य सरकारों/सहकारी समितियों और अन्य सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं के वसूली की स्थिति को सुधारने के लिए नियमित रूप से सलाह दी जाती रही है। अक्तूबर, 1985 में सहकारिता के प्रभारी राज्य के सचिवों और मंत्रियों के सम्मेलन में इस स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य सरकारों से एच्छिक चूक कर्ताओं का प्राथमिकता के आधार पर पता लगाने और बकाया रकमों की वसूली के लिए उनके विरुद्ध जोर जबरदस्ती वाली कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। बैंकों को भी यह सुनिश्चित करने की हिदायतें दी गई हैं कि वे चूक के मामलों की संख्या कम से कम करने और वसूली की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रभावी उपाय करें।

उड़ीसा में बागवानी का विकास

3168. श्री निरयानन्द मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बागवानी के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उड़ीसा में अब तक कितनी हैक्टेयर भूमि में आम, अमरूद, कटहल, नींबू तथा बेर के पेड़ लगाये गये हैं;

(ग) क्या और अधिक क्षेत्र में बागवानी लगाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा में बागवानी का विकास करने के लिए नारियल तथा काजू के विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में कार्यान्वित किए जाते हैं। नारियल विकास बोर्ड चार परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है अर्थात् अच्छी किस्म की नारियल की पौद का उत्पादन करने की परियोजना नहर के किनारों पर नारियल बागानों का विकास, नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार तथा प्राथमिक परिसंस्करण तथा विपणन सम्बन्धी कार्यकलापों का वर्धन इसके अतिरिक्त केला, अन्नानास, नींबू, आम, जैसे फलों, सब्जियों, कन्दों, मसालों, सुगन्धित तथा औषधीय पौधों का विकास करने सम्बन्धी कई कार्यक्रम राज्य योजना के तहत शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) आम, अमरूद, कटहल, नींबू तथा बेर के क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1982-83 के दौरान उड़ीसा में विभिन्न फलों के तहत के क्षेत्र का मोटे तौर पर 145.75 हजार हैक्टार का अनुमान लगाया गया है। इसमें से आम तथा नींबू के तहत क्रमश: 80 तथा 6.85 हजार हैक्टार क्षेत्र हैं। अमरूद, कटहल तथा बेर के तहत के क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) 1985-86 के दौरान उड़ीसा में नारियल तथा काजू सम्बन्धी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के लिए क्रमशः 6.37 लाख रुपये तथा 13.03 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। नारियल विकास बोर्ड की परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए 44.614 लाख रुपए की रकम भी मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के तहत बागवानी विकास के लिए 1633 लाख रुपए की धनराशि का प्रस्ताव किया गया है। ये अधिकांश योजनाएं बागवानी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हैं।

उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में नारियल की खेती

3169. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल की खेती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) सातवीं योजना में नारियल की खेती के विस्तार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र परम्परागत रूप से नारियल उत्पादक हैं। इन क्षेत्रों में नारियल की खेती के विस्तार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) से (घ) नारियल विकास बोर्ड ने सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में 500 हैक्टार का विस्तार करने के लिए एक स्कीम का प्रस्ताव किया है। इस स्कीम के अधीन 2 हैक्टार से अधिक भूमिधारी किसानों को 3000 रु० तक की राजसहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उड़ीसा सरकार ने इन क्षेत्रों सहित राज्य में सातवीं योजना में संकर नारियल के 4 लाख पौधे सप्लाई करने का कार्यक्रम बनाया है।

उड़ीसा में उद्यान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपण सामग्री का वितरण

3170. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उद्यान विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत अच्छी किस्म के पौधों की सामग्री का वितरण करने को अधिक महत्व दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उड़ीसा में उसके लिए 1985-86 में क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) राज्य में 48 फल उद्यान, 22 नारियल की पौधशालाएं, 12 केला सक्कर उत्पादन केन्द्र, 11 अन्नानास सक्कर उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। सातवीं योजना में रोपण सामग्रियों की बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिए 10 नये संतति उद्यान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) स्थापित किए गए पौधशालाओं तथा अन्य रोपण करने की सामग्री उत्पादन केन्द्रों को 1985-86 के दौरान कायम रखा जाएगा। सातवीं योजना के दौरान यह प्रस्ताव किया गया है कि 26 लाख नारियल के पौधे, 50 लाख नींबू के पौधे, 5 लाख केला चूषकों, 5 लाख अन्नानास चूषकों तथा अन्य बागबानी फसलों की 25 लाख रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाए।

उड़ीसा को खाद्य तेलों की सप्लाई

3171. श्री सोमनाथ रथ : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में उड़ीसा सरकार द्वारा खाद्य तेलों (आर० बी० डी० पापोलीन तथा कच्चा रेपसीड तेल) की कुल कितनी मात्रा मांगी गई थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा को उपर्युक्त प्रत्येक तेल की कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) 1983-84 और 1984-85 में उड़ीसा सरकार द्वारा आयातित खाद्य तेलों अर्थात आर० बी० डी० ताड़ के तेल, पामोलीन और परिष्कृत रेपसीड तेल की मांगी गई कुल मात्रा इस प्रकार है :

तेल वर्ष	मांग	(मी० टनों में)
(नव०-अक्तू०)	पामोलीन	परिष्कृत रेपसीड तेल
1983-84	76,800	19,200
1984-85	48,000	12,000

उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कच्चे रेपसीड तेल की मांग नहीं की गई है।

(ख) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान उड़ीसा सरकार को आवंटित की गई और उनके द्वारा उठाई गई मात्रा का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(मी० टनों में)

तेल वर्ष	आबंटन			उठाई गई मात्रा		
	पामोलीन	ताड़ का तेल	परिष्कृत रेपसीड तेल	पामोलीन	ताड़ का तेल	परिष्कृत रेपसीड तेल
83-84	8400	4600	25000	6241	690	11108
84-85	6250	1500	8650	3038	—	—

मत्स्य नौकाओं का आयात

3172. श्री सोमनाथ रथ :
श्री मुरलीधर माने :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी मत्स्य नौकाओं के बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण

भारतीय मत्स्य उद्योग को उत्पन्न खतरे की जानकारी है;

(ख) भारतीय मत्स्य नौकाओं की अप्रयुक्त क्षमता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली भारतीय मत्स्य नौकाएं भी वर्ष में 8 महीने से अधिक अवधि से अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(घ) बड़ी नौकाओं के आयात को विनियमित तथा समन्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या इस विषय पर सरकार को शिकायतें तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) क्या सरकार का मत्स्य नौकाओं के आयात, जो हमारे मछुआरों को नुकसान पहुंचा रहा है, की समीक्षा करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय मत्स्य बेड़े की वर्तमान संख्या और विदेशी मत्स्यन नौकाओं के आयात की मात्रा में इतनी नहीं है जिससे कि भारतीय मत्स्यन उद्योग को किसी प्रकार का खतरा पैदा हो सके।

(ख) और (ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के वर्ष में लम्बी अवधि तक बेकार पड़े रहने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, तटीय क्षेत्रों में कार्यरत अनेक लघु यंत्रीकृत नौकाएं खराब मौसम, रखरखाव और मत्स्यन के मौसमीय स्वरूप के कारण वर्ष में भिन्न-भिन्न अवधियों में बेकार पड़ी रहती हैं।

(घ) अन्तःमंत्रालयी मत्स्यन जलयान अधिप्रहृण समिति के माध्यम से बड़ी नौकाओं का आयात किया जाता है, जो सभी सम्बद्ध पहलुओं पर विचार करती है।

(ङ) जी हां।

(च) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

खाड़ी के देशों से भारतीय श्रमिकों का वापस आना

3173. **श्री अनादि चरण दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कितने भारतीय श्रमिक खाड़ी के देशों से वापस आए हैं; और

(ख) उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) खाड़ी के देशों से वापस आए कर्मकारों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(ख) कर्मकार सामान्यतः संविदा अवधि के पूरी होने के बाद वापस आते हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों को नया रूप देना

3174. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों को नया रूप देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :

अनेक संगठनों ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है । इन अध्ययनों में जिन प्रमुख कमियों का उल्लेख किया गया है, उनमें प्रति व्यक्ति कम निवेश जिसके फलस्वरूप लाभार्थियों को कम लाभ होता है, वित्तीय आबंटनों और वास्तविक लक्ष्यों में समानता, कुछ लाभार्थियों का गलत चयन तथा पर्याप्त पूर्वापर गठजोड़ों का अभाव शामिल है ।

इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुधारने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उनमें ये शामिल हैं :

(1) प्रति परिवार अन्य एकमुश्त सहायता समेत पहले से अधिक निवेश ताकि नए लाभार्थियों को निवेश पर उचित लाभ मिल सके ।

(2) छठी योजना के दौरान सहायता प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो अपनी ओर से बिना वजह गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके थे ।

(3) समानता की पद्धति को बदल कर निर्धनता पर आधारित चयनात्मक पद्धति को रखा गया है ।

(4) लाभार्थियों के चयन में जन-प्रतिनिधियों को और अधिक घनिष्टता से शामिल किया जाना चाहिए ।

(5) इस कार्य हेतु जिला स्तर पर संस्थाओं का चयन अथवा जिला आपूर्ति और विपणन सोसाइटियों की स्थापना करके गठजोड़ों को सुधारने का प्रयास ।

(6) इस कार्यक्रम में महिला लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक शामिल करना ।

(7) संयुक्त प्रमीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों को स्थापित करके प्रशिक्षण के प्रयासों का उपयुक्त समन्वय करने के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करना । यह भारत सरकार के विचाराधीन है और मार्गदर्शिकाएं अलग से जारी की जाएंगी ।

(8) खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर आवश्यकतानुसार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाया जाए । ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक प्रबन्धों की जांच करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति भी नियुक्त की जा चुकी है ।

(9) बैंकों की कार्य-पद्धति में सुधार, विशेष रूप से नीचे के स्तर पर।

(10) लाभार्थियों की जागरूकता का एक अच्छा वातावरण तैयार करना तथा उनका समुचित संगठन तैयार करना।

(11) ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण (ट्राइसेम) सहित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को अधिकाधिक शामिल किया जाएगा, ताकि नए प्रकार की पारिवारोन्मुख परियोजनाओं को सर्वाधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके।

(12) 36 जिलों के 72 खण्डों तथा वर्तमान 10 लाभार्थियों के समूह और उन 10 लाभार्थियों को जिनको दो वर्ष पहले सहायता मिली थी, को लेने के आधार पर प्रतिमास समवर्ती मूल्यांकन की एक नई प्रणाली शुरू की जा रही है ताकि इस कार्यक्रम की कड़ी निगरानी की जा सके।

इसके अलावा, राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अब स्वीकृत सातवीं योजना में यह व्यवस्था की गई है कि परिवारों के चयन का आधार 4800 रुपये की वार्षिक पारिवारिक आय होगी (छठी योजना में यह 3500 रुपया थी) तथा गरीबी की रेखा 6400 रुपया के आधार पर मानी जाएगी।

2. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम :

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से प्रारम्भ किया गया था और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में सामाजिक वानिकी के कार्यों पर पहले से ज्यादा जोर दिया गया है और इसके लिए 20 प्रतिशत संसाधन निर्धारित किए गए ताकि समुदाय के सदस्यों, खासतौर से निर्धनों को इसके भोगाधिकार के रूप में लाभ मिल सके। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सीधे लाभ पहुंचाने वाले कार्यों के के लिए 10 प्रतिशत निधियां और निर्धारित की जाएंगी। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण मकानों के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा जिसका उद्देश्य सातवीं योजना के दौरान एक मिलियन मकानों का निर्माण करना होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के चालू वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण की एक योजना पहले से ही लागू की जा रही है। इसके अलावा, ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए वर्ष 1985-86 हेतु अतिरिक्त संसाधन के रूप में 5,00,000 मीटरी टन गेहूं की व्यवस्था भी की गई है। यह भी प्रस्ताव है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार का और विस्तार करने के लिए 50 प्रतिशत मजदूरी के रूप में देने के लिए 1986-87 के दौरान एक मिलियन टन खाद्यान्न वितरित किया जाए।

निधियों के आबंटन के मानदण्ड के अनुसार राज्य/संघ शासित क्षेत्र में 75 प्रतिशत महत्व खेतिहर मजदूरों और सीमान्त किसानों को तथा 25 प्रतिशत महत्व निर्धनता को दिया जाता है, जिसे अब बदल दिया गया है और दोनों बातों को समान महत्व दिया जाएगा।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना का अंग है और मौके के अनुभवों के आधार पर इसकी कार्यक्रम-मार्गदर्शिकाओं में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। सातवीं

योजना में यह निर्णय लिया गया है कि पारिस्थितिक सन्तुलन बनाए रखने में सामाजिक वानिकी की भूमिका को देखते हुए और ग्रामीण समुदायों, खास तौर से ग्रामीण निर्धनों को लाभ पहुंचाने के साधन के रूप में सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित निधियों के प्रतिशत को 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए। संसाधनों के आबंटन के वर्तमान मानदण्ड में 75 प्रतिशत महत्व सीमान्त कृषकों और खेतिहर मजदूरों को तथा 25 प्रतिशत महत्व निर्धनता को दिया जाता है जिसे बदल कर दोनों बातों को समान महत्व दिये जाने का भी प्रस्ताव है। इसी प्रकार, चालू वर्ष के दौरान, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अतिरिक्त गेहूं इस आशय के साथ आबंटित किया गया है कि कम से कम 40 प्रतिशत मजदूरी खाद्यान्नों के रूप में अवश्य दी जाए। अगले वर्ष के लिए यह प्रस्ताव है कि अतिरिक्त खाद्यान्न इस आशय से दिया जाए कि कम से कम 50 प्रतिशत मजदूरी खाद्यान्नों के रूप में दी जाए।

प्रचार माध्यमों का समन्वय

3175. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पत्र सूचना कार्यालय, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्र प्रचार निदेशालय और गीत और नाटक प्रभाग द्वारा किये गये प्रचार का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) यदि हां, तो व्यावहारिक रूप में इसका कितना पालन किया जा रहा है; और

(ग) इन यूनिटों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जबकि सभी माध्यम एकक राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और जन संचार के कार्य में लगी अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ निकट सम्पर्क रखते हैं, प्रत्येक माध्यम एकक विशिष्ट भूमिका अदा करता है। यह मंत्रालय कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पिछड़े वर्गों का उत्थापन, छुआछूत उन्मूलन, राष्ट्रीय अखण्डता और साम्प्रदायिक सामंजस्य जैसे कुछ बहु-माध्यम अभियानों के बारे में उनके कार्यक्रमों का समन्वय करता है। माध्यम एककों के प्रमुख नियमित रूप से सचिव (सूचना और प्रसारण) से मिलते हैं और उस समय अभियानों की प्रगति, नए विषयों तथा माध्यम एककों के बीच तथा राज्य सरकारों और अन्य सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय के बारे में बातचीत होती है।

1984-85 में दालों का उत्पादन

3176. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान दलहनों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत में 1984-85 के दौरान दालों का कुल उत्पादन 12.20 लाख मीटरी टन था।

(ख) सरकार दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए संतत् प्रयास करती रही है। दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रतिपादित कार्यनीति के मुख्य अंग इस प्रकार हैं—(1) सिंचित क्षेत्रों में दालें उगाना शुरू करना; (2) जहां कहीं सिंचाई की सुविधाएं सुलभ हैं, वहां पर रबी-मौसम में मूंग और उड़द की कम समय में पकने वाली किस्मों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाना; (3) अन्य फसलों के साथ दालों को बीच की फसल के रूप में उगाना; (4) उन्नत बीजों का वर्धन और उपयोग; (5) पौध संरक्षण उपाय अपनाना; (6) फास्फेटयुक्त उर्वरकों तथा राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल; (7) नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रचार और (8) मूल्य-समर्थन उपाय। इसके अलावा, खेती की विभिन्न पद्धतियों के लिए उपयुक्त दालों की कम समय में पकने वाली ऊंची पैदावार देने वाली फोटो-इनसेंसिटिव कृमि-रोधी किस्मों के विकास के लिए विभिन्न फसलों पर अनुसंधान कार्यों को तेज किया जाता है।

खाद्यान्न भंडारण क्षमता के लिए विश्व बैंक की सहायता

3177. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता की स्थापना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है; और

(ग) कितनी अतिरिक्त भण्डारण क्षमता स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 373.85 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की खाद्यान्न भण्डारण परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है। इस परियोजना में 52.9 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। विश्व बैंक की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन विकास एजेंसियां

3178. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी मत्स्य पालन विकास एजेंसियां (फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी) स्थापित की गई हैं;

(ख) उक्त एजेन्सियों द्वारा मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन कार्यवाहियों के क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मध्य प्रदेश के 9 जिलों में मत्स्य पालन विकास एजेन्सियां स्थापित की गई हैं।

(ख) मछलियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन एजेन्सियों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:—

(1) ये एजेन्सियां इन जल निकायों में मछली पालन शुरू करने के लिए प्रशिक्षित मत्स्य पालकों की सरकारी जल निकायों की दीर्घकालीन पट्टे की व्यवस्था करती हैं।

(2) ये एजेन्सियां संस्थागत वित्त के माध्यम से तालाब विकास तथा मत्स्य आहार, बीज तथा उर्वरक और ऋण जैसे प्रथम वर्ष के आदान के लिए राज-सहायता के रूप में मछली पालकों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करती है।

(3) ये एजेन्सियां चुनींदा मछली पालकों की मछली पालन की आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करती हैं।

(4) विस्तार समर्थन तथा मार्गदर्शन के रूप में अन्य आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना।

(ग) इन एजेन्सिमों ने मध्य प्रदेश में गहन मछली पालन के तहत अब तक 22048 हैक्टार जल क्षेत्र कवर किया है और जुलाई, 1985 तक 7932 मछली पालकों को प्रशिक्षण दिया है। इसके अतिरिक्त, भाग लेने वाले बैंकों द्वारा जुलाई, 1985 तक 168.97 लाख रुपए की धनराशि मन्जूर की गई और इन मत्स्य पालक विकास एजेन्सियों द्वारा 39.6 लाख रुपए की राजसहायता की रकम निर्मुक्त की गई।

[हिन्दी]

पश्चिमपुरी, नई दिल्ली में स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत 356 फ्लैटों का निर्माण

3179. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, 1½ वर्ष के भीतर (1986 के अन्त तक) पश्चिमपुरी, पाकेट 3, नई दिल्ली-63 में खाली पड़ी भूमि पर स्वयं वित्त योजना के अन्तर्गत 356 फ्लैट निर्माण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में स्थित बुद्ध बिहार और अन्य प्लाटों, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1982 में लाइसेंस फीस आधार पर आबंटित किए थे, का भविष्य क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, हां। तथापि उनके 1½ वर्ष में पूर्ण होने की कोई शर्त नहीं है।

(ख) मिट्टी की जांच कर दी गई है तथा स्थूण के नमूने (जांच) जांचाधीन हैं। तथापि, नींव के ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के पश्चात यह कार्य आरम्भ किया जाएगा।

(ग) इस पाकेट में बुद्ध विहार के अनधिकृत कब्जे में भूमि का एक टुकड़ा है तथा 125 वर्ग गज का एक प्लाट कोल डिपो के लिए अस्थायी तौर पर लाइसेंस फीस पर दिया गया है। उनका अन्यत्र स्थानान्तरण उपर्युक्त भाग (क) में बताई गई योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित है।

[अनुवाद]

"सिंगल विंडो सर्विस स्कीम" पर समिति की रिपोर्ट

3180. श्री सी० सम्बु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के कृषक समुदाय के लाभ के लिए "सिंगल विन्डो सर्विस स्कीम" पर अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्ताव को मन्जूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी, हां। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में अल्पकालीन और और दीर्घकालीन सहकारी ऋण संरचनाओं के एकीकरण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अगस्त, 1985 में एक समिति का गठन किया है।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्वयं वित्त योजना के अधीन मोतिया खान के फ्लैटों का आबंटन

3181. श्री चिन्तामणि जेना : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वयं वित्त योजना के अधीन मोतिया खान के आबंटियों ने फ्लैटों की 90 प्रतिशत कीमत जमा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो फ्लैटों का निश्चित आबंटन न करने तथा कब्जा न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार पहले जमा की गई राशि के लिए आबंटियों को मुआवजा देने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) श्रेणी-II फ्लैटों के आबंटियों को फ्लैटों की अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत का भुगतान 3-3-84 तथा 10-10-84 तक करना था। श्रेणी-III फ्लैटों के आबंटियों से दूसरी, तीसरी तथा चौथी किश्तों की वसूली आस्थगित कर दी गई है।

(ख) विशेष नम्बरों के लिए ड्रा केवल तभी निकाला जाएगा जब ये फ्लैट तैयार हो जाएंगे और दखल योग्य हो जाएंगे। श्रेणी-II के मार्च, 1986 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है। यह विलम्ब ठेकेदार की ओर से है जिसने कि न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। श्रेणी-III के फ्लैटों का निर्माण विभिन्न दबावों के कारण आरम्भ नहीं किया जा सका है।

(ग) आबंटियों को पंजीकरण जमा पर आबंटन की तारीख से 30 माह की अवधि के बाद

7 प्रतिशत तथा आबंटन की तारीख से 36 माह की अवधि के बाद 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।

केरल में केन्द्रीय मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी संस्थान के अन्तर्गत संस्थान

3182. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में केन्द्रीय मत्स्यपालन प्रौद्योगिकी संस्थान के अन्तर्गत कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इन संस्थानों का कार्य मत्स्य प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अनुसन्धान तक सीमित हैं अथवा क्या ये मछली की खेती करने जैसे अन्य कार्य भी करते हैं;

(ग) क्या इन संस्थानों ने गत पांच वर्षों के दौरान मछली संरक्षण/पालन के लिए कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल में कोचीन तथा कालीकट में केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहा है।

(ख) केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान की गतिविधियां मात्स्यिकी तथा मछली प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में अनुसन्धान तक सीमित है।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान ने स्क्विड और जैली मछली के निर्जलीकरण प्रक्रिया से सम्बन्धित नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। इन प्रौद्योगिकियों का विकास इसलिए किया गया है ताकि इन मछलियों को निर्यात के लिए अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सके और धातु के डिब्बों के स्थान पर उपयुक्त थैलियों में लम्बी अवधि तक संरक्षित किया जा सके तथा कैलशियम प्रीपियानेट के इस्तेमाल द्वारा अभिसाधित मछली का संरक्षण किया जा सके।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसन्धान संस्थान द्वारा 'मसल शैल' का अनुरक्षण और संवर्धन

3183. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसन्धान संस्थान, केरल (सेन्ट्रल मैरन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट) द्वारा मुख्य रूप से केरल के मालाबार तट पर पाई जाने वाली "मसल शैल" मछली के अनुरक्षण और संवर्धन के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसन्धान संस्थान "मसल शैल" मछली के अनुरक्षण में नहीं लगा है। केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसन्धान संस्थान मुख्य रूप से केरल के मालबार तट पर पाई जाने वाली "मसल शैल" मछली के संवर्धन के लिए केवल परीक्षण में लगा है।

(ख) कालीकुट में खुले समुद्र की मसल शैल मछली के पालन के लिए केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसन्धान संस्थान ने प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। राफ्ट कल्चर के अधीन ग्रीन मसल (पेरना विरडिस) है। नवम्बर से अप्रैल तक मोसमी मसल तकनीकी रूप से उपयुक्त पाई गई है। राफ्ट कल्चर में प्रायोगिक कल्चर के अन्तर्गत संस्थान द्वारा प्राप्त की गई उत्पादन दर प्रति मौसम बीज रस्सी के प्रति मीटर लम्बाई में सम्पूर्ण मसल का 12 से 15 कि० ग्रा० है।

मत्स्यपालन विकास के लिए केरल को सहायता

3184. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान मत्स्यकी विकास के लिए केरल राज्य को सहायता धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो दी गई राशि का ब्यौरा क्या है और किस प्रयोजन के लिए धनराशि दी गई है;

(ग) क्या केरल में मत्स्यकी विकास के लिए किसी विदेशी प्रौद्योगिकी और/अथवा विदेशी धन का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के दौरान दी गई धनराशि का ब्यौरा तथा जिस प्रयोजन के लिए धनराशि दी गई है, नीचे दिया गया है :—

(1)	मछुआरों का तकनीकी सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण	1.200
(2)	मछली पालन का विकास मछुवा विकास एजेंसियां	2.705
(3)	खारे पानी में मछली पालन का विकास	7.000
(4)	राष्ट्रीय डिम्पोना कार्यक्रम	10.000
(5)	छोटे पत्तनों पर मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए ठहरने तथा माल उतारने की सुविधायें	62.500
(6)	जापानी अनुदान सहायता के तहत जाल बनाने वाली छः मशीनों का आयात	52.000

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल उत्पादन

3185. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 में भारत में नारियल (कच्ची गिरी) का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) विभिन्न राज्यों में कितने नारियलों का उत्पादन हुआ और वह कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है; और

(ग) कोचीन, कालीकट, एलेप्पी, तंजौर, तिपतुर, बम्बई, दिल्ली तथा कलकत्ता के बाजारों में न्यूनतम, अधिकतम तथा औसत मूल्य कितना था ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान भारत में नारियल (कच्ची गिरी के रूप में) का कुल उत्पादन क्रमश: 63561 और 58710 लाख गिरी था। वर्ष 1984-85 के लिए इसी प्रकार की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) विभिन्न राज्यों में नारियल का उत्पादन तथा अखिल-भारत में इसका शेयर निम्नवत् है :—

राज्य	उत्पादन (गिरी दस लाख में)	कुल प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	192.4	3.3
कर्नाटक	966 5	16.5
केरल	2694.7	45.9
उड़ीसा	97.9	1.7
तमिलनाडु	1402.2	23.9
पश्चिम बंगाल	167.7	2.9
गोवा, दमन तथा दीप	106.0	1.8
अन्य*	243.0	4.0
अखिल-भारत	5871.0	100.0

*इसमें असम, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्य द्वीप तथा पांडिचेरी शामिल हैं।

(ग) 1985 के दौरान एलेप्पी, कोचीन, कलकत्ता, तिमतुर के बाजारों के सम्बन्ध में नारियल का मूल्य रेंज नीचे दिया गया है। अन्य बाजारों के सम्बन्ध में इस प्रकार की जानकारी की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

बाजार	नारियल का मूल्य (रुपए/प्रति हजार गिरी)		
	अधिक	कम	औसत
एलेप्पी	2850	1200	1795
कोचीन	2900	1[illegible]50	1804
कलकत्ता	3000	2300	2673
तिपतुर	2633	800	1393
कालीकट	2925	950	1475

वर्ष 1979-80 से 1980-82 के दौरान कृषि के अन्तर्गत क्षेत्र

3186. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कुल कितने क्षेत्र में (राज्य-वार) बुवाई की गई;

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में विभिन्न राज्यों में (राज्य-वार) कितने क्षेत्र में सिंचाई की गई; और

(ग) उक्त तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में बुवाई किए गए कुल क्षेत्र की तुलना में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर सिंचाई की गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) 1979 80, 1980-81 तथा 1981-82 के लिए विभिन्न राज्यों में बोए गए निवल क्षेत्र की तुलना में बोया गया निवल क्षेत्र, निवल सिंचित क्षेत्र और निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

("000 हैक्टार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1979-80			1980-81			1981-82		
	निवल सिंचित क्षेत्र	निवल बोया गया क्षेत्र	निवल बोए गए क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता	निवल सिंचित क्षेत्र	निवल बोया गया क्षेत्र	निवल बोए गए क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता	निवल सिंचित क्षेत्र	निवल बोया गया क्षेत्र	निवल बोये गए क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आन्ध्र प्रदेश	3225	10533	30.6	3462	10738	32.2	3692	11325	32.6
असम	572	2655	21.5	572	2696	21.2	572	2696	21.2
बिहार	2772	7901	35.1	2953	8315	35.5	3001	7861	38.2
गुजरात	1932	9572	20.2	2003	9576	20.9	2155	9678	22.3
हरियाणा	2174	3557	61.1	2134	3602	59-2	2248	3660	61.4
हिमाचल प्रदेश	90	572	15.7	92	572	16.1	92	573	16.4
जम्मू और कश्मीर	301	716	42.0	304	715	42.5	307	716	42.9
कर्नाटक	1387	10331	13.4	1361	9899	13.7	1471	10391	14.2
केरल	230	2195	10.5	238	2180	10.9	240	2170	11.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	2139	18400	11.6	2332	18702	12.5	2421	18841	12.8
महाराष्ट्र	1927	18274	10.5	1927	18299	10.5	1927	18314	10.5
मणिपुर	65	140	46.4	65	140	46.4	65	140	46.4
मेघालय	48	193	24.9	49	193	25.4	50	193	25.9
नागालैंड	56	154	36.4	59	148	39.9	62	153	40.5
उड़ीसा	1181	5970	19.8	1215	6130	19.8	1215	6130	19.8
पंजाब	3523	4182	84.2	3382	4191	80.7	3408	4210	81.0
राजस्थान	3308	14207	23.3	2983	15268	19.5	2903	15577	18.6
सिक्किम	10	86	11.6	10	86	11.6	11	86	12.8
तमिलनाडु	2984	6232	47.9	2570	5360	47.9	2709	5740	47.2
त्रिपुरा	29	246	11.8	29	246	11.8	29	246	11.8
उत्तर प्रदेश	8912	16997	52.4	9453	17221	54.9	9541	17288	55 2
पश्चिम बंगाल	1489	5440	27.4	1489	5565	26.8	1489	5565	26.8
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	32	—	—	33	—	—	33	—
अरुणाचल प्रदेश	424	112	21.4	24	112	21.4	24	112	21.4
चण्डीगढ़	—	—	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं	3	—
दादर तथा नागर हवेली	1	20	5.0	1	23	4.3	1	23	4.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
दिल्ली	53	54	98.1	53	58	91.4	49	56	87.5
गोवा, दमन तथा द्वीव	12	134	9.0	12	133	9.0	13	132	9.8
लक्षद्वीप	—	3	—	—	3	—	—	3	—
मिजोरम	8	77	10.4	8	65	12.3	8	65	12.3
पांडिचेरी	26	30	86.7	26	30	86.7	26	30	86.7
अखिल भारत	38478	139015	27.7	38806	140299	27.7	39729	142002	28.0

—वर्ष 1981-82 के लिए आंकड़ों के उपलब्ध न होने की वजह से नवीनतम उपलब्ध जानकारी का प्रयोग किया गया है।

उ० न०=उपलब्ध नहीं।]

खेती के अंतर्गत मुख्य अनाज और नगदी फसलें

3187. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में भारत में राज्य और संघ शासित प्रदेश-वार कौन-सी मुख्य अनाज और नगदी फसलों की खेती की गई;

(ख) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में ऐसी फसलों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में ऐसी फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार क्या थी; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय पैदावार की तुलना में ऐसी फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत के विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उगाई जा रही मुख्य फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चना, मूंगफली, गन्ना, कपास तम्बाकू, आलू, पटसन तथा मेस्ता हैं। 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 वर्षों के लिए भारत में इन फसलों के तहत क्षेत्र और प्रति हैक्टार उत्पादन को दर्शाने वाला एक विवरण-1 संलग्न है। "1981-84 भारत में मुख्य फसलों का क्षेत्र उत्पादन" नामक प्रकाशन में राज्यवार-ब्यौरे प्रकाशित हो चुके हैं, जिसकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) 1979-81 वर्षों के लिए विश्व के चुनिंदा देशों में मुख्य फसलों की प्रति हैक्टेय(औसत उपज को प्रदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

भारत में प्रमुख फसलों का क्षेत्र, उत्पादन तथा पैदावार का अनुमान

ए—क्षेत्र दस लाख हैक्टार
पी—उत्पादन दस लाख मीटरी टन/गांठें
वाई—उपज प्रति हैक्टार कि० ग्रा० में

फसल		1979-80	1980-81	1981-82
1	2	3	4	5
चावल	ए	39.42	40.15	40.71
	पी	42.33	53.63	53 25
	वाई	1074	1336	1308
		(1610)	(2000)	(1962)
ज्वार	ए	16.68	15.81	16.60
	पी	11.65	10.43	12.06
	वाई	699	660	727

1	2	3	4	5
बाजरा	ए	10.58	11.66	11.78
	पी	3.95	5.34	5.54
	वाई	375	458	470
मक्का	ए	5.72	6.00	5.94
	पी	5.60	6.96	6.90
	वाई	979	1159	1162
गेहूं	ए	22.17	22.28	22.14
	पी	31.83	36.31	37.45
	वाई	1436	1630	1691
मूंगफली	ए	7.17	6.80	7.43
	पी	5.77	5.01	7.22
	वाई	805	736	972
तोरिया तथा सरसों	ए	3.47	4.11	4.40
	पी	1.43	2.30	2.38
	वाई	411	560	541
गन्ना	ए	2.61	2.67	3.19
	पी	128.83	154.25	186.36
	वाई	49358	57844	58359
आलू	ए	0.69	0.73	0.76
	पी	8.33	9.67	9.91
	वाई	12152	13256	12996
तम्बाकू	ए	0.43	0.45	0.44
	पी	0.44	0.48	0.52
	वाई	1031	1065	1172
कपास*	ए	8.13	7.82	8.06
	पी	7.65	7.01	7.88
	वाई	160	152	166
		(480)	(459)	(503)

1	2	3	4	5
पटसन**	ए	0.83	0.94	0.83
	पी	6.07	6.51	6.79
	वाई	1310	1245	1480
मेस्ता***	ए	0.38	0.36	0.32
	पी	1.89	1.65	1.58
	वाई	888	828	880

*गन्ने के रूप में

**170 कि० ग्रा० की प्रत्येक गांठ

***180 कि० ग्रा० की प्रत्येक गांठ

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े धान के रूप में प्रति हैक्टार चावल की प्रति हैक्टार पैदावार को दर्शाते हैं और कपास के रूप में रुई (काटन) दिया गया है।

विवरण-2

उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों में कतिपय फसलों की प्रति हैक्टार उपज

(कि० ग्रा०)

देश	1979	1980	1981
1	2	3	4
		चावल (धान)	
बांगला देश	1929	2020	1980
चीन	4248	4200	4237
इंडोनेशिया	2985	3301	3665
जापान	5986	5128	5629
थाईलैंड	1822	1899	2079
भारत	1610	2000	1962
		गेहूं	
आस्ट्रेलिया	1451	963	1362
कनाडा	1638	1726	2005
ब्रिटेन	5229	5878	5677

1	2	3	4
अमेरिका	2298	2249	2321
रूस	1564	1597	1486
चीन	2137	1878	1952
पाकिस्तान	1488	1563	1640
भारत	1436	1630	1691
		मूंगफली	
सेनेगल	632	463	900
चीन	1366	1503	1431
अमेरिका	2927	1849	2974
भारत	805	736	972
		गन्ना	
ब्राजील	54750	56069	54888
क्यूबा	58890	45843	47857
अमेरिका	81173	82497	88802
चीन	49720	49019	47143
पाकिस्तान	36313	38271	39238
भारत	49358	57844	58359
		आलू	
अमेरिका	30220	29405	30368
ब्रिटेन	31867	34476	31862
रूस	13050	9663	10505
पोलैंड	20311	11260	18869
जापान	27031	27723	25896
चीन	9986	9996	9996
ब्राजील	10554	10745	11175
भारत	12152	13256	12996
		तम्बाकू	
ब्राजील	1293	1311	1264

1	2	3	4
चीन	1500	1382	1387
अमेरिका	2068	2175	2377
रूस	1771	1710	1796
भारत	1034	1065	1172
	कपास		
मिस्र	2554	2678	2768
अमेरिका	1623	1211	1627
ब्राजील	848	865	928
चीन	1467	1651	1698
पाकिस्तान	1050	1017	1041
रूस	2964	3166	3057
भारत	480	459	503
	पटसन—पटसन की तरह के रेशे		
बांग्ला देश	1425	1408	1639
चीन	2962	3722	3630
थाईलैंड	1103	1118	969
भारत (पटसन तथा मेस्ता के लिए)	1177	1130	1311

स्रोत : खाद्य तथा कृषि संगठन उत्पादन शब्द-कोष 1981 (खण्ड 35)

टिप्पणी : भारत के मामले में 1979 के अन्तर्गत आंकड़े 1979-80 और इसके बाद से सम्बन्धित हैं।

समाचार एजेन्सियों में कार्य करने वाले अंशकालीन संवाददाताओं के लिए पालेकर पंचाट

3188. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालेकर पंचाट समाचार एजेन्सियों में कार्य करने वाले अंशकालीन संवाददाताओं पर भी लागू होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार पालेकर पंचाट के अनुसार अंशकालीन संवाददाताओं को मंजूरी देने के लिए प्रबन्धकों को आदेश देने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) जी, हां, पालेकर अधिकरणों की सिफारिशें अंशकालिक संवाददाताओं को भी लागू होती हैं। पालेकर पंचाट को लागू करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।

डी० सी० एम० कैमिकल्स द्वारा वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

3189. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 नवम्बर, 1985 को वनस्पति के मूल्यों में की गई वृद्धि उत्पादकों को आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण से है;

(ख) यदि हां, तो डी० सी० एम० केमिकल्स द्वारा अपने पास पड़े पुराने भण्डारों के मूल्यों में पर्ची से वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पनघट वनस्पति के 15 किलोग्राम के टीन पर कोई मूल्य की कोई पर्ची नहीं लगाई जाती है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) 14, 15, 16, 17, 18 तथा 19 नवम्बर, 1985 को दिल्ली/नई दिल्ली में पनघट तथा छोटे पैकों (पैकवार) की कितनी मात्रा जारी की गई थी तथा बढ़े हुए मूल्यों पर आयातित खाद्य तेल उन्हें किस तारीख को तथा कितनी मात्रा में मिला था ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य में 15 नवम्बर, 1985 से वृद्धि किये जाने के परिणामस्वरूप वनस्पति घी के मूल्यों में वृद्धि की गई।

(ख) से (घ) विपणन व्यवहार में, मूल्यों की घोषणा की तारीख से लागू मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी किये जाने की बात शामिल रहती है। बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत, प्रत्येक पैकेज, जिसमें पनघट का 15 कि० ग्रा० का टिन भी शामिल है, पर सुरक्षित ढंग से एक लेबिल लगा होता है, जिसमें पैकेज का विक्रय मूल्य दिया रहता है। इन नियमों का पालन किया जा रहा है।

(ङ) दिल्ली/नई दिल्ली में 14 से 19 नवम्बर तक निर्मुक्त किए गये पनघट तथा छोटे पैकों की मात्रा तथा डी० सी० एम० कैमिकल्स द्वारा बढ़ी दरों पर प्राप्त की गई आयातित तेल की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मास : नवम्बर, 1985 मात्रक : मीटरी टन

	14	12	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7
थोक पैक						
15 किलोग्राम	49	67	76	58	81	95

1	2	3	4	5	6	7
10 किलोग्राम	4	—	—	—	5	2
छोटे पैक						
5 किलोग्राम	5	—	3	10	16	11
2 किलोग्राम	2	—	—	6	7	6
1 किलोग्राम	25	—	—	9	31	57
योग :	85	67	79	83	140	161
आयातित तेल की प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	140	206	148

टिप्पणी : सभी आंकड़ों को निकटतम मीटरी टन के रूप में पूर्ण कर दिया गया है।

दिल्ली में पनघट वनस्पति घी की बिक्री के लिए लाइसेंस

3190. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री दिल्ली में पनघट वनस्पति घी की बिक्री के लिए लाइसेंस के बारे में 12 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3193 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंसिंग और नियंत्रण) आदेश 1977 के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यापारी को जिसके पास खाद्य तेलों का 5 क्विंटल से अधिक स्टाक नहीं है, लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस दिखाए बिना दिल्ली में डी० सी० एम० स्टाकिस्टों द्वारा डीलरों को 15 किलो पनघट के टीन देने से इंकार करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपभोक्ताओं को भी 15 किलो पनघट टीन नहीं बेचा जाता और उन्हें रथ के छोटे पैकेट जिसकी कीमत पनघट की तुलना में अधिक है; खरीदने पर मजबूर किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो वास्तविक स्थिति क्या है और 15 किलो पनघट टीन और रथ के छोटे पैकेट की उपलब्धता के लिए उचित अनुपात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) पनघट घी की 15 कि० ग्रा० के टिनों में सप्लाई विनियमित करने के लिए, दिल्ली प्रशासन ने थोक विक्रेताओं द्वारा इस पैक की सप्लाई लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेताओं को करने के लिए आदेश जारी किये हैं, जो वनस्पति घी की प्राप्ति और उसकी बिक्री का उचित हिसाब रखते हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन के अनुसार जमाखोरी के कदाचार को रोकने के लिए, थोक विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को 15 किलोग्राम के टिन की बिक्री करना 12.4.1984 से बन्द कर दिया गया है। तथापि, लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेता उपभोक्ता को राशन कार्ड प्रस्तुत करने पर एक

बार में 5 कि० ग्रा० तक खुला वनस्पति घी बेच सकते हैं। लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेताओं को, राशन कार्ड प्रस्तुत किये बगैर 2 कि० ग्रा० तक खुला घी बेचने की भी छूट है। खाद्य कार्डधारी को प्रति माह 10 कि० ग्रा० तक पनघट घी उचित दर की दुकानों के माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता, लड़की की शादी के लिए 5 टिन, लड़के की शादी के लिए 4 टिन और अन्य समारोहों के लिए 2 टिन भी प्राप्त कर सकता है। छोटे और बड़े पैकों के उत्पादन को इस तरह से विनियमित किया गया है, जिससे कि वह तेल वर्ष 1981-82 के दौरान तैयार किये गये छोटे पैकों के 90% के स्तर से अधिक न होने पायें।

वनस्पति उत्पादकों को लाभ

3191. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किए गए खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि होने से वनस्पति के उत्पादकों को फायदा हुआ है क्योंकि उन्होंने इसकी आड़ में पहले से बना वनस्पति बढ़ी हुई कीमत पर बेचा;

(ख) यदि हां, तो 15 नवम्बर, 1985 से एकदम पहले इन एककों को खाद्य तेलों का कितना स्टाक जारी किया गया और इससे कितना वनस्पति बनने का अनुमान था। 14 नवम्बर, 1985 तक इसमें से कितना बेचा गया और क्या पिछले स्टाक में से घी की कुछ अधिक मात्रा बचनी चाहिए थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभा पटल पर उत्पाद-वार ब्यौरा रखा जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

त्रिपुरा को उर्वरकों का आबंटन

3192. **श्री अजय विश्वास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान त्रिपुरा को खरीफ और रबी के मौसम के लिए उर्वरकों का कुल कितना आबंटन किया गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान त्रिपुरा को वास्तव में कितनी मात्रा में उर्वरक भेजा गया; और

(ग) त्रिपुरा को आबंटित उर्वरकों को पूरी मात्रा न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्ष 1982 से 1984 तक के दौरान त्रिपुरा में उर्वरकों का कुल आबंटन, उपलब्धता तथा वास्तविक खपत नीचे दी गई है :—

(हजार मीटरी टन एन पी के)

वर्ष	मौसम	आबंटन	कुल उपलब्धता	वास्तविक खपत
1	2	3	4	5
1982	खरीफ	2.85	2.56	1.40
	रबी	1.78	1.38	1.15

1	2	3	4	5
	कुल	4.63	3.94	2.55
1983	खरीफ	2.76	2.22	1.39
	रबी	2.85	3.78	1.93
	कुल	5.61	6.00	3.32
1984	खरीफ	1.68	2.41	1.08
	रबी	1.70	3.09	2.02
	कुल	3.38	5.50	3.10

(ग) वर्ष 1982 से 1984 तक के दौरान त्रिपुरा में उर्वरक की उपलब्धता राज्य की वास्तविक खपत से अधिक थी।

[हिन्दी]

खान श्रमिकों का डाक्टरी मुआयना

3193. श्री सरफराज अहमद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर 1985 के 'जनसत्ता' में "खान मजदूर के डाक्टरी मुआयने का निर्देश" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने श्रमिकों की डाक्टरी जांच की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में समय-समय पर सभी खान श्रमिकों की डाक्टरी जांच कराने के प्रबंध करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रबंध कब तक किये जाने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित स्टोन क्रशरों के 231 श्रमिकों की चिकित्सीय जांच अपने प्रमाणिक सर्जन द्वारा कराये जाने की व्यवस्था की थी।

(ग) और (घ) खान नियमों में यह व्यवस्था है कि भूमिगत खानों में नियोजित श्रमिकों की प्रारम्भिक और समय-समय पर चिकित्सीय जांच की जाए। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में स्थित स्टोन-क्रशरों के श्रमिकों के इलाज का प्रबंध कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

दरियागंज, दिल्ली से गंदी बस्ती वालों को स्थानांतरित करना

3194. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3867, इमली महल गली हास्पीटल वाली, दरियागंज, दिल्ली-6 के गंदी बस्ती वालों का दिल्ली में किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसे किस क्षेत्र में स्थानांतरित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पिछले साल किए गए सर्वेक्षण के अनुसार सम्पत्ति सं० 3867/XI में 42 परिवार रह रहे पाये गए थे क्योंकि सम्पत्ति मानव निवास हेतु आयोग्य घोषित की जा चुकी है, लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों को बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत लाइसेन्सियों/कब्जेदारों को उनके लाइसेंस रद्द करने के बाद "कारण बताओ नोटिस" जारी कर दिये गए हैं। वर्तमान नीति के अनुसार पात्र कब्जेदारों/लाइसेन्सियों को वैकल्पिक वास आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। इस स्तर पर कोई निश्चित क्षेत्र नहीं बताया जा सकता है।

दिल्ली दुग्ध योजना को दूध की सप्लाई

3195. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध-योजना को गाय का दूध बीकानेर-क्षेत्र के लुकारनसार, कोलायत, नोरवा, बीकानेर, तायल, और सूरतगढ़ तहसीलों से सप्लाई किया जाता है, और यदि हां, तो इस प्रकार कितना दूध सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या उक्त क्षेत्रों में सूखे की परिस्थितियां बनी हुई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में कुल कितनी गायें हैं; और

(घ) क्या सूखे से प्रभावित गायों के लिए सूरतगढ़ स्थित सेन्ट्रल स्टेट फार्म में हरा चारा (भारसिन) बोया गया है और यदि हां, तो यह चारा कितनी एकड़ जमीन में बोया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्रीयोगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली दुग्ध योजना राजस्थान सहकारी डेरी संघ के बीकानेर यूनिट से गाय का दूध और राजस्थान सहकारी डेरी संघ की अन्य यूनिटों से गाय का दूध तथा मिश्रित दूध दोनों प्राप्त करती है। दिल्ली दुग्ध योजना को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या बीकानेर यूनिट, प्रश्न में उल्लिखित तहसीलों से दूध एकत्र कर रही है। 1984-85 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा राजस्थान सहकारी डेरी संघ के बीकानेर यूनिट से प्राप्त की गई गाय की दूध की मात्रा 2,02,66,613 किलोग्राम है।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा भेजे गए तारीख 18.10.1985 के ज्ञापन में सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता मांगते हुए बीकानेर डिवीजन में चुरू, बीकानेर तथा गंगानगर जिलों का अभाव परिस्थितियों से प्रभावित बताया गया था। इन जिलों में सूखे की परिस्थितियों की मात्रा निम्नवत् थी :—

	बीकानेर	चुरू	गंगानगर
1	2	3	4
1. तहसीलों की सं०	4	7	12
2. प्रभावित तहसीलों की सं०	4	7	4

1	2	3	4
3. गांवों की कुल सं०	695	976	4545
4. प्रभावित गांव	678	843	145
5. प्रभावित जनसंख्या	8.41 लाख	10.67 लाख	1.25 लाख
6. प्रभावित क्षेत्र लाख हैक्टार में	6.70	5.98	1.12

(ग) राजस्थान से प्राप्त 13वीं पशुधन संगणना, 1982 के अंतिम परिणामों के अनुसार बीकानेर जिले में पशुओं को संख्या 4,55,736 है।

(घ) बरसीम (हरा चारा) यदि अक्तूबर के बाद बोया जाता है तो अच्छी उपज नहीं देता है। राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से राजस्थान की जरूरत को पूरा करने के लिए यदि सम्भव हुआ तो अन्य उपयुक्त हरा चारा बोया जाएगा।

नगरपालिका क्षेत्रों अथवा टाउनशिपों के विकास के लिए "हुडको" द्वारा ऋण

3196. **श्री अमल दत्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" ने क्षेत्र विकास टाउनशिप विकास के लिए ऋण दिया है/ऋण दे रहा है; अब तक दिये गये ऋणों का राज्य-वार तथा परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नगरपालिका क्षेत्रों अथवा टाउनशिपों के विकास के लिए किन स्रोतों से ऋण उपलब्ध किया जाता है और ऐसा ऋण किन शर्तों पर दिया जाता है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) क्षेत्र तथा टाउनशिप के विकास से सम्बन्धित योजना सहित आवास तथा शहरी विकास योजनाओं के लिए हुडको ऋण सहायता दे रहा है। हुडको द्वारा 31-10-1985 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) शहरी विकास राज्य का विषय है और किसी विशेष योजना या विकास कार्य से सम्बन्धित किए बिना केन्द्रीय वित्त सहायता सभी राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए "समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान" के रूप में दी जाती है, तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित दो योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ये निम्न प्रकार से है :—

(1) यूनीसेफ की सहायता से शहरी मूलभूत सेवाओं का केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम :—

इस योजना के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं की लागत यूनीसेफ, राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा 40:40:20 के अनुपात में वहन की जाती है।

(2) छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना :—

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए उचित किस्तों में परियोजना लागत के

50% तक ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि राज्य सरकार और/या कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा समानता सहायता की जाय।

(i) रिहायशी योजनाओं के लिए भूमि अर्जन तथा विकास जिसमें कोर आवास सहित या इसके रहित स्थल तथा सेवायें शामिल हैं।

(ii) सड़कों के निर्माण तथा सुधार/विद्यमान सड़कों का उन्नयन सहित परन्तु मोटर वाहनों की खरीद को छोड़कर आश्रय तथा रोजगार परियोजनाओं की सहायता के लिए यातायात तथा परिवहन योजनायें हैं।

(iii) दूर दराज के क्षेत्रों में मण्डियों/बाजारों का विकास, औद्योगिक सम्पदाओं, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लाभार्थ अन्य सेवाओं तथा प्रगतिशील सुविधाओं का प्रावधान।

विवरण

30-10-85 की तिथि के अनुसार राज्यवार सांख्यिकीय सूचना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण	दी गई राशि	प्राप्त राशि	स्वीकृत आवास एककों की संख्या (रिहायशी+गैर-रिहायशी मूलभूत स्वच्छता) शौचालय	स्वीकृत प्लाटों की संख्या
		(लाख रुपयों में)					
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश	457	26276	16597	11217	3106	307929	2397
असम	12	851	564	359	162	2250	0
बिहार	63	6875	3974	1277	739	84965	1073
गुजरात	450	30737	18427	11845	5659	336498	7609
हरियाणा	126	10084	7028	5097	2805	39208	109
हिमाचल प्रदेश	55	1427	957	509	295	3185	757
जम्मू व कश्मीर	26	2033	1443	575	441	5102	10704
कर्नाटक	287	19816	10690	6693	3102	351450	3966
केरल	178	16453	10121	6214	2355	219147	1163
मध्य प्रदेश	194	13347	9238	4259	2727	79131	74276
महाराष्ट्र	460	32486	20938	12710	448	181449 •	8882
मनीपुर	4	384	259	96	12	629	0
मेघालय	1	15	7	0	0	115	0
उड़ीसा	106	8753	5898	2930	1014	58008	791

1	2	3	4	5	6	7	8
पंजाब	147	9740	6254	4484	2303	49135	1969
राजस्थान	401	25458	17932	10867	3994	5002	18734
सिक्किम	2	46	80	4	0	76	0
तमिलनाडु	436	25249	16795	12248	4262	162839	15667
त्रिपुरा	2	69	49	0	0	418	0
उत्तर प्रदेश	372	33331	23892	12593	4568	139851	31148
पश्चिम बंगाल	56	6455	4286	2438	1809	31142	878
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	1	16	9	0	0	15	0
चण्डीगढ़	33	4163	2876	2296	1128	16400	3962
दिल्ली	32	11282	7392	1631	1360	37895	0
गोआ दमन द्वीप	3	95	56	11	6	206	38
पाण्डिचेरी	4	202	142	103	41	1161	0
सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	3908	285643	185847	110456	46460	2303206	184113

[हिन्दी]

फूलपुर स्थित इफको संयंत्र का विस्तार

3197. श्री राम पूजन पटेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फूलपुर स्थित इफको संयंत्र के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या अन्य स्थानों से भी संयंत्रों के विस्तार हेतु ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों में से इफको फूलपुर के प्रस्ताव पर क्षमता के उतने ही विस्तार के लिए सबसे कम खर्च और उच्चतम समय लगेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और फूलपुर संयंत्र के विस्तार को अब तक मंजूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के हित को ध्यान में रखते हुए उक्त मंजूरी कब तक दी जायेगी ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

(ङ) इस मामले तथा इसी प्रकार के अन्य आवेदन पत्रों पर निर्णय क्षेत्रीय मांग और आपूर्ति अनुमानों फीड उपलब्धता अनुमानों को अन्तिम रूप देने तथा उसको ध्यान में रखते हुए नई क्षमताओं को स्थापित करने के निर्णय तथा स्रोत्र अवरोधों, प्लान पूर्णताओं आदि जैसे अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

[अनुवाद]

केरल में नगरों/शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

3198. श्री टी० बशीर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता के माध्यम से केरल में किन-किन नगरों/शहरों की इस समय योजना बनाई जा रही है और विकास किया जा रहा है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अब तक निम्नलिखित नौ नगरों को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है :—

1. गुरुवयूर
2. कोट्टायम
3. त्रिचूर
4. कयामकुलम

5. तेलीचेरी
6. तिरूर
7. चेंगनचेरी
8. बडागरा
9. मल्लापुरम

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

नगर का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता
1. गुरुवयूर	35.00 लाख रुपये
2. कोट्टायम	34.40 लाख रुपये
3. त्रिचूर	40.00 लाख रुपये
4. कयामकुलम	9.90 लाख रुपये
5. तेलीचेरी	22.50 लाख रुपये
6. तिरूर	40.00 लाख रुपये
7. चेंगनचेरी	24.00 लाख रुपये
8. बडागरा	30.00 लाख रुपये
9. मल्लापुरम	35.00 लाख रुपये
योग :	270.30 लाख रुपये

बन्धुआ श्रमिकों का पुनर्वास

3199. प्रो० मधु दण्डवते :
श्री थम्पन थामस :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम की मद संख्या 6 के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में बन्धुआ श्रमिक हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम का उल्लंघन करने के लिए उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 30-9-85 की स्थिति के अनुसार, पता लगाए गए और मुक्त कराए

गए बन्धुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,89,184 थी जिसमें से 1,45,545 को पुनर्वासित कर दिया गया है और 43,639 को पुनर्वासित किया जाना है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

वर्ष 1985-86 के लिए 30,593 बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के निर्धारित लक्ष्य के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि अप्रैल से सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान 6,512 बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया जोकि कुल लक्ष्य का 21 प्रतिशत है। राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सक्रिय रूप से पैरवी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूर्णत: प्राप्त कर लिया जाए।

विवरण-1

राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 30-9-1985 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए, मुक्त कराए गए और पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या

राज्य का नाम	पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या	पुनर्वासित किए गए बन्धुआ श्रमिकों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	16,336	14,017
2. बिहार	10,988	9,466
3. गुजरात	61	38
4. हरियाणा	295	—
5. कर्नाटक	62,689	40,033
6. केरल	829	820
7. मध्य प्रदेश	3,389	2,851
8. महाराष्ट्र	723	319
9. उड़ीसा	40,549	27,403
10. राजस्थान	6,674	6,266
11. तमिलनाडु	32,581	31,591
12. उत्तर प्रदेश	14,070	12,741
कुल	1,89,184	1,45,545

विवरण-2

वर्ष 1985-86 के दौरान बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा अप्रैल से सितम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों, जैसा कि राज्य सरकारों ने सूचित किया है

राज्य का नाम	निर्धारित लक्ष्य 1985-86	उपलब्धि अप्रैल से सितम्बर, 1986
1. आन्ध्र प्रदेश	2000	2057
2. बिहार	501	250
3. कर्नाटक	9250	1234
4. गुजरात	23	शून्य
5. मध्य प्रदेश	2000	शून्य
6. महाराष्ट्र	250	36
7. उड़ीसा	7500	2532
8. राजस्थान	2580	261
9. तमिलनाडु	2194	110
10. हरियाणा	295	शून्य
11. उत्तर प्रदेश	4000	32
कुल :	30593	6512 (21 प्रतिशत)

मध्य प्रदेश में तेल मिलों के लिए आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस

3200. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में तेल मिलों की स्थापना के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए;

(ख) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये नई तेल मिलें स्थापित की जा रही हैं;

(ग) उनमें से कितनी तेल मिलें पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) मध्य प्रदेश में तेल मिलों की स्थापना करने के लिए 10 औद्योगिक लाइसेंस और 7 आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मध्य प्रदेश में सोयाबीन के तेल/बिनौले के तेल/विलायक निष्कर्षित तेल का उत्पादन करने तथा उनके उत्पाद तैयार करने के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेन्स/आशय-पत्र

क्रम सं०	पार्टी का नाम तथा लाइसेंस संख्या व तारीख	स्थान	क्षमता
1	2	3	4
	औद्योगिक लाइसेंस		
	बिनौला		
1.	मैसर्स श्री मानसिंग का ऑयल मिल्स प्राइवेट लि०, पंजीकरण सं० आर/27ए/201, दिनांक 2-11-53 आर-28(17)/181	खण्डवा	52,500
2.	दि बेरार स्वदेश वनस्पति, एल/27-ए/61/56, दिनांक 28-9-56	शेगांव (म० प्र०)	10,000
3.	एम० पी० राइस ब्रान आयल कं० लि०, कलकत्ता, एल-28 (1)/41/61-सी० एच० 1, दिनांक 30-1-61	इन्दौर	7,800
4.	मध्य प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, एल-28 (1) आई० एल०/65/एल० आई (1), दिनांक 28-8-65	उज्जैन	25,625
5.	मैसर्स तपाड़िया प्रा० लि०, बम्बई, एल/28 (1) (3)/73-एल० आई० एण्ड पी० एफ०, दिनांक 18-9-73	खण्डवा (जिला पूर्वी निमार)	13,000
6.	मैसर्स बिप्पी सोलवैक्स प्रॉडक्ट्स लि०, देवास सी० आई० एस० 40/78, दिनांक 21-2-78	देवास (पिछड़ा क्षेत्र)	7,500

1	2	3	4
7.	मैसर्स जनरल फूड्स प्रा० लि०, इन्दौर सी० आई० एल० 40/78, दिनांक 27-2-78	सेवाड़ (जिला इन्दौर)	30,000
8.	भोपाल शुगर इन्डस्ट्रीज लि०, जगमणिक सोल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन, आई० एल० 14/79, दिनांक 15-4-79	सिहोर	30,000
सोयाबीन			
9.	मैसर्स एम० पी० राज्य तिलहन उत्पादक संघ, मर्यादित, भोपाल, सी० आई० एल० 79 (83), दिनांक 1-3-83	सिवनी मालवा परिष्कृत तेल सोया का आटा सोया मील	8,000 25,000 11,000
10.	मैसर्स एम० पी० राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल, सी० आई० एल० 133 (83), दिनांक 4-4-83	सिहोर परिष्कृत तेल सोया का आटा सोया मील	8,000 25,000 11,000
आशय-पत्र बिनौला			
1.	मैसर्स नर्मदा सहकारी प्रक्रिया समिति मर्यादित, बेहरवा एल० आई० 411 (76), दिनांक 16-11-76	बेहरवा (जिला खरगौन) (पिछड़ा क्षेत्र)	30,000
2.	मैसर्स एम० पी० स्टेट कोआपरेटिव आयलसीड्स ग्रोअर्स फेडरेशन लि०, भोपाल, एल० आई० 711 (80), दिनांक 29-11-80	इटारसी	33,000

1	2	3	4
3.	मैसर्स एम० पी० स्टेट कोआपरेटिव आयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लि०, भोपाल, एल० आई० 712 (80), दिनांक 29-11-80	सिहोर	44,000
सोयाबीन			
4.	मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं०, कलकत्ता, एल० आई० नम्बर 134 (79), दिनांक 16-5-79	जिला होशंगाबाद परिष्कृत	11,000
		सोया मील	36,000
		सोया का आटा	25,000
		प्रोटीन	10,000
		लेसिथीन	1,000
5.	एम० पी० स्टेट कोआपरेटिव ग्रोवर्स फेडरेशन, भोपाल, एल० आई० 315, दिनांक 6-5-82	उज्जैन परिष्कृत तेल	24,000
		सोया मील	60,000
		सोया का आटा	20,000
		सोया प्रोटीन आदि	10,000
6.	मैसर्स एम० पी० स्टेट कोआपरेटिव आयलसीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लि०, भोपाल, एल० आई० 124 (85), दिनांक 15-2-85	छिन्दवाड़ा	10,200
7.	मैसर्स सराफ बन्धु प्रा० लि०, तुमसर, एल० आई० 99(85), दिनांक 30-8-85	तहसील सनवीर जिला छिन्दवाड़ा	60,000

ार पाते और इस प्रकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों के समय का स्कूलों आदि के समय के साथा तालमेल नहीं रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेन्सरियों के सुबह और ौर शाम, दोनों समय कार्य करने की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) । (ग) एक पारी में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की कार्य प्रणाली ; बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को सवेरे ौर शाम दोनों समय खोलने की पुरानी प्रणाली फिर से शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कया जा रहा है। बहरहाल, इन औषधालयों को संसाधनों के उपलब्ध होने पर लगातार 12 घंटे छह-छह घंटों) की दो पारियों में) चलाने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित दवाएं प्राप्त करने में विलम्ब

3853. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा सिफारिश की गई औषधी अपनी नुस्खा र्चियों को संबंधित औषधालयों में 4 से 5 दिन तक जमा करने के बाद ही प्राप्त होती हैं और इस ावधि के दौरान रोगियों को अति आवश्यक उपयोग के लिए बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित दवाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान प्रणाली में क्या ारिवर्तन करने का विचार है ?

(ग) क्या इन औषधालयों के चिकित्सा प्रभारियों को, जो दवाएं इन ओषधालयों में उपलब्ध हीं है, उन दवाओं को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत पर्चियां जारी करने का अधिकार है और यदि ां, तो इस संबंध में दर्शाये गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के त्येक औषधालय के चकित्सा प्रभारी ने कितने मामलों में इस तरह की पर्चियां जारी कीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) वशेषज्ञ द्वारा निर्धारित की गई और औषधालय में उपलब्ध औषधों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य ोजना के लाभार्थियों को तुरन्त प्रदान किया जाता है। विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित और औषधालय में नुपलब्ध औषधों का स्थानीय औषध विक्रेता/मैसर्स सुपर बाजार के नाम मांग-पत्र किया जाता है ौर प्रायः 2 से 3 दिनों के भीतर उन्हें लाभार्थियों को प्रदान कर दिया जाता है। वैसे, तत्काल ावश्यकता की स्थिति में बिना किसी भुगतान के स्थानीय औषध विक्रेता/सुपर बाजार से औषध

कर पाते और इस प्रकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेंसरियों के समय का स्कूलों आदि के समय के साथ तालमेल नहीं रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की डिस्पेन्सरियों के सुबह और और शाम, दोनों समय कार्य करने की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) एक पारी में कार्य करने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों की कार्य प्रणाली के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को सवेरे और शाम दोनों समय खोलने की पुरानी प्रणाली फिर से शुरू करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । बहरहाल, इन औषधालयों को संसाधनों के उपलब्ध होने पर लगातार 12 घंटे (छह-छह घंटों) की दो पारियों में) चलाने का प्रस्ताव है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित दवाएं प्राप्त करने में विलम्ब

3853. **श्री एच० जी० रामुलु :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा सिफारिश की गई औषधी अपनी नुस्खा पर्चियों को संबंधित औषधालयों में 4 से 5 दिन तक जमा करने के बाद ही प्राप्त होती हैं और इस अवधि के दौरान रोगियों को अति आवश्यक उपयोग के लिए बाजार से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं ;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित दवाओं को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान प्रणाली में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

(ग) क्या इन औषधालयों के चिकित्सा प्रभारियों को, जो दवाएं इन ओषधालयों में उपलब्ध नहीं है, उन दवाओं को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत पर्चियां जारी करने का अधिकार है और यदि हां, तो इस संबंध में दर्शाये गए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक औषधालय के चिकित्सा प्रभारी ने कितने मामलों में इस तरह की पर्चियां जारी कीं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित की गई और औषधालय में उपलब्ध औषधों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को तुरन्त प्रदान किया जाता है । विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित और औषधालय में अनुपलब्ध औषधों का स्थानीय औषध विक्रेता/मैसर्स सुपर बाजार के नाम मांग-पत्र किया जाता है और प्रायः 2 से 3 दिनों के भीतर उन्हें लाभार्थियों को प्रदान कर दिया जाता है । वैसे, तत्काल आवश्यकता की स्थिति में बिना किसी भुगतान के स्थानीय औषध विक्रेता/सुपर बाजार से औषध

सभी असम गए थे, संसद भवन में हमारे कमरे सील कर दिए गए थे जिनमें हमारी मूल्यवान वस्तुयें तथा अन्य निजी कागजात थे······

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं। यह बिल्कुल असंगत है। मेरे विचार से तो नहीं किन्तु नियमों के अनुसार इसकी अनुमति दी जाती है। हमने कई बार इस पर चर्चा की है। ऐसी किसी भी बात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अच्छे ढंग से और आपके परामर्श से किया है।

(व्यवधान)**

श्री बी० किशोर चंद्र एस० देव : मुझे बहुत खेद है।

अध्यक्ष महोदय : आपको खेद क्यों है ? आपने तो ऐसा नहीं किया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह सब झूठ और गलत है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर दिया जाये, किंतु मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नियम आप बनाते हैं मैं नहीं। मैं केवल नियम लागू करता हूं। और मैंने सभी लोगों को बुलाया है, वे चाहे किसी भी दल के हों। मैंने उन सबको समझाने का प्रयास किया और उनसे कहा कि यह नियमों से विरुद्ध है। मैंने उनसे इसे खाली करने के लिए अनुरोध किया। इतना सब कुछ करने के पश्चात् ऐसा किया गया है। अतः इसमें कोई गलत बात नहीं हुई।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर यहां कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसा केवल सदन से बाहर ही किया जा सकता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ यह सज्जन कह रहे हैं उसका एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)**

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बटूर) : गत दो महीने से तमिलनाडु में स्कूल बन्द हैं। मेरी पत्नी एक अध्यापिका हैं। उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है······

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। जो कुछ वह कह रहे हैं, वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसी राम (नागरकुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, अखबारों में आया है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिलों में कई लोगों की हत्याएं हुई हैं······।

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए तुलसीराम जी, जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उसको यहां डिसकस नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, आप क्यों मजबूर करते हैं ?

(व्यवधान)**

श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, आचार्य रजनीश जो कि दण्डित होकर अमरीका से लौटे हैं, उनके बारे में अनेक सूचनाएं अखबारों में निकल रही हैं···।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, हम देखेंगे।

(व्यवधान)**

श्री नरेश चंद्र चतुर्वेदी : कस्टम विभाग का भी कहा जाता है कि करोड़ों रुपया···।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसे नहीं कर सकता। नाट अलाउड।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने जानकारी मांगी है। मैं दूंगा।

(व्यवधान)**

12.03 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

खाद्य निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(91वां संशोधन) विनियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 8 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 34/एफ० संख्या ई० पी० 36(2)/85 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1567/85]

बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम और भारतीय समुद्रीय जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने संबंधी विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत बहु-राज्यीय सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्तियां और निधियां, लेखे, लेखापरीक्षा, परिसमापन और डिक्रियों, आदेशों, और निर्णयों का निष्पादन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 28 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 812(अ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1568/85]**

(2) भारतीय समुद्रीय जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन अधिनियम, 1981 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत, भारतीय समुद्रीय जोन (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने सम्बन्धी विनियमन) संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 13 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 605(अ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1569/84]**

12.04 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महा-सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 5 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में, मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति से प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :

"मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के

प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय को राज्य सभा के 138वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक और बढ़ाया जाए।"

12.05 म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मूल चंद डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : इतना बड़ा पाखण्डी, जिसने हमेशा गांधी जी के खिलाफ कहा, हमेशा नेहरू जी के खिलाफ कहा और इन्दिरा जी के खिलाफ कहा। अब लौटकर कहता है हिन्दुस्तान हमारा है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है······

(व्यवधान)

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं सभा से बहिर्गमन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं।

[इस समय श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव सभा भवन से बाहर चले गए]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : महोदय, आप गैस रिसाव पर कब चर्चा की अनुमति देंगे ?···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : सर, इस विषय पर बहस कराई जाए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, शुक्रवार को आपने हमें आश्वासन दिया कि आप कार्य मंत्रणा समिति की एक बैठक का आयोजन करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हो रही है, क्या आपने नोटिस नहीं पढ़ा है।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : नहीं, मैंने नहीं देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने क्यों नहीं देखा है ? यह मेरी जिम्मेवारी नहीं है ।

श्री वसुदेव आचार्य : यह गैस रिसाव पर चर्चा के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया था और आप अब मुझ से यही प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री वसुदेव आचार्य : इस का आज निर्णय होना था ।

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़ते क्यों नहीं हैं और तैयारी के बिना ही क्यों आते हैं और फिर मुझसे यह प्रश्न पूछते हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप आचार्य हैं······

(**व्यवधान**)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, आपने हमें तेलुगु-गंगा परियोजना पर आधे-घण्टे की चर्चा की अनुमति दी थी······(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सदन में इस प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं देता हूं । आप मेरे पास आकर मिलिए ।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसी राम (नगरकुरनूल) : सर आपने जो अनुमति दी थी, उसके बारे में पूछ रहा हूं···(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : किस समय, जी ?

अध्यक्ष महोदय : कभी भी । आपका स्वागत है ।

[हिन्दी]

आप यह बताइये कि आपको रोकता कौन है ? यदि कोई रोके, तो मेरे पास आइये ।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, मुझे अनुमति दी जाए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री पी० कुलनदईवेलू : मैंने श्रीलंका की समस्या के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण का नोटिस दिया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए ।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है और उनकी निर्मम हत्या की जा रही है । प्रतिदिन ऐसा होता है······(**व्यवधान**)······

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं कर सकता हूं। आप मेरे पास आकर मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : सरकार को चर्चा कराने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आप चर्चा के लिए तारीख निश्चित कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैंने भी कहा कि समय और सब बातों का फैसला होगा। अतः चर्चा के बारे में कोई समस्या नहीं है। सदन में किसी भी चर्चा पर रोक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय,···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आपका तो मैं देख कर पता करूंगा।

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : इस पर चर्चा तो होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पहले, आलरेडी फैक्ट्स मंगवाये हैं। फैक्ट्स आने दीजिए। आपको इजाजत है, आपका काम है, आप आकर के देखिए···(व्यवधान)···पूछ भी सकते हैं आप।

अब श्री माधवराव सिन्धिया।

12.08 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1985-86

[अनुवाद]

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : महोदय, मैं वर्ष 1985-86 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, दूसरे सदन में, वातावरण तनावमुक्त रहता है···(व्यवधान)

वे प्रत्येक कार्य करते हैं, वे प्रत्येक बात के सम्बन्ध में बात करते हैं, प्रत्येक चीज पर चर्चा करते हैं। हमारा रक्तचाप हमेशा बढ़ा रहता है। हम क्यों नहीं···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : हमने प्रत्येक विषय पर प्रतिदिन यहां पर अनुमति दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें तनावमुक्त रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हम हर बात की अनुमति देते हैं। मैं आपके साथ सहमत हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां पर बहुत अधिक तनाव तथा झगड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया उन सबको यह संदेश पहुंचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रत्येक के पास, जिसमें महोदय आप भी शामिल हैं, यह संदेश पहुंचा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कभी भी उच्च रक्तचाप नहीं होता। मेरा रक्तचाप हमेशा 120/80 रहता है।

अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

———

12.09 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) नावों की सुरक्षा के लिए नियम तथा विनियम निर्धारित करने के लिए राज्य अधिकारियों और मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की मांग

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : देश में गंगा तथा अन्य बड़ी नदियों में नावों के डूबने की अनेक दुर्घटनायें हर साल होतीं रहती हैं। अतः देश की सभी बड़ी नदियों में चलने वाली नावों में न्यूनतम सुरक्षा मानक निर्धारित करने की आवश्यकता है। यद्यपि ये राज्य के विषय हैं तथापि केन्द्र सरकार नावों के लिए लाइसेंस देने और उनके रखरखाव के लिए आदर्श सुरक्षा विनियम बनाकर राज्यों की मदद कर सकती है ! इन नावों को विशेषकर उत्सवों और मेलों के दौरान, ठसाठस भरकर ले जाने की आम प्रथा है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर नदियों में नावों के चलाने की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास नहीं किया गया है और घातक परिणामों वाली घटनाओं की परम्परा जारी है। चूंकि नावों की दुर्घटनाओं में गरीब लोग मरते हैं, उनकी दशा पर राष्ट्र का ध्यान नहीं जाता जैसा कि उदाहरण के तौर पर, विमान दुर्घटना की तरफ जाता है। अतः केन्द्र सरकार को राज्य के अधिकारियों और राज्य के मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिए और सुरक्षा नियम और विनियम निर्धारित करने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फेरी-नावें अधिक न भरी जायें।

12.10 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिंदी]

(दो) बिहार तथा देश के अन्य भागों को बाढ़, सूखा आदि से बचाने के लिए उपाय करने की मांग

प्रो० चन्द्र भानु देवी (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, में नियम 377 के अधीन निम्नलिखित

सूचना देती हूं—

"शायद ही कोई ऐसा वर्ष गुजरता हो जिसमें देश का जन-जीवन बाढ़ और सूखे के प्रकोप से बच जाए। बाढ़ की विभीषिका और सूखे के आघात से लाखों का जीवन तबाह हो जाता है और यह प्रलय का सिलसिला दर साल चलता रहता है। हम आज ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां इन समस्याओं का स्थाई हल ढूंढना पड़ेगा। मेरी राय में पानी का राष्ट्रीय ग्रिड बनाया जाय और अन्तर्राज्जीय नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित किया जाए। जमीन को कटाव से बचाने के लिए पहाड़ी और अन्य इलाकों में करोड़ों की संख्या में पेड़ लगाये जायें।

जितना धन हर साल राहत पर खर्च किया जाता है अगर उसका एक हिस्सा भी सूखे और बाढ़ की समस्या के स्थाई हल करने में लगाया जाए तो बहुत बड़ी विपदा दूर हो सकती है। इस सन्दर्भ में बड़ी संख्या में छोटी नहरें खोदने की भी जरूरत है। बिहार तथा अन्य सम्बन्धित राज्यों को नदियों को रेत से बचाने के लिए नदियों पर पक्के तटबंध बनाने की जरूरत है। इससे इनका बहाव काफी हद तक अनुशासित किया जा सकता है।

सूखे के प्रकोप से राज्यों को बचाने के लिए सूखाग्रस्त इलाकों में प्राथमिकता के आधार पर बिजली सुलभ कराने की जरूरत है जिससे ट्यूबैलों स पानी निकाल कर सिंचाई की जा सके।

मुझे उम्मीद है कि सरकार बाढ़ और सूखे की समस्या का स्थाई हल जल्द ही निकालने की कोशिश करेगी।"

[अनुवाद]

(तीन) सूरत टैक्सटाइल मिल्स, गुजरात, के ठेका श्रमिकों को रोजगार की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता

*श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : गुजरात की सूरत कपड़ा मिल में काम करने वाले कर्मकारों में से लगभग 90 प्रतिशत उड़ीसा के हैं। ठेकेदार उनको अच्छी मजदूरी का प्रलोभन देकर वहां ले जाते हैं किन्तु वे अभी भी पूर्णतया अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे हैं और ठेकेदार उनकी मजदूरी से कमीशन ले रहे हैं।

उनके लिए कोई भी सेवा-शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। उन्हें पूरे वेतन सहित अवकाश नहीं मिलता। उन्हें अवकाशों का वेतन नहीं मिलता। उन्हें स्थाई श्रमिकों की तरह चिकित्सा सुविधायें नहीं मिलतीं। जब कोई श्रमिक कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसे रोजगार से वंचित कर दिया जाता है। सम्बंधित प्रबन्धक किसी भी श्रम कानून को लागू नहीं करते हैं। अतः यह जरूरी है कि इन श्रमिकों को ठेकेदारों द्वारा परेशान किए जाने के विरुद्ध संरक्षण दिया जाए। चूंकि ये श्रमिक काफी समय से काम करते आ रहे हैं इसलिए इनकी सेवायें अविलम्ब नियमित की जाएं तथा स्थाई कर्मचारियों को उपलब्ध सभी लाभ भी उन्हें दिए जाएं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन श्रमिकों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए संबंधित

*उड़िया में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

प्रबन्धकों को निर्देश दे। मैं मांग करता हूं कि सूरत कपड़ा मिल की वर्तमान स्थिति के बारे में एक निष्पक्ष जांच की जाए तथा वहां के मजदूरों को रोजगार की पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

(चार) सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक व्यापक चीनी नीति बनाने की मांग

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : देश में वर्तमान चीनी-उत्पादन देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काफी नहीं है और सरकार को चालू वर्ष में लोगों की मांग को पूरा करने के लिए तथा चीनी के बढ़ते हुए मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में विदेशों से चीनी का आयात करना पड़ा है। आपको याद होगा कि हमने मामूली मात्रा में चीनी का पहले निर्यात किया है। फालतू चीनी उत्पादन से कम उत्पादन की स्थिति तथा इसके मूल्यों के बढ़ने से यह पता चलता है कि जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, हमारी आयोजना और नीतियां गलत हैं।

चीनी मिलों की लाइसेंस क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है। चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मिल खोलने तथा जो विद्यमान मिले हैं उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए अधिक लाइसेंस दिए जाने चाहिए। नई मिलों के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। नए एककों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी दी जायें।

यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिलें तथा उन्हें गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य प्रोत्साहन दिए जायें।

देश में चीनी का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो इसके लिए सरकार को यथाशीघ्र सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक व्यापक नई चीनी नीति बनाकर उसकी घोषणा करनी चाहिए।

(पांच) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मानकूराम सोढी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर जिला मध्य प्रदेश में ही नहीं, वरन् सम्पूर्ण भारत में पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र माना गया है, पर उस जिले को उद्योग की दृष्टि पिछड़ा हुआ जिला, भारत के उद्योग के नक्शे में नहीं लिया गया है। जिसने भी उस जिले का नजदीक से भ्रमण किया है, उसे आश्चर्य होता है कि ऐसे जिले को उद्योग से क्यों वंचित रखा जा रहा है ?

बस्तर का पिछड़ापन अज्ञानता, आवागमन, सिंचाई साधन, बिजली प्रदाय, कुटीर उद्योग और रहन-सहन के स्तर से एकदम प्रदेश के अन्य आदिवासी जिलों से पीछे है। इसीलिए शासन ने इस क्षेत्र का विकास करने के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र घोषित कर केन्द्र सरकार द्वारा विकास का कार्य किया जा रहा है, फिर क्या वजह है कि इस जिले को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला नहीं माना गया है ?

अतः केन्द्र शासन से अनुरोध है कि इस आदिवासी बाहुल जिले को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला माना जाए ताकि स्थानीय पढ़े-लिखे आदिवासी नवयुवक मौके में उपलब्ध वन-

उपज तथा खनिज सम्पदा पर छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाने में अग्रसर हो सकें और बेरोजगार की बढ़ती संख्या को जिले के अन्दर ही सुलझाया जा सके। जिले में वन-उपज तथा खनिज सम्पदा को हमेशा बाहर के उद्योगों में निर्यात करने से, अब आदिवासियों में धीरे-धीरे असन्तोष एवं रोष पैदा हो रहा है जिसे समय रहते रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(छः) इलायची व्यापार निगम को और अधिक वित्तीय सहायता देने तथा इस निगम में कर्नाटक के इलायची उत्पादकों को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता

कुमारी डी० के० तारा देवी (चिकमगलूर) : महोदय, कर्नाटक के इलायची उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के मामले को उठाना चाहता हूं :

कर्नाटक में लगभग 1500 मीटरी टन इलायची अधिकांश छोटे उत्पादकों द्वारा पैदा की जाती है। इसका व्यापार कुछ निहित स्वार्थों के हाथों में है तथा ये ही लोग छोटे उत्पादकों और उपभोक्ताओं की कीमत पर इसके निर्यात और देसी बाजार दोनों ही, पर नियंत्रण किए हुए हैं। ये लोग उनसे सस्ती दर पर खरीदकर उपभोक्ताओं को बहुत ही अधिक मूल्यों पर बेचते हैं। उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने तथा उपभोक्ताओं को इलायची उचित मूल्य पर बेचने के लिए इलातची व्यापार निगम को कर्नाटक के उत्पादन को लगातार भारी मात्रा में (कम से कम 50 प्रतिशत अर्थात् 700 टन) जून से फरवरी (फसल कटने के समय) तक खरीदना होगा। निगम को सरकार से लगभग 5 करोड़ रुपये की सहायता की जरूरत है ताकि वह अपनी खरीद शुरू कर सके। बाकी बैंकों से जुटाया जा सकता है। इस समय सरकार ने निगम को 50 लाख रुपए की सहायता दी है। 50 लाख की राशि लगातार खरीददारी करने के लिए (इलायची के मूल्यों का स्थिर बनाए रखने के लिए) बहुत ही कम है, क्योंकि इलायची का औसतन इकाई मूल्य 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है।

उत्पादकों को इलायची व्यापार निगम से लाभ नहीं हुआ है क्योंकि लगातार खरीददारी करके बाजार मूल्य को स्थिर रखने के लिए उसके पास धन नहीं है। इलायची व्यापार निगम का कार्य निष्पादन अच्छा न होने की वजह से निहित स्वार्थ वाले व्यापारियों को उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं का शोषण करने का अधिक अवसर प्राप्त हुआ है। इलायची व्यापार निगम के कार्यकरण पर कर्नाटक के उत्पादक बहुत ही क्षुब्ध हैं। इलायची व्यापार निगम के पूरे बोर्ड की अभी तक स्थापना नहीं की गई है। उत्पादकों के हित में निगम को कार्यशील बनाने के लिए इसमें उत्पादकों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं :

(1) इलायची व्यापार निगम को मूल पूंजी के रूप में 5 करोड़ रु० दिए जायें; और

(2) पूर्ण बोर्ड बनाया जाए जिसमें कर्नाटक के उत्पादकों का अपेक्षित प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि आरम्भ में इलायची व्यापार निगम को कर्नाटक की इलायची की खरीददारी करनी है।

(सात) आंध्र प्रदेश में रिपेले तथा मछलीपटनम को जोड़ने के लिए कृष्णा नदी पर एक सड़क एवं रेल पुल का निर्माण करने की मांग

श्री एम० वेंकटरत्नम (तेनाली) : आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले के रिपेले तथा कृष्णा जिले के

मछलीपट्नम को कृष्णा नदी अलग करती है और इनकी दूरी इनके अपने-अपने स्टेशनों से लगभग 4 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की कछारी मिट्टी के कारण ये दोनों बहुत ही उपजाऊ हैं। अब देशी नावों द्वारा कृष्णा नदी को पार करने की सुविधा बहुत कम है। यह माध्यम विश्वसनीय नहीं है और इसके लिए पानी काफी गहराई में हो। जब पानी कम होता है तो लोगों को लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करके विजयबाड़ा से ही होकर जाना पड़ता है। मैं रेल मन्त्रालय को अक्सर लिखता रहा हूं कि कृष्णा नदी पर किसी निकटस्थ स्थान पर सड़क व रेल पुल बनाने की आवश्यकता है। यह परियोजना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है और इसके अच्छे वित्तीय परिणाम मिलेंगे। अत: मैं माननीय रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह इस विषय में व्यक्तिगत रुचि लें। सभी आंध्रवासियों का एक पूरे जोश के साथ निवेदन है तथा गत आम चुनावों में चर्चा का सक्रिय विषय रहा है।

12.20 म० प०

रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) विधेयक—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्य सूची की मद संख्या 7 लेंगे—रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर आगे विचार माननीय वित्त मन्त्री उत्तर देंगे।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर रचनात्मक सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे इस बात का पता चलता है कि इस विषय में रुचि है तथा उद्योग में रुग्णता पर उनको चिन्ता है।

इस पर विभिन्न दृष्टिकोण हैं और कई सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि यह पर्याप्त नहीं है, परन्तु जहां तक उस दिशा में जिसमें हम सब जाना चाहते हैं यह एक कदम है, इस पर विवाद नहीं है और इस पर आम सहमति रही है और इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं, उठाए जाने वाले कदमों पर विवाद हो सकता है, परन्तु इस दिशा में उठाए जाने वाला कदम सही है। इससे इस सभा में हमारी यही राय बनी है और उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।

एक बात जिसे मैं सदन में बताना चाहता हूं यह है कि अन्य वित्तीय संस्थाओं की एजेंसियां अथवा राज्य की एजेंसियां अथवा अन्य एजेंसियां, जो उद्योग तथा उसके स्वास्थ्य से सम्बन्धित हैं, अपनी भूमिका निभाती रहेंगी, और यह बोर्ड उनका स्थान नहीं लेगा तथा इसी ढंग से, औद्योगिक रुग्णता अथवा स्वास्थ्य से निपटने का मात्र यही उपचार नहीं है। वास्तव में जब अन्य एजेंसियां असफल हो जाती हैं—हमारी धारणा यह नहीं है कि अन्य एजेंसियां अपना कार्य बन्द नहीं करेंगी और आज यही बोर्ड होगा। उद्योग की सहायता करने तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी एजेंसियां योगदान करती रहेंगी और वास्तव में जब ये एजेंसियां असफल हो जाएंगी तो मामला सामने आएगा। मुख्य जोर उनको पुन: स्थापन पर है और इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों में मुख्य जोर उद्योगों को जीवित रखने, इसे स्वस्थ रखने, तथा वित्तीय उपाय, जिसमें विलय और प्रबन्ध बदलने सम्बन्धी उपाय भी सम्मिलित हैं, करने पर है। एककों को स्वस्थ रखने के लिए इन कदमों का प्रावधान किया गया है और यह केवल तभी है जब सब असफल हो जाते हैं, तब उनके बन्द करने का प्रश्न आता है और यह विचार किया गया था कि बोर्ड को बन्द करने सम्बन्धी प्रक्रियाओं से न लादा

जाए क्योंकि यह बहुत ही लम्बी प्रक्रिया है और यह उच्च न्यायालय के उचित मंच पर जाएगा और जब तक एकक को जीवित रखा जा सके तब तक डी० एफ० आई० आर० को इससे सक्रिय रूप से सम्बद्ध रखा जाना चाहिए।

दोनों पक्ष के विभिन्न सदस्यों ने श्रमिकों के हितों की बात उठाई थी। सरकार इस संशोधन के साथ आई है कि अगर ये सब असफल हो जाएं तो बोर्ड द्वारा श्रमिक सहकारी समितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : रुग्ण इकाइयां।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां रुग्ण इकाइयां।

हमने पहले ही एक उपबन्ध किया है। एक चिन्ता व्यक्त की गई थी कि जब एकक रुग्ण हो जाता है तो श्रमिकों को उनको बकाया पैसा नहीं मिलता। पहले ही उपबन्ध किया गया है कि श्रमिकों की बकाया रकम प्रतिभूति के समरूप होगी। इस प्रकार इसका स्वयं उजट में तथा अधिनियम में, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है, प्रावधान किया गया है। अतः यह एक कदम है जो उस अधिनियम के अन्तर्गत उठाया गया है। मौजूदा प्रावधान के अलावा हम श्रमिकों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए भी विचार कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत श्रमिकों के पुनर्वास पर उचित ध्यान दिया जाएगा तथा यदि कोई इकाई पूरी तरह से काम नहीं करती या किसी आधार पर असफल होती है तो उस मामले में रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगी। पहला प्रयास ऐसी इकाई को चलाने का होगा।

जहां तक श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी का सम्बन्ध है यह भी श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बने वर्तमान कानूनों द्वारा शासित होगा तथा जो भी इकाई वहां आती है, उस पर वे कानून लागू होंगे। अतः मेरे कहने का मतलब यह है कि श्रम मन्त्रालय, कम्पनी कार्य विभाग आदि जैसे अन्य विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा भी हमारी प्रस्तावित पुनर्वास व्यवस्था के लिए अधिनियम बनाए जाएंगे। अतः यह नहीं है कि सभी बातों को एक स्थान पर रख दिया गया है परन्तु देश के विभिन्न अधिनियम या सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियम इस अधिनियम की तरह प्रभावी या प्रवर्तन में हैं जहां तक बुनियादी हितों की सावधानी तथा उसके बाद प्रावधान बनाने का सम्बन्ध है चाहे उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया है या विभिन्न स्थानों पर।

अब दूसरा मुद्दा यह है कि जो लोग पूंजी का स्थानान्तरण करते हैं या कुप्रबन्ध करते हैं जिसके कारण इकाई रुग्ण हो जाती है उनके लिए इस विधेयक में क्या दंड देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि मैंने कहा है कि मूल रूप से यह विधेयक इकाई को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए है क्योंकि उसका भी महत्व है। मैं माननीय सदस्यों के साथ इस बात से सहमत हूं कि हमारे सामने दो रास्ते खुले थे। एक तो यह है कि विधेयक में इसका प्रावधान करके जिसे अब हम संशोधन के द्वारा कर रहे हैं। दूसरा यह है कि बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि पूंजी को किन्ही अन्य कार्यों में लगा दिया गया हो तो सरकार प्रशासनिक उपाय कर सकती है या सीधे वित्तीय संस्थाओं को सलाह दे सकती है। वस्तुतः यह बात शुरू में हमारे मन में थी। इसीलिए विधेयक में पहले कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। इससे यह लाभ हुआ है कि हमें इस रास्ते पर यह सलाह दी गई कि यदि आप एक बार एक अधिनियम और एक धारा बनाते हो तो यह तुरन्त वाद योग्य बन जाता है और स्थगन आदेश आदि के लिए वे न्यायालय जा सकते हैं। परन्तु एक बार बोर्ड कुछ चीजों की सिफारिश करता है तो वित्तीय संस्थानों को वाणिज्यिक निर्णय करना होता है। क्या वाणिज्यिक

निर्णय लिया जाए इसके लिए कोई भी किसी न्यायालय के आदेश या किसी अन्य बात से बाध्य नहीं कर सकता और इसे ध्यान में रखकर यदि सरकार प्रशासनिक रूप से कोई सलाह देती है तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में उठाया जा सकने वाला मामला या वाद योग्य मामला नहीं बनता है। अतः इस उपाय पर विचार किया गया था। मैं केवल आपके विचारों के साथ हूं। हमने सोचा कि हम उस रास्ते पर बहुत प्रभावी होंगे। एक बार बोर्ड के विचारों के लेने के बाद कोई अध्यक्ष धन देने के लिए बोर्ड के निष्कर्षों तथा सरकार द्वारा बताए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं करेगा। इसी के साथ, हमें न्यायालय के समक्ष सफाई देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि यह आन्तरिक मामला है। अतः वास्तव में इसको कम प्रभावी करने की हमारी इच्छा नहीं थी। बल्कि हमारे मन में इसे और प्रभावी ढंग से लागू करने का विचार था। विवाद के दौरान सदन की यह आम सहमति सामने आई है और कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि स्वयं विधेयक में प्रावधान रखा जाना चाहिए। चूंकि जो इच्छा माननीय सदस्यों की है वही हमारी इच्छा है तथा सदन की भावना और सदन के सभी वर्गों की ओर से दी गई सलाह यह है, इसलिए हम इस संशोधन को लाए हैं तथा स्वयं विधेयक में यह प्रावधान रखा है। जो प्रावधान बनाया गया है वह यह है कि यदि एक बार बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दुर्व्यवस्था या धन का स्थानान्तरण हुआ है जिससे कम्पनी की हानि हुई है और इकाई रुग्ण हो गई है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को निदेश देगा। "सलाह" या "निष्कर्ष पर पहुंचना" या इसी तरह के कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि "निदेश" शब्द का प्रावधान है। अब, यदि बोर्ड के निदेश पर सम्बन्धित व्यक्ति अमल नहीं करता तो उसे 3 वर्ष की सजा देने की व्यवस्था की गई है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं को भी निदेश देगा कि 10 वर्ष तक उस व्यक्ति को कोई वित्तीय सहायता न दी जाए। अब प्रश्न यह उठाया गया था कि यह लम्बे समय तक क्यों नहीं है। केवल 10 वर्षों के लिए ही क्यों है? अब, हालांकि आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष है। मैं समझता हूं कि 10 वर्ष की अवधि पर्याप्त है। अवधि लम्बी है और सजा पर्याप्त है। क्योंकि उस व्यक्ति को केवल 10 वर्ष के लिए ही वंचित नहीं किया गया है बल्कि यदि वह किसी अन्य फर्म में भागीदार है या किसी कम्पनी में वह निदेशक है तब उस फर्म या उस कम्पनी को भी वित्तीय सहायता से वंचित किया गया है। अतः वह वस्तुतः वित्तीय बहिष्कृत व्यक्ति बन जाता है। यदि उसका किसी कम्पनी या किसी फर्म से सम्बन्ध है तो उस फर्म को भी सहायता के अयोग्य कर दिया जाता है। यह बड़ी सजा है क्योंकि जिन फर्मों के साथ उसका सम्बन्ध है, वे भी वित्तीय सहायता से वंचित हो जाती हैं। अतः हमने विचार किया है कि यह पर्याप्त रूप से कठोर दण्ड है।

जहां तक अपकरण का सम्बन्ध है और किसी व्यक्ति द्वारा धन दिया जाता है जबकि वह नहीं दिया जाना चाहिए तो बोर्ड को धन वसूल करने के लिए धारा 24 के अन्तर्गत वसूली की और यह निदेश देने की कि धन का भुगतान किया जाए, शक्ति दी गई है।

दूसरा मुद्दा यह उठाया गया था कि बोर्ड को आपराधिक अभियोजन की शक्तियां क्यों न दी जाएं। हमने विचार किया है कि एक बार जब बोर्ड निष्कर्ष पर आता है कि वहां पर कुप्रबन्ध या दाण्डिक अपराध हुआ है तो बोर्ड इसे सरकार के ध्यान में ला सकता है तथा तब सरकार इस पर उपयुक्त रूप से आपराधिक कानून या उपयुक्त कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकती है। मैं समझता हूं कि बोर्ड को शिकायत-कर्ता होते हुए देश के विभिन्न भागों में मुकदमा चलाने का काम सौंपना मेरे विचार से उचित नहीं होगा। अतः अच्छा यह होगा कि सरकार जिसके पास सब जगह अपनी एजेन्सियां हैं, अपने वकील हैं तथा पूरी व्यवस्था है, वर्तमान कानून में दाण्डिक अपराध अधिनियम

के अन्तर्गत कार्रवाई कर सकती है, यदि कहीं कोई अपराध होता है।

जहां तक दाण्डिक अपराध का सम्बन्ध है कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुकदमा चलाने के लिए मौजूदा प्रावधान उपलब्ध है तथा वे सब पर लागू होंगे।

प्रबन्ध के परिवर्तन के बारे में प्रावधान बनाया गया है। एक बात कही गई थी कि वे बहुत चालाक हैं, और प्रबन्ध को बदलना बहुत मुश्किल है। हमें बोर्ड की सक्षमता तथा बुद्धिमत्ता पर विश्वास करना चाहिए और इसलिए प्रबन्ध के परिवर्तन का प्रावधान किया गया है।

मैं समझता हूं कि ये दो मूल विचार हैं जिन्हें हमने संशोधनों में क्रियान्वित किया है। अन्य दूसरी बात जो उठाई गई थी वह यह है कि पता लगाने की पद्धति पर्याप्त पहले नहीं हैं। सबसे पहले मैं मोटे-मोटे मुद्दों पर आ रहा हूं और तब मैं अन्य बातों पर आऊंगा। यदि हम देखते हैं कि वहां केवल शेयरधारियों का धन ही एकमात्र आधार सम्पत्ति रह गई है या जोखिम उठायी गई है और इस तरह 50 प्रतिशत पूंजी ह्रास हुआ है तो उसके लिए प्रावधान रखा गया है। उस स्थिति में शेयरधारियों की आम बैठक को बुलाना होगा और केवल तभी जब वह आम बैठक स्वीकृति दे कि वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था को जारी रखा जाए तभी उसे लगातार जारी रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसलिए पहले पता लगाने की यह व्यवस्था रखी गई है। हमारे पास जो मौजूदा पद्धति है उसकी अपेक्षा यह व्यवस्था बहुत पहले कार्य करेगी क्योंकि अब जो होता है वह यह है कि जब किसी इकाई में 50% पूंजी ह्रास की बात ही क्या बल्कि उसकी आधार सम्पत्ति का भी ह्रास होने लगता है तभी लोगों को उसके रुग्ण होने का पता चलता है।

अतः इसमें आधार सम्पत्ति के सिद्धान्त को शामिल किया गया है क्योंकि किसी उद्यमी को प्रबन्ध करने का अधिकार उस सीमा तक है जब तक उसमें आपकी शेयर पूंजी सुरक्षित है। वह आपको वर्तमान पद्धति में एक इकाई का प्रबन्ध करने का अधिकार देती है। जब आप उसे ही खर्च कर लेते हो और आप अपने लेनदारों के धन और ऋण धन पर आश्रित हो जाते हो तब आप उस इकाई का प्रबन्ध चलाने का अपना अधिकार खो देते हो, उस मूल अधिकार को खो देते हैं जिसके द्वारा प्रबन्ध संचालन का अधिकार आपको मिलता है। अब आपने अपना पैसा ही खर्च कर दिया है। और आप उधार का पैसा भी खर्च करते जा रहे हो, जो वित्तीय संस्थाओं का है, तो आप आगे ऐसा नहीं कर पाएंगे। हमारी वर्तमान व्यवस्था में उद्यमों में वित्तीय संस्थाओं का पैसा बहुत अधिक लगा हुआ है। अतः यह अनिवार्य प्रावधान किया गया है कि उन्हें आगे आना होगा।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उन्होंने पहले से वित्त मंत्रालय को कह दिया है कि वह बैंकों, वित्तीय संस्थाओं को यह आदेश जारी करे कि उन्हें सांविधिक देयता न चुकाने वालों पर निगरानी रखना शुरू करना चाहिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि जब सांविधिक देय राशि या श्रमिक की मजदूरी न चुकायी जाए तो इसे उद्यम में कुछ न कुछ गड़बड़ी होने का प्राथमिक संकेत समझना चाहिए। अतः रिजर्व बैंक में हमारी ओर से रुग्णता निगरानी एकक है, वित्तीय संस्थानों में तथा बैंकों में भी है जहां से उद्यमी धन के लिए आते हैं। विभिन्न उद्यमों के बहुत से निदेशक वहां हैं तथा उन्हें वहां सूचना प्राप्त होती है। अतः हम इन सभी निकायों को इसके अलावा अलग से यह सलाह दे रहे हैं कि उन्हें बकायादारों तथा उनकी सांविधिक देयता पर निगरानी रखना शुरू करना चाहिए। अतः माननीय सदस्यों ने भी इसका सुझाव दिया है और हमने इसे एक प्रशासनिक आदेश में शामिल किया है······

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : इसका प्रचार किया जाए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, वास्तव में कुछ दिन पहले मैंने अनुदेश दिए हैं। समाचार पत्रों में इसे भेजने से पहले मैंने सोचा कि यह उचित होगा यदि इसे पहले सदन में बताया जाए और तब हम इसका प्रचार करें।

दूसरी बात यह है, लघु उद्योगों की इकाइयों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है तथा इसे मध्यम और बड़ी इकाइयों तक सीमित क्यों रखा गया है ? मैं लघु उद्योग की इकाइयों की चिन्ता से सहमत हूं क्योंकि उनका बहुत विशाल आधार है और उनके पास रोजगार की भारी सम्भावनाएं हैं, तथा वे देश के भीतर रोजगार अवसरों को सुलभ भी करा सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा है और मूलत: प्रशासनिक कारणों के आधार पर हमने क्या महसूस किया है वह यह है कि बोर्ड का जो ढांचा है उससे सभी लघु उद्योगों के साथ नहीं निपटा जा सकता। यही कारण था कि हमने वर्तमान रूप में यह व्यवस्था की। हमें उतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए जितनी हम सही ढंग से निभा सकते हैं और इन मामलों की कार्रवाई से जो हमें अनुभव होगा, उसके आधार पर कुछ वर्षों के बाद वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार करेंगे।

साझेदारी फर्मों के बारे में सदस्यों ने पूछा है कि उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया है। वास्तव में इस उपाय के पीछे जो संकल्पना है, पूरी रूपरेखा और दृष्टिकोण है वह उद्यम की शुद्ध सम्पत्ति के मानक के विषय में है। शुद्ध सम्पत्ति का परिमाण साझेदारियों पर लागू नहीं होता है। अतः शुद्ध सम्पत्ति की दृष्टि से रुग्णता की जो परिभाषा हमने रखी है उसके अनुसार हम किसी साझेदारी फर्म की रुग्णता को नहीं माप सकते।

श्री मूल चन्द डागा ने सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के घाटे का उल्लेख किया है और पूछा है कि बी० आई० एफ० आर० इस दिशा में कार्रवाई क्यों नहीं करता। मेरी जो निजी स्तर पर बातचीत हुई उसका उल्लेख मैं नहीं करूंगा और श्री गुप्ता ने उस पर आपत्ति भी की है। मैं समझता हूं कि सरकारी क्षेत्र के घाटे में चलने के बारे में हम सभी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चिंता है दोषारोपण के लिए नहीं बल्कि अब सरकारी क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता को देखते हुए। सरकारी क्षेत्र हमारे आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में उद्देश्य में अपनी भूमिका अदा करता है। इसने हमारी अर्थ-व्यवस्था की सेवा की है तथा आवश्यक कच्चा सामान उपलब्ध कराया है। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था का मुख्य इंजिन है और हमारा मुख्य इंजिन निरन्तर रहेगा जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है कि छठी योजना की अपेक्षा सातवीं योजना में इसके लिए अधिक धन आबंटन होगा। लेकिन इसके साथ ही सातवीं योजना के लिए नियत 1,80,000 करोड़ रुपये में से 35,000 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र आंतरिक साधनों के रूप में जुटायेगा। यदि यह आन्तरिक साधन पैदा नहीं हुए तो मैं नहीं समझता कि हम सातवीं पंचवर्षीय योजना आरम्भ कर सकें। हमारी सातवीं योजना का केन्द्र बिन्दु होने के कारण सरकारी क्षेत्र का अत्यधिक महत्व है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में घाटा रहने के कारण प्रशासित मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है या बजट के अधिक समर्थन के लिए अधिक घाटे की वित्त व्यवस्था अपनायी जाएगी जो दोनों को रुग्ण बनाता है। अतः विकास के अलावा मूल्यों की स्थिरता के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारी क्षेत्र के घाटे को कम किया जाए क्योंकि इसके बिना भी साधनों को बढ़ाने के लिए किए गए कोई अतिरिक्त प्रयास। यदि सरकारी क्षेत्र के घाटे को पूरा करने में खप गए तो उसका अन्तिम परिणाम यह निकलेगा कि विकास के लिए जो अतिरिक्त कर राजस्व प्राप्त होगा वह समाप्त हो जाएगा। अत: हम इसे विस्तार से देख रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र की हानियों को किस प्रकार कम किया जाए तथा

आदर्श मानक के अनुसार किस प्रकार प्रकाशित मूल्यों को स्थिर रखा जाए। यह अभ्यास किया जा रहा है लेकिन जब सरकार इस समस्या से अवगत है, चिंतित है और इस पर विचार कर रही है तो मैं नहीं समझता कि सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को बी० आई० एफ० आर० की परिधि में लाना उचित होगा। सर्वश्री पुरोहित, द्विवेजी और अन्य माननीय सदस्यों ने लेखों को अन्तिम रूप देने का उल्लेख करते हुए कहा कि वह आसानी से इसकी अवधि को लम्बा खींच सकते हैं और इस प्रकार विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बात की व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, वित्तीय संस्था और बैंक भी इस मामले को बोर्ड को सौंप सकते हैं। इसके अतिरिक्त कम्पनी विधि में लेखा परीक्षित लेखों को निर्धारित समय में प्रस्तुत करने की अपनी व्यवस्थाएं हैं।

श्री अमल दत्त : कर्मकारों को वह अधिकार नहीं दिया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बोर्ड को अपने आप कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। यह स्वामी के कहने और किसी और प्रणाली के कहने पर निर्भर नहीं है। इस बात की व्यवस्था की गई है कि वे स्वयं कार्यवाही कर सकते हैं और यदि कर्मकार इस बात की ओर बोर्ड का ध्यान दिलाएंगे और बोर्ड इस बात से सन्तुष्ट है कि यह कुछ कार्यवाही कर सकते हैं इस प्रकार कर्मकारों का अधिकार से वंचित नहीं किया गया है।

श्री वसुदेव आचार्य : किन्तु विधेयक में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि व्यवस्था अपने आप करने की है तो यह एक वृहद व्यवस्था है।

श्री माधव रेड्डी और श्री अय्याप्पु रेड्डी ने कहा कि सात वर्ष की यह अवधि बहुत कम है। क्या मैं इस बात का उल्लेख करूं कि कई बार जब नए उद्योग स्थापित होते हैं और अनेक कम्पनियों का यह अनुभव है कि पहले हानि होती है और उन्हें बाजार की छानबीन करने में काफी समय लगता है। अतः यदि हम इसे बहुत पहले लागू करेंगे तो सक्षम औद्योगिक एकक रुग्णता की परिभाषा के अन्तर्गत आ जायेंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। अतः हमने सोचा कि सात वर्ष की अवधि उचित है। किन्तु यदि सात वर्ष पूर्व भी कुप्रबन्ध अथवा भारी दुरुपयोग है तो वर्तमान नियमों द्वारा इनकी रक्षा हो सकती है। यदि किसी प्रकार का अनुचित रूप से दुरुपयोग हो रहा है तो वर्तमान कानून इनकी रक्षा करेंगे।

श्री राजहंस ने अंशधारियों का उल्लेख किया। जो कुछ मैंने कर्मकारों के विषय में कहा वह अंशधारियों पर भी लागू है। वह यह बोर्ड के समक्ष आ रहे हैं और बोर्ड अपने आप कार्यवाही भी कर सकता है।

महोदय, विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में दिए गए समय के विषय में माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह अत्यन्त विलम्बनीय है और बहुत अधिक समय दिया जाता है। महोदय हमें वर्तमान स्थिति में देखना है कि कितना समय नष्ट हो रहा है। अब हम इस उपबंध को उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से निकाल कर इस बोर्ड में ला रहे हैं। यदि हम इसकी तुलना वर्तमान समय के साथ करेंगे, तो मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक समयावधि है। यह अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसके लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। अतः हम एक समय निर्धारित करेंगे जो व्यावहारिक है, और मेरा विचार है कि जो उपबन्ध तैयार किए गए हैं वह इसकी ओर ध्यान देंगे।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : बन्द करने का मामला फिर उच्च न्यायालय में चला गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : बोर्ड उनका केवल अन्तिम संस्कार करने की ही चिन्ता नहीं है। हमने इस बात पर भी विचार किया कि समापन कार्यवाही को भी क्यों न शामिल किया जाए। फिर हमने यह फैसला किया कि यदि हम समापन कार्यवाही भी इस बोर्ड में लाएंगे तो इसकी अधिक शक्ति इस एकक को स्वस्थ बनाने में न लगकर लम्बी समापन कार्यवाही में नष्ट होगी।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : एक उद्योग का मामला निपटाने के लिए दो मंच हैं। बोर्ड द्वारा और उच्च न्यायालय द्वारा। इससे मामला और बढ़ जाएगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : दो मंच हैं। एक का काम तब तक देखना है जब तक कि रोगी की सांस चल रही है और दूसरे का जब रोगी की मृत्यु हो जाए।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : जहां तक रुग्ण उद्योग का सम्बन्ध है, क्या यह इसको जीवित कर रहे हैं अथवा······

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य लौटाना है और यह अस्पतालों का काम है। यदि अस्पतालों को मुर्दे मिलेंगे तो अस्पताल काम नहीं करेंगे। उन्हें फिर शवगृहों के रूप में कार्य करना होगा।

फिर यह मुद्दा उठाया गया कि उपबन्ध क्यों बनाया गया है अर्थात् एक न्यायाधीश क्यों नियुक्त किया गया है और अपील प्राधिकरण क्यों उपलब्ध किया गया? यह कहा गया था कि हम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के कुछ अधिकार वापस ले रहे हैं। अब अधिकार वापस लेने से, यदि अपील की व्यवस्था नहीं की जाती तो यह अधिनियम न्यायालयों में व्यवहार्य नहीं होता और क्योंकि हम न्यायालय के अधिकार वापस ले रहे हैं तो अपील की व्यवस्था आवश्यक थी और इसके लिए न्यायाधीश के स्तर का कोई न्यायाधीश नियुक्त किया जाए जिससे कि इस प्रणाली पर आस्था रहे और जब उनसे न्यायपालिका को अलग किया जा रहा है तो उनके स्थान पर न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश के अधिकार का कोई व्यक्ति होना चाहिए ताकि उच्चतम न्यायालय को भी यह अनुभव हो कि अपील सुनने के लिए व्यापक व्यवस्था है। अतः मूल धारणा तो यही थी।

दूसरा मुद्दा यह था कि विभिन्न ठेके निलम्बित किए जाएंगे और मजदूरों के हित प्रभावित होंगे। यदि माननीय सदस्यों द्वारा यह चिन्ता व्यक्त की गई तो इस बात की व्यवस्था है कि बोर्ड के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि इससे बोर्ड के परामर्श से वह सभी ठेके निलम्बित होंगे जिन्हें यह तर्कसंगत समझते हों और हमें बोर्ड के इस निर्णय पर विश्वास होना चाहिए कि हम यह न सोच लें कि यह श्रमिकों के विरुद्ध कार्य करेगा। इस प्रकार बोर्ड के लिए श्रम समझौता अनिवार्य नहीं है।

महोदय, श्री कृष्ण अय्यर ने परिसमापन के विषय में कहा और मैंने पुनर्वास के विषय में कुछ सुविधाएं एक साथ दिये जाने का उल्लेख किया जिसके लिए हम विचार कर रहे हैं कि मजदूरी समरूप दी जा रही है। हमने पहले ही बजट में प्रावधान रखा है और मुआवजे के लिए 20,000 रुपये तक की राहत दी गई है। इस वर्ष हमने 50 हजार रुपये तक राहत बढ़ा दी है और यदि किसी योजना में कोई व्यवस्था की जाती है, तो पूरी छूट के विषय में भी विचार किया जाता है। यह कुछ प्रावधान हैं जिनके विषय में हमने श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखा है।

इस स्थिति का दूसरा रूप भी है वह यह कि बोर्ड को सम्पूर्ण वित्तीय सहायता देने की शक्ति भी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह वित्तीय संस्थाओं के लिए बहुत ही कठोर होगा और जब वित्तीय संस्थाएं सुविधाएं देने के मामले में लगी होंगी, तो मेरा विचार है कि वित्तीय संस्थाओं के निर्णय को रोका नहीं जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे सोच-विचार के पश्चात् बोर्ड द्वारा सुझावित सभी सुविधाओं को उस समय तक मान्यता प्राप्त होगी जब तक कि उन्हें अत्याधिक कठिनाई न हो और जिसे वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त ने कहा कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को पूरी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और मेरा विचार है कि हमें भी इसमें भाग लेना चाहिए और केन्द्र को, और राज्य सरकारों, बैंकों तथा अन्य पार्टियों को यह भार सहन करना है, और मैं समझता हूं कि इससे कोई मुक्ति नहीं। मेरा विचार है कि यदि राज्य बिजली बोर्ड सुधार कर लें, तो काफी हद तक रुग्णता कम हो जाएगी। और हमारे संसाधनों पर बोझ भी नहीं पड़ेगा।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : कुछ उद्योग इसलिए रुग्ण हो रहे हैं क्योंकि वह बिजली बोर्ड का बिल नहीं दे पाते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और कुछ लोग देते ही नहीं हैं और बिजली काट दी जाती है और वह कहते हैं कि वह दे नहीं पाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इस कारण से बिजली बोर्ड भी रुग्ण हो जाएंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री डागा द्वारा एक बात कही गई कि क्योंकि विधेयक में 20 वर्षों के अनुभव की बात कही गई है इसलिए नवयुवा बोर्ड के सदस्य नहीं बन सकेंगे। हमने इसे 15 वर्ष तक घटाने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव किया है और मेरा विचार है कि इससे उनकी समस्या सुलझ जाएगी।

तत्पश्चात् कार्मिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति में अन्य लोगों के साथ-साथ जो उद्योग में अनुभवी व्यक्ति हैं और कुछ क्षेत्रों में उनका अच्छा ज्ञान है, यह बात कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कही गई थी जिसमें श्री प्रिय रंजन दास मुंशी भी शामिल हैं। उनका अर्थ व्यवसायी लोगों से था। विधेयक में एक उपबन्ध है कि वे लोग, जिन्हें श्रम सम्बन्धी मामलों, बैंकिंग, प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र का अनुभव है वह बोर्ड की नियुक्ति के योग्य हैं।

इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि सरकार ने माननीय सदस्यों द्वारा अनेक सुझावों की ओर ध्यान दिया है और कुछ संशोधन भी किए गए हैं।

यह एक महत्वपूर्ण कानून है और हम इस पर शीघ्र कार्यवाही करना चाहते हैं। प्रवर समिति को सौंपने का उद्देश्य जनमत प्राप्त करना है और मैं समझता हूं कि हमने सदन की भावनाओं की ओर ध्यान दिया है। अतः इसे प्रवर समिति को भेजकर अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पर सदन की स्वीकृति के लिए सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा ने विचार करने के लिए प्रस्ताव पर अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 45 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि लोक हित में, औद्योगिक उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली रुग्ण कम्पनियों और संभाव्य रुग्ण कम्पनियों का ठीक समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा ऐसे निवारक, सुधारात्मक, उपचारी और अन्य उपायों का, जिनका ऐसी कम्पनियों की बाबत किया जाना आवश्यक है, शीघ्र अवधारणा और इस प्रकार अवधारित उपायों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा उनसे सम्बन्धित या उनके अनुषंगिक विषयों का विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगा।

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 (परिभाषाएं)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 3,—

अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"और इसके अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक औद्योगिक इकाई आती है जिसने पर्याप्त वित्त न होने और प्रबन्धकीय असफलता के कारण छह महीनों की अवधि के लिए कार्य करना तथा उत्पादन करना बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के नियोजन की समाप्ति, तालाबन्दी की घोषणा अथवा तालाबन्दी की घोषणा या नियोजन की समाप्ति का आसन्न संकट पैदा हो गया है।" (57)

श्री वसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 3, के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए।

"और इसके अन्तर्गत ऐसी इकाइयां भी आयेंगी जिनका उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त प्राधिकृत नियन्त्रकों के अधीन प्रबन्ध ग्रहण कर लिया गया है।" (92)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैंने अपना संशोधन इस प्रकार प्रस्तुत किया है :

"और इसके अन्तर्गत ऐसी प्रत्येक औद्योगिक इकाई आती है जिसने पर्याप्त वित्त न होने और प्रबन्धकीय असफलता के कारण छह महीनों की अवधि के लिए कार्य करना तथा

उत्पादन करना बन्द कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के नियोजन की समाप्ति, तालाबन्दी की घोषणा अथवा तालाबन्दी की घोषणा या नियोजन की समाप्ति का आसन्न संकट पैदा हो गया है।"

इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि यह देखने के लिए कि क्या उद्योग रुग्ण हुआ है या नहीं बही-खातों और बही समायोजन पर निर्भर करने के बदले किसी उद्योग को रुग्ण घोषित करने के लिए हमें प्रत्यक्ष जांच करने की आवश्यकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है। मैं चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत न केवल बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों अपितु सभी औद्योगिक इकाइयों को लाना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव है कि पंक्ति 37 के अन्त में यह जोड़ा जाए :

"और ऐसी इकाइयों को भी शामिल करना होगा जिनका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकृत नियन्त्रकों के अन्तर्गत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है।"

सभी उद्योगों को, जिनमें लघु इकाइयां भी शामिल हैं, जो कि रुग्ण उद्योगों का मुख्य अंग हैं, इसमें शामिल किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जब तक लघु उद्योगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसीलिए मेरा सुझाव है कि सभी रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को, जिनमें लघु इकाइयां भी शामिल हैं, इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, जहां तक इस बारे में किसी पैमाने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने कुप्रबन्ध के बारे में उल्लेख किया है जिसके परिणामस्वरूप तालाबन्दी, श्रमिकों को नौकरी से निकाल बाहर किया जाता है, तालाबन्दी या नौकरी से निकालने की नौबत आती है। यद्यपि यह सब बातें चिंताजनक हैं किंतु मेरे विचार में रुग्णता नापने के एक या दो मुख्य पैमाने होने चाहिए और यदि अनेक पैमाने हुए तो हम इसी चर्चा में फंसे रह जायेंगे कि उद्योग रुग्ण है अथवा नहीं। रुग्णता नापने का एक सीधा पैमाना यह है कि उसकी शुद्ध आय देख ली जाए। जैसे ही शुद्ध आय में 50% की कमी हो यो आप शेयरधारियों के पास जाइये और यदि शुद्ध आय में शतप्रतिशत की कमी हो तो आप बोर्ड के पास जाइये। इस तरह आपके पास एक मापदण्ड है। ये समस्यायें औद्योगिक विवाद विनियम अधिनियम (आई० डी० आर०) के उपबन्धों के अधीन निपटायी जाती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, रुग्णता से निपटने के अन्य तरीके बन्द नहीं किये गए हैं। वास्तव में यह एक सामूहिक प्रयास है। किसी भी एकक को यदि कुप्रबन्ध के कारण बन्द कर दिया गया है, तो आई० डी० आर० के अधीन उसे अधिकार में लिया जा सकता है। यदि हम सभी एककों कों अधिकार में ले लेंगे तो हम काम को संभाल नहीं पायेंगे। बेहतर तो यह होगा कि काम इस तरीके से किया जाये जिससे हम लोगों को फायदा पहुंचा सकें बजाय इसके कि हम अपना काम बढ़ा लें और फिर संभाल न पायें। जो उपबन्ध किये गये हैं उनके अन्तर्गत, इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। यह विधेयक रुग्णता से निपटने वाले अन्य उपबन्धों का प्रतिस्थापन नहीं करेंगे। उन अधिनियमों का अपना अलग महत्व है और इन समस्याओं को उनके अधीन भी निपटाया जा सकता है।

श्री अमल दत्त : वे इकाइयां जो इस समय रुग्ण हैं और उनमें सुधार नहीं किया जा सकता, उनका अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वर्तमान इकाइयों को भी यदि उनकी शत-प्रतिशत आय कम हो

जाती है तो उन्हें बोर्ड के समक्ष लाया जा सकता है। यहां सरकारें, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, रिपोर्ट कर सकती है। यदि वहां रुग्ण उद्योग हैं तो वे रिपोर्ट कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत हो तो मैं खण्ड 3 में किए जाने वाले सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 57 और 92 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4—(बोर्ड की स्थापना)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 5—

पंक्ति 17 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु जहां बोर्ड में छः से अधिक व्यक्ति हों, वहां उनमें कम से कम एक व्यक्ति लोक सभा के सदस्यों में से होगा, और जहां बोर्ड में चौदह व्यक्ति हों, वहां कम से कम एक व्यक्ति राज्य सभा के सदस्यों में से होगा।" (55)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकारी संशोधन रखेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 16,—

"बीस वर्ष" के स्थान पर "पन्द्रह वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मेरा संशोधन यह है कि जब बोर्ड में 6 से अधिक व्यक्ति हों तो उसमें से कम से कम एक सदस्य लोक सभा का हो और जब बोर्ड में 14 व्यक्ति हों तो उसमें एक सदस्य राज्य सभा का भी होना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, बोर्ड के सदस्यों में राज्य सभा और लोक सभा के सदस्य भी हो सकते हैं, इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। संसद सदस्यों को बोर्ड का सदस्य बनाए जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है और मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष उपबन्ध बनाने की बजाय, इसे ऐसा ही रखा जाना चाहिए।

श्री अमल दत्त : मुझे आशा है मंत्री महोदय इस बात से सहमत होंगे कि यह लाभ का पद है। जब तक संसद में एक अधिनियम बनाकर इसे नहीं हटाते तब तक यह लाभ का पद ही माना जाएगा जिस पर किसी संसद सदस्य को नियुक्त नहीं किया जा सकता।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे लिए यह एक अन्य पहलू जोड़ा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले हम सरकारी संशोधनों को लेते हैं। संशोधन संख्या 102 श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 5, पंक्ति 16, 'बीस वर्ष' के स्थान पर 'पन्द्रह वर्ष' प्रतिस्थापित किया जाए।"

(102)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 4 के लिए संशोधन संख्या 55 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 55 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 (अपीली प्राधिकरण का गठन)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 24-25,—

"जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है अथवा" शब्दों का लोप किया जाए। (110)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं खंड 5 के सम्बन्ध में रखे गये संशोधन से सहमत नहीं हूं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मन्त्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि जब तक वे एक अपील प्राधिकरण नहीं बनाते तब तक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छीन लिया है और इसलिए वे एक अपील प्राधिकरण का गठन करना आवश्यक समझते हैं। मेरा अनुरोध है कि यह गलत धारणा है। अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को याचिका पर विचार करने का अधिकार है। बोर्ड के आदेश के विरुद्ध, हम देख रहे हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि यहां अपील प्राधिकरण है, वादी उत्पाद कर, आय-कर और अन्य मामले उच्च न्यायालय में दायर कर रहे हैं। यहां तक कि अपील प्राधिकरण होने के बावजूद उत्पाद-कर, आय कर सम्बन्धी और अन्य मामले उच्च न्यायालय में ले जाये जा रहे हैं और वे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रहे हैं।

न्यायालयों में बहुत अधिक समय लगता है। न्यायालय के प्रत्येक आदेश के लिए किसी व्यक्ति को अपीली प्राधिकरण में भागना पड़ेगा और फिर मुकदमेबाजी चलती रहेगी। यदि अपील प्राधिकरण बोर्ड का आदेश बदलता है तो स्वभावत: वादी इस बात को लेकर याचिका दायर कर सकता है क्योंकि यहां आदेश बदला जाएगा, तो स्वाभाविक है कि उच्च न्यायालय उसमें दखल देगा। यहां तक

यदि वह बोर्ड के आदेश की पुष्टि करता है, तो वादी मामले को उच्च न्यायालय में ले जाता है। अतः बोर्ड के ऊपर एक अपील प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि उच्च योग्य व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। उससे मुकदमेबाजी की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए इस मुकदमेबाजी को रोकने के लिए ही मैंने कहा है कि अपील प्राधिकरण में इस विचार को त्यागा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय आपको पहले ही जवाब दे चुके हैं।

अब मैं श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 110 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 110 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री दास मुंशी यहां उपस्थित नहीं हैं।

खण्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 7 (कुछ परिस्थितियों में सदस्यों को पद से हटाया जाना)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी यहां नहीं हैं। श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7—

"पंक्ति 1 से 6 तक का लोप किया जाए।" (58)

पृष्ठ 7—

पंक्ति 1 से 6 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"परन्तु किसी भी सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह कारण बताने का अवसर न दे दिया जाये कि उसे खंड (क) से (ङ) में उल्लिखित आधारों में से किसी पर क्यों न हटाया जाये। (111)

यहां स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है। मन्त्री महोदय कृपया खंड 6 (2) के अन्तर्गत परन्तुक पर ध्यान दें, जिसमें कहा गया है :

"परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सभापति या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।"

उस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। सदस्य की अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन एक योग्यता यह भी आवश्यक है, यहां तक कि उस व्यक्ति को भी, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, नियुक्त किया जा सकता है। वह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का जज रह चुका है, 65 वर्ष की आयु के बाद ही सेवा निवृत्त होगा। संयोग की बात यही हो सकती है कि उसने 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही त्याग पत्र दे दिया हो। पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के लिए योग्य तथा उपयुक्त जज नहीं मिलते। अब यह कहना आवश्यक नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अथवा वह व्यक्ति, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, इसमें रखा जा सकेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या काफी है। आखिर उनकी योग्यता समान होती है और उनमें से कुछ ही को चुना जाता है। अतः इन शब्दों का प्रयोग करना कि "वह सर्वोच्च न्यायालय का जज रह चुका हो" और यह कहना कि उसकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, विरोधाभास-सा लगता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह केवल उन मामलों में लागू होता है, जब किसी जज ने 65 वर्ष की आयु से पहले ही इस्तीफा दे दिया हो और वह अब जज न हो।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : अभी तक किसी भी न्यायाधीश ने 65 वर्ष की आयु से पहले सेवा-निवृत्त नहीं हुआ है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति है और उसमें योग्यता भी है तो उसे बोर्ड में क्यों न लिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 58 और 110 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 58 और 111 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 (बोर्ड के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी या अपील प्राधिकरण)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अय्यप्पु रेड्डी।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 7,—

"और अपील प्राधिकरण का एक सचिव (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो)," का लोप किया जाए। (59)

पृष्ठ 7, पंक्ति 12,—

"यथास्थिति, बोर्ड या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (60)

पृष्ठ 7, पंक्ति 14,—

"और अपील प्राधिकरण" का लोप किया जाए । (61)

उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने को कहा गया है। मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय पर पहले से ही कार्यभार अधिक है । हाल ही में मुख्य न्यायमूर्ति ने कहा है कि यह मामलों की अन्तिम सुनवाई भी नहीं निपटा सका है। वह केवल अन्तरिम आदेश देने तक ही सीमित रह गया है।

अब हम लोग यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय को कम से कम लिखा तो जाये । इन मामलों के निर्णय के सम्बन्ध में हम लोग उनको दूसरा क्षेत्राधिकार क्यों प्रदान करें । इस मामले में उच्चतम न्यायालय को क्यों लाया जाये । उसके पास जो कार्य पहले से उपलब्ध है, वह उसी का निष्पादन करने का समय नहीं निकाल सका है। क्या सरकार स्वयं इन मामलों का निष्पादन नहीं कर सकती है और सरकार यदि यह कहे कि वह अयोग्य है; तो उसे एक अवसर देकर यह सुनिश्चित किया जाए कि वह अयोग्य है ? यदि वह परेशान होगा तो वह उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण लेगा । किन्तु हम उच्चतम न्यायालय को इसका क्षेत्राधिकार या शक्ति अब क्यों प्रदान करें ? यदि आप अपने सलाहकारों की राय लेंगे तो वे यही कहेंगे कि इस प्रकार के कार्यों को उच्चतम न्यायालय पर न लादा जाये । यदि आवश्यक हो; तो किसी व्यक्ति को हटाने के लिए उल्लेख किया जा सकता है। अन्ततोगत्वा, सरकार सुनवाई के लिए उन्हें एक समुचित सूचना और अवसर प्रदान कर सकती है। किसी को हटाने के लिए एक पत्र तो लिखा ही जा सकता है। अन्यथा कितने अधिक वर्ष लग सकते हैं ? क्या वह आपके पत्रों का तत्काल उत्तर दे सकेगा ? मैं नहीं चाहता कि माननीय मंत्री महोदय उच्चतम न्यायालय को मामला सौंपे और रुग्ण औद्योगिक कम्पनी विधेयक के मामले में व्यर्थ में ही उच्चतम न्यायालय को लाएं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है । अर्ध-न्यायिक निकाय के सदस्य सच्चे होने चाहिए इसलिए हम चाहते हैं कि न्यायिक निकाय का परामर्श हमें प्राप्त हो । मामला बोर्ड को सौंपा जाता है और बोर्ड शक्ति सम्पन्न होता है और यह कहा जा सकता है कि बोर्ड सरकार के हाथ में है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 8 के लिए संशोधन संख्या 59, 60 और 61 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 59 से 61 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 8 क। डा० दत्ता सामन्त यहां उपस्थित नहीं हैं। हम खंड 9 को लेंगे।

श्री अय्यप्पु रेड्डी, संशोधन सं० 62।

खण्ड-9 (वेतन आदि का भारत की संचित निधि से चुकाया जाना)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 20,—

"और अपील प्राधिकरण" का लोप किया जाए। (62)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बोल चुके हैं। आप जो चाहते थे उसके बारे में कह चुके हैं।

अब मैं खंड 9 के संशोधन संख्या 62 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 62 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 10 पर विचार करेंगे।

खण्ड 10—(बोर्ड और अपीलीय प्राधिकरण की कार्यवाहियों का रिक्तियों आदि के कारण अविधिमान्य न होना)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 22,—

"यथास्थिति बोर्ड या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (63)

पृष्ठ 7, पंक्ति 23,—

"या अपील प्राधिकरण" का लोप किया जाए। (64)

पृष्ठ 7, पंक्ति 24,—

"या अपील प्राधिकरण" का लोप किया जाए। (65)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन सं० 63, 64 और 65 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 63 से 65 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 11—(बोर्ड और अपील प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 27,—

"और अपील प्राधिकरण" का लोप किया जाए। (66)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सं० 66 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 66 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12—(बोर्ड या अपीलीय प्राधिकरण की न्यायापीठों का गठन)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 7, पंक्ति 30,—

"या अपील प्राधिकरण" का लोप किया जाए। (67)

पृष्ठ 8, पंक्ति 3,—

"और यथास्थिति बोर्ड या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (68)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 67 और 68 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 67 और 68 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-13—(बोर्ड और अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 8, पंक्ति 7 और 8,—

"यथास्थिति बोर्ड या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (69)

पृष्ठ 8, पंक्ति 13,—

"यथास्थिति; बोर्ड या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (70)

पृष्ठ 8, पंक्ति 15,—

"यथास्थिति, बोर्ड या अपील प्राधिकरण" के स्थान पर "बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (71)

पृष्ठ 8, पंक्ति 22,—

"या अपील प्राधिकरण" का लोप किया जाए। (72)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 69, 70, 71, और 72 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 69 से 72 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-16—(रुग्ण, औद्योगिक कम्पनियों के कार्यकरण की जांच)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 10—

पंक्तियों 19 से 21 तक का लोप किया जाए। (73)

मैं पहले ही कह चुका हूं कि बन्द करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि बोर्ड द्वारा मामले को उच्च न्यायालय को भेजा जाए क्योंकि कम्पनी विधि के अन्तर्गत बोर्ड स्वयं यह कार्यवाही कर सकता है और इसे पूर्णतः बन्द कर सकता है। मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने का मतलब ही इसमें देरी करना है और इस प्रकार व्यक्तियों को न्याय दिलाने से इनकार करना है। विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यदि वे बकाया राशि, जो भी हो, को लेते है,

तो मामले को लम्बित रखा जाएगा और बन्द कराने के लिए उन्हें पुनः उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा। तब सरकारी परिसमापक नियुक्त करना होगा और कार्यवाही पुनः नए सिरे से आरम्भ करनी होगी। 'अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बोर्ड स्वयं ही निर्णय ले सकता है और बन्द करने के आदेश दे सकता है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस सभा में उद्योग के बारे में कहने का प्रयोजन इस उद्योग के स्वास्थ्य को ठीक रखना तथा इसे पुनर्जीवित करने का है। इस प्रयोजन के लिए हम इसकी ऊर्जा पर प्रकाश डालना चाहते हैं। जब यह निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि अब इसे स्वस्थ नहीं रखा जा सकता है तभी अन्य कार्यवाहियां की जाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सं० 73 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 73 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विधेयक के कारण हमें मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश किये बिना ही बैठना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं, हम इसे समाप्त करेंगे। हमें अधिक शक्ति प्राप्त होगी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : किन्तु मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आप इसे समाप्त कर रहे हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैंने उनसे अनुरोध किया है या तो खण्डों को समाप्त कर लें या भोजन कर लें।

खण्ड-18—(स्कीमें तैयार करना और मंजूर करना)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह कि पुनरुज्जीवन स्कीम के परिणामस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं आएगी और यदि आर्थिक क्षमता के मापदण्डों से अतिरिक्त श्रमिकों का संकेत मिलता है, तो उनके लिए उसी इकाई में या उसकी सहायक इकाइयों में, यदि कोई हों, वैकल्पिक रोजगार दिलाया जाएगा।" (95)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 12, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(ड) दायित्वों को आस्तियों के अनुसार कम करना;

(ढ) नाममात्र के ब्याज पर साम्या जैसी सहायता;

(ण) कार्यकारी पूंजी खातों में अनियमितताओं को रियायती ब्याज दर पर काफी लम्बी अवधि में लौटाए जाने वाले सावधि ऋणों में परिवर्तित करना;

(त) लेनदारों को बकाया मजूरी तथा देय राशियों का संदाय करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर साधारण सावधि ऋण देना ताकि वे आपूर्ति पुनः चालू कर सकें;

(थ) पोषण कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्षों में नकद ऋण की पूर्ति करने हेतु व्यवस्था करना।" (96)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 12—

पंक्ति 21 और 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"से रहित, जो विनिर्दिष्ट किये जाएं, किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा विरचित सहकारी सोसाइटी है, विक्रय करना और ऐसे विक्रय के लिए आरक्षित कीमत नियत करना;

(ञ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम का किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा विरचित सोसाइटी है, पट्टा देना;" (103)

पृष्ठ 12, पंक्ति 23,—

"(ञ)" के स्थान पर "(ट)" प्रतिस्थापित किया जाए। (104)

पृष्ठ 12, पंक्ति 27,—

"(ट)" के स्थान पर "(ठ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (105)

पृष्ठ 12, पंक्ति 32,—

"(ठ)" के स्थान पर "(ड)" प्रतिस्थापित किया जाए। (106)

श्री सुरेश कुरुप : इस विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है कि पुनरुज्जीवन योजना को लागू करने के पश्चात् उन कर्मचारियों के लिए क्या किया जाएगा जो बेरोजगार हो जायेंगे और यदि रोजगार में कमी की जाएगी तो उन कर्मचारियों के लिए कौन-से विशेष उपाय किए जाएंगे जो ऐसी स्थिति में बेरोजगार हो जाएंगे। अतः मेरा संशोधन इसी सम्बन्ध में है और मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि श्रमिकों के लिए अनेक बातों के बारे में हम अलग से विचार कर रहे हैं······(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : दूसरे विधेयक में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, अलग से हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए। हम इस बात पर अलग से विचार कर रहे हैं कि वर्तमान उपबन्ध के

अतिरिक्त इसमें और क्या व्यवस्था की जा सकती है। हमारा इरादा यह है कि श्रमिकों की सुरक्षा होनी चाहिए और इसी उद्देश्य से पुनरुज्जीवन योजना बनाई गई है। इसकी सुरक्षा की जाएगी किन्तु जहां इसको जारी रखने के लिए कुछ कर्मचारियों को छंटनी करना अत्यन्त अनिवार्य होगा, हमें आशा है कि इस कार्य में मजदूर संघों से भी सलाह ली जाएगी और इस स्थिति में कानूनी तौर पर पुनर्वास सम्बन्धी उपाय भी लागू किए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मैं सरकारी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 21 और 22 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"से रहित, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं किसी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा विरचित सहकारी सोसाइटी है, विक्रय करना और ऐसे विक्रय के लिए आरक्षित कीमत नियत करना;

(ञ) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के औद्योगिक उपक्रम का किसी व्यक्ति को, जिसके अन्तर्गत ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों द्वारा विरचित सोसाइटी है, पट्टा देना।" (103)

पृष्ठ 12, पंक्ति 23,—

"(ञ)" के स्थान पर "(ट)" प्रतिस्थापित किया जाए। (104)

पृष्ठ 12, पंक्ति 27,—

"(ट)" के स्थान पर "(ठ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (105)

पृष्ठ 12, पंक्ति 32,—

"(ठ)" के स्थान पर "(ड)" प्रतिस्थापित किया जाए। (106)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुरेश कुरुप द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 95 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 12, पंक्ति 34 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"परन्तु यह कि पुनरुज्जीवन स्कीम के परिणामस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों की संख्या में कमी नहीं आएगी और यदि आर्थिक क्षमता के मापदण्डों से अतिरिक्त श्रमिकों का संकेत मिलता है, तो उनके लिए उसी इकाई में या उसकी सहायक इकाइयों में, यदि कोई हो, वैकल्पिक रोजगार दिलाया जाएगा।" (95)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

1.29 म० प०

विभाजन संख्या 2

पक्ष में—

आचार्य, श्री बसुदेव
कल्पना देवी, डा० टी०
कुरुप, श्री सुरेश
घोष गोस्वामी, श्रीमती बिभा
डोरा, श्री एच० ए०
तिरकी, श्री पीयूष
तुलसीराम, श्री वी०
दत्त, श्री अमल
दास, श्री रेणु पद
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
बिश्वास, श्री अजय
रत्नम, श्री एन० वेंकट
राजू, श्री आनन्द गणपति
राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर
रियान, श्री बाजू बन
रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पु
रेड्डी, श्री पी० मानिक
रेड्डी, श्री वी० एन०
रेड्डी, श्री एम० रघुमा
साहा, श्री अजित कुमार

विपक्ष में—

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान
अलखाराम, श्री
आजाद, श्री गुलाम नबी

एन्टनी, श्री पी० ए०

कमला प्रसाद सिंह, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण सिंह, श्री

गधावी, श्री भेरावदन के

गाडगिल, श्री वी० एन०

गोमांगो, श्री गिरिधर

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई

चार्ल्स, श्री ए०

जयदीप सिंह, श्री

ठक्कर, श्रीमती उषा

डेनिस, श्री एन०

तारादेवी, कुमारी डी० के०

दिघे, श्री शरद

धारीवाल, श्री शांति

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

पटेल, श्री अहमद एम०

पटेल, श्री राम पूजन

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री यशवन्त राव गडाख

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पारधी, श्री केशव राव

पासवान, श्री राम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन

पुष्पा देवी, कुमारी

पूरन चन्द्र, श्री

प्रधान, श्री के० एन०

बघेले, श्री प्रताप सिंह
बशीर, श्री टी०
बूटा सिंह, सरदार
बेरवा, श्री बनवारी लाल
भंडारी, श्रीमती डी० के०
भगत, श्री एच० के० एल०
भानु प्रताप सिंह, श्री
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मिश्र, श्री उमाकान्त
राउत, श्री भोला
राम, श्री रामस्वरूप
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामसमुझावन, श्री
रामधन, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राव, श्री के० एस०
रावणी, श्री नवीन
वीरसेन, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
षण्मुखम, श्री पी०
शर्मा, श्री नवल किशोर
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शाह, श्री अनूपचन्द
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
साठे, श्री बसन्त
साही, श्रीमती कृष्णा
सुमन, श्री राम प्यारे
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सोढी, श्री मनफूलराम
सोरेन, श्री हरिहर

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—21;

विपक्ष में—64.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 96 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 96 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 19 को लेते हैं।

खण्ड 19—(वित्तीय सहायता देकर पुनरुद्धार)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 2-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्थापित किया जाए—

"अन्य प्राधिकरण (कोई सरकार, बैंक, संस्था या अन्य प्राधिकरण, जिससे किसी स्कीम द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है, जिसे इस धारा में इसके पश्चात् वह व्यक्ति, जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है, कहा गया है) द्वारा उधारों, अग्रिमों या प्रत्याभूतियों या अनुतोष या रियायतों या त्याग के रूप में वित्तीय सहायता के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा।" (4)

पृष्ठ 14, पंक्ति 5—

"सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है।"

पृष्ठ 14, पंक्ति 8-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(3) जहां किसी स्कीम के सम्बन्ध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट सम्मति ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई है, जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री श्रीहरि राव और श्री सी० सम्भु।

विपक्ष में : श्री स्वामी प्रसाद सिंह, श्री पृथ्वी चन्द किस्कू, चौधरी सुन्दर सिंह, डा० के० जी० आदियोडी, श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल और श्री बापू लाल मालवीय।

की गई है, वहां बोर्ड यथाशीघ्र स्कीम को मन्जूर कर सकेगा और ऐसी मन्जूरी की तारीख से ही स्कीम सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगी।" (6)

पृष्ठ 14, पंक्ति 12-14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(4) जहां किसी स्कीम के सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन सम्मति ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है, वहां बोर्ड ऐसे अन्य उपाय जिनके अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का परिसमापन है, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा।" (7)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

*पृष्ठ 14,—

पृष्ठ 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"19 (1क) जहां पुनरुजीवन स्कीम में यह अनुबद्ध है कि देय केन्द्रीय बिक्री कर सहित देय बिक्री कर की बकाया राशि के कारण नकद लेने देने में दायित्व परिलक्षित नहीं होगा, वहां यह दायित्व कम्पनी के रुग्ण होने से पूर्व कम्पनी द्वारा दिए गए निगसित कर से भारत सरकार द्वारा समुचित प्रतिसंदाय करके पूरा किया जाएगा।" (83)

पृष्ठ 14, पंक्ति 5,—

"स्कीम" के पश्चात् 'कर्मकारों के प्रतिनिधियों सहित" अन्तःस्थापित किया जाए। (84)

पृष्ठ 14, पंक्ति 14,—

अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"परन्तु किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी को समाप्त करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना बोर्ड के लिए अनिवार्य होगा।" (85)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप अहने संशोधन पर कुछ कहना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे संशोधन में यह बात कही गई है कि किसी औद्योगिक कम्पनी को समाप्त करने से पूर्व, किसी रुग्ण उद्योग को बन्द करने से पूर्व बोर्ड के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दूसरे, किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी को समाप्त करने अथवा बन्द किए जाने पर कर्मकारों की बकाया धनराशि के भुगतान को पहला उत्तरदायित्व समझा जाएगा। इसे समाप्त करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए। कर्मकारों को भुगतान की जाने वाली राशि, भविष्य निधि लेखे तथा अन्य देय राशि के भुगतान को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये मेरे संशोधन हैं। मैंने उन्हें पहले ही पेश कर दिया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं इन संशोधनों से सहमत नहीं हो सकता। कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई अन्तिम अधिकारी भी होना चाहिए। हमने बोर्ड की व्यवस्था की है। बोर्ड के गठन के पश्चात् यदि हम राज्यों को 'वोटों' की शक्ति प्रदान करें, और यदि वे नहीं मानते हैं तो एक

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

प्रकार का गतिरोध होगा। अतः बोर्ड ही अन्तिम प्राधिकरण होगा और हमने इसी की व्यवस्था की है। जहां तक श्रमिकों की देय राशि का सम्बन्ध है, मैंने अपनी राय पहले ही व्यक्त कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 83, 84 और 85 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"19. (I क) जहां पुनरुज्जीवन स्कीम में यह अनुबद्ध है कि देय केन्द्रीय बिक्री कर सहित देय बिक्री कर की बकाया राशि के कारण नकद लेने देने में दायित्व परिलक्षित नहीं होगा, वहां यह दायित्व कम्पनी के रुग्ण होने से पूर्व कम्पनी द्वारा दिए गए नियमित कर से भारत सरकार द्वारा समुचित प्रतिसंदाय करके पूरा किया जाएगा।" (83)

पृष्ठ 14, पंक्ति 5,—

"स्कीम" के पश्चात् कर्मकारों के प्रतिनिधियों सहित" अंतःस्थापित किया जाए। (84)

पृष्ठ 14, पंक्ति 14,—

अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"परन्तु किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी को समाप्त करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना बोर्ड के लिए अनिवार्य होगा।" (85)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

1.38 म० प०

विभाजन संख्या 3

पक्ष में—

आचार्य, श्री बसुदेव

कल्पना देवी, डा० टी०

कुरुप, श्री सुरेश

खां, श्री जुल्फिकार अली

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

डोरा, श्री एच० ए०

तिरकी, श्री पीयूष

तुलसीराम, श्री वी०

दत्त, श्री अमल

दास, श्री रेणु पद

बर्मन, श्री पलास

बसु, श्री अनिल

बिश्वास, श्री अजय

रत्नम, श्री एन० वेंकट

राजू, श्री आनन्द गणपति

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री पी० मानिक

रेड्डी, श्री बी० एन०

सम्बु, श्री सी०

साहा, श्री अजित कुमार

विपक्ष में—

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान

अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान

आदियोडी, डा० के० जी०

अलखाराम, श्री

आजाद, श्री गुलाम नबी

एन्टनी, श्री पी० ए०

कमला प्रसाद सिंह, श्री

किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण सिंह, श्री

गधावी, श्री भेरावदन के०

गाडगिल, श्री वी० एन०

गोमांगो, श्री गिरिधर

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई

चार्ल्स, श्री ए०

जयदीप सिंह, श्री

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

ठक्कर, श्रीमती उषा

डेनिस, श्री एन०

तारादेवी, कुमारी डी० के०

दिघे, श्री शरद

दिनेश सिंह, श्री

धारीवाल, श्री शांति

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

पटेल, श्री अहमद एम०

पटेल, श्री राम पूजन

पनिका, श्री राम प्यारे

पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पारधी, श्री केशवराव

पासवान, श्री राम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन

पूरन चन्द्र, श्री

पुष्पा देवी, कुमारी

प्रधान, श्री के० एन०

बघेले, श्री प्रताप सिंह

बशीर, श्री टी०

बूटा सिंह, सरदार

बेरवा, श्री बनवारी लाल

भंडारी, श्रीमती डी० के०

भगत, श्री एच० के० एल

भानु प्रताप सिंह, श्री

मलिक, श्री धर्मपाल

मालवीय, श्री बापू लाल

मिश्र, श्री उमाकांत

राउत, श्री भोला

राम, श्री रामस्वरूप

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामसमुझावन, श्री

रामाश्रन, श्री

राव, श्री के० एस०

रावणी, श्री नवीन

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वीरसेन, श्री

व्यास, श्री गिरधारीलाल

शर्मा, श्री नवल किशोर

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण

शाह, श्री अनूपचन्द

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

साठे, श्री वसन्त

साही, श्रीमती कृष्णा

सुन्दर सिंह, चौधरी

सुमन, श्री राम प्यारे

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सोढी, श्री मनकूराम

सोरन, श्री हरिहर

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम * इस प्रकार है :

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया !

पक्ष में : श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी, श्री एस० जयपाल रेड्डी, डा० टी० कल्पना देवी और डा० मोहन ।

विपक्ष में : श्री रामपाल सिंह, श्री महेन्द्र सिंह और श्री आर्ज जोसफ मुंडाकल ।

पक्ष में : 21

विपक्ष में : 71

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 14, पंक्ति 2-4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"अन्य प्राधिकरण (कोई सरकार, बैंक, संस्था या अन्य प्राधिकरण, जिससे किसी स्कीम द्वारा ऐसी वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है, जिसे इस धारा में इसके पश्चात् वह व्यक्ति, जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है, कहा गया है) द्वारा उधारों, अग्रिमों या प्रत्याभूतियों या अनुतोष या रियायतों या त्याग के रूप में वित्तीय सहायता के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा ।" (4)

पृष्ठ 14, पंक्ति 5,—

"सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है ।" (5)

पृष्ठ 14, पंक्ति 8-11 के स्थान पर निम्नलिलित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(3) जहां किसी स्कीम के सम्बन्ध में उपधारा (2) में निर्दिष्ट सम्मति ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई है, जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है, वहां बोर्ड यथाशीघ्र स्कीम को मंजूर कर सकेगा और ऐसी मंजूरी की तारीख से ही स्कीम सभी सम्बन्धित व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगी ।" (6)

पृष्ठ 14, पंक्ति 12-14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(4) जहां किसी स्कीम के सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन सम्मति ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई है जिससे स्कीम द्वारा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने की अपेक्षा की गई है, वहां बोर्ड ऐसे अन्य उपाय जिनके अन्तर्गत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का परिसमापन है, जो वह ठीक समझें, कर सकेगा ।" (7)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 20—(रुग्ण औद्योगिक कंपनियों का परिसमापन)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 14, (i) पंक्तियां 19 और 20,—

"वहां वह अपनी राय लेखबद्ध कर सकेगा और सम्बन्धित उच्च न्यायालय को भेज सकेगा।" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"वहां वह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी को बन्द करने में उच्च न्यायालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस अधिनियम के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी को बन्द करने के लिए कार्यवाही करेगा।"

(ii) पंक्तियों 21 से 36 तक का लोप किया जाए। (74)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पंक्ति 14,—

पंक्ति 36 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(5) किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का परिसमापन करने से पूर्व सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना बोर्ड के लिए अनिवार्य होगा।

(6) किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी का समापन या परिसमापन करने के लिए सर्वसम्बन्धित के सहमत हो जाने पर कर्मकारों को देय राशि प्रथम प्रभार समझी जाएगी और सभी मामलों में शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।" (87)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दोनों संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन संख्या 74 और 87 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 21, प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 (विधिक कार्यवाहियों, संविदाओं आदि का निलंबन)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15, पंक्ति 12-21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"22 (1). जहां किसी औद्योगिक कम्पनी के बारे में धारा 16 के अधीन कोई जांच लम्बित है या धारा 17 के अधीन निर्दिष्ट कोई स्कीम तैयार हो रही है या विचाराधीन है,

या कोई मंजूर की गई स्कीम कार्यान्वियनाधीन है, या जहां किसी औद्योगिक कम्पनी के संबंध में धारा 25 के अधीन कोई अपील लंबित है, वहां कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विधि में या औद्योगिक कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में या किसी अन्य लिखित में जो उक्त अधिनियम या अन्य विधि के अधीन प्रभावी हैं, किसी बात के होते हुए भी, ऐसी औद्योगिक कंपनी के परिसमापन के लिए या औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन, करस्मथ या वैसे ही प्रकार की किस कार्यवाही के लिए या उसकी बावत रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही, यथास्थिति, बोर्ड या अपील प्राधिकारों की सहमति से ही होगी या आगे चलाई जाएगी, अन्यथा नहीं।" (8)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16, पंक्तियां 2 और 3,—

"एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी किन्तु कुल अवधि सात वर्ष से अधिक की नहीं होगी" के स्थान पर "एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है" प्रतिस्थापित किया जाए। (75)

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 3 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह भी कि कर्मचारियों के देय वेतन और निर्माण प्रक्रिया में लगने वाले कच्चे माल तथा अन्य आवश्यक उपकरण की पूर्ति के लिए देय राशि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग का भुगतान, ऐसी घोषणा के पश्चात प्रथम वर्ष के अन्त तक तथा बकाया राशि का भुगतान ऐसी घोषणा के पश्चात द्वितीय वर्ष के अन्त तक दिया जाएगा।" (76)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 3 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह भी कि इस अधिनियम की कोई भी बात औद्योगिक विवाद अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के उपबन्धों पर अभिभावी नहीं होगी और इस अधिनियम की धारा 18 में निर्दिष्ट पुनरुजीवन स्कीमों पर विचार करने और उनके क्रियान्वयन के दौरान श्रमिकों के हितों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा।" (88)

उपाध्यक्ष महोदय : डा० दत्ता सामंत उपस्थित नहीं हैं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, 7 वर्ष के लिए कानूनी कार्यवाही निलंबित करने का अधिकार बोर्ड को देना उचित नहीं है क्योंकि इतने वर्षों के लिए कानूनी कार्यवाही के निलंबन की असाधारण शक्ति बोर्ड को दी गई है, इसलिए मेरा संशोधन उस वाक्यांश का लोप करने के लिए है। इसकी सीमा 2 वर्ष तक होनी चाहिए। मुझे आशंका है कि वित्तीय संस्था को विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत मशीनरी तथा अन्य उपकरणों को कब्जे में लेने की जो शक्तियां दी गई हैं वे भी बोर्ड के द्वारा धारा 7 के अन्तर्गत निलंबित की जा सकती हैं। इस असाधारण शक्ति का दुरुपयोग उन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने औद्योगिक इकाई को रुग्ण बनाया है, किया जा सकता है ताकि वे वित्तीय संस्थाओं को फैक्टरी जब्त करने से रोक सके। एक आपत्ति यह है।

मेरी दूसरी आपत्ति अन्य संशोधन संख्या 76 में है। जब बोर्ड कानूनी कार्यवाही के निलंबन की घोषणा करनी है तो उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता है। उसमें कोई छूट नहीं रखी है। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों को कम से कम 50 प्रतिशत वेतन प्रथम वर्ष के अन्त तक और शेष अगले वर्ष के अन्त तक दिया जाना चाहिए। यदि ऐसे निलंबन के आदेश दिए गए और बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो कच्चा माल और अन्य आवश्यक सामान सप्लाई करने वाले लोग आर्थिक दृष्टि से रुग्ण हो जायेंगे। बोर्ड को किसी भी तरह से 2 वर्ष से अधिक समय के लिए कानूनी कार्यवाही निलंबित करने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। मेरे संशोधन का यह उद्देश्य है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, कानूनी कार्यवाही का निलंबन एक साथ 7 वर्ष के लिए नहीं किया जाएगा। दो वर्ष के लिए प्रारंभिक निलंबन किया जा सकेगा और उसके बाद प्रत्येक के लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ती है। एक वर्ष के बढ़ने की अनुमति है तथा हमें यह बोर्ड की इच्छा पर छोड़ना चाहिए। हमें यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि बोर्ड को बनाते समय यह इस शक्ति का दुरुपयोग या अन्यथा ऐसा कार्य करेगा।

जहां तक कच्चा माल आदि सप्लाई करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 50% राशि का भुगतान करने के बारे में प्रावधान करने का संबंध है। मैं समझता हूं कि बोर्ड पर बहुत बाध्य होगा जबकि यह वित्तीय पैकेज का विस्तार कर रहा है। बोर्ड को पैकेज के विस्तार के लिए लचनशील होना चाहिए जिससे कि इकाई को पुनः जीवित किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं सरकारी संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ 15, पंक्ति 12-21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"22 (1), जहां किसी औद्योगिक कंपनी के बारे में धारा 16 के अधीन कोई जांच लंबित है या धारा 17 के अधीन निर्दिष्ट कोई स्कीम तैयार हो रही है या विचाराधीन है, या कोई मंजूर की गई स्कीम कार्यान्वयनाधीन है या जहां किसी औद्योगिक कंपनी के संबंध में धारा 25 के अधीन कोई अपील लंबित है, वहां कंपनी अधिनियम 1956 या किसी अन्य विधि में या औद्योगिक कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों में या किसी अन्य लिखित में जो उक्त अधिनियम या अन्य विधि के अधीन प्रभावी हैं, किसी बात के होते हुए भी, ऐसी औद्योगिक कंपनी के परिसमापन के लिए या औद्योगिक कंपनी की किसी भी संपत्ति के विरुद्ध निष्पादन, करस्थम या वैसे ही प्रकार की किस कार्यवाही के लिए या उसकी बाबत रिसीवर की नियुक्ति के लिए कोई कार्यवाही, यथास्थिति, बोर्ड या अपील प्राधिकारी की सहमति से ही होगी या आगे चलाई जाएगी, अन्यथा नहीं।" (8)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 75 और 76 को मैं सभा मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 75 और 76 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरुप द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 88 को मैं सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 88 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 23। प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24—(अपकरण कार्यवाहियां)

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 17, पंक्ति 28-29,—

"उसको, निदेश दे सकेगा" के स्थान पर "उसको, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (107)

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 31-32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(2) यदि बोर्ड का ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी का कोई निदेशक या अधिकारी या अन्य कर्मचारी है या था, अपने कब्जे में की किसी जानकारी और साक्ष्य के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी कंपनी की निधियों या अन्य सम्पत्ति का कंपनी के सद्भावित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए अपयोजन किया है या कंपनी के कार्यकलापों का प्रबन्ध कंपनी के हित के लिए अति हानिकारक रीति से किया है तो बोर्ड, लोक वित्तीय संस्थाओं, अनुसूचित बैंकों और राज्य स्तर की संस्थाओं को आदेश द्वारा यह निदेश देगा कि आदेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति को या ऐसी किसी फर्म को जिसका ऐसा व्यक्ति कोई भागीदार है या ऐसी किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय को, जिसका ऐसा व्यक्ति निदेशक है (उसका चाहे जो नाम हो) कोई वित्तीय सहायता न दें।

(3) बोर्ड द्वारा इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश ऐसे व्यक्ति को अपना निवेदन करने का अवसर दिए जाने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" (108)

पृष्ठ 17, पंक्ति 23,—

"(3)" के स्थान पर "(4)" प्रतिस्थापित किया जाए। (109)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।" (109)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30—(सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 4 और 5 में "या किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी उपबन्ध" का लोप किया जाए। (9)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यथासंशोधित खंड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32—(अधिनियम का अन्य विधियों पर प्रभाव)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 30 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

1969 का 54 "(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की कोई बात इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मंजूर की गई किसी स्कीम के परिणामस्वरूप—

(क) किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के आधुनिकीकरण या विस्तार के, या

(ख) किसी रुग्ण औद्योगिक कंपनी के किसी अन्य औद्योगिक कंपनी के साथ समामेलन या विलयन के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।" (10)

(श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 34 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 2.45 बजे म० प० पर पुनः समेकन होने के लिए स्थगित होती है।

2.49 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पैंतालीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.49 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर उन्चास मिनट म० पू० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके संबंध में भारत सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विषय सूची की मद संख्या 8 लेते हैं।

श्री बी० आर० भगत।

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति के बारे में विचार करे।"

क्या मैं कुछ कह सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : महोदय, 7 और 8 दिसम्बर, 1985 को ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन के बारे में मैं एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं।

दक्षिण एशियाई देशों का पहला शिखर सम्मेलन 7-8 दिसम्बर, 1985 को ढाका में हुआ। इस शिखर सम्मेलन से पहले स्थायी समिति की एक बैठक हुई थी जिसके सदस्य इन देशों के विदेश सचिव हैं और उसके बाद 4-5 दिसम्बर को इस शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए सातों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को भी बैठक हुई थी।

दक्षिण एशियाई देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों ने शिखर सम्मेलन के अन्तिम दिन एक चार्टर और एक घोषणा पारित की तथा एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया जिसमें कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय निहित हैं। इस चार्टर, घोषणा और संयुक्त प्रेस वक्तव्य की प्रतियां सदन की मेज पर रखी हैं।

सदन को यह सूचना देते हुए मुझे खुशी है कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी से सर्व-सम्मति से यह अनुरोध किया गया कि अगला शिखर सम्मेलन वे भारत में करवाएं। इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी करने की हमारे प्रधान मंत्री की बात स्वीकार कर ली गई है। प्रधान मन्त्री की इस पेशकश को भी स्वीकार कर लिया गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन की रूपरेखा के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर इसके कार्यकलापों में महिलाओं की भागेदारी के सम्बन्ध में एक मंत्री स्तरीय बैठक बुलाई जाये।

प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने सम्मेलन में भाग ले रहे सभी राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों से भी बातचीत की। इस अवसर पर आपसी हित के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। बंगलादेश के राष्ट्रपति इरशाद के साथ भेंट में सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति पर संतोष प्रकट किया गया। दूसरी बातों के अलावा इस बात पर सहमति हो गई है कि भारत और बंगलादेश मिजो, चकमा और तुल्फ के विद्रोहों का मिलकर मुकाबला करेंगे। जहां तक भूटान नरेश के साथ बातचीत का सवाल है दोनों देशों ने अपनी उस बातचीत को आगे बढ़ाया जो अभी कुछ महीने पहले प्रधान मन्त्री की भूटान राज्य की यात्रा के दौरान हुई थी। मालदीव के राष्ट्रपति ने प्रधान मन्त्री को मालदीव की यात्रा का निमन्त्रण दिया। इसे सहर्ष स्वीकार किया गया। महाराजाधिराज वीरेन्द्र और प्रधान मन्त्री ने महाराजाधिराज की भारत यात्रा के बाद के सम्बन्धों पर विचार-विमर्श किया। इस बात पर सहमति हुई कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया 17 दिसम्बर को 1 दिन के लिए भारत आएंगे और फिर आगे द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की जाएगी। प्रधान मन्त्री ने श्रीलंका की जातीय समस्या पर श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ विचार विनिमय किया।

इस शिखर सम्मेलन को उचित ही एक ऐतिहासिक घटना की संज्ञा दी जा सकती है। वस्तुत: इस शिखर सम्मेलन में श्री राजीव गांधी की इस अभिव्यक्ति को औपचारिक तौर पर मूर्त रूप मिला है जो उन्होंने अपने वक्तव्य के अन्त में कही थी कि, "जनसंख्या की दृष्टि से यह संसार का सबसे बड़ा क्षेत्रीय वर्ग है।"

इस सम्मेलन में यह निर्णय भी लिया गया कि सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों और विदेश मन्त्रियों की अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी बैठकें होनी चाहिएं और इस निर्णय ने एक बहुत ऊंचे स्तर पर क्षेत्रीय परामर्श के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर दिया है जिसकी बहुत जरूरत थी। आशा की जाती है कि इस प्रकार के परामर्श से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के सदस्य देशों के बीच सद्भावना समझ-बूझ और मित्रता बढ़ेगी जिसका इन देशों में परस्पर द्विपक्षीय सम्बन्धों पर रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा। सहयोग के नए क्षेत्र तय किए गए हैं तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग और विकसित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने व्यक्ति स्तर पर सम्पर्क को तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के तत्वावधान में किए जाने वाले कार्यकलापों से उन्हें जोड़ने को बहुत महत्व दिया है। अब भविष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के अन्तर्गत होने वाले कार्यकलाप सदस्य सरकारों में उच्चतम स्तर पर राजनीतिक इच्छा और संकल्प से सम्भव हो सकेंगे।

प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत ने इस शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की इस भूमिका को अच्छी तरह सराहा गया और इसे व्यापक मान्यता मिली।

इस शिखर सम्मेलन से दक्षिण एशियाई देशों के बीच यद्यपि सहयोग के एक नए युग का शुभारम्भ हुआ है लेकिन हमें उन कठिनाइयों को कम करके नहीं आंकना चाहिए जो इस महत कार्य में हमारे मार्ग में आ सकती हैं। हमें अभी अतीत की कड़वाहट को भुलाना होगा और अपने सम्बन्धों की कुछ वर्तमान समस्याओं को सन्तोषजनक ढंग से सुलझाना होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हितों और सार्वभौम प्रश्नों पर भी हमारे दृष्टिकोण में अन्तर होना लाजमी है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन हमारे सामने इन कठिनाइयों को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता है उन्हें काबू करने का एक मौका भी हमें देता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन का चार्टर

हम, बंगला देश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष :—

1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा गुटनिरपेक्ष के सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, विशेषकर प्रभुसत्ता-समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, बल का इस्तेमाल न करना और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा समस्त विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए शांति, स्थिरता, सौहार्द और क्षेत्रीय प्रगति बढ़ाने के इच्छुक;

2. इस बात के प्रति सचेत होकर कि बढ़ते हुए अन्योन्याश्रित विश्व में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय और आर्थिक समृद्धि के उद्देश्यों की पूर्ति सदस्य राज्य द्वारा

जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों से बद्ध है, आपसी समझ-बूझ, अच्छे पड़ोसी सम्बन्धों एवं अर्थपूर्ण सहयोग द्वारा हो सकती है;

3. दक्षिण एशिया के लोगों के समान समस्याओं, हितों और आकांक्षाओं की जानकारी रखते हुए तथा संयुक्त कार्य अपने-अपने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालियों और सांस्कृतिक परम्पराओं के अन्तर्गत और अधिक सहयोग की आवश्यकता महसूस करते हुए;

4. इस ओर से आश्वस्त कि दक्षिण एशिया के देशों में आपसी क्षेत्रीय सहयोग, परस्पर लाभदायक और वांछनीय है तथा इस क्षेत्र के लोगों के हित कल्याण के संवर्धन के लिए और उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए आवश्यक है;

5. इस ओर से भी आश्वस्त कि द० एशिया के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सहयोग से राष्ट्रीय और सामूहिक आत्म-विश्वास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा;

6. इस बात को स्वीकार करते हुए कि इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग सम्पर्क और आदान प्रदान बढ़ने से इन देशों के लोगों के बीच मित्रता और सद्भाव पड़ेगा;

7. 2 अगस्त, 1983 को नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा का स्मरण करते हुए और क्षेत्रीय सहयोग में हुई प्रगति पर गौर करते हुए;

8. एक संस्थागत रूपरेखा के अन्तर्गत इस प्रकार के सहयोग को संवर्धित करने के अपने निर्णय की पुनः पुष्टि करते हुए;

एतद्द्वारा

एक संगठन स्थापित करने पर सहमत होते हैं जिसे दक्षिण एशियाई केन्द्रीय सहयोग एसोसिएशन की संज्ञा दी जाएगी और जिसका इसके बाद में उल्लेख "एसोसिएशन" कहकर किया किया जाएगा और जिसके उद्देश्य, सिद्धान्त संस्थागत तथा वित्तीय प्रबन्ध नीचे लिखे अनुसार होंगे।

अनुच्छेद-1

उद्देश्य

एसोसिएशन के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :

(क) दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण में वृद्धि तथा उनके जीवन स्तर में सुधार।

(ख) क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में वृद्धि तथा सभी को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना और उनकी निहित क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करना।

(ग) दक्षिण एशिया देशों के बीच सामूहिक आत्म-निर्भरता को बढ़ाना और उसे मजबूत करना।

(घ) आपसी विश्वास, समझबूझ और एक दूसरे की समस्याओं के समाधान में योगदान देना।

(ङ) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग तथा आपसी मदद को बढ़ावा देना।

(च) अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना।

(छ) अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में समान हित के मामलों पर उनके बीच में सहयोग को मजबूत करना तथा

(ज) समान उद्देश्यों और प्रयोजनों वाले अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सगठनों के साथ सहयोग करना।

अनुच्छेद-2

सिद्धांत

1. एसोसिएशन के ढांचे के भीतर सहयोग, प्रभुसम्पन्न समानता, प्रादेशिक अखण्डता, राजनैतिक स्वतन्त्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप और आपसी लाभ के सिद्धांतों के प्रति सम्मान की भावना पर आधारित होगा।

2. इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा अपितु उनका सम्पूरक होगा।

3. इस प्रकार का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों के आड़े नहीं आएगा।

अनुच्छेद-3

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की बैठकें

1. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष वर्ष में एक बार मिलेंगे या जब भी सदस्य देश आवश्यक समझेंगे एक से भी अधिक बार मिलेंगे।

अनुच्छेद-4

मंत्री परिषद

1. एक मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी जिसमें सदस्य राज्यों के विदेश मन्त्री शामिल होंगे। इस मंत्रिपरिषद के कार्य निम्नानुसार होंगे :—

(क) एसोसिएशन की नीतियां बेकार करना;

(ख) एशोसिएशन के अन्तर्गत सहयोग की प्रगति की समीक्षा करना;

(ग) सहयोग के नए क्षेत्रों का निर्णय;

(घ) एशोसिएशन के अन्तर्गत, जैसा भी आवश्यक हो, अतिरिक्त यांत्रिक की स्थापना;

(ङ) एशोसिएशन के सामान्य हित के अन्य मामलों पर निर्णय;

2. मंत्रिपरिषद वर्ष में दो बार अपनी बैठकें करेगी। परिषद का असाधारण अधिवेशन सदस्य राज्यों के बीच समझौता करके बुलाया जा सकता है।

अनुच्छेद-5

स्थायी समिति

स्थायी समिति के जिसमें विदेश सचिव शामिल हैं,

निम्न कार्य होंगे—

(क) सहयोग कार्यक्रम की समूची निगरानी और समन्वय;

(ख) परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुमोदन और उनके वित्त प्रबन्ध के तौर-तरीके;

(ग) अन्तर-क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का निर्धारण;

(घ) क्षेत्रीय एवं बाह्य संसाधनों का संग्रह;

(ङ) समुचित अध्ययनों पर आधारित सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाना;

2. स्थायी समिति की बैठक, जब जब आवश्यक होगा, की जाएगी।

3. स्थायी समिति मंत्रि परिषद की सावधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और जब आवश्यक होगा नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए इसका उल्लेख करेगी।

अनुच्छेद-6

तकनीकी समितियां

तकनीकी समितियां जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, सहयोग के अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगी।

2. उनके निम्नलिखित विचारणीय विषय होंगे :—

(क) समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग की संभाव्यता और क्षेत्र का निर्धारण;

(ख) कार्यक्रम बनाना और परियोजनायें तैयार करना;

(ग) क्षेत्रीय कार्यक्रमों के वित्तीय निहितार्थों का निर्धारण;

(घ) लागत-आबंटन के बारे में सिफारिशें तैयार करना;

(ङ) क्षेत्रीय कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और समन्वय;

(च) क्रियान्वयन में प्रगति की निगरानी;

3. तकनीती समितियां समय-समय पर स्थाई समिति को रिपोर्टें प्रस्तुत करेंगी।

4. तकनीकी समितियों का अध्यक्ष सामान्यतः हर दो वर्ष बाद वर्णानुक्रम से बारी-बारी से सदस्य देश होगा ।

5. तकनीकी समितियों, जब आवश्यक समझें अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित क्रिया-विधियों और तौर-तरीकों का प्रयोग करेंगी;

(क) राष्ट्रीय तकनीकी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठकें;

(ख) विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की बैठकें;

(ग) इस क्षेत्र के मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट केन्द्रों के बीच सम्पर्क;

अनुच्छेद-7

कार्य समितियां

1. स्थायी समिति कार्य समितियां गठित कर सकती है जिसमें परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सदस्य देश शामिल होंगे, जिसमें दो से अधिक सदस्य देश होंगे परन्तु सभी सदस्य देश नहीं ।

अनुच्छेद-8

सचिवालय

इस एसोसिएशन का एक सचिवालय होगा ।

अनुच्छेद-9

वित्तीय प्रबन्ध

1. इस एसोसिएशन के कार्यकलापों के लिए वित्त की व्यवस्था के लिए प्रत्येक सदस्य राज्य का अंशदान अपनी पूंजी पर होगा ।

2. प्रत्येक तकनीकी समिति अपने प्रस्तावित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने के लिए लागत-आबंटन की सिफारिश करेगी ।

3. अगर इस एसोसिएशन के कार्यकलापों के लिए क्षेत्र से ही पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था न की जा सके तो उपयुक्त बाहरी साधनों से वित्त की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन इसके लिए स्थायी समिति का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

अनुच्छेद-10

सामान्य प्रावधान

1. सभी स्तरों पर निर्णय सर्व-सम्मति के आधार पर लिए जाएंगे ।

2. इसकी कार्रवाई में द्विपक्षीय और विवादास्पद मसलों को शामिल नहीं किया जाएगा ।

3. उपरोक्त पर निष्ठा रखते हुए हमने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं और मोहर लगाई है ।

ढाका, बंगला देश में आज, ई० सन एक हजार नौ सौ पचासी के दिसम्बर मास के आठवें दिन सम्पन्न हुआ।

हुसैन मोहम्मद इरशाद	मौमून अब्दुल गय्यूम
बंगलादेश लोक गणराज्य के राष्ट्रपति	मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति
जिग्मे सिंगे वांगचुक	बीरेन्द्र बीर बिक्रम शाहदेव
भूटान नरेश	नेपाल नरेश
राजीव गांधी	मोहम्मद जिया-उल-हक
भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री	पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य के राष्ट्रपति
जूनियर्स रिचर्ड जयवर्धने	श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों की ढाका घोषणा

8 दिसम्बर, 1986

बंगलादेश के राष्ट्रपति, भूटान नरेश, भारत के प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल नरेश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति तथा श्रीलंका के राष्ट्रपति की 7 और 8 दिसम्बर, 1985 को ढाका में बैठक हुई।

2. राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों ने अपने सर्वप्रथम दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बैठक को मैत्री, विश्वास तथा आपसी समझबूझ की भावना से अपनी समान समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक साथ मिलकर काम करने तथा परस्पर सम्मान, समानता तथा समान रूप के फायदों पर आधारित एक व्यवस्था कायम करने के लिए अपने संकल्प के साकार अभिव्यक्ति के रूप में समझा।

3. उन्होने इस बात को मान्यता दी कि यदि उनके स्तर पर इस प्रकार की आवधिक बैठकें होती रहीं तो इससे उनके देशों के बीच आपसी विश्वास तथा भरोसे की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

4. राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों ने इस बात की पुन: पुष्टि की कि उनका मूल उद्देश्य अपने-अपने देशों की आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया की गति प्रदान करना है जो कि उनके मानव और भौतिक संसाधनों का अनुकूल प्रयोग करके किया जाना है ताकि उनके लोगों के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। वे इस बात के बारे में सजग थे कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले शांति और सुरक्षा की स्थिति कायम करना अत्यन्त आवश्यक है।

5. दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने अपनी इस वचनबद्धता को दोहराया कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति तथा उन सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हैं जो राज्यों की प्रभुसम्पन्न समानता,

झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप तथा उनकी प्रादेशिक अखण्डता और राजनैतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध ताकत के उपयोग या उसके खतरों के सिद्धांतों के प्रति पालन करते हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी मसलों का समाधान खोजने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है।

6. उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि उनका यह गहरा विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में महत्वपूर्ण ताकत के रूप में गुट निरपेक्ष आन्दोलन के उद्देश्यों को निरन्तर मान्यता प्राप्त हो रही है तथा उनका काफी महत्व है।

7. राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों ने इस बात को स्वीकार किया कि दक्षिण एशियाई देशों को जिनमें विश्व की जनसंख्या का पांचवां हिस्सा रहता है, गरीबी, अल्प विकास, उत्पादन के अल्प स्तर, बेरोजगारी तथा जनसंख्या के दबाव के कारण उत्पन्न भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उनका विचार था कि उनके देश उन बहुत से समान मूल्यों से बंधे हुए हैं जो उनके आर्थिक, जातीय, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परम्पराएं क्षेत्रीय सहयोग में जुड़े हुए हैं, इन समान मूल्यों से इन समस्याओं का एक तार्किक समाधान खोजने में मदद मिली है। वे अपने-अपने देशों की तथा क्षेत्रीय ताकतों, भारी बाजार के रूप में अपनी क्षमताओं, अपने प्रमुख मानसिक और प्राकृतिक संसाधनों तथा अपनी अर्थव्यवस्थाओं के अनुपूरक बातों के बारे में पूरी तरह सजग थे। उनका विश्वास था कि प्रभावी क्षेत्रीय सहयोग से वे इन क्षमताओं का अनुकूल उपयोग कर सकते हैं ताकि उनके लोगों को लाभ पहुंच सके उनके आर्थिक विकास के मार्ग को गति प्रदान की जा सके और उनकी राष्ट्रीय और सामूहिक आत्म-निर्भरता को बढ़ाया जा सके। वे इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि उनके देश, जिन्होंने मानव सभ्यता को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक साथ मिलकर अपनी भूमिका निभा सकते [हैं और उन निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं जिनका उन पर असर पड़ता है।

8. राज्यों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस पर बल दिया कि दक्षिणी अफ्रीका में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि उनके लोग इसमें पहले से ज्यादा जुड़ें। वे इस बात पर सहमत हुए कि उनके देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर पारस्परिक प्रभाव बढ़ाया जाए और व्यक्ति स्तर के सम्बन्धों को और बढ़ाया जाए। इसके प्रति उन्होंने क्षेत्र में जागरूकता लाने और लोकमत पैदा करने के लिए कदम उठाने का निर्णय किया।

9. राज्यों अथवा शासनाध्यक्षों ने परस्पर सहमति के नौ क्षेत्रों में कार्रवाई के समेकित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने साझेदारी और समानता के भाव से समुचित संस्थागत फ्रेमवर्क के भीतर सामूहिक प्रयासों को समेकित करने और अधिक प्रसार के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की।

10. उक्त नेतागण इस बात के प्रति आश्वस्त थे कि वे अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्देश्यों का प्रभावी रूप से अनुसरण कर सकते हैं और शांति और सुरक्षा के वातावरण में ही अपने लोगों के जीवन-स्तर में सुधार ला सकते हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की बिगड़ती हुई स्थिति पर चिंता व्यक्त की। वे हथियारों की दौड़, विशेषकर नाभिकीय दृष्टि से, में

आ रही असाधारण तेजी के प्रति शंकालु थे। उन्होंने यह माना कि आज मानव अब तक के तैयार किए गए अत्यधिक विनाशक हथियारों का प्रचूर मात्रा में संचय करके स्वयं के विनाश के लिए खतरा बन गया है। हथियारों की दौड़ से अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हुई है और इससे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन हुआ है। नेताओं ने नाभिकीय हथियारों वाले देशों से व्यापक परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि पर अत्यावश्यक बातचीत करने की मांग की जिससे नाभिकीय हथियारों के परीक्षण, उत्पादन और विस्तार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। इस सम्बन्ध में उन्होंने राष्ट्रपति रीगन और महासचिव गोर्बाचोव के बीच हाल ही में जेनेवा में बातचीत का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इस बैठक से अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

11. राज्यों अथवा शासनाध्यक्षों ने विश्व की अर्थ-व्यवस्था में बढ़ते हुए संकट पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बिगड़ती हुई आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों ने दक्षिणी एशिया और अन्य विकासशील देशों में विकास की सम्भावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। पदार्थों के तेजी से गिरते हुए मूल्यों, व्यापारिक दृष्टि से अवनति, बचाव सम्बन्धी उपायों में तीव्रीकरण, बढ़ता हुआ ऋण-बोझ और बाह्य संसाधनों विशेषतया रियायती सहायता की उपलब्धि में कमी से विकासशील देशों के आर्थिक विकास को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। इनके साथ विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक विपदायें और अस्थिर विश्व खाद्य सुरक्षा स्थिति और शामिल हो गई है। उन्होंने लाभरहित तथा अधिक गरीब देशों की आवश्यकताओं की प्रभावी रूप से पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय और तकनीकी संस्थानों की गिरती हुई क्षमता पर भी चिन्ता व्यक्त की और खेद व्यक्त किया कि नीचे गिराने और कमजोर बनाने के लिए बहुपक्षीय सहयोग की भावना आरम्भ हो गई है। यह विशेषकर विकसित और विकासशील देशों की बढ़ती हुई पारस्परिक स्वतन्त्रता के पक्ष और इस तथ्य को, कि उत्तरी क्षेत्र का आर्थिक रूप से उत्थान दक्षिण में आर्थिक प्रगति से बहुत अधिक सम्बद्ध है, अस्त-व्यस्त कर रही है। उनका विश्वास है कि पिछले दशक के दौरान हुए विकास से मूलभूत असन्तुलनों और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में निहित असमानता और विकासात्मक समस्याओं का मुकाबला करने में इसकी अपर्याप्तता का स्पष्ट पर्दाफाश हुआ है।

12. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास नीति और न्यूनतम विकसित देशों के लिए कार्रवाई के महत्वपूर्ण नए कार्यक्रमों के लक्ष्यों और उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निश्चित प्रयास किए जाने चाहिये। उन्होंने मांग की कि उत्तर-दक्षिण वार्ता तत्काल शुरू की जाए और विश्वव्यापी सहयोग के साथ मुद्रा और वित्त पर शीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए।

13. राज्य और शासनाध्यक्ष ढाका शिखर सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्व के प्रति जागरूक थे और उन्होंने अपनी बात को पुनः दोहराया कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी इस बैठक में उन्होंने स्थापना की थी, से क्षेत्रीय सहयोग को ठोस आधार प्राप्त होगा, अपने देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास की गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी, व्यक्तिगत तथा सामूहिक आत्म-निर्भरता के उद्देश्यों को उन्नत करने और अपने क्षेत्र और विश्व में शांति, प्रगति तथा स्थायित्व और बढ़ाने में मदद मिलेगी।

14. राज्यों अथवा भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सरकार के

शासनाध्यक्षों ने बंगलादेश के राष्ट्रपति द्वारा उनकी बैठक की उदाहरणस्वरूप की गई अध्यक्षता की बहुत प्रशंसा की। सरकार और बंगलादेश के लोगों द्वारा उनको दिए गए हार्दिक और शानदार सम्मान तथा बैठक के लिए की गई उत्तम व्यवस्था पर उन्होंने प्रगाढ़ आभार व्यक्त किया।

ढाका में 7-8 दिसम्बर, 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के प्रथम शिखर सम्मेलन की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

बंगलादेश के राष्ट्रपति, भूटान नरेश, भारत के प्रधान मन्त्री, मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल नरेश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और श्रीलंका के राष्ट्रपति की 7 और 8 दिसम्बर, 1985 को ढाका में बैठक हुई।

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 8 दिसम्बर, 1985 को दक्षिण एशियाई एसोसिएशन के क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने ढाका घोषणा भी स्वीकार की।

उन्होंने यह बात स्वीकार की कि स्थायी समिति को आतंकवाद की समस्या की जांच हेतु एक अध्ययन दल का गठन करना चाहिए क्योंकि इससे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के सदस्य देशों की सुरक्षा और स्थिरता प्रभावित होती है। उन्होंने मंत्रिपरिषद् को यह भी निदेश दिया कि वह इस अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार करें और उन्हें इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें दें कि इस समस्या को हल करने के लिए सदस्य राज्य किस प्रकार परस्पर सहयोग कर सकते हैं।

उन्होंने इस बात को भी स्वीकृति दी कि औषध द्रव्यों के अवैध व्यापार और उनके दुरुपयोग की समस्या के सम्बन्ध में भी एक ऐसा ही अध्ययन किया जाए।

उन्होंने यह फैसला किया कि सदस्य सरकारें विशेषकर विकासशील देशों में से सबसे अल्प विकसित देश के हित को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास करें कि नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और "गाट" के जरिये विश्व व्यापार पद्धति में सुधार के सम्बन्ध में किये जा रहे विचार-विमर्श के बारे में उनमें परस्पर मतैक्य हो। इस प्रयोजन से, मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया। इस सम्बन्ध में तैयारी करने के लिए स्थायी समिति एक बैठक आयोजित करेगी। राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि इन बैठकों का आयोजन पाकिस्तान में किया जाए।

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के सिद्धान्तों का पालन करते हुए क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले क्रियाकलापों में अधिक से अधिक भाग लें और यह कि विकास की इस प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चय करने के लिए कार्यक्रम और परियोजनाएं तैयार की जाएं। अतः उन्होंने स्थायी समिति को यह निदेश दिया कि वह इस विषय पर एक मंत्री स्तरीय सम्मेलन बुलाएं ताकि इन क्रियाकलापों का पता लगाया जा सके और एक कार्य योजना बनाई जा सके। उन्होंने भारत के प्रधान मन्त्री का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि यह सम्मेलन भारत में बुलाया जाए।

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने, जिन्होंने यह निर्णय किया है कि इस एसोसिएशन के एक सचिवालय का गठन किया जाए, विदेश मन्त्रियों को यह निदेश दिया कि वे इसकी स्थापना के स्थान, संरचना, कार्य और इसकी वित्त व्यवस्था पर विस्तार से विचार करें और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के समक्ष विचारार्थ पेश करें।

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने अपनी अगली बैठक नवम्बर, 1986 में आयोजित करने का निर्णय किया। उन्होंने भारत के प्रधान मन्त्री का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि यह बैठक भारत में आयोजित की जाए। उन्होंने भूटान नरेश का यह प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन की 1987 की वार्षिक शिखर सम्मेलन भूटान में आयोजित किया जाए।

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशियाई सहयोग एसोसिएशन के चिन्ह के सम्बन्ध में विदेश मन्त्रियों की चतुर्थ बैठक की सिफारिश सर्वसम्मति से स्वीकार कर ली।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करती है।"

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात् :—

"कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् सरकार की नीति का अनुमोदन तथा पूर्ण समर्थन करती है।" (1)

श्री एन० वेंकट रत्नम (तेनाली) : महोदय, मुझे बहुत खुशी होती यदि माननीय मन्त्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव में ये शब्द 'और इसकी असफलता' जोड़ दिये जाते अर्थात् 'कि यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति तथा इसकी असफलता पर विचार करती है।' माननीय मन्त्री के भाषण से जो अभिप्राय परिलक्षित होता है उससे यही ज्ञात होता है कि किसी भी प्रकार की असफलता नहीं हुई है। मुझे आशा है कि इस पर सारी सभा को आपत्ति होगी, क्योंकि कोई भी कार्य पूर्णतः सफल अथवा असफल नहीं होता है। असफलतायें और सफलतायें दोनों ही होती हैं।

महोदय, प्रधान मन्त्री के पदासीन होने के बाद ही प्रधान मन्त्री महोदय ने अपना ही पंचशील, अर्थात् पांच सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं। वे हैं :—

1. शांति के लिए कार्य करना।
2. पारस्परिक और आपसी हित के आधार पर सभी देशों के साथ मित्रता रखना;
3. गुट-निरपेक्षता के प्रति वचनबद्धता;
4. न्याय, समानता और पारस्परिक सहयोग के आधार पर आर्थिक व्यवस्था; और
5. राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप न करके राज्यों की स्वतन्त्रता की सुरक्षा करना।

यह हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री की पंचशील है। यह बात विचारणीय है कि अपने प्रधान मन्त्री के इन पांच सिद्धान्तों का हम लोग कहां तक पालन कर पाये हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मन्त्री महोदय ने अब तक की उपलब्धि के बारे में कहा है। हम अपने निकटतम पड़ोसी देशों से ही आरंभ करते हैं।

पिछली बार जब मैं इस विषय पर बोल रहा था तब मैंने कहा था कि हम लोग दूरवर्ती देशों के मित्र तथा निकटतम पड़ोसी देशों के शत्रु हैं। मेरे विचार से, जहां तक निकटस्थ पड़ोसी देशों का सम्बन्ध है, हम लोग अपनी विदेश नीति में असफल रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय अपने निकटस्थ पड़ोसी देशों—बंगलादेश, नेपाल, भूटान आदि के साथ अपने मैत्री सम्बन्धों के बारे में कह रहे थे। यद्यपि हमारा देश इन पड़ोसी देशों यथा बंगलादेश, भूटान और नेपाल को मदद दे रहा है किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ये देश भारत को अपना पूरा मित्र नहीं मानते हैं। ये देश हमें शंका की दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि हमने बंगलादेश को विकास के लिए 13.20 करोड़ रुपये देकर उनकी सहायता की तथापि बंगलादेश के साथ हमारे फरक्का बांध, विवाद, सीमा तथा कांटेदार तार लगाने का विवाद है। पांचवीं योजना के लिए हमने भूटान को 55.53 करोड़ रुपये की सहायता दी है। हमने नेपाल को भी 25.56 करोड़ दिये हैं। इन देशों के अतिरिक्त श्रीलंका के बारे में हमारी क्या नीति है। श्रीलंका हमारा निकट पड़ोसी देश है और श्रीलंका के साथ हमारी बहुत समय से बातचीत चल रही है। किन्तु इसके साथ ही कत्लेआम भी चल रहा है और हमारे मित्रों ने जो शंका व्यक्त की है वह सही प्रतीत होती है कि जब तक हम इस चर्चा के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तब तक पूरी लंका में कोई तमिल रहेगा ही नहीं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीलंका में इस तरह से हत्या हो रही है। अब क्या करना उचित है? मुझे यह कहते हुए डर लगता है कि हमारा देश इस मामले में किसी भी दृष्टि से पर्याप्त रूप से गम्भीर नहीं है। आप वहां जाते रहे हैं

3.00 म० प०

और वह यहां आते रहे हैं और बातचीत भी चल रही है किन्तु उसका क्या लाभ है? वहां सामूहिक हत्या की जा रही हैं और मेरा अनुरोध है कि हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ इसका समाधान करना चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम इन सब बातों पर गर्व करते हैं, तब हमें अन्य मोर्चों पर अपनी असफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। हमारी सरकार श्री जयवर्धने को श्रीलंका में भारतीयों के कत्लेआम को शीघ्र समाप्त करने के लिए मनवा नहीं सकी है। श्रीलंका में हजारों तमिलों की हत्या की जा रही है। उनके साथ क्या हो रहा है? अन्ततोगत्वा वे लोग भारतीय हैं। वे लोग तमिलनाडु के हैं जो इस देश का ही अंग है। अतः आपकी विदेश नीति की यह पहली असफलता है।

दूसरे, पाकिस्तान सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न होने से हमारी स्थिति क्या है? मेरे विचार से पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध के बारे में हम बुरी तरह से असफल रहे हैं। किसी समय माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान परमाणु बम का निर्माण न करे, हमने अमरीका और फ्रांस को मना लिया है। किन्तु हमें अब अच्छी तरह से पता चल गया है कि यह स्वीकार कर लिया गया कि पाकिस्तान ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया है और समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यह समाचार मिल चुका है कि इस बम का परीक्षण चीन की भूमि पर किया गया था। अतः यह हमारी असफलता नहीं है कि एक ओर तो हम यह कहते हैं कि

हमने अमरीका को इस बात के लिए सहमत कर लिया है कि पाकिस्तान को बम बनाने की अनुमति न दी जाए किन्तु इसके बावजूद पाकिस्तान ने बम बना भी लिया है और उसका विस्फोट भी कर लिया? जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, उस देश के साथ हमारी भिन्नता है किन्तु उस देश से इसका कोई उत्तर नहीं है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमारी आन्तरिक नीतियों में भी हस्तक्षेप कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने देश में प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रोत्साहन दे रहा है और समाचार पत्रों में यह समाचार छपा था कि किसी समय श्रीलंका से कुछ लोग प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान भेजे गए थे और तथाकथित उग्रवादियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण के बाद उन्हें श्रीलंका वापिस भेज दिया गया था और उन्हें वे देशद्रोही तथा उग्रवादी कहते हैं। इस समय पाकिस्तान इस प्रकार की गतिविधियों में लगा हुआ है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मुझे भय है कि पाकिस्तान से निपटने के लिए हमारे पास वैसी क्षमता नहीं है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि सांप भले ही न मरे किन्तु यह फुसकारेगा और यदि वह फुसकारेगा भी नहीं, तो उसका सिर ही कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान से निपटने के लिए हमने अभी तक कोई सुदृढ़ नीति नहीं बनाई है। हमारा कहना यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका से मदद पाने के कारण पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंचा है। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि हमें संयुक्त राज्य अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति भली-भांति समझ लेनी चाहिए और ईरान के पतन के बाद अमरीका रूस से कोई रक्षा नहीं कर पाया है। स्वाभाविक है, कि अमरीका रूस के विरुद्ध कवच था और उसे पाकिस्तान एक अच्छा मित्र मिल गया जो रूस के विरुद्ध उनके लिए कवच का काम करता है। यह स्वाभाविक है कि अमरीका पाकिस्तान को सैनिक सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें उसका अपना हित है। पाकिस्तान यह सहायता किसी और इरादे से प्राप्त कर रहा है पाकिस्तान यह सहायता पाना चाहता है और उसे भारत के विरुद्ध प्रयोग में लाना चाहता है। हमारे इस कहने का कोई लाभ नहीं कि अमरीका पाकिस्तान की मदद न करे। अमरीका किसी और प्रयोजन से पाकिस्तान की सहायता कर रहा है और पाकिस्तान किसी और प्रयोजन से उसका प्रयोग करने की चेष्टा कर रहा है। अमरीका को यह कहने का कोई आशा नहीं कि वह पाकिस्तान की सहायता न करे। दोनों के इरादों में अन्तर है। हमारी अपरिहार्य आवश्यकता यह है कि हम परमाणु बम बनाकर या इस प्रकार की कोई भी अपेक्षित वस्तु बनाना स्वयं को सशक्त बनायें। अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनायें। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि राष्ट्रों के समुदाय में हमारे राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं समझा जाता है। मेरे विचार में हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति की सबसे बड़ी असफलता यही है। सर्वप्रथम हम अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनायें। जब तक हमारा राष्ट्र आर्थिक दृष्टिकोण से, सैनिक दृष्टिकोण और अन्य सभी दृष्टिकोण से शक्तिशाली नहीं होगा; तब तक अन्य देशों की दृष्टि में हमारा सम्मान या आदर होना सम्भव नहीं है चाहे हम सैकड़ों बैठकें करें, सैकड़ों बातें करें।

मैं आपको एक और कमजोरी बताना चाहूंगा। हिन्द महासागर हमारा महासागर है। किंतु हम इसे अभी तक शांति क्षेत्र घोषित नहीं करवा पाए हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा सगठन पारित किया था कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र घोषित किया जाए किन्तु अभी तक हम इस प्रकार की शांति सन्धि नहीं कर पाए हैं और दिएगो गार्शिया द्वीप पर अन्य राष्ट्रों की सेना आने से नहीं बचा पाए हैं। विभिन्न देश वहां सेना भेज रहे हैं। वे वहां अपने सैनिक अड्डे स्थापित कर रहे हैं और दिएगो गार्शिया, जो हमारे देश से बहुत नजदीक है, से किसी भी देश पर चढ़ाई करने को तैयार है। आपको यह सोचकर दुख होगा कि अमरीका के असहयोग के कारण हम ऐसा नहीं कर

सके हैं। अमरीका ने एक बार यहां तक कह दिया था कि जब तक अफ़गानिस्तान का मामला नहीं सुलझ जाता है, तब तक वह वाद-विवाद में भी भाग नहीं लेगा। इस मामले के सम्बन्ध में अमरीका का यह रवैया बड़ा ही निर्दयतापूर्ण है। यह पूरी तरह से एक भिन्न मामला है जिसका दूसरे मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। हम अपने निकटस्थ स्थान दिएगो गार्शिया में ही शांति सुनिश्चित नहीं कर सके हैं। हम यह क्या कर रहे हैं? हमारी गतिविधियां क्या हैं? हम अनेक देशों का दौरा करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। किन्तु अच्छा नाम पाने, बहुत ही दयालु व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति कहलाने का क्या लाभ है? यदि हम दिएगो गार्शिया में अन्य राष्ट्रों का प्रवेश नहीं रोक सकते तो हमारा यह सब करने का क्या लाभ है? कुछ भी नहीं।

अद्यतन समाचार यह है कि हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाए जाने की घोषणा पर चर्चा 1988 तक स्थगित कर दी गई है। यह बड़ी दयनीय स्थिति है।

दक्षिण अफ्रीका के निवासियों के हम सच्चे मित्र तथा महान रक्षक हैं और उनके हित को हमने गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के अध्यक्ष के नाते उठाया है। 'चोगम' की बैठकों में हम ग्रेट ब्रिटेन की महान प्रधान मंत्री श्रीमती मार्गेट थैचर को वे प्रतिबन्ध लगाने को नहीं मना पाए हैं जिसका हमने और अन्य सभी देशों ने दक्षिण अफ्रीका सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव किया था। केवल एक महिला द्वारा इसका विरोध किया गया था, वह थी श्रीमती मार्गेट थैचर। लेकिन हम अपनी स्थिति के बारे में यह डींग मारते रहते हैं कि हम श्रीमती थैचर द्वारा उठाए गए रवैये को निष्फल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी इच्छा के अनुसार "मंजूरी" शब्द के स्थान पर कुछ अन्य शब्द को प्रतिस्थापित किया गया और इंग्लैंड जाने के तुरन्त बाद उन्होंने कहा था कि वह झुकी नहीं थी बल्कि अन्य देशों ने उसके अनुरोध को स्वीकार किया था। इसका यह अर्थ है कि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रस्तावित आर्थिक प्रतिबन्धों के बारे में सभी देशों द्वारा बनाए गए प्रस्ताव को उन्होंने वीटो कर दिया था। उसी समय क्या दक्षिण अफ्रीका की स्थिति के बारे में किसी ने चिंता व्यक्त की थी। जबकि बातचीत चल रही थी, दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत नेताओं को लोगों के सामने लटकाया जा रहा था। क्या श्रीमती थैचर इसको रोक नहीं सकती थीं। जी नहीं, उन्होंने इसे नहीं किया। उनकी अपनी देश इंग्लैंड में रंगभेद की नीति को प्रोत्साहित किया जाता है। भारतीय मारे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। श्रीमती थैचर क्या कर रही हैं? हम बिना किसी डर के कह सकते हैं कि कम से कम आंतरिक रूप से श्रीमती थैचर रंगभेद की नीति का समर्थन करती है।

दूसरा, हम अन्य बातों पर नजर डालते हैं। जहां हम दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध करते हैं वहीं हमें दक्षिण अफ्रीका में मूल भारतीय लोगों, हमारे भाईयों के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। इन भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका से निकाला जा रहा है। हमारी सरकार क्या कर रही है? हम दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर भारतीयों को कोई कष्ट न देने के बारे में दबाव नहीं डाल सके हैं या विश्वास नहीं डाल सके हैं। पिछली दो या तीन पीढ़ियों से वे वहां रह रहे हैं तथा अब उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और मारा जा रहा है तथा उनके मकानों और दुकानों को लूटा जा रहा है। हम जोरदार शब्दों में कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका सरकार शामिल नहीं है। लेकिन हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीयों को न निकाला जाए?

देश में आतंकवादी गतिविधियों के सम्बन्ध में पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा

या एक्वेडर में आतंकवादी तत्वों को प्रशिक्षण प्रदान करने से रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं ? इन सभी देशों में बहुत से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जहां तक एक्वेडर का सम्बन्ध है उन्होंने खालिस्तान तक का समर्थन कर दिया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ? इन सभी बातों से कोई भी निश्चितपूर्वक कह सकता है कि जबकि ये सभी पश्चिमी देश बाहर से मित्र हैं वे आंतरिक रूप से किसी भी तरह दोस्त नहीं हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि विश्व में यूनेस्को एक अच्छा मित्र है। फिर भी संयुक्त राज्य अमरीका ने इसका बहिष्कार किया है और अब इंग्लैंड ने इसका बहिष्कार किया है। जब वे अपेक्षित धन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो किसको नुकसान होता है ? विकासशील देशों की उनकी कार्यवाही के कारण हानि उठानी होगी। विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस बारे में आपने क्या किया है ? अमरीका और इंग्लैंड के मामले में आपने क्या कदम उठाए हैं जब उन्होंने यूनेस्को का बहिष्कार किया था।

3.16 म० पू०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

महोदय, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस सरकार के दुश्मन नहीं हैं। हम अच्छे काम की प्रशंसा करते हैं और सरकार की ओर असफलता की आलोचना करते हैं। पहली बात जिसका मैं सुझाव देना चाहता हूं, यह सुझाव मैं विचार करने के बाद दे रहा हूं कि रूस के विरुद्ध से सुरक्षा के रूप में अमरीका पाकिस्तान की सहायता क्यों कर रहा था और आप घोषणा कर रहे हैं कि अमरीका पाकिस्तान की सहायता कर रहा है क्योंकि सोवियत रूस अफगानिस्तान की सहायता कर रहा है। हम कहेंगे कि सोवियत रूस के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। अतः झगड़े की जड़ अफगानिस्तान है। यदि अफगानिस्तान की समस्या हल हो जाती है तो अमरीका को पाकिस्तान की मदद करने का कोई आधार नहीं है और हमारे पास यह कहने का नैतिक समर्थन या नैतिक क्षमता है क्योंकि अफगानिस्तान समस्या नहीं है तो आप पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई क्यों कर रहे हो ? अब हमने नैतिक समर्थन खो दिया है। इसके बाद, इस दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे सम्बन्ध परिणामकारी होने चाहिए। हमें इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस राष्ट्र या इस राष्ट्र के दौरे पर गए और उनका वहां बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। बहुत अच्छी तरह से प्रशंसा की गई और सब कुछ किया गया। इन सभी चीजों का क्या फायदा है। यदि वे परिणामकारी नहीं होते हैं तो देश में इन सभी मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों से हमने क्या प्राप्त किया है ? क्या आपने कोई अधिक निर्यात किया है ? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। महोदय, जैसाकि इस सभा में कहा गया है कि हमारा विदेशी ऋण 30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। हमारी विदेशी नीति के द्वारा हमने क्या आर्थिक सुधार प्राप्त किया है ? कुछ नहीं। क्या यह परिणामकारी है ? नहीं, कुछ नहीं। तथाकथित इस मैत्रीपूर्ण रवैया के द्वारा हमारा देश कुछ भी प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से असफल रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पूरी तरह से हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध नहीं हैं। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम एक हैं। सभी विकसित देशों की उत्पादनवादी, एकपक्षीय और द्विपक्षीय नीति के विरुद्ध हमारा देश और हमारी सरकार लड़ रही है। वे विकासशील देशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसके कारण हमें विश्व बैंक की तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं का आश्रय लेना पड़ता है। वे अन्य देशों से मांग रही हैं जो इससे लड़ रहे हैं। लेकिन अनभव बहुत निराशापूर्ण है। हमें यह

कहना है कि हम नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के मामले में, अर्थात प्रधानमंत्री द्वारा किए गए वायदे के मामले में, जिसको मैं पहले ही कह चुका हूं, पूर्णतया सरकार के साथ हैं। इसके लिए विकासशील देशों के साथ आप बहुत समन्वय कर रहे हैं। जैसाकि मैंने ई० सी० डी० सी० का कार्यक्रम कहा था। यह एक बात है तथा हम विकासशील देशों के साथ विश्वव्यापी व्यापार करने की और विश्व बैंक के आधार हम दक्षिण बैंक की स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अन्य बात नहीं है। आई० टी० ई० सी० का भारतीय कार्यक्रम 440 लाख रुपए से शुरू हो गया है। अब इसका 650 लाख रुपए का बजट है। अतः इन सभी पहलुओं को देखते हुए इन सभी क्षेत्रों में जहां कहीं सरकार अच्छा कार्य कर रही है, वहां हम सरकार का समर्थन करने में हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन जहां कहीं असफलता है वहां हम सरकार का विरोध करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों या विदेशी मामलों में हमारी नीति पूरी तरह से असफल या पूरी तरह से सफल नहीं हुई है। अतः हमें इसे इस प्रकार से लेना चाहिए कि हमें असफलता मिली है और अब हमें यह सोचना चाहिए कि इस असफलता पर किस प्रकार से विजय हासिल की जाए।

हमारे प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार करने के बारे में सभी के रवैया से सम्बन्धित चेतावनी का एक शब्द मैं कहना चाहता हूं। हम स्वीकार करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ईमानदार व्यक्ति कहा जाता है और मैं यह कहते हुए नहीं हिचकता हूं कि पूरे विश्व के नेताओं में वह सबसे ईमानदार हैं। मैं यह कहते हुए हिचकता नहीं हूं। लेकिन हमारे में कमी है और यदि हम श्रीमती इन्दिरा गांधी को तानाशाह कहते थे तथा हमें यह भी आशंका है कि हम अपने व्यवहार से अपने प्रधानमन्त्री जी को तानाशाह बना देंगे क्योंकि प्रधानमन्त्री की ओर हमारा रवैया ठीक नहीं है क्योंकि प्रधानमन्त्री जी के साथ काम करते समय अपरिपक्व रवैया दिखाते हैं। जैसा कि आपने इस सभा में देखा है कि जब प्रधानमन्त्री जी बोलते हैं तो हम ताली बजाते हैं जब वह उठते हैं तो हम ताली बजाते हैं और आदि आदि ! यह बहुत खतरनाक रवैया है क्योंकि प्रधानमन्त्री जो बहुत युवा व्यक्ति राजनीति के लिए नए हैं तथा यदि हम इस तरह से उनकी बहुत प्रशंसा करें तो इससे बहुत खतरा है कि यह युवा व्यक्ति, यह ईमानदार नेता तानाशाह बन जाएगा। हमें अपने रवैया के बारे में बहुत सावधान होना चाहिए। और यदि हम इसे खोते हैं तो हम इस ईमानदार और युवा व्यक्ति को जो देश के लिए खतरा हो सकता है, सहन नहीं कर सकते। अतः हमें उनके साथ परिपक्व व्यवहार करना चाहिए। हम बच्चे नहीं हैं। हम अनुभवी संसद सदस्य हैं। अतः हमें उनके साथ उचित रूप से व्यवहार करना चाहिए। जहां वह सही होते हैं वहां हमें उनका समर्थन करना चाहिए; जहां वह गलत होते हैं वहां हमें उनकी आलोचना करनी चाहिए तथा हमें अपना कर्तव्य उचित रूप से करना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का दृश्य बहुत विशाल है और संभवतः कोई भी भटक सकता है। इसलिए मैं कुछ उन विश्वव्यापी मामलों तक स्वयं को सीमित रखूंगा जो हमसे सम्बन्धित हैं।

आज, हम ऐसे विश्व में रह रहे है जहां आणविक विनाश का डर है। यह सामान्य जानकारी की बात है कि महान व्यक्तियों ने ऐसे आणविक हथियार बना लिए हैं जो इस धरती पर अनेक बार जीवन का विनाश कर सकते हैं। और हालांकि यह स्पष्ट है कि वे एक दूसरे के विरुद्ध आणविक हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यह दोनों का नाश करेगा परन्तु दुर्घटनावश कुछ होने का

खतरा लगा रहता है। इसलिए समूचे विश्व के लोगों की चिन्ता का मुख्य विषय शांति है। शांति की दिशा में पहला कदम निरस्त्रीकरण है।

जब युद्ध नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि शांति है। शांति का अर्थ है एक विश्वसनीय गारन्टी कि कल होगा, कि भविष्य भी होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ने की आशा में कोई कुछ निर्माण कर पीछे छोड़ा जा सकता है।

इसलिए शांति सहयोग के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। समानता के आधार पर सहयोग न कि मालिक और दास के आधार पर सहयोग।

विकासशील देशों में हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा विकास मुख्य रूप से विश्वव्यापी वातावरण पर निर्भर करता है। यदि शांति और सहयोग का वातावरण होगा तो हमारे पास इसके लिए संसाधन उपलब्ध हैं अन्यथा उनका उपयोग सैनिक कार्यों के लिए किया जाएगा और यदि शांति और सहयोग का वातावरण हुआ तो उसका उससे हमें व्यापार की सुविधा प्राप्त होगी और हम ऐसे संस्थानों का निर्माण कर सकेंगे जिनसे हमारे देश के लोगों का जीवन बेहतर हो सकेगा। इसलिए जैसा कि आप देखते हैं; इसके लिए शांति का होना पहली शर्त है। और इस शांति की प्राप्ति के लिए पहला कदम निरस्त्रीकरण है—कम से कम निरस्त्रीकरण इस स्थिति तक होना चाहिए कि विश्व में मानव जाति समूल नष्ट न हो जाए।

शांति बनाये रखने तथा उसे सुदृढ़ करने तथा निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने प्रयत्न सराहनीय हैं। परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जो छः राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। नई दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन करने तथा नई दिल्ली में घोषणा करने के लिए, जिसका पूरे विश्व ने स्वागत किया है, मैं प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। शांति की ओर बढ़ने के लिए यह निरस्त्रीकरण का एक आधार बन जाती है।

जैसा कि मैं कह रहा था कि आज जो तनाव का वातावरण बना हुआ है; वैसे ही वातावरण में द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, बजाय इसके कि लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए सहकारी संस्थाओं का गठन होता, विश्व दो शक्ति गुटों में बट गया। दो बड़ी शक्तियां बन गई हैं और जो अपने प्रभाव में विश्व को विभाजित करना चाहती हैं। इसके साथ ही सैनिक गुट के एक विकल्प के रूप में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ। हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों को स्वतन्त्र रहने की चाह थी। वे नहीं चाहते थे कि वे किसी-न-किसी गुट बंधे रहे हैं। इसके साथ ही शांति बनाने रखने में इसके प्रभाव व्यापक हुए। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कई चरणों से गुजरा है। किस समय इसे अनैतिक समझा गया क्योंकि यह उन लोगों के पक्ष में नहीं था जो यह समझते थे कि नव स्वतन्त्र देश उनके पक्ष में रहेंगे। किन्तु इसके साथ ही, मेरे विचार से शांति बनाये रखने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में इनका बहुत ही ठोस योगदान रहा है। आपको वास्तविक स्थिति का अनुमान तब होगा जब आप इस बात को महसूस करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से गत लगभग 40 वर्षों में विश्व में अस्त्रों पर 30 खरब अमरीकी डालर व्यय हो चुके हैं। यदि यह राशि लोगों का जीवन बेहतर बनाने में लगाई जाती, यदि इस राशि को बच्चों को नये अवसर प्रदान करने में लगवाया जाता, यदि इस राशि को बीमार व्यक्तियों को नव-जीवन प्रदान करने में लगाया जाता तो आज हम जिस विश्व में रहते हैं; वह विश्व कहीं अधिक सुरक्षित, संरक्षित और उपयोगी होता। किन्तु इसके विपरीत शस्त्र रखने की होड़ को बढ़ावा मिला है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसका

अन्त नहीं हुआ है। अब महा शक्तियां नये परमाणु अस्त्रों के बारे में, अत्याधुनिक परमाणु अस्त्रों के बारे में सोचते हैं और बाह्य अन्तरिक्ष में अस्त्रों के प्रवेश की बात सोचते हैं जो और भी अधिक घातक है। हम सभी जानते हैं और यह सभा जानती है कि बाह्य अन्तरिक्ष में अस्त्र का प्रयोग करने के लिए तथाकथित अन्तरिक्ष युद्ध अस्त्र प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाह्य अन्तरिक्ष में जब अस्त्रों का प्रवेश हो जायेगा; तो क्या होना ? यदि लड़ाई छिड़ जाये, तो अन्तरिक्ष पर उसका प्रभाव पड़ेगा।

किन्तु इसके साथ ही विश्व में आशा विद्यमान है। आशा की किरण दिखाई देती है। जबकि सरकारें शस्त्रों की पागल दौड़ में लगी हुई हैं; विश्वभर के लोग परमाणु युद्ध के विरुद्ध शांति और निरस्त्रीकरण का आन्दोलन चला रहे हैं। यह एक अच्छी प्रवृत्ति है और बहुत ही उपयोगी है और मुझे आशा है कि कालान्तर में इससे सरकारों को अस्त्रों को छोड़कर सहयोग का रास्ता अपनाना होगा।

किन्तु वास्तविक समस्या यह है कि हम उस संसार में रहते हैं जो शक्ति प्रणाली पर आधारित है। चाहे यह बल शस्त्रों का हो, जिन्हें हम प्रयोग करते हैं अथवा उस बल का हो जिसका हम उपयोग करते हैं तो खेद के साथ मुझे इस सभा में कहना पड़ता है कि—बल की यही धारणा है, जिससे विश्व संचालित होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम महात्मा गांधी द्वारा दी गयी सीख का पालन करें; जिसके द्वारा उन्होंने हमें यह सिखाने की चेष्टा की थी कि बल प्रयोग की अपेक्षा सर्व सम्मति का पालन किया जाये। यदि हम शस्त्रों की होड़ का परित्याग करना चाहते हैं; तो धारणा में परिवर्तन करना अत्यधिक आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति सीमित रूप से निरस्त्रीकरण के बारे में सोच सकता है किन्तु निरस्त्रीकरण के बारे में विश्व का और ही विचार है। पाषाण युग में लोग एक दूसरे पर पत्थर के अस्त्रों का प्रहार करते थे; हम तब भी युद्ध करते थे और हम शनैः शनैः परमाणु अस्त्रों तक बढ़ चुके हैं। इसलिए जब तक हम बल की अपेक्षा सर्व सम्मति पर आधारित समाज का पुनः निर्माण नहीं कर पाते हैं तब तक निरस्त्रीकरण पर जोर देने से कोई समस्या नही सुलझ सकेगी।

दूसरी बात यह है कि पश्चिमी यूरोप एक पृथक सत्ता के रूप में उभर कर आया है। जहां तक बल और शक्ति का सम्बन्ध है आज विश्व अधिकांश रूप से दो भागों में बंटा हुआ है। अधिकांश देश गुट-निरपेक्ष देश है, अधिकांश इस रूप में कि इसकी संख्या और इनमें रहने वाले निवासियों की संख्या सबसे अधिक है किन्तु जहां तक बल का सम्बन्ध है, यह विश्व दो भागों में बंटा हुआ है। मुझे आशा है कि यदि यूरोप उभर कर आता है और अपनी पृथक सत्ता स्थापित कर लेता है तो संभवतः तनाव कम होगा। और यदि महा शक्ति अस्त्र के मामले में विश्व दो ध्रुवों में भी बंट जाते हैं तो भी ऐसे अन्य बल होंगे जो न्यायोचित करने की चेष्टा करेंगे और वे टकराव का वातावरण समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। और इसके अलावा, महोदय, मैं इस बात पर जोर दूंगा कि मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि महा शक्तियों में युद्ध चल रहा है अपितु टकराव का जो वातावरण है, मुझे उसकी चिन्ता है क्योंकि जब तक हम टकराव, भय और दमन को इस वातावरण में जो तब तक विकास बहुत ही सीमित सीमा में हो पायेगा।

यहां पुनः हमें शिखर सम्मेलन का स्वागत करना चाहिए जो हाल ही में महा सचिव गोर्बाचोव और राष्ट्रपति रीगन के बीच हुआ है। यद्यपि इसका परिणाम इस दृष्टि से कारगर

नहीं निकला है जिसे स्पष्ट किया जा सके और देखा जा सके अथवा टकराव को दूर करने वाला आंदोलन कहा जा सके किन्तु अच्छी बात यह है कि उनके मष्तिष्क युद्ध के मैदान से हट कर सम्मेलन करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और वे अब बात-चीत कर रहे हैं और जब वे लोग बातचीत में व्यस्त रहेंगे तो युद्ध के अवसर कम होंगे और इसलिए दो बड़ी शक्तियों के नेताओं के बीच हुई बैठक का हमें हार्दिक स्वागत करना चाहिए और यह आशा करनी चाहिए कि इस प्रकार के प्रयत्न सदा जारी रहेंगे और वे इस तरह के सम्मेलन जारी रखेंगे तथा युद्ध के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारे प्रधान मंत्री का दौरा जिसकी श्री वेंकट रत्नम् ने पूर्णतया सराहना नहीं की है, शांति और निरस्त्रीकरण के लिए किए गए इस प्रयास से जुड़ा है। बहमास में हुए राष्ट्र मंडल के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाग लेना, संयुक्त राष्ट्र संघ का उनका दौरा, सोवियत संघ, अमरीका, ब्रिटेन, जापान, वियतनाम और अन्य विभिन्न देशों के उनके दौरे का उद्देश्य उनके अपने हित में नहीं था और न ही अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन करने के विचार से किया गया था अपितु उनमें दौरे का उद्देश्य उन क्षेत्रों तक पहुंचने का एक सम्मिलित प्रयास जहां निर्णय हो रहे हैं तथा यह पता लगाना था कि उनके क्या विचार हैं, उसे किस प्रकार सामान्य किया जासकता है तथा उन्हें सामान्य बनाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है। मेरे विचार से इन देशों की उनकी यात्रा से भारत का सम्मान बढ़ा है और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भागीदारी बढ़ी है।

प्रधान मन्त्री ने जो पहल करते रहे हैं, उसके संबंध में मैं सुझाव देता हूं। मुझे आशा है कि मेरे मित्र, विदेश मंत्री, उसके बारे में प्रधान मंत्री को बता देंगे। मेरे विचार से परमाणु निरस्त्रीकरण पर हुए छः राष्ट्रों के सम्मेलन के समान ही कोई नया सम्मेलन आयोजित करने का यही उपयुक्त समय है। इसके लिय बृहद आकार पर, न केवल गुट-निरपेक्ष देश का, अपितु पूर्व और पश्चिम के सभी देशों को इस सम्मेलन में बुलाने का प्रयास करें। यदि हम उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं; तो यह शांति के लिए एक महत्त्वपूर्ण दबाव डालने वाला ग्रुप होगा और वह अमरीका तथा सोवियत संघ दोनों पर प्रभाव डाल सकेगा। मेरे विचार से ये गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष होने के नाते उनके लिए यही उचित देन होगी जिसे वह अपने उत्तराधिकारी जिम्बाबवे को सुपुर्द कर दें बजाय इसके कि छः राष्ट्रों के सम्मेलन की पहल करके वह इसके अध्यक्ष का प्रभार वह सतत चलते रहने वाले कार्यक्रम के साथ अध्यक्ष का पद भार सौंपे जो, मेरे विचार में बहुत ही अधिक प्रभावकारी होगा। कम से कम हम वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेते रहेंगे जो प्रत्यक्ष संघर्ष अथवा टकराव को दूर करने का एकमात्र विकल्प है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमने इस प्रकार की चेष्टा एक बार पहले भी की थी।

श्री दिनेश सिंह : हम हमेशा प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि प्रोफेसर जानते हैं कि विदेशी संबंधों में इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है। वह स्वयं ही ऐसे कुछ प्रयास करते रहे हैं जिनमें उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिल पायेगी किन्तु वह आशावादी हैं और हम भी आशावादी हैं।

सप्ताह के अन्त में जो एक और उल्लेखनीय घटना की है, उसका उल्लेख करना यहां उचित होगा। मेरे मित्र, विदेश मन्त्री महोदय ने अत्यधिक कृपा करके एक वक्तव्य दिया है और मैं उनके शब्दों का अत्यधिक सम्मान करता है किन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह अवसर इतना महत्त्वपूर्ण है कि इस अवसर पर यदि प्रधान मन्त्री महोदय वक्तव्य देते तो अधिक उपयुक्त होता। तथापि, मुझे

आशा है कि सप्ताह के अन्त में ढाका में एस० ए० ए० आर० लि० का जो सम्मेलन हुआ उसका मूल्यांकन वह स्वयं ही उचित समय में हमें देंगे।

ढाका में हुए सम्मेलन से विश्व के क्षेत्रीय संगठनों की शृंखला पूरी गई है। विश्व में यही एक ऐसा क्षेत्र था जो क्षेत्रीय संगठन से नहीं जुड़ पाया था। अन्य सभी देश अपने-अपने ग्रुपों से जुड़े हुए हैं। मेरा विचार है कि दक्षिण-एशियाई संस्था के अभाव में एशियाई संगठन एक विशाल संगठन नहीं बन सका है। एशिया ही एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एशियाई संगठन नहीं है। और सभी महाद्वीपों में संगठन बने हुए हैं। अब, दक्षिण एशियाई संघ गठित हो चुका है और मुझे आशा है कि एशियाई संघ और अधिक विशाल बनेगा जिससे यह विशाल ग्रुप को वार्ता करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मुझे प्रसन्नता है कि चीन ने एस० ए० ए० आर० सी० का स्वागत किया है और चीन द्वारा इसका स्वागत किये जाने से एशियाई संगठन का और विस्तार होना संभव हो गया है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि एक दक्षिण एशियाई सगठन का गठन हो चुका है। मैं बहुत सयम से इसकी वकालत करता रहा हूं। और जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा था, मैंने कुछ प्रयत्न किये थे जिनका कोई फल नहीं निकला। मुझे याद है, काफी समय पूर्व, 1967 में, मुझे भारत की ओर से बैंकाक जाने तथा एशियाई मन्त्री परिषद् गठित करने का प्रस्ताव रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार वे अफगानिस्तान में भी मिले थे किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सका। अब, एस०ए० ए० आर० सी० की बैठक होने के साथ, मुझे आशा है कि एस० ए० ए० आर० सी० की मन्त्रि परिषद के अलावा एशियाई मन्त्रि परिषद भी बना सकेंगे और निरस्त्रीकरण तथा शांति की प्रक्रिया में वे एशिया का ठोस योगदान कर सकेंगे। क्या मैं यह भी आशा कर सकता हूं कि इस संगठन में हम अन्य तीन देशों को अर्थात् अफगानिस्तान, बर्मा और ईरान को भी सम्मिलत कर सकेंगे जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए हैं। इनके शामिल होने से हम शृंखला पूरी कर सकेंगे।

अनेक प्रकार से दक्षिण एशियाई सहयोग भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध पर निर्भर करता है। मैं यह कहने का साहस नहीं करता कि यह इस पर आश्रित है। किन्तु भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध दक्षिण एशियाई एशोसियेशन में निश्चित रूप से भूमिका निभायेंगे। वास्तव में इन दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी जैसे सम्बन्ध न होने के कारण अब तक एस० ए० ए० आर० सी० नहीं बन पाया है।

मुझे बहुत खुशी है कि हमारी सरकार और स्वयं प्रधानमन्त्री द्वारा इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे विदेश सचिव ने इसमें बहुत रुचि ली है। कोलम्बो की तरह ही वह इस्लामाबाद आते जाते रहे हैं। आशा है पाकिस्तान के साथ हमारा तालमेल और बढ़ेगा।

मैंने अखबारों में पढ़ा है—मालूम नहीं यह कहां तक सही है—कि राष्ट्रपति जिया ने ढाका में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) की बैठक में कहा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले में दक्षिण एशियाई देशों में अधिक सहयोग होना चाहिए। मुझे सही शब्द नहीं मालूम···

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : परमाणु शस्त्रों पर प्रतिबन्ध।

श्री विनेश सिंह : यह तो सामान्य बात है जिसे स्वीकार किया गया है। उन्होंने कुछ और ही कहा है। मैं 8-12-85 के टाइम्स आफ इण्डिया को उद्धृत कर रहा हूं। उसके अनुसार :

"पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिला-उल-हक ने आज दक्षिण एशियाई देशों से एक-

दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग न करने या उसकी धमकी न देने और आणविक शस्त्रों को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से शपथ लेने का आह्वान किया।"

यह 'सार्क' की बैठक के अन्त में घोषित समझौते का यह हिस्सा नहीं था। लेकिन मुझे इसमें कुछ भी आपत्ति जनक नहीं लगा। संभव है 'सार्क' ऐसी वचनबद्धता के लिए तैयार नहीं हो। लेकिन मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर द्विपक्षीय आधार पर ही विचार किया जाए। जहां तक मैं समझता हूं हमें पाकिस्तान के साथ इस समय दो कठिनाइयां हैं। पहली यह कि वह अणु बम बनाना चाहते हैं। हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह अणु बम बनाने ही वाले हैं। दूसरी, यह कि उन्होंने अपने यहां विदेशी अड्डों की स्थापना न होने देने के सम्बन्ध में कोई पक्का आश्वासन नहीं दिया है। जबकि गुट निरपेक्ष आन्दोलन में भाग लेने वालों के लिए यह एक सहज वचनबद्धता है। पाकिस्तान के साथ हम अगर रक्षा सम्बन्धी कोई समझौता कर लें तो ये खतरे नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और भारत के बीच रक्षा समझौता होगा तो उनके लिए एकपक्षीय तौर पर बम बनाना या विदेशी अड्डों की स्वीकृति देने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मुझे मालूम है कि ऐसे उपाय करने में कुछ खतरा, कुछ जोखिम रहता है लेकिन प्रधानमन्त्री जी अनेक जोखिम उठा रहे हैं इसलिए, मेरे विचारानुसार, यह जोखिम भी उठा लेना चाहिए।

महोदय, पाकिस्तान और भारत अपने व्यापार में ढील दे रहे हैं। यह भी बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। लेकिन क्या मैं यह कह सकता हूं कि व्यापार उदारीकरण ही इसका हल नहीं है? औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक सहयोग करना होगा और एक दूसरे के विकास की प्रक्रिया में एक-दूसरे के फालतू स्रोतों को परस्पर बांटना होगा। तभी दोनों की एक दूसरे के कल्याण और सुरक्षा में रुचि होगी। मुझे आशा है कि मेरे मित्र विदेश मंत्री के लिए इस पर सक्रिय रूप से विचार करना संभव होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से सम्बन्धित अन्य असंख्य विचारार्थ मामलों पर मैं सभा का समय नहीं लूंगा, खासकर इसलिए कि आपने घंटी बजा दी है। सभापति महोदय मेरा कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं दक्षिण अफ्रीका में न्याय और प्रतिष्ठा के लिए अल्प संख्यक गोरी सरकार के खिलाफ किए जा रही वीरतापूर्ण संघर्ष का उल्लेख नहीं करता। दक्षिण अफ्रीका की जनता बहुत समय तक दासता, गरीबी और अपमान का जीवन बिताया है। अब वे उन चन्द लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने उन्हें दास बनाया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंग भेदी नीतियों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में प्रधान मंत्री जी ने राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में जो प्रयास किए हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। दुर्भाग्य से हमें वहां सफलता नहीं मिली। मैं विदेश मन्त्री को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सम्मेलनों में अत्यधिक व्यस्त रहने और ग्रुपों के साथ काफी अन्तराल के बाद सम्पर्क करने की बजाए हमें एक समय सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिए और अगर उस समय सीमा में कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकलता तो हमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध पर जोर देना चाहिए। जो देश हम से सहमत नहीं हैं उन्हें अलग हो जाने दीजिए और उनकी गिनती कीजिये। जब हम समस्या को थोड़ा बहुत हल कर सकते हैं और दक्षिण अफ्रीका की जनता को समर्थन दे सकते हैं तो हमें दक्षिण अफ्रीका में जारी दासता का भागीदार नहीं बनना चाहिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे विदेश मंत्री और उनके माध्यम से भारत सरकार और खासकर प्रधानमंत्री को बधाई देने दीजिये जिन्होंने एक ऐसे

काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसकी शुरुआत अगस्त, 1983 में दिल्ली में हुई थी और आज दो साल बाद उसकी परिणीति कल प्रधान मंत्रियों की बैठक में 'सार्क' की घोषणा से हुई। फिर भी, जैसा कि श्री दिनेश सिंह जी ने कहा है यह कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें क्षेत्रीय सहयोग नहीं हो सकता था, बल्कि इस प्रकार के क्षेत्रीय सहयोग के लिए कोई कार्यात्मक ढांचा मौजूद नहीं था। कल-परसों राज्य या शासनाध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ है वह स्वयं में इस क्षेत्र में शांति और विकास की स्थापना के लिए तनाव को समाप्त करने का एक पर्याप्त उपाय है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हुआ है। कुछ ठोस और सकारात्मक परिणाम निकले हैं, जैसा कि अभी-अभी श्री वेंकट रत्नम और श्री दिनेश सिंह ने कहा है। उन्होंने कल जारी की गई घोषणा का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है, "उपस्थित राज्य और शासनाध्यक्ष शस्त्रों और खासकर अणु अस्त्रों की बढ़ती हुई होड़ पर चिंता व्यक्त करते हैं।" यह हमारे लिए बहुत प्रासंगिक और सकारात्मक है। हमें विश्वास है, कम से कम हमें पूरा भरोसा है कि हमारा पड़ोसी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, और युद्ध के उद्देश्य से परमाणु ऊर्जा के प्रयोग का पता लगाना उसका प्रयोग करना या प्रयोग करने का प्रयास करना बन्द कर देगा। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में एक महान कदम होगा। इससे हमें शांति और विश्वास मिलेगा क्योंकि हम पिछले कई महीनों या एक साल से अपने महान पड़ोसी देश पाकिस्तान के बम बनाने के इरादे से चिन्तित हैं।

जैसा कि मैं आपसे और सभा से निवेदन कर चुका हूं कि सात राज्यों के उन शासनाध्यक्षों का मिलना ही एक बड़ी उपलब्धि है जिनके हाथों में विश्व के अधिसंख्यक लोगों का भाग्य है। लेकिन आणविक शस्त्रों की घोषणा के अलावा भी बहुत कुछ है। आज सुबह हमने अखबारों में पढ़ा है कि आतंकवाद के संबंध में एक पेनल बनाया जाएगा। अब हमें विश्वास हो गया है कि सीमा पार से उग्र-वादियों और आतंकवादियों का आना बन्द हो जायेगा या पड़ोसी सरकार इस घुसपैठ को रोकने के लिये उपाय करेगा। इससे पंजाब में स्थिति को सुधारने में निश्चय ही काफी सहायता मिलेगी और स्थिति में सुधार होगा।

महोदय, 'सार्क' की बैठक का महत्व कम नहीं आंका जाना चाहिए। इसकी उपलब्धियां काफी हैं और इस परिस्थिति में आशा से कहीं अधिक हैं। 'सार्क' का एक स्थायी सचिवालय बनाने का निर्णय लिया गया है। मेरे ख्याल से यह एक सकारात्मक कदम है। आमतौर पर कहा जाता है कि अन्तर्राष्ट्रीय नौकरशाही आसान को मुश्किल और मुश्किल को असंभव बना देती है। मेरा विचार है कि इस मामले में ऐसा नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि कल जिस संस्थागत ढांचे की या स्थायी सचि-वालय की स्थापना की गई है वह राज्य और शासनाध्यक्षों, जिनकी कल और परसों बैठक हुई है, के उद्देश्यों और राजनैतिक इच्छा को आगे बढ़ायेगा और उसमें अड़चन नहीं बनेगा।

श्री दिनेश सिंह 'सार्क' की उपलब्धियों से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने यह कहा है कि केवल दक्षिण एशिया के देश ही क्यों, एशिया के सारे देश शान्ति और विकास के लिए एकजुट क्यों नहीं होते। इस संबंध में उन्होंने अपने स्वयं के योगदान का उल्लेख किया है। पण्डित जवाहर लाल नेहरू के शिष्य होने के नाते श्री दिनेश सिंह ने सदैव यही चाहा और 1966 में ऐसा ही किया। जहां तक एशिया की पहचान का सम्बन्ध है, एशियाई सहयोग का सम्बन्ध है, पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1966 से पूर्व और 1947 में क्या कहा था। उनका स्वर अभी भी इस महाद्वीप के लोगों के दिलो-दिमाग को प्रभावित करेगा। उस समय 1947 में दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा था :

"एशिया के देश अब और अधिक दूसरों के गुलाम नहीं रह सकते, विश्व के मामलों में उनकी अपनी नीतियां होंगी। यूरोप और अमरीका ने मानव की प्रगति में बहुत योगदान दिया है और इसके लिए हमें उनकी प्रशंसा और सम्मान करना चाहिए और उन्होंने जो शिक्षा देनी है वह लेनी चाहिए। लेकिन पश्चिम ने हमें अनगिनत युद्धों और संघर्षों में भी फंसा दिया है और अभी भी एक भयानक युद्ध हो चुकने के बाद हमारे सन्निकट परमाणु युग में और युद्धों की बात की जाती है। इस परमाणु युग में शान्ति बनाए रखने के लिए एशिया को कारगर ढंग से काम करना होगा। वास्तव में जब तक एशिया अपनी भूमिका नहीं निभाता, तब तक शान्ति नहीं हो सकती।"

तो महोदय, ये बातें और नीतियां बहुत समय से देश की आजादी से भी पूर्व से चली आ रही हैं। कांग्रेस के इस सौवें वर्ष में, जब हम कांग्रेस पार्टी की पहली शताब्दी मना रहे हैं, और प्रधान मंत्री बहुत उत्साह से अपने नाना जी की नीतियों को दोहरा रहे हैं, तब ऐसे में सामूहिक एशियाई आत्मनिर्भरता और शान्ति तथा विकास के लिए सामूहिक प्रयास की धारणा को याद करना ठीक होगा।

महोदय, स्पष्ट है कि हालात को देखते हुए, अगर किसी को वास्तविकतावादी बनना है तो उसे तत्काल एशियाई देशों के मध्य राजनैतिक ढांचे और आर्थिक व्यवस्था के अन्तर को देखना होगा। यह अन्तर इतना अधिक है कि मेरे या सभा के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्री से यह कहना उपयुक्त नहीं होगा कि वह एक एशियाई एकता आन्दोलन शुरू करें। लेकिन यह आन्दोलन लोगों को शुरू करना होगा। विभिन्न एशियाई देशों के बीच विद्यमान आर्थिक और राजनैतिक ढांचे के अन्तर के बावजूद जन-सम्पर्क द्वारा इस अन्तर को पाटा जा सकता है। और हर देश को इसका सम्मान करना चाहिए।

जन-सम्पर्क आन्दोलन होना चाहिए। एशियाई एकता को बढ़ाने के लिए एशिया के विभिन्न देशों में जनसंपर्क स्थापित किया जाना चाहिए और ये लोग ही जन-प्रतिनिधि से बेहतर हैं। अगर सरकार यह नहीं कर सकती तो संसद सदस्य ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे संसद सदस्य शांति और एकता के लिए इन सभी देशों को एक एशियाई मंच पर लाने के लिए पहल क्यों नहीं करते?

(व्यवधान)

मेरे माननीय सहयोगी ने जो कुछ कहा है, उसके संदर्भ में और छः देशों के शांति प्रयास का, जिसे अन्य देशों में पांच महाद्वीप शांति प्रयास के रूप में जाना जाता है, उल्लेख करते हुए श्री दिनेश सिंह ने जो कुछ है, उसके संदर्भ में मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस पर यद्यपि छः देशों के अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए परन्तु वास्तव में यह सांसदों के एक कम विख्यात संगठन, जिसे पार्लियामेंटेरियन आफ वर्ल्ड आर्डर के नाम से जाना जाता है, के प्रयासों का प्रतिफल है।

पी० डब्ल्यू० ओ० ने, जिसके श्री दिनेश सिंह सदस्य तथा पदाधिकारी रहे हैं और जिसका मैं स्वयं और अन्य भी सदस्य रहे हैं, पांच वर्ष पूर्व शांति के प्रति प्रतिबद्ध विभिन्न महाद्वीपों के शासनाध्यक्षों को एकजुट होने और दो महाशक्तियों को शांति की ओर अग्रसर करने के लिए पहल की थी। इसी कम विख्यात संगठन ने सभी विभिन्न शासनाध्यक्षों का एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित करवाया था। इस सम्मेलन को विश्व भर में टेलीविजन पर दिखाया गया। यह इन

सांसदों की सफलता थी कि छटा राष्ट्रीय शांति प्रयास या पांच महाद्वीप शांति प्रयास सफलतापूर्वक पूरा हो सका।

अतः मेरे विचार से वह बेहतर होगा और इससे परिणाम भी निकलेंगे अगर लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक संसद सदस्य एशिया में शांति और विकास के लिए इस मंच पर एकजुट हों······

(व्यवधान)

इस मामले में अगर कोई मुझसे अधिक जानता हो तो मैं उसके समक्ष झुकने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

हमारे पास एशियाई मंच है इसलिए किसी भी देश को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता, चीन को बाहर नहीं रखा जा सकता, किसी राजनैतिक दल को किसी देश को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। हमारे लिए यह बहुत महत्व तथा खुशी की बात है कि कुछ ही दिन पूर्व अपनी एशियाई देशों की यात्रा को समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री वियतनाम जा रहे हैं वियतनाम से वह जापान जाएंगे। महोदय, हम राजनैतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आशा है एशियाई मंच दूसरे गुट निरपेक्ष युवा सम्मेलन का रूप नहीं लेगा।

एक माननीय सदस्य : आपको इसकी चिंता क्यों है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अगर युवा कांग्रेस गुट निरपेक्ष देशों को एकजुट करने के लिए एक सम्मेलन करना चाहता है तो हमें अवश्य ही उसकी सराहना करनी चाहिए। हम इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं।

मैं इस सभा के समक्ष आदरपूर्वक ढंग से जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहता हूं वह यह है कि हम अक्सर संसद में एक दूसरे से अलग-अलग रहते है और कई बार निरूत्तर चर्चा और वाद-विवाद के दौरान ऐसे मुद्दों को नहीं पहचान पाते जिन पर हम सब सहमत हो सकते हैं।

मेरे विचार में, एक मुद्दा यह भी है, शांति और विकास के लिए एशियाई संसदीय मंच में हम अपने सभी मतभेदों को भूलकर एकजुट हो सकते हैं क्योंकि विश्व के इस भाग में शांति और प्रगति के लिए एक विशाल प्रबन्ध, एक विशाल संगठन एक महान लक्ष्य के लिए यह हम सबके लिए आदर्श स्थिति है। मैंने यह एक क्षण पूर्व कहा है और मैं इसे दोहराता हूं कि इस मंच या हमारे प्रयासों की सफलता के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली यह कि पहल एशिया से एशियाई देशों द्वारा की जानी चाहिए यह किसी महाशक्ति या ऐसे देश द्वारा नहीं थोपा जाना चाहिए या थोपा गया प्रतीत नहीं होना चाहिए, जो इस महाद्वीप का देश नहीं है। दूसरी बात—हमें विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों का सम्मान करना चाहिए। हमें एशिया के विभिन्न देशों में विद्यमान राजनैतिक ढांचे और आर्थिक प्रणाली का सम्मान करना चाहिए और उस पर सहमत होना चाहिए तथा इन सभी देशों को परस्पर करीब लाना चाहिए।

4.00 म० प०

कुछ ही महीनों में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष की हमारी कार्यावधि समाप्त हो जाएगी। मेरे विचार से इस आंदोलन का अध्यक्ष होने के नाते हमने बहुत सफलता प्राप्त की है और इसमें सकारात्मक योगदान दिया है। लेकिन इस बारे में अंतिम मूल्यांकन करना अभी ठीक नहीं होगा और अंतिम मूल्यांकन करने की वास्तव में जरूरत भी नहीं है। मैं यही कह सकता हूं कि हर बात से यह पता चलता है कि योगदान उल्लेखनीय रहा है और गुट निरपेक्ष आंदोलन में सकारात्मक योगदान रहा है। फिर भी मैं यह बता दूं कि इस आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कुछ महीनों में समाप्त होने वाला है, हमें इसी उत्साह से कार्य करना चाहिए और इस आन्दोलन के लिए हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। हमें अध्यक्ष के रूप में हर प्रकार से जिम्बाबवे की सहायता करनी चाहिए और इसके लिए न केवल वित्तीय आधारभूत ढांचा अथवा मानव संसाधनों के रूप में आधारभूत ढांचा देकर सहायता करनी चाहिए बल्कि इस आन्दोलन का विचारों द्वारा भी समर्थन करना चाहिए। इस आन्दोलन के विरुद्ध प्रायः एक प्रकार की आलोचना यह भी की जाती है कि यह आन्दोलन केवल एक कार्य करता है वह यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व के अन्य मंचों में केवल प्रस्ताव पेश करता है, ऐसे प्रस्ताव जिनमें ऐसे विचार होते हैं जो बहुत ही पुराने हैं और जो कई दशक पूर्व बनाए गए हैं और इन प्रस्तावों में केवल उन्हीं पुराने विचारों को एक ऐसे ढंग से दोहराया जाता है जो नया नहीं है। आन्दोलन को नए विचारों की आवश्यकता है।

इधर मैं यह कहना चाहूंगा कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन के इस स्तर पर केवल राजनैतिक प्रस्ताव ही महत्वपूर्ण नहीं है। बीस-तीस वर्ष पूर्व इस आन्दोलन के सदस्य देशों में से अधिकतर देश पुराने उपनिवेश थे और राजनैतिक गतिविधि महत्वपूर्ण थी। सयुक्त राष्ट्र संघ मे संकल्प पेश करना राजनैतिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण था। अब इन देशो ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की है। अतः महत्व और समर्थन काफी हद तक राजनैतिक स्तर से आर्थिक स्तर पर आया है। अफ्रीका मे क्या हो रहा है? लातीनी अमरीका मे क्या हो रहा है? एशिया के बहुत से देशों मे क्या हो रहा है? उन्हें अब राजनीतिक स्वतन्त्रता नही चाहिए, क्योंकि राजनैतिक तौर पर तो वे पहले ही स्वतन्त्र हैं। उन्हें अब जिसकी आवश्यकता है वह है आर्थिक स्वतन्त्रता क्योंकि स्थिति यह है कि यद्यपि उनके पुराने राजनीतिक स्वामी औपचारिक तौर पर अब स्वामी नहीं है परन्तु वही स्वामी अभी भी हैं और आर्थिक निर्भरता इतनी शक्तिशाली है कि अनेक विकासशील देशों की, तथाकथित गुट निरपेक्ष देशों की स्वतन्त्रता अब केवल अर्थहीन शब्द रह गई है। व्यवहार में क्या हो रहा है कि ये देश, इन देशों में से अनेक विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अपने पूर्व उपनिवेशी स्वामियों पर निर्भर करते है और जिन वस्तुओं का वह आयात करते हैं वे या तो ब्रिटेन से अथवा फ्रांस अथवा किसी उपनिवेशी शक्ति से आती है और जो प्रौद्योगिकी उनको मिल रही है वह या तो इन देशों से अथवा किसी महाशक्ति से प्राप्त हो रही है। अतः इस सम्बन्ध के कारण आर्थिक निर्भरता के कारण उनकी राजनीतिक प्रभुसत्ता संदेहास्पद तथा एक बाधा खड़ी हो जाती है। अतः हमें आर्थिक क्षेत्र में इन देशों की सहायता करनी चाहिए। जब मैं कहता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में हम इन देशों की सहायता करनी चाहिए तो मेरा अर्थ यह नही है कि इन्हें अनाज दिया जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि हमें उन्हें अपना अनुभव देना चाहिए। हमारा देश स्वयं एक विकासशील देश है और इसीलिए हमारा अनेक समस्याओं को सुलझाने का अनुभव उन्हें किसी भी बाधा के बिना दिया जाना चाहिए। आज जिस बात की आवश्यकता है वह है भारत की प्रौद्योगिकी का इन देशों को अन्तरण।

हमारी प्रौद्योगिकी उस प्रौद्योगिकी से कहीं अधिक उचित है जो उन्हें पश्चिम से मिल रही है। पाश्चात्य प्रौद्योगिकी हमारे प्रौद्योग से मंहगी भी है। मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में हमने कुछ किया है तथा और भी कुछ किया जा सकता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : अब मैं भारत और अफ्रीका, लातीनी अमेरिका और एशिया के बीच सहयोग के इस श्रेष्ठ कार्यक्रम के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। इस कार्यक्रम को भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम कहते हैं। गत वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 8 करोड़ रुपए आबटित किए थे। यह अधिक राशि नहीं है किन्तु यह छोटी सी रकम भी खर्च नहीं की गई। केवल 4 करोड़ रु० खर्च किए गए। सरकार को इस मामले की ओर ध्यान देना चाहिए और सभा का विश्वास ग्रहण करना चाहिए कि हमने इन विकासशील देशों को जब 8 करोड़ रुपये दिए थे इसमें से केवल आधी राशि ही खर्च की गई है और आधी राशि का उपयोग नहीं किया गया है।

अब इस सभा को इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि केवल इतनी रकम खर्च होने के क्या कारण थे? ऐसी कौन सी रुकावटें थीं जिनके कारण हम पूरी रकम खर्च नहीं कर पाए? जब इन देशों की जरूरतें इतनी अधिक हैं और जब उन्हें हमारे प्रौद्योगिकी में इतनी रुचि है तो पूरी रकम का उपयोग क्यों नहीं किया गया।

महोदय, हम बार-बार यह दोहराते हैं कि हमारे दिल में विकासशील देशों के प्रति सद्-भावना है और निस्सन्देह हम यह बात अत्यन्त सूझबूझ से दोहराते रहते हैं। यह सच है कि महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी ऐसे नाम हैं जिनका विकासशील देशों में आदर किया जाता है, किन्तु जो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि हमें सद्भावना की इस पूंजी में वृद्धि करनी है अथवा इसका लाभ मात्र उठाना है? यदि हमें पूंजी का ह्रास करना है तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो सद्भावना की पूंजी इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है वह समाप्त हो जाएगी। इस दिशा में हमें अधिक काम करना है। यह केवल निर्णयों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें लागू किया जाना चाहिए तथा कार्यान्वित किया जाना चाहिए और प्रशासनिक कठिनाइयों को घटाया तथा खतम किया जाना चाहिए ताकि हम ठोस तरीके से सहयोग दे सकें और विश्व के अन्य विकासशील देशों को सहायता प्रदान कर सकें।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : महोदय, मैं अब कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताना चाहता हूं। महोदय, मुझे इनमें से कुछ देशों का दौरा करने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि यद्यपि उनकी रुचि इस कार्यक्रम में है किन्तु वे उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसमें प्रशासनिक कठिनाइयां आड़े आती हैं। आई० टी० ई० सी० कार्यक्रम में यह प्रावधान है कि जो उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए वहां आता है उसे एक तरफ का किराया दिया जाता है।

जैसा कि हम जानते हैं, देश की विदेशी मुद्रा की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए हम वापसी का किराया नहीं दे सकते। वे एक तरफ का किराया भी नहीं दे सकते, अतः मेरा अनुरोध है कि हमें देखना चाहिए कि यदि कोई देश विशेष एक तरफ का किराया भी देने में असमर्थ है, यदि देश को

लाभ पहुंचाना है, तो फिर हमें नियमों में ढील देनी होगी और देखना होगा कि इन उम्मीदवारों को दोनों तरफ का किराया दिया जाए ताकि वह कार्यक्रम प्रभावी बन सके, ताकि सद्भावना और सहयोग से हम जो कार्य कर रहे हैं, उसका पूरा फल प्राप्त हो सके।

महोदय, मैं उसका स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि सभा में सभी दलों के सदस्य इसका स्वागत करेंगे क्योंकि विदेशी नीति में दलगत मतभेद इतने अधिक नहीं हैं, प्रधान मन्त्री जी ने जो उत्साह दिखाया है, हम उसका स्वागत करते हैं। प्रधानमन्त्री जी ने संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के जो दौरे किए हैं, इससे द्विपक्षीय सम्बन्धों या इन क्षेत्रों के भौगोलिक राजनैतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यात्राओं से इस तरह की धारणाओं में परिवर्तन नहीं आ सकता और ये धारणायें हमारे राष्ट्रीय हित के अनुरूप नहीं हो सकतीं। किन्तु तथापि प्रधानमन्त्री जी ने जो कुछ किया वह यह है कि जहां तक इस सरकार का सम्बन्ध है, यह सरकार कठोर निर्णय नहीं लेगी, यह सरकार अनुसूचित रूप से उत्तेजित नहीं होगी, यह सरकार एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करेगी, यह सरकार इंदिरा जी की ही बात दोहराने का प्रयत्न करेगी, इन्दिरा जी कहा करती थीं, जहां भी हमारे मित्र हैं, उनसे अपनी मैत्री बढ़ाते हैं, इन्दिरा जी कहा करती थीं कि जहां मतभेद होता है, हम वहां मैत्री करने का प्रयत्न करते हैं और जहां कहीं हमारे दुश्मन हैं हम उन्हें अपने करीब लाने और उनसे दोस्ती करने का प्रयत्न करते हैं। इसे ऐसा ही होना चाहिए, इसी से हमारे राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है और यदि इससे हमारे राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है तो इससे हमारी विदेश नीति के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

4.13 म० प०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, सरकार स्पष्ट रूप से यह प्रस्ताव इसलिए लाई है प्रधानमन्त्री ने समाप्त हो रहे इस वर्ष के दौरान, जितनी भी विदेश यात्राएं की हैं उनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री वेंकटरत्नम ने जो यह बात कही है कि इस प्रकार उनके महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने से आगे चलकर उनका भला होने के स्थान पर उन्हें हानि ही होगी, उसमें कुछ सार है। अतः सत्ताधारी दल में अपने मित्रों से मेरा अनुरोध है कि वे इस बारे में बात को इतना बढ़ा-चढ़ाकर न कहें।

शुरू में जब भारत आजाद हुआ तो भारत अपनी शस्त्रों की होड़ में शामिल हुए बिना और किसी भी बड़ी शक्ति के साथ बंधे बिना अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहता था। उस समय शीत युद्ध भी नहीं था। भारत ने ऐसे ही अन्य देशों के साथ मिलकर, जो इसी प्रकार आर्थिक विकास करना चाहते थे, निर्गुट देशों का समूह बनाया, जो उस समय तो बड़ा समूह नहीं था लेकिन समय बीतने के साथ अन्य गुलाम देश भी आजाद हो गए। भारत इस आन्दोलन का मुखिया था और रीढ़ की हड्डी था और यह समूह बढ़ता ही गया।

आज यह गुट निरपेक्ष आन्दोलन का रूप ले चुका है, शायद इसमें 100 या 112 देश शामिल हैं। जब यह आन्दोलन शुरू हुआ था उस समय यह कल्पना नहीं की गई थी कि इतना बड़ा रूप ले लेगा। इसे अपना आर्थिक विकास चाहने वाले कुछ देशों द्वारा सीमित रूप में शुरू किया गया था

लेकिन अब यह एक बड़ा आन्दोलन बन गया है जो केवल अपने आपको शस्त्रों की दौड़ आदि से अलग ही नहीं रख रहा है बल्कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में ठोस भूमिका निभा रहा है जिसे विश्व शांति के लिए प्रयास करना है ताकि मानवता के सिर के ऊपर आणविक युद्ध की लटकती तलवार हटाई जा सके। इसे यह भी सुनिश्चित करना है कि न केवल आणविक शस्त्रों और अंतरिक्ष शस्त्रों की होड़ को ही रोका जाए अपितु पारम्परिक शस्त्रों में भी कटौती की जाए। इसे यह भी सुनिश्चित करना है कि विकसित तथा विकासशील देशों में जो खाई बढ़ रही है उसे विकसित देशों से विकासशील देशों को संसाधनों का अंतरण कम किया जाए और विकासशील देशों की विशाल जनता की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। इस गुट निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति की जा सके। यह नकारात्मक नहीं अपितु एक सकारात्मक आन्दोलन है और होना भी चाहिए। भारत में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की कई बैठकें आयोजित हुई हैं 1983 में दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ और हर साल हमारे प्रधानमन्त्री कहीं न कहीं इन बैठकों या शीर्ष सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं। हम देखते हैं कि वे यद्यपि सम्मेलनों में शांति की बात करते हैं किन्तु उन देशों में शांति के लिए आन्दोलन नहीं चलाया जाता। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत की विदेशी नीति कुछ नहीं थी क्योंकि हमारी नीति केवल ब्रिटेन की ही विदेश नीति थी और अचानक आजादी के बाद हमें अनेक देशों का नेतृत्व करने का अवसर मिल गया है। इसमें वे देश आते हैं जो अपने भूतपूर्व मालिकों के साथ बराबरी का दर्जा चाहते हैं। यह बहुत ही जटिल और कठिन कार्य है। हम बैठकें कर रहे हैं, कभी-कभी अपने यहां बैठकों का आयोजन कर रहे हैं या कहीं न कहीं सम्मेलनों मे भाग ले रहे हैं, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि हम यह कार्य पूरा करने के योग्य हैं जो हमने अपने सासने रखा है और जिसकी अन्य देश हमसे आशा रखते हैं। हम यह सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि निशस्त्रीकरण, शांति के लिए और परमाणु युद्ध तथा अंतरिक्ष शस्त्रास्त्र जमा करने के विरुद्ध किसी विकासशील देश में या विकसित देश में कोई आन्दोलन हो। 1982 में जब अमरीका अपने प्रक्षेपास्त्र, क्रूज और पर्शिंग प्रक्षेपास्त्र यूरोपीय महाद्वीप में लगा रहा था तब जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली और यहां तक कि इंग्लैंड में भी इन प्रक्षेपास्त्रों को उनकी भूमि पर लगाने के विरोध में एक बड़ा आन्दोलन शुरू हो गया। स्वयं अमरीका में भी शांति के लिए एक बहुत बड़ा आन्दोलन चलाया जा रहा है। क्या इन शान्ति आन्दोलन के साथ हमने कोई सम्पर्क रखा है। क्या हम इन साम्राज्यवादी देशों में इन आन्दोलनों को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हमने इस बारे में क्या किया है? हमने केवल सम्मेलनों की राजनीति के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है। हमारी नीति के उद्देश्य क्या होने चाहिए थे और वे इस समय क्या हैं? अपनी नीति के नारे लगाना अलग बात है लेकिन हमारे पास जो साधन है उससे कुछ प्राप्त करना अलग बात है।

हमारा विदेश मन्त्रालय है लेकिन दुर्भाग्य से इस मन्त्रालय के अधिकारी अपने देश के लोगों से बिल्कुल कटे हुए हैं। मैं यह नहीं समझता कि वे इस नीति को विभाग के उपयुक्त समझते है। लेकिन इस विभाग को चलाने वाले व्यक्ति इस देश के व्यक्तियों से अलग तरह के है और दोनों की आकांक्षाएं भी समान नही हैं। उनमें भिन्नता है और सम्भवत: इस देश की विदेशी नीति की असफलता का यही कारण है। कोई भी प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय समाज में कितना ही ऊंचा स्थान पा ले वह इस बात का मापदंड नहीं हो सकता कि देश को अपनी नीति के कार्यान्वयन मे सफलता मिली है। हम अपनी जनता को या उन लाखों करोड़ों लोगों को, जो चाहते है कि यह देश अविकसित देशों का नेतृत्व करे, राजनीतिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से सुरक्षा दे पाए हैं? हमे

इससे क्या उपलब्धि हुई है ? हमारे प्रधानमन्त्री जी ने हाल ही में कितने देशों की यात्रा की है ? वह अमरीका गए थे । वह सम्भवतः काफी अन्तराल के बाद इस मंशा से अमरीका गए थे कि वे अमरीका, जिसकी हमसे अधिक मैत्री नहीं है, से दोस्ती बढ़ा सकें । क्योंकि हमारी रूस से अच्छी मैत्री है, अमरीका का यह तर्क है कि हमारी उनसे मैत्री नहीं है । अतः हमारे प्रधानमन्त्री जी वहां गए और उनका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए समझौता करना था । क्या वह कोई समझौता कर पाए हैं ? क्या कोई समझौता होने की सम्भावना है ? उनकी यात्रा की समाप्ति पर संयुक्त विज्ञप्ति में केवल यह बताया गया कि कुछ विषयों—मुख्यतः स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर संयुक्त रूप से अनुसन्धान किया जाएगा । क्या वह इस प्रकार के समझौते के लिए वहां गए थे ।

उन्होंने अन्य देशों की यात्रा भी की । लेकिन इन दौरों का क्या परिणाम निकला है ? उसके परिणाम अभी सामने आना शेष हैं । अमरीका की यात्रा छः महीने पूर्व की गई थी । आज मुझे आशा है कि श्री भगत हमें इस बारे में बताएंगे कि उनकी यात्रा के क्या परिणाम निकले हैं । छः महीने बीत चुके हैं और यह समय कुछ कम नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : उनकी जापान यात्रा के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री अमल दत्त : जहां तक जापान की यात्रा का सम्बन्ध है, जापान ने हमें किसी न किसी परियोजना के लिए 1400 लाख डालर देने का वायदा किया है । उस यात्रा का यही लाभ हुआ है । लेकिन कृपया यह याद रखिए कि जापानियों को व्यापार में 1400 करोड़ का फायदा हुआ है । इसलिए वे 1400 लाख डालर आपको दे रहे हैं जो कि इस वर्ष उन्हें व्यापार में होने वाले फायदा का 10वां भाग ही है । यह एक तरह से दान ही है, जो वह आसानी से दे सकते हैं । हमारी विदेश नीति की यह उपलब्धि है । इस तरह हमारे प्रधानमन्त्री ने विश्व में ख्याति प्राप्त की है । हमारे प्रधानमंत्री इसलिए विदेशों में जाते हैं ताकि विदेशी प्रेस उनका प्रचार करें और न केवल अन्य राष्ट्रों के बीच बल्कि देश में भी उनकी महत्ता बढ़े । विदेशी नीति का यह उपयोग इस देश की जनता के हितों के अनुरूप नहीं है ।

तो प्रधान मन्त्री की प्रशंसा कर रहे हमारे यहां मौजूद बन्धुओं को याद रखना चाहिए कि हमारी विदेश नीति का लक्ष्य क्या है और उसे क्या होना चाहिए । आज हमारी विदेश नीति का क्या आधार होना चाहिए ? विश्व इतिहास में आज पहली बार मानव इस स्थिति में पहुंचा है जब वह भूख मिटा सकता है, अपने लोगों के तन ढक सकता है, सभी लोगों को रहने की जगह और उन्हें शिक्षा दे सकता है । आज मानव इस स्थिति में पहुंच गया है । पर कुछ देश इसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं । उत्पादन के सभी साधनों पर उनका नियन्त्रण है किन्तु वे उन्हें उन लोगों को नहीं देंगे जिनके पास वे नहीं हैं । अतः हमें ऐसे देशों का नेता बनना है जिनके पास ये साधन नहीं हैं ताकि हम उन देशों से कुछ ले सकें जिनका उत्पादन के सभी साधनों पर नियन्त्रण है । हमें अपनी जनता के साथ-साथ विकासशील विश्व की जनता को संगठित करना है ताकि हम सम्मेलनों के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी जनता को संगठित करके उन देशों से वे साधन प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दबाव डाल सकें जो नहीं चाहते है कि अपने साधन वे दूसरों को दें । पिछले 50 सालों से, या यूं कहिए कि प्रथम विश्व युद्ध से अब तक बहुत से साम्राज्य राजाओं के शासन समाप्त हुए । जार, चीन, ब्रिटेन, जर्मन और फ्रांस सभी के साम्राज्यों का अन्त हो गया । केवल एक साम्राज्य अमरीका, आधुनिक

साम्राज्य होने के कारण बचा हुआ है। यह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उपनिवेशों पर निर्भर नहीं करता। यह पूंजीवादी व्यवस्था अर्थात् अपनी पैसे की शक्ति पर निर्भर करता है। इसके माध्यम से इसने विश्व में अपनी सत्ता बढ़ा ली है। इसने अपनी सत्ता वित्त, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग राजनीति, रणनीति और हर जगह अपनी प्रभुसत्ता कायम कर ली है। आज वहां अमरीकी की मौजूदगी है। अमरीका से बाहर 40 देशों में अमरीकी हथियार हैं। इसलिए मानवता की प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन वही है क्योंकि वे उसी प्रणाली का अनुपालन करते हैं। यह व्यवस्था ढह सकती है अगर उत्पादन के साधन उन लोगों के हाथ से निकल कर उनके पास चले जाएं जिन्हें इनकी जरूरत है। इसकी वे अनुमति नहीं देंगे। वे आज मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। छठे दशक के अन्त में, जब गुट-निरपेक्ष आन्दोलन शुरू हुआ तब भारत ने अमरीका को साम्राज्यवादी ताकत के रूप में पहचाना क्योंकि उस समय अमरीका भारत की सहायता के लिए आगे नहीं आया था। 1965 के युद्ध और उसके बाद भारत ने विश्व राजनीति में अमरीका की वास्तविक भूमिका को पहचाना। भारत सोवियत संघ को मित्र के रूप में 1971 में ही जान सका जब उसने आड़े वक्त में उसकी सहायता की। तो हमने यह समझने में बहुत समय लिया कि कौन हमारे मित्र हैं और कौन हमारे दुश्मन। लेकिन हम इसके अनुरूप काम करने में समर्थ नहीं हैं। स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन बहुत हद तक हम उसका उपयोग नहीं कर सके हैं। विदेशी नीति के कारण हमारे विदेश मंत्रालय का निर्माण इस तरह किया गया है कि अगर स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान है भी तो भी कार्य नहीं हो सकता। आज विदेश नीति के लक्ष्य केवल अमरीकी साम्राज्यवाद को सीमित रखना ही नहीं है बल्कि यह देखना भी है कि वे उन अड्डों को छोड़ कर चले जाएं जिनका प्रयोग वे सारे देश को अपने अधीन करने के लिए करते हैं और न केवल निशस्त्रीकरण द्वारा परमाणु परीक्षण समाप्त करके सैनिक शक्ति को कम करें बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वे अपने वित्तीय तथा आर्थिक शक्तियों का भी प्रयोग इस प्रकार करें जिससे अन्य राष्ट्रों को ठेस न पहुंचे। आज क्या हो रहा है कि अमरीका से पैसा या सामान बाहर आने के बजाय बाहर से पैसा या सामान अमरीका में जा रहा है। अमरीका विकासशील देशों को हानि नहीं पहुंचा रहा बल्कि अपने मित्रों को भी हानि पहुंचा रहा है। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और हर कोई अमरीका की मौद्रिक नीति, ब्याज की ऊंची दर और पैसे का अमरीका की ओर प्रवाह का विरोध कर रहा है। क्यों? उन्हें पैसा हथियार बनाने के लिए मिल रहा है। इसके लिए वे 300 बिलियन डालर खर्च कर रहे हैं। आज अमरीकी नीति के कारण विश्व को हर वर्ष 900 बिलियन डालर व्यय करने पड़ रहे हैं। इस साल अनुमानतः 900 बिलियन डालर व्यय किए जाएंगे। लोगों पर तो केवल 4 बिलियन डालर और युद्ध पर 900 बिलियन डालर का मतलब है विश्व में युद्ध पर ही प्रति व्यक्ति लगभग 250 डालर व्यय करना और यह व्यय भी मुख्यतः इन विकासशील देशों द्वारा किया जाता है। विकासशील देश बहुत कम योगदान दे सकते हैं। आज हमें क्या करना है, अगर आप अपना बजट देखिए तो पाएंगे कि हमें बजट का $\frac{1}{3}$ भाग रक्षा पर व्यय करना पड़ता है। आज हमने अपने रक्षा व्यय में कमी करनी शुरू की है ताकि हम लोगों के विकास पर अधिकतम धन लगा सकें। लेकिन अन्ततः हम ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं जहां अनिच्छापूर्वक $\frac{1}{3}$ भाग रक्षा पर व्यय करना ही पड़ेगा और हमारे पास उन अन्य चीजों जैसे विद्युत, उद्योग इत्यादि के लिए काफी पैसा नहीं है जिन पर हम पैसा लगाना चाहते हैं। हमें हमेशा बताया जाता है कि हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी है। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। हम दोबारा ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां अमरीका हमारी दहलीज पर ही है। श्री वेंकट रत्नम ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसलिए अमरीका सोवियत संघ के

विरुद्ध पाकिस्तान को अपने हितों की पूर्ति के लिए हथियारों से लैस कर रहा है और पाकिस्तान किसी और इरादे से हथियार प्राप्त कर रहा है। यह सही नहीं है। अमरीका पाकिस्तान को इस आशय से हथियार दे रहा है कि भारत को अपने संसाधन शांति कार्यों, विकास पर नहीं लगाकर युद्ध जैसे कामों पर लगाने पड़े और वह विकास न कर पाए। अमरीका की घरेलू तथा विदेश नीति का आधार ही यही है। अमरीकी विदेश नीति उनकी घरेलू नीति का ही विस्तार है। इसलिए जब तक इस देश में हम अपने लोगों और अन्य विकासशील देशों के लोगों को इस आशय से संगठित नहीं कर लेते। अमरीका की सैन्य, आर्थिक और राजनैतिक नीतियों को सीमित रखें तब तक हम अपनी विदेश नीति में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते।

मैं अपने मित्रों को एक बार फिर चेतावनी देता हूं कि वे इस बात का विश्लेषण करें कि हमारे लक्ष्य क्या हैं, हम किस ओर अग्रसर हो रहे हैं। विश्लेषण के बाद अगर हमें लगता है कि हमारे प्रधान मन्त्री इनमें से किसी भी लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सफल रहे हैं, तब ही हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। केवल इसलिए प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने वहां एक भोज दिया या कहीं एक में भाग लिया। मामले का आधार बिन्दु यह नहीं है। किसी की प्रशंसा इसी कारण नहीं की जाती। उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की तरह विश्व नेता के रूप में अपनी महत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन इससे भारत के और विकासशील देशों के अभावग्रस्त लोगों को क्या मिला? मेरे विचार से मेरे मित्र इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते।

प्रो० एन० जी० रंगा (गंटूर) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री अमल दत्त के दृष्टिकोण से पूरी तरह असहमत हूं। वह पूछ रहे हैं :

> "उन्हें क्या मिला? इन सब सम्मेलनों से हमें क्या मिला? हम क्या कर रहे हैं? आप अपने प्रधान मन्त्री की प्रशंसा करने में क्यों लगे हुए हैं?"

क्या कोई प्रधान मन्त्री के गुणगान कर रहा है—क्या इस संकल्प में भारत और श्रीमती गांधी की भूमिका का गुणगान है। जब पंडित जवाहर लाल नेहरू थे तब हमने ऐसा किया, उसके बाद जब मोरारजी देसाई प्रधान मन्त्री थे तब भी हमने ऐसा किया—आपको बता दूं कि जब लाल बहादुर जी प्रधान मन्त्री थे, जब इन्दिरा जी प्रधान मन्त्री थी—तब भी हम भारत के ही गुणगान करते थे। इन प्रधान मन्त्रियों द्वारा विश्व में अपना मसला प्रस्तुत करने के तरीके में अन्तर था।

हमें खुशी है कि हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने इस दिशा में हमारा सम्मान बढ़ाया है। हमें इसकी भी खुशी है कि उनकी यात्राओं से भारत का झंडा झुका नहीं बल्कि उसका सम्मान बढ़ा और हम शेष विश्व के समक्ष सकारात्मक कार्यक्रम रख सकते हैं।

हमारे माननीय बन्धु सकारात्मक कार्यक्रम के बारे में पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि हमें क्या मिला। कोई भी प्रधान मन्त्री, विदेश मन्त्री या कह लीजिए सरकार की पांच-छः या 10 सालों में क्या कर सकती है। लेकिन इन 25 सालों के दौरान—जब इस गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का आरंभ और उद्घाटन हुआ था—हमने निश्चित तौर पर ही जो उपलब्धि प्राप्त की है हमारे माननीय मित्रों ने स्वयं उसका श्रेय दिया है। शुरू में बहुत कम देश और उसके बाद और बहुत से देश और अब सौ से भी अधिक देश इस आन्दोलन के सदस्य बन गए है। क्या यह एक उपलब्धि नहीं है?

साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मेरे माननीय मित्र ने अभी-अभी यही कहा है। इस समय यही बात कही है।

4.34 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

हमने पिछले सवा दो सालों से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेतृत्व संभाला हुआ है क्या हमने इसे मांगा था ? क्या हमने इसका प्रचार किया था ? जिस देश को मेजबान बनना था वह उस समय इसके लिए तैयार नहीं था। इस पर शेष देशों ने हमसे कहा कि हम इस काम की जिम्मेवारी अपने कंधों पर ले लें। हमने यह बात स्वीकार कर ली। इसे स्वीकार करने के बाद हमने अपनी भूमिका बहुत प्रशंसनीय ढंग से निभाई। हमने निभाई है या नहीं ? हमने ऐसा किया है। इस विषय में कोई असहमति नहीं हो सकती है।

फिर मेरे माननीय मित्र, श्री दिनेश सिंह ने सुझाव दिया कि हमें अपने परामर्श तथा सहयोग के क्षेत्र को एस० ए० ए० आर० सी० (सार्क) से बढ़ाकर पूरे एशिया तक बढ़ाना चाहिए। निश्चित रूप से हम ऐसा करना चाहेंगे। अन्य मित्रों ने भी वह तथ्य और आंकड़े दिए हैं कि यह किस प्रकार आरम्भ हुआ है। हमने यह आरम्भ किया है और हम पूरे एशिया में जाएंगे। किन्तु इसके कारण भी हैं। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की सभापति बनने के पश्चात् इन्दिरा जी ने अपने दोनों हाथों में हिम्मत बटोर कर न केवल एशिया के देशों अपितु अनेक देशों के लिए एक मंच आयोजित करने का प्रयास किया। बहुत लोगों का विचार था कि वह असफल रहेंगी। हमें भी यही डर था। यह सत्य है कि यह सफल नहीं हुआ, किन्तु असफल भी नहीं रहा। और इसके परिणामस्वरूप हमने यहां एक सम्मेलन बुलाया जहां अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति और नार्वे, स्वीडन और कनाडा जैसे महाद्वीपों के राष्ट्रपति आ गए और हमारे साथ सहयोग किया। हाल ही में यह सम्मेलन हुआ है। क्या यह ठोस परिणाम नहीं है ?

मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि "आप अपनी अर्थव्यवस्था पर विचार करो।" ठीक है हम ऐसा करते हैं। इसीलिए हम अन्य सभी देशों को उतनी सहायता नहीं दे सके हैं जितनी हम चाहते थे। निस्सन्देह, हम ऐसा करना चाहते हैं। यही वह देश तथा सरकार थी जिसने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विकासशील देशों के नवयुवकों को छात्रवृति देने की नीति आरम्भ की। मलेशिया, कोरिया, अफ्रीकी देशों तथा लातीनी अमरीका के एक-दो देशों से भी लोग आए। उनमें से बहुत से लोग यहां हैं। और भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम ऐसा करना चाहेंगे। किन्तु वित्तीय कठिनाइयों का प्रश्न है।

मेरे माननीय मित्र की चिन्ता उचित थी कि हमारे अपने देश की जनता का विकास होना चाहिए, गरीबी मिटाई जानी चाहिए आदि। हमें यह सभी चुनौतियां प्राप्त हुई हैं। हम चुनौतियों का सामना यथासम्भव पूरी शक्ति से करना चाहते हैं।

हम हर सम्भव सहयोग तथा सहायता देना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में परिवहन सुविधाओं का विकास इतनी शीघ्रता से नहीं हो रहा है जिस प्रकार हम कामना करते हैं क्योंकि हमारे रेल मन्त्री अफ्रीका के अनेक देशों में रेलवे लाइन बिछाने का काम भी देख रहे थे। यह सब कुछ हम कर रहे हैं। क्या यह ठोस योगदान नहीं है ?

4.39 म० प०

(श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए)

अब, दूसरा प्रश्न यह है कि हम शान्ति के बारे में बात-चीत करने के अतिरिक्त क्या करते हैं। आजकल विश्वशान्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र गत 40 वर्ष से कार्य कर रहा है। यह केवल विश्व भर में एक वर्ष के लिए शान्ति की अपील कर सकी और कम से कम 12 महीने के लिये परीक्षण करने को रोक सके। यह इनकी प्राप्ति थी। किन्तु साथ ही महा-शक्तियों पर जो दबाव प्रचार माध्यमों द्वारा डाला गया, उन सभी अन्तर-संसदीय मंचों, देशों में आपसी सहयोग, शान्ति के लिए विश्व में एक देश से आन्दोलन को दूसरे देश का सहयोग, अगले दिन जेनेवा में वह दो महान नेता आपस में इकट्ठे हो गए। फिर वह एक बैठक का आयोजन करने के लिये भी सहमत हो गये—एक अमरीका जाने के लिए और दूसरा सोवियत रूस जाने के लिये। उनके आपस में चर्चा करने और एक-दूसरे से मिल कर बैठक करने में एक वर्ष से अधिक समय लगेगा—अतः संयुक्त राष्ट्र संघ का समझौता एक वर्ष के लिये लागू होगा।

श्री अमल दत्त : हमारा योगदान क्या है ?

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं आपकी बात नहीं सुनता हूं। मैं आपके अधिक से अधिक मुद्दे समझना चाहता हूं, यद्यपि मैं कुछ और बातें कहना चाहता था। अतः यह ठोस सफलता है।

मैं थोड़ा चकित हुआ जब श्री वेंकट रत्नम ने, जो इस समय पीठासीन हुए हैं, कहा कि हमने बैठकों तथा सम्मेलनों के अतिरिक्त क्या किया। यह केवल इन सम्मेलनों का परिणाम है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सभापति दोनों ओर के नेताओं से मिले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने दोनों हाथों मे हिम्मत बटोर ली है। यदि वह असफल हो जाते तो इससे प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाती और वह असफल नहीं हुए। रूढ़िमुक्त ढंग से, वह न्यूयार्क से फिर सोवियत संघ चले गये यद्यपि ऐसा कार्यक्रम से बाहर था और उन दोनों को एक-दूसरे से बातचीत करने में जल्दी की ताकि किसी निर्णय पर पहुंच जाएं। क्या इसने कोई भी भूमिका नहीं निभाई ? निस्सन्देह, इसने भूमिका निभाई है। दूसरा मामला कैसा है यह तो एक मनोवैज्ञानिक तत्त्व है। किन्तु उन्हें महाशक्तियों के इन दो महान नेताओं का यह परिणाम प्राप्त हुआ कि वह अगले वर्ष अपने देशों की ओर से एक-दूसरे से उनके अपने-अपने देशों में मिलेंगे। अतः इन दौरों में उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, हमें उनको बधाई देनी चाहिये और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह एक युवा है। हर जगह जाने और अपने आपको इस देश के योग्य प्रमाणित करने के लिए धैर्य चाहिए। ऐसा उन्होंने किया है। क्या ऐसा नहीं किया है ? सचमुच हमारे देश में प्रत्येक देशभक्त भारतीय को, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, उनके प्रयासों की प्रशंसा करनी चाहिए। ग्रामों तथा कस्बों में जनता ने मुझे बहुत पत्र भेजे जिनमें उन्होंने प्रधान मंत्री को बधाई दी है और उनके प्रति सन्तुष्टि व्यक्त की है कि उन्होंने प्रधान मंत्री के रूप में एक भव्य तथा उपयुक्त ढंग से भूमिका निभाई है। हमें उन पर गर्व होना चाहिए।

अब मैं और सुझाव लेता हूं। मैं श्री दिनेश सिंह द्वारा दिए गये सुझावों से सहमत हूं। दिनेश सिंह के मुख से जो भी शब्द आज निकला वह समझदारी का है। उन्हें पिछला अनुभव है और वह इन

सभी बातों की समीक्षा सोच-समझ कर करते रहे हैं। उन्होंने मेरी तरह विवादास्पद ढंग से बात नहीं की जैसे मैं करता हूं, अतः उनका यह सुझाव कि जहां तक एशिया का संबंध है, हमें और देशों को इकट्ठा करने के लिये एक और प्रयत्न करना चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे राजनयिक और हमारे विदेश मंत्री इसे लागू करने का प्रयत्न करेंगे। विदेश मंत्री की मैं इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं क्योंकि उन्हें पिछला अनुभव भी है। वह सभी जगह गये थे। उन्हें इन विभिन्न देशों के रवैये तथा राजनीतिक विचारधारा के बारे में मालूम है। अब उन्होंने पुनः अपना प्रभार संभाला है और मैं इनकी सफलता की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि इस निरपेक्ष आन्दोलन को वर्तमान से अधिक शक्तिशाली बनाने में वह हमारे प्रधान मंत्री तथा हमारे देश की सहायता करेंगे और इसके विकास में सहायता करेंगे। हम इस सचाई से आंख नहीं मूंद सकते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति है। कल वह सभी आपस में ढाका में मिले थे। उन्होंने यह बात स्वीकार की है कि वह किसी बात में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने यह बात भी स्वीकार की है कि परमाणु रहित वातावरण स्थापित किया जायेगा। किन्तु साथ ही, हमें वह सीमाएं भी मालूम हैं जिनके अन्तर्गत यह लोग आपस में मिले हैं और उन अनिवार्यताओं को भी पूरा करना है जो उनके देशों में है। मुझे विशेषकर पाकिस्तान की चिन्ता है कि वहां क्या हो रहा है और अमरीका के साथ इसके संबंध कैसे हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री अमल दत्त की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अमरीका आज-कल विश्व शान्ति का सबसे महान शत्रु है······(व्यवधान)।

श्री अमल दत्त : क्या आप इसे नहीं मानते हैं?

प्रो० एन० जी० रंगा : जी नहीं, महाशक्तियां, अर्ध-महाशक्तियां सभी कार्य कर रही हैं। और यदि आप इन्हें विश्व शान्ति के शत्रु समझेंगे केवल इस कारण कि उनके पास परमाणु शक्ति है, और भी अनेक देश हैं, केवल अमरीका ही नहीं। फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, पश्चिम जर्मनी का पाकिस्तान को अनेक चीजें देकर क्या भूमिका निभा रहे हैं? भूमध्यसागर के आस-पास स्थित विकासशील देश पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के प्रयासों में काफी सहायता दे रहे हैं? क्या वह विश्व शान्ति के शत्रु की भूमिका नहीं निभा रहे हैं?

हमें अपने विकास, अपनी स्थिरता तथा गरीबी से पीडित जनता के लिए विश्व-शान्ति चाहिए।

मेरा मित्र कह रहा था : "आप तो अपने धन का एक-तिहाई भाग रक्षा बलों पर व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं।" अब मैं आप से पूछ रहा हूं कि आपका सुझाव क्या है? जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है क्या हम उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सेवा कम कर सकते हैं?

श्री अमल दत्त : मैं ने "बरबाद" नहीं कहा। मैं ने कहा कि हम मजबूर हो रहे हैं। इन दो शब्दों में बहुत ही अन्तर है।

प्रो० एन० जी० रंगा : ठीक है, हम मजबूर हैं, किन्तु साथ ही आपने कहा, "आप ऐसा कर रहे हैं और यह ठीक नहीं है।" मैं कहता हूं, यह ठीक है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम अपने देश में शान्ति की आशा नहीं कर सकते हैं। सम्मेलन कोई भी हो, पाकिस्तान तथा विश्व में इसके मित्रों द्वारा ये सभी सुझाव दिए जा रहे हैं। हमें अपने रक्षा बल को सशक्त बनाना है। आप

कहते हैं कि हम एक-तिहाई नष्ट कर रहे हैं, किन्तु मैं कहता हूं जब ब्रिटेन के लोग यहां थे तो हम अपनी आधी राशि नष्ट कर रहे थे, यद्यपि सम्पूर्ण मात्रा में यह राशि बहुत कम है। प्रतिशतता में भी यह आजकल बहुत कम है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जनता का सहयोग धन्य है।

इधर हमारा मित्र पाकिस्तान है जो "युद्ध वर्जन समझौता" चाहता है। जब उन्होंने कोई सूचना दिए बिना कश्मीर और रन कच्छ में बंगला देश की क्रान्ति से ठीक पहले हम पर आक्रमण किया था। क्या उन्होंने इसकी परवाह की? यदि हमारी सेना बड़ी कुशल, धैर्यवान और देशभक्त नहीं होती तो पाकिस्तान के विमान आकर दिल्ली पर बमवर्षा करते। हमारी जनता ने उनके आक्रमण को रोक लिया। अतः आप ऐसे ही "युद्ध वर्जन समझौते" के प्रस्ताव को स्वीकार करने में भारत सरकार के संकोचको गलत नहीं बता सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने ऐसा नहीं कहा।

प्रो० एन० जी० रंगा : शब्दों को हमारे अनुभव से मापा जाना है। हमारा देश अपनी सुरक्षा सेनाओं के प्रति लापरवाह नहीं हो सकता है। रक्षा सेनाओं को हमारी विदेश नीति का महत्व-पूर्ण अंग होना है। विदेश नीति तथा सुरक्षा बलों को कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना है। इसी-लिए मैं पाकिस्तान से तथाकथित "युद्ध न करने के समझौते" के प्रति सरकार की नीति का समर्थन करता हूं।

फिर हमें क्या चाहिए? हम अमरीका से लड़ नहीं सकते। क्या हम चीन अथवा सोवियत संघ से लड़ सकते हैं? आज के युग में हम विश्व में हो रही सभी घटनाओं की उपेक्षा करते हैं। मेरे मित्र श्री अमल दत्त ने कहा कि रूस हमारा मित्र रहा है। ठीक है, रूस हमारा महान मित्र है। मैं साम्य-वादी नहीं हूं और मैं साम्यवाद का बहुत ही कठोर विरोधी रहा हूं किन्तु साथ ही मैं रूस की उस मैत्री की प्रशंसा करता हूं, जो उन्होंने हमें सभी स्तरों पर दिखाई है। मैं चीन के साथ ऐसी ही मैत्री बनाना चाहता हूं। अपने कारणों से मेरे मित्र कह रहे थे कि यदि इन देशों का सामाजिक तथा आर्थिक विकास हो जाए तो एक देश और दूसरे देश के बीच कोई समस्या नहीं होगी। चीन और रूस दोनों देश साम्यवादी हैं। साथ ही वे मित्र भी नहीं हैं। साम्यवादी चीन पूंजीवादी अमरीका के साथ मिला हुआ है। अब आप स्वयं अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किन्तु साथ ही समाजवादी भारत चीन तथा रूस के साथ मैत्री बनाना चाहता है। इसी बात पर मैं चाहता हूं कि हमारे राजनयिक हमारे विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री सीमा सम्बन्धी समस्याओं को विवेकशील ढंग से सुलझाएं। अब मैं सरकार की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं अब प्रोफेसर रंगा के रूप में बोल रहा हूं। एक समय ऐसा भी था जब चाऊ-एन-लाई ने सीमा सम्बन्धी विवाद सुलझाने के कुछ तरीकों का सुझाव दिया था। हमने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने उस समय इनकी ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय हम सब चीन के प्रति अप्रसन्न थे, उसने हम पर आक्रमण किया था। जयप्रकाश नारायण ने कुछ सुझाव दिए।

इस देश में बहुत से लोग उसे देशद्रोही कहते हैं। हम उनसे सहमत नहीं हैं। मैं उनसे सहमत था। अब समय आ गया है कि जब हमें हिम्मत करके चीन के साथ उचित समझौता कर लेना चाहिए।

श्री अमल दत्त : बहुत अच्छा!

प्रो० एन० जी० रंगा : वह आपके मित्र हैं। मैं आपके दोस्तों के साथ दोस्ती करना चाहता हूं ! मैं इस पक्ष से भी समझौता करना चाहता हूं ताकि पूंजीपति अमरीका और साम्यवादियों से भी मेरे देश की मित्रता हो सके। मैं उन्हें क्या कह कर बुलाऊं ? क्या वे एक-दूसरे के विरोधी हैं ? नहीं, वे भाई-भाई हैं जिनके एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध हैं। महोदय, आप कहना चाहते हैं कि श्रीमती थेचर ने हमारी कोई बात स्वीकार नहीं की। हमने भी उनकी बात स्वीकार नहीं की ! फिर भी आम सहमति हुई। दोनों ही, वह और हमारे प्रधान मंत्री, ने आशा के विपरीत सफलता प्राप्त की, जिसकी सम्मेलन से पूर्व कोई आशा नहीं थी। वे दक्षिण अफ्रीका रंगभेदी अभियान को कमजोर करने में सफल हुए। क्या अब यह अभियान समाप्त हो जाएगा ? क्या यह कल या परसों समाप्त हो जाएगा ? शायद न हो। परन्तु निश्चित ही 'चोगम' सम्मेलन और हमारे प्रधान मंत्री तथा ब्रिटिश प्रधान मंत्री द्वारा अदा की गयी भूमिका के परिणामस्वरूप यह कमजोर हुआ है। महोदय, यह तरीका है जिसके द्वारा हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वार्ता को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें प्रधान मंत्री पद से मोह है !

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने विदेश मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने जब से इस विभाग की कमान संभाली है, तब से शान्ति सद्भावना और सहयोग की पालिसी जो हमारे प्रधान मन्त्री महोदय ने शुरू की, उसको आगे बढ़ाया।

अभी हमारे एक दोस्त ने प्रधान मन्त्री जी की छवि को उभारने की बात कहते हुए कहा कि वह नये हैं और केवल छवि उभारने से देश का कोई काम नहीं बनेगा। बहुत से मामलों में अनुभव की आवश्यकता है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज बहुत से देशों के सम्बन्धों में उनकी नीति ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उन्होंने केवल उद्देश्य के पक्ष को ही नहीं व्यावहारिक पक्ष को भी अपनाया है। मैं उदाहरण के लिए तमिल समस्या को श्रीलंका के सन्दर्भ में रखना चाहता हूं। तमिल होने के नाते जो बात तमिलनाडू की सरकार कहती थी उसको उन्होंने नहीं माना। श्रीलंका के सम्बन्ध में उन्होंने जो नीति अपनायी उसमें उनके अनुभव की योग्यता ही सामने आई है। और राजीव जी ने इन सब मामलों में जो दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूं कि अब किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनमें अनुभव की कमी है और उससे कोई लाभ देश को मिलने वाला नहीं है।

एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि हमारे देश के आसपास के जितने भी देश हैं, उनके साथ निरन्तर जो नीति अपनाई जा रही है वह बहुत ही सद्भावपूर्ण है क्योंकि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल अपने विकास के लिए न कर सके, अपने आसपास के वातावरण को सुखद और सुन्दर न बना सके। हमारे नये प्रधान मन्त्री ने जब से कार्यभार संभाला है, उन्होंने लगातार देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में गुणात्मक सुधार किये हैं। चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बंगलादेश हो, अनेक जो हमारे आसपास के देश हैं, उनमें आज गुणात्मक परिवर्तन आया है। ये जो छोटी-मोटी बातें उठाई जाती हैं, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका और रूस का नाम बड़े राष्ट्रों में

हो सकता है लेकिन वे बहुत-सी चीजें करने की क्षमता इसलिए नहीं रखते हैं कि दो गुटों में बंट जाने के बाद कोई आदमी उदार दृष्टिकोण का नेतृत्व करने लायक नहीं रह जाता। पं० जवाहर लाल नेहरू ने जिस दिन इस देश की बागडोर संभाली थी, कोई शक्ति इस देश के पास नहीं थी और इसके लिए बार-बार कहा जाता है कि जब तक खुद शक्ति न बना लो, तब तक कुछ नहीं हो सकता लेकिन मुझे याद है कि उस समय हमारे पास इतने साधन नहीं थे, फिर भी स्वेज नहर पर जिस समय बम पड़ा, तो एक देश के प्रधान मन्त्री के रूप में, पं० नेहरू ने सारे संसार के सामने जनमत को व्यक्त किया भारतीय चिन्ता के रूप में और उसका असर पड़ा। वह कोई बम नहीं था, न कोई पिस्तौल थी लेकिन एक नैतिकता का, ईमानदारी का और एशिया के सबसे बड़े देश के नाते और एक मोरल स्थिति के नाते, जो असर पड़ा, उसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हिन्दुस्तान जब इस तरह के कामों में पड़ता है, तो इस देश के पास कितने साधन हैं, इसका महत्व कम है लेकिन नीति के रूप में, नेतृत्व के रूप में, दृष्टिकोण के रूप में, परम्परा के रूप में, निष्ठा के रूप में क्या स्थिति बनती है किसी भी देश की और दुनिया की, इस समय भारत से बढ़कर कोई भी देश एशिया में तो क्या सारे संसार में नहीं है। शान्ति के लिए और सद्भावना के लिए हिन्दुस्तान की ओर जब लोगों की निगाह जाती है, तो वह स्वाभाविक ही है क्योंकि हिन्दुस्तान कभी किसी पर हमला करने की बात नहीं सोचता और अगर अपने साथ कोई दुर्भावनापूर्ण स्थिति बनती है किसी देश के साथ, तो उसको निपटाने के लिए, बहुत ही धैर्य और ईमानदारी के साथ वह काम करता है। आज राजीव जी के नेतृत्व में यह काम और आगे बढ़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त दक्षिण एशिया का जो नया कार्यक्रम शुरू हुआ, जो नई दृष्टि बनी है, यह भी लाभकारी सिद्ध होने वाली है न केवल भारत के लिए बल्कि सम्पूर्ण एशिया के लिए। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जैसे दक्षिण अफ्रीका की चर्चा हुई। वहां पर महात्मा गांधी के आश्रम को लोगों ने जला दिया। यह काम वहां पर हुआ है और यह बात ठीक है कि श्रीमती थेचर को जो काम उसमें करना चाहिए था, वह नहीं किया लेकिन राष्ट्र मंडल के सदस्य के रूप में राजीव जी ने जो वहां पर रुख अख्तियार किया और बहुत से देशों को अपने साथ ले आए, यह कोई मामूली सफलता नहीं है। हम यह मान सकते हैं कि ब्रिटेन में कभी-कभी भारतीयों के साथ अन्याय होता है और उसके बारे में ब्रिटेन भी कुछ नहीं करता लेकिन अगर इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए, और उसके लिए कोई इलाज न किया जाए, कोई चिन्तन न किया जाए, कोई मनन न किया जाए, तो केवल लड़ने से कोई काम नहीं बनता। इसलिए राजीव जी ने जो दक्षिण एशिया के संदर्भ में, सम्पूर्ण एशिया के विकसित राष्ट्रों के लिए और सम्पूर्ण मानवता के लिए पूरे विश्व के सम्बन्ध में जो अन्तर्राष्ट्रीय नीति बनाई है और जो कदम उठाए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, उनका समर्थन करता हूं और अपने विदेश मंत्री महोदय को भी उनके लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : माननीय सभापति महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा भारत सरकार की नीति की चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। इस महान देश के प्रधान मन्त्री का पद संभालने के बाद एक वर्ष में, हमारे माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने छः बार विदेशों की यात्रा की है और

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

वह लगातार विश्व के देशों में मित्रता स्थापित करने, सहयोग बढ़ाने तथा एक दूसरे को समझने के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे सदस्य-राष्ट्रों की आर्थिक दशा को मजबूत बनाने के प्रयत्न भी कर रहे हैं। मैं अपने दल, अखिल भारतीत अन्ना द्रमुक की तरफ से अन्तर्राष्ट्रीय मित्रता तथा शान्ति को बढ़ाने के लिए उनके अथक प्रयत्नों का समर्थन करता हूं। उन्होंने हमारी गुट-निरपेक्ष नीति के प्रति बहुत से राष्ट्रों की शुभ इच्छायें अर्जित की हैं। विश्व के कई राष्ट्रों ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में भारत की भूमिका की निःसंकोच प्रशंसा की है। विश्व के नेताओं ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय प्रधान मन्त्री के नेतृत्व की प्रशंसा की है। अमरीका जैसे राष्ट्रों को भी, जो भारत विरोधी हैं, आश्चर्य हुआ है कि भारत के लोगों ने श्री राजीव गांधी जैसे परिपक्व व्यक्ति को प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के गतिशील नेतृत्व में भारत की सफलता तथा इक्कीसवीं सदी में बड़ी तेजी से प्रवेश करने में शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के इस युवा तथा गतिशील नेता ने भारत की प्राचीन बुद्धिमता को दर्शा दिया है। अपने सम्मानीय नाना द्वारा शुरू की गयी विदेश नीति के सिद्धान्तों तथा जिन्हें उनकी विख्यात माता, श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा अपनी पूरी लगन से क्रियान्वित किया गया; वह उन्हीं पर ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विश्व के कई राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर हमारी प्रधान मन्त्री के विचार जानने के पश्चात् तथा भारत की विदेश नीति की घोषणा के बाद अपनी विदेश नीति को तैयार कर रहे हैं। इसका श्रेय हमारे जिंदादिल तथा साहसी प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को जाता है।

5 05 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं विशेष तौर पर श्रीलंका की समस्या का जिक्र करूंगा, जो बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने बार-बार इस सभा में दोहराया है कि श्रीलंका की समस्या एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए। गत एक वर्ष के दौरान हमने श्रीलंका की समस्या पर कई बार चर्चा की है और प्रत्येक बार हमने मांग की है कि श्रीलंका की समस्या को हमारी राष्ट्रीय समस्या भी समझा जाना चाहिए। इसे राष्ट्रीय मामले के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि श्रीलंका से शरणार्थियों के निरन्तर आने से देश का एक भाग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और श्रीलंका की समस्या पर लापरवाही और असावधानी से नहीं देखा जाना चाहिए। श्री राजीव गांधी ने साफ तौर पर कहा है कि यह अकेले तमिलनाडु की ही समस्या नहीं है बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक समस्या है। हमने श्रीलंका के मामले में भारत सरकार की नीति को हमेशा भरपूर समर्थन दिया है।

परन्तु हम आज क्या देखते हैं ? हम श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के अनुल्लंघनीय हठ को देख रहे हैं। राष्ट्रपति जयवर्धने आम जनता में यह घोषणा करते हैं कि अगर श्री राजीव गांधी श्रीलंका पर आक्रमण करके उन्हें गिरफ्तार करते हैं तो उस दिन श्रीलंका का एक भी तमिल जीवित नहीं रहेगा। हमें देखना चाहिए कि इस दुःसाहस को दिखाने के पीछे कौन है। पाकिस्तान उसे अपना समर्थन दे रहा है। अमरीका तमिलों पर अत्याचार करने के लिए उसे भड़का रहा है। इजरायल भी छापामारों के प्रशिक्षण में उसकी मदद कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका श्रीलंका में बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भेज रहा है। स्वाभाविक ही राष्ट्रपति जयवर्धने श्रीलंका के तमिलों के साथ कोई

समझौता करने के लिए टालमटोल कर रहे हैं। वह यह सुनिश्चित करने के प्रयत्न में हैं कि जब तक कोई ऐसा समझौता हो सारी तमिल जाति के लोग श्रीलंका में समाप्त हो जायें। ऐसी स्थिति ही इस द्वीप पर श्रीलंका वासियों का शाश्वत आधिपत्य सुनिश्चित करेगी।

सम्पूर्ण तमिलनाडु विद्रोह के कगार पर बैठा है। सम्पूर्ण भारत के तमिल लोगों में श्रीलंका की समस्या के हल में हो रहे विलम्ब के कारण आक्रोश है। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने इस सभा में गत सप्ताह यह घोषणा की थी कि श्री जयवर्धने इस समस्या के बारे में 9 दिसम्बर को बातचीत करेंगे। मुझे खेद है कि दोनों के बीच 9 दिसम्बर को कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है।

विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने श्रीलंका के संघर्षरत तमिल लोगों के नेताओं से कई बार वार्ता की परन्तु उस वार्ता का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। वार्ता में किसी युद्ध विराम का प्रावधान किया गया था परन्तु श्रीलंका की सरकार प्रतिदिन इस युद्ध विराम का उल्लंघन कर रही है। सैकड़ों की संख्या में निर्दोष तमिल लोगों को मारा जा रहा है। तमिल स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। तमिल बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है तथा उन्हें अपंग किया जा रहा है। तमिल माताओं की दिन-दहाड़े हत्या की जा रही है। रोजाना समाचार-पत्रों में हमें 15 तमिलों, 20 तमिलों की हत्या का समाचार देखने को मिलता है। श्रीलंका की फौज, जिसका काम देश के लोगों की रक्षा करना है और जिसे देश की अखंडता की सुरक्षा करनी है, अन्धाधुन्ध हिंसा कर रही है। श्रीलंका की फौज विरोध को दबाने का एक शक्तिशाली हथियार बन गयी है। श्रीलंका के तमिल लोगों के विरुद्ध इस हिंसात्मक वातावरण में, श्री जयवर्धने ढाका में आतंकवाद तथा उग्रवाद को समाप्त करने की आवश्यकता पर आक्रोषी व्याख्यान देते हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मन्त्री राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका के साथ दोस्ती के सम्बन्ध रखने वाले वायदे का राष्ट्रपति जयवर्धने को गलत अर्थ नहीं लगाने दिया जाना चाहिए। यह समय है जब हमें श्रीलंका के मामले में कठोर रुख अपनाना है।

बंगलादेश को आजाद कराने में भारत की भूमिका को स्मरण कराना चाहता हूं। हमने बंगलादेश की आजादी के लिए मदद की थी ताकि लाखों शरणार्थी, जो बंगलादेश से भागकर आये थे, अपने स्वतंत्र देश में इज्जत और सम्मान के साथ लौट सकें। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने पंजाब समस्या को देश की एकता के हित में हल किया है। दिन-रात कार्य करके सम्पूर्ण देश की भलाई के हित में असम समस्या का हल खोजा गया था। अब हमें श्रीलंका की समस्या पर ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि लाखों श्रीलंका के तमिल शरणार्थी, जो इस समय तमिलनाडु में रह रहे हैं, सम्मान के साथ वापस श्रीलंका जा सकें। हमें इस भावना को पनपने नहीं देने की कोशिश करनी चाहिए कि यह समस्या राजधानी से 1500 मील दूर रहने वालों तमिल लोगों की समस्या है। इस दृष्टिकोण को फैलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह देश की एकता के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। यद्यपि तमिलनाडु को अलग करने की मांग एक पुरानी बात हो चुकी है, पर श्रीलंका की समस्या को हल करने में इस असामान्य विलम्ब के कारण कहीं ऐसा वातावरण न उत्पन्न हो जाये कि तमिल लोग अलगाव की बात में रुचि लेना शुरू कर दें। इस स्थिति को किसी भी कीमत पर उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। श्रीलंका में जारी नर-संहार को रोका जाना चाहिए। राज्य आतंकवाद के द्वारा किसी विशेष मानवीय जाति को समाप्त नहीं करने दिया जाना चाहिए। अपने माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा विश्व में शान्ति और मित्रता के युग में प्रवेश करने के लिए उनके

प्रशंसनीय कार्यों का स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि श्रीलंका की समस्या का तुरन्त समाधान निकाला जाना चाहिए ताकि श्रीलंका के तमिल लोग समान अधिकारों तथा सम्मान के साथ उस देश में रह सकें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (बुलन्दशहर) : अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, मेरी विनम्र राय में, यद्यपि पूरी तरह से तनाव और कलह से मुक्त नहीं है, परन्तु एक वर्ष पूर्व जैसी स्थिति थी उससे कुछ अच्छी तथा कम तनावमुक्त है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व समुदाय की सब समस्यायें हल हो गयी हैं। निरस्त्रीकरण की समस्या और हथियारों की होड़ केवल दो महाशक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि अन्य राष्ट्रों तथा विश्व के दूसरे भागों में भी है, परमाणु विध्वंस की समस्या, जातीय भेद की समस्या, तीसरे विश्व के राष्ट्रों के आर्थिक पिछड़ेपन, गरीबी, बीमारी तथा निरक्षरता की समस्या और अमीर देशों द्वारा तीसरे विश्व के राष्ट्रों की समस्याओं की ओर उदासीनता एवं अमीर देशों द्वारा अपने सीधे आर्थिक लाभों के लिए तीसरे विश्व के राष्ट्रों का शोषण—ये सभी समस्यायें हैं, जिन्हें अभी तक हल नहीं किया गया है और इनका हल इस समय हमारे सामने नजर नहीं आता है। परन्तु इसी के साथ-साथ हम कुछ महत्वपूर्ण विश्व नेताओं के दृष्टिकोण और उनके कार्यकलापों के तरीकों में निश्चित अन्तर देख सकते हैं। उनमें से कुछ पूर्व में समस्याओं को अनदेखा करने की नीति का अनुसरण कर रहे थे, जब वे देश यह जानना नहीं चाहते थे कि उनके अन्य प्रतिपक्ष क्या कहना चाहते हैं अथवा विश्व में क्या चाहते हैं परन्तु सौभाग्य से हम अब देखते हैं कि अब ये लोग विश्व की समस्याओं से परिचित होने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत सही तथा लाभदायक परिवर्तन है जो विश्व की शान्ति के लिए सहायक है। आज विश्व मंच पर कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई हैं या हो रही हैं जो मेरे इस तर्क का समर्थन करती हैं तथा जो हमारे भविष्य के बारे में भी वास्तव में मुझे आशावादी महसूस कराती हैं। गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण है हाल ही में अमरीकी राष्ट्रपति रीगन और सोवियत-संघ के श्री गरबाचेव के बीच जेनेवा की बैठक है। अब हम एक तथ्य को जानते हैं कि विश्व की शान्ति तथा आज मानव का भविष्य इन दो शक्तियों के हाथों में है। हम यह भी जानते हैं कि यदि उनके सम्बन्ध खराब होते हैं और यदि ये दोनों देश एक-दूसरे पर वक्र दृष्टि भी डालते हैं तो विश्व भय से कांप जाता है तथा यदि वे आपस में खुश रहते हैं तो विश्व को राहत प्राप्त होती है। जीवन का यह तथ्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि विश्व शान्ति के लिए इन दोनों देशों के बीच कुछ आपसी समझ-बूझ अवश्य होना चाहिए।

हालांकि इस बैठक के कोई ठोस परिणाम नहीं निकले या कोई समझौता नहीं हुआ परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों नेताओं की बैठक हुई तथा उन्होंने अपने विचारों का आदान-प्रदान किया, मैं समझता हूं कि यह विश्व के भविष्य के लिए अच्छा सद्भावनापूर्ण वातावरण पैदा करेगा। दोनों देशों के बीच भविष्य की बैठकों के लिए यह रास्ता खोलेगा जब वे समस्याओं का समाधान करने के काबिल होंगे जिनका हम सामना करते हैं।

अब हमने एशिया महाद्वीप के दो विशाल देश सोवियत संघ और चीन के बीच सम्बन्धों में परिवर्तन को भी देखा है जिसको मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट तथा अच्छी गतिविधि भी है। इन दोनों देशों ने आपस में बातचीत करनी शुरू कर दी है और यदि उनके सम्बन्ध सामान्य हो गए तो यह एशिया में शान्ति के लिए बहुत अच्छा कदम होगा।

भारत और अमरीका के सम्बन्ध में, जैसा कि मैं उन्हें महसूस करता हूं, हमारे प्रधान मन्त्री

जी के प्रयास के परिणाम भी आए हैं तथा हालांकि वह इतने सुखद नहीं हैं जितना कि हम चाहते हैं परन्तु हमें पता चला है कि अमरीका का विदेश विभाग अब भारत की ओर अपनी अपरिष्कृत नीति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है और वे आर्थिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में घनिष्ठ सम्बन्धों को बढ़ाने के लिए उत्सुक है जोकि एक अच्छी बात है।

और चौथी बात यह हुई है जिसका मैं स्वागत करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने हमारे पड़ौसी देशों के प्रति हमारी नीतियों के संबंध में पहल की है। यह जीवन का सत्य है कि विश्व में देश का आधार और महत्ता उसके पड़ौसी राष्ट्रों के संबंधों की गहराई तथा उसके प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। और हमने यह महसूस किया है कि हमारी विदेशी नीति की वास्तविक सफलता इसलामाबाद में हैं, थम्पू में कोलम्बो में और हमारे पड़ोसी देशों की अन्य राजधानियों में हमारी व्यवहार कुशलता पर निर्भर करती है और न कि यूरोप या अमरीका की राजधानियो में। यह महसूस करते हुए कि हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत बुद्धिमता से हमारे पड़ौसी देशों की ओर हमरी नीति को नई दिशा दी है।

विगत समय में हमने एक नीति का पालन किया था जिसे मैं अपने पड़ौसी की ओर आपसी अनन्यता की नीति कहूंगा और कभी-कभी उस नीति पर गलत व्याख्या की गई थी तथा उसे ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया था जैसे कि यह सख्त और कठोर नीति थी। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने मित्रता के तत्व, व्यावहारिक रवैया और सहृदयता के द्वारा हमारे पड़ौसी की ओर हमारी नीति में बुद्धिमता से नई दिशा प्रेरित की है जिसका हमारे सभी पड़ौसी राष्ट्रों ने स्वागत किया है तथा इसने शंका और संदेहों की दीवारों को तोड़ दिया है जो हमारे और छोटे देशों के बीच थी। उन्हें अब हमारे इरादों का पता है। हमारे पड़ौसी देशों के साथ हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और हमारी नीति सही आधारों पर है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत में शरणार्थी के आने के बारे में बंगला देश के साथ हमारी कुछ समस्या है। हमारे पास गंगा जल के वितरण की समस्या है। श्रीलंका के साथ हमारी समस्या है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा कि स्थिति में सुधार हो रहा है। हमें आशा है कि सुधरे हुए वातावरण में ये सभी समस्याएं, जो अभी तक सुलझाई नहीं जा सकी हैं ये हल होंगी और उनका समाधान दोनों देश के लाभ के लिए होगा।

हमारी समस्या केवल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ है। पिछले 35 वर्षों से कोशिश करने के बाद भी हम उस देश के साथ अपने सम्बन्धों को सामान्य नहीं बना पाए हैं। भारत पाकिस्तान के सम्बन्ध विभिन्न चरणों से गुजरे है तथा उसमें काफी उतार चढ़ाव आया है लेकिन मैं यह कहूंगा कि पाकिस्तान के बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री ने व्यावहारिक रवैया अपनाया है तथा उनसे मित्रता स्थापित करने की अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति जिया के साथ उन्होंने कई बैठकें की ताकि वे साथ-साथ बैठ सकें और अपनी समस्याओं पर स्वतन्त्र और स्पष्ट रूप से चर्चा कर सकें तथा एक ऐसा तन्त्र बनाया जाए जिसके द्वारा हमारी समस्याएं हल हो सकें। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमें अभी तक बहुत अधिक सफलता नहीं मिली है।

महोदय, मैं इस प्रश्न पर कहना चाहता हूं कि मेरे दृष्टिकोण से हम पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध नही बना सके हैं उसका मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति पूर्ण रूप से अपने देश, उसकी नीतियों के निर्धारक नही है। वहां पर बाहर का बहुत अधिक हस्तक्षेप है और पाकिस्तान महाशक्ति की नीतियों में फंस गया है जिससे वह अपने राष्ट्रीय हित में निर्णय लेने के लिए असमर्थ

है। ये महाशक्तियां भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में एक साथ तथ्य मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना नहीं चाहती है। फिर भी हमारी तरफ से सुधार और पाकिस्तान के मन में इस डर को कम करने के प्रत्येक प्रयास किए जा रहे हैं कि उन पर आक्रमण करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम उन्हें विकसित देखना चाहते हैं क्योंकि यदि हमारे पड़ोसी के रूप में पाकिस्तान मजबूत है तो यह हमारी मजबूती को बढ़ाएगा।

महोदय, भारतीय सरकार द्वारा पाकिस्तान को कई सुझाव भेजे गए हैं जो माननीय सदस्यों की जानकारी में हैं।

मैं प्रधानमंत्री की हाल की घोषणा के निर्णय का मैं उल्लेख करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि पाकिस्तान परमाणु शस्त्र बनाता है तब भी हम ऐसा नहीं करेंगे। इस घोषणा के बारे में मेरे पास निजी तौर से कुछ शर्तें हैं। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा इशारा किया है और मैं केवल आशा करता हूं कि पाकिस्तान इसे सही भावना, सकारात्मक रवैया से ले और अपने आणविक कार्यक्रम पर नजर रखे। मुझे आशंका है कि जिस तरह से हम उससे आशा करते हैं यदि पाकिस्तान उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और यदि वह अपने आणविक कार्यक्रम को लगातार चलाता है तो दो बातें होंगी। पहला, हमारी ओर से बिना आणविक प्रतिक्रिया के कारण हम हमेशा पाकिस्तान के आणविक दवाब के अधीन होंगे और हमारी कमजोरी होने के कारण हमें उसकी धमकियों के सामने झुकना पड़ेगा और दूसरा, यदि हम अपनी रक्षा के लिए बाहर से आणविक देशों की सहायता लेते हैं या कोशिश करते हैं तब वास्तविक रूप में हमें अपनी स्वतन्त्र विदेशी नीति और स्वतन्त्र स्तर के साथ समझौता करना पड़ेगा। अतः मैं महसूस करता हूं कि जहां हमने घोषणा करने का जोखिम उठाया है वहां हमें सावधानीपूर्वक स्थिति पर नजर रखनी चाहिए तथा हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के बारे में पाकिस्तान का विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ सम्भव करना चाहिए। परन्तु उसी समय हमें अपनी तैयारी भी जारी रखनी चाहिए। अतः महोदय, जहां तक अन्य गतिविधियों का सम्बन्ध है, जिसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है, वह एस० ए० आर० सी० सम्मेलन है जो हाल ही में ढाका में हुआ था। इस सदन के सभी लोगों ने इस बैठक की सफलता का अभिवादन किया था और मैं भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने ढाका में हुई बैठक को कार्रवाई को इस प्रकार से मार्गदर्शन दिखाया कि यह सफल हुई और मैं समझता हूं कि भविष्य के लिए शुरुआत है क्योंकि इस तरह विकासशील देशों ने अमीर देशों को यह दिखाया है कि यदि उन्हें सहायता और मदद नहीं दी जाती है तो कम से कम वे अपने विश्वास के लिए एक जुट हो सकते हैं और अपने प्रयास से अपनी समस्याओं का आपसी सहायता तथा सहयोग के द्वारा समाधान कर सकते हैं। मुझे आशा है कि यह सम्मान का केन्द्र बनेगा जिससे भविष्य में और विकासशील विश्व के और अधिक देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक साथ आएंगे तथा बाद में शायद हम विश्वव्यापी सहयोग कर सकते हैं। स्थिति को सामने लाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं।

इस अल्प समय के दौरान अन्त में मेरा शब्द यह कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने को विश्व नेता, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता, भारतीय नेता तथा तीसरी दुनिया के नेता के रूप मे सिद्ध कर दिया है। ऐसा नेता जिसके पास विश्व में तीसरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए रचनात्मक कल्पना है और बुद्धिमता है तथा महोदय, पूरे विश्व की आंखें उन पर टिकी हुई हैं और हमें उनसे बहुत आशा है व मुझे विश्वास है कि हमारा तथा गुट-निरपेक्ष देशों का भाग्य उनके हाथों मे सुरक्षित

है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, सदन के दूसरी तरफ से मेरे एक दोस्त जो सी० पी० एम० के सदस्य हैं, ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के उद्देश्य के बारे में सन्देह व्यक्त किया है। महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के उद्देश्य एकदम स्पष्ट है। हम हमेशा शांति के लिए सह-अस्तित्व के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। हम उन लोगों के साथ हैं जो उपनिवेशवादी तथा नव उपनिवेशवादी शासन से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। स्वतन्त्रता संघर्ष से पहले हमने इन उद्देश्यों तथा नीतियों को साथ लेकर संघर्ष शुरू किया था और वह अब तक निरन्तर बनी हुई हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है कि हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है व हमारे उद्देश्य सुस्थापित हैं।

महोदय, कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने मूल प्रस्ताव तथा विदेशी नीति के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। मैं उन माननीय सदस्यों को जो उस तरफ से बोले थे, यह याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था—

मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूं :

"हमने हमेशा शांति के लिए कार्य करने में विश्वास किया है। परस्परता और आपसी लाभ के आधार पर सभी देशों के साथ मित्रता बनाने की हमारी नीति है। न्याय, समानता तथा आपसी सहयोग पर आधारित नई आर्थिक व्यवस्था और एन० ए० एम० में हमारी वचन-बद्धता अटल है। इसका अर्थ यह हुआ कि शांति और विकास के दोहरे कारणों को पूर्ण समर्पण। राज्यों की स्वतन्त्रता और अहस्तक्षेप तथा तटस्थता के सिद्धान्तों के समर्थन करते हुए हम उनके बचाव में भी विश्वास रखते हैं।"

महोदय, श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हम देख रहे हैं कि वह किस प्रकार से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे देश की प्रतिष्ठा को बना रहे हैं, उन्होंने बहुत से देशों, मित्र देशों का दौरा किया है। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र के तनाव को कम करने के प्रयोजन से देशों के विभिन्न अध्यक्षों के साथ चर्चा की है और शांति को बनाए रखने तथा सह-अस्तित्व की आवश्यकता के लिए लोगों को विश्वास दिलाया है।

मेरे दोस्तों ने सार्क क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संस्था के बारे में उल्लेख किया है। यह अच्छी बात है कि अगली बैठक दिल्ली में भारत में होने जा रही है। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी को उनकी शुरूआत के लिए बधाई देता हूं।

जब हम अन्तर्राष्ट्रीय दृश्य को देखते हैं तो सबसे अधिक गम्भीर समस्या जो हम देखते हैं वह शस्त्रों में विशेकर आणविक शस्त्रों में तेजी से अभूतपूर्व हो रही वृद्धि है। शस्त्रों की होड़ ने अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को तेज कर दिया है।

विश्व में आणविक युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। आणविक युद्ध का अर्थ सभी संस्कृतियों का विनाश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में आणविक शस्त्रों की संख्या 40 हजार और 50 हजार के बीच में है। शस्त्रों की होड़ के लिए विश्व शक्तियां 5 लाख करोड़ डालर प्रतिवर्ष खर्च कर रही हैं जिसका मतलब एक हजार करोड़ डालर प्रति मिनट है। हम हमेशा आणविक युद्ध के खतरों के बारे में बात करते हैं तथा परीक्षण, उत्पादन और आणविक हथियारों के फैलाव पर रोक

की मांग करते हैं। यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मंच में इस पर बार-बार चर्चा की गई है। पूरे विश्व के लोग और उन देशों के लोग भी जो शस्त्रों की होड़ में लगे हैं, इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा है?

लन्दन स्थित युद्धनीति अध्ययन के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी वार्षिक समीक्षा 'दि मिलेट्री बेलेन्स, 1985-86 में बताया है कि किसी भी तरफ यद्यपि परमाणु हथियारों के फैलाव में पिछले वर्ष कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन आगामी कुछ वर्षों में दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों की नई पद्धतियों का विस्तार करेंगे। महाशक्तियां इस पर अधिक से अधिक पैसा खर्च कर रही हैं तथा उन्होंने अपना परमाणु हथियारों का उत्पादन और उनका विस्तार बढ़ा लिया है। स्थिति और अधिक गम्भीर तथा विस्फोटक बन गई है।

कुछ समय पहले जेनेवा में रोनाल्ड रीगन और गोरबाचेव परस्पर मिले थे तथा उनमें इस पर बातचीत हुई थी। यह अच्छा कदम है। विश्व को रीगन और गोरबाचेव की बैठक पर आशाएं थीं। क्या परिणाम होगा? प्रश्न यह है; क्या बैठक शांति की दिशा में नया मोड़ लाएगी?

मुझे याद है कि 1979 में जिम्मी कार्टर और ब्रेझनेव वियाना में मिले थे। वे आपस में गले मिले थे और उन्होंने भयंकर युद्ध-अस्त्रों को सीमित करने के समझौते-दो (सालट-2) पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब हम महसूस करते हैं कि विश्व समुदाय में जो आशाएं तथा उम्मीदें जागी थीं वे अब छिन्न भिन्न हो गई हैं। कुछ नहीं हुआ है। शस्त्रों की होड़ बराबर जारी है, दुश्मनी और तनाव बढ़ रहे हैं। प्रश्न यह है कि इसका परिणाम क्या होगा।

मैं इस सन्दर्भ में पण्डित ज्वाहर लाल नेहरू के शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं जो उन्होंने इस सदन में 10 मई, 1954 को कहे थे जब लोक सभा में आणविक ऊर्जा पर नियंत्रण के बारे में चर्चा हुई थी।

> "सदन के दोनों तरफों के माननीय सदस्यों ने आणविक हथियारों पर रोक के बारे में बात की है लेकिन यह मुझे तब भी बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है कि इस सदन में व्यक्त की गई भावनाएं तथा जोरदार भाषण किस प्रकार इस प्रकार की रोक लगवाने में सफल होंगे। इसमें कोई सन्देह नही है कि यदि इन शस्त्रों को खतम नहीं किया गया तो अन्ततः इन्हें नियंत्रित तो करना ही होगा। लेकिन हम इस विश्व से क्या जानते हैं, खतरा कौन मोल लेगा? हरेक पीछे बैठ जाएगा। और अपने आप से कहेगा कि जनता के इतने विरोध के बावजूद भी हथियारों के नियंत्रण करने का वास्तव में कोई प्रयास नहीं होगा। फिर भी, उन्हें नियन्त्रित करने की आवश्यकता है। प्रश्न यह रहता है कि इसे कैसे किया जाए। जैसा कि सर्वविदित है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत कमजोर साधन है, फिर भी इस उद्देश्य को प्राप्त करना है।"

अतः आज भी यही स्थिति बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए भविष्य में क्या कारंवाई की जाए क्योंकि इसे क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण मुद्दा है।

दूसरी तरफ जो मेरे दोस्त बैठे हैं उन्होंने पूछा है कि इस बारे में तो शांति आंदोलन चल रहे हैं, उनके प्रति भारत क्या कर रहा है। इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर मैं वास्तव में चकित होता हूं।

जवाहरलाल नेहरू और भारत ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन चलाया था। वह गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख निर्माता थे और इसमें भारत का सहयोग था। हमें इस पर गर्व है। लेकिन माननीय सदस्य ने यह नहीं देखा है। मैं उन्हें किस प्रकार से विश्वास दिला सकता हूं? मेरे दोस्त श्री जयपाल रेड्डी गुट-निरपेक्ष युवा सम्मेलन के बारे में बहुत चिंतित है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों की। मैं यूथ कांग्रेस को बधाई देता हूं कि उसने गुट-निरपेक्ष देशों को एक स्थान पर इकट्ठा किया तथा शांति के लिए अपना योगदान किया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : लेकिन चाणक्यपुरी स्थित पाकिस्तान दूतावास से प्रतिनिधियों को नहीं बुलाया गया। (**व्यवधान**)

श्री टी० बशीर : इसी के साथ वे यह गलती निकाल रहे हैं कि हम शांति आंदोलनों में भाग नहीं ले रहे हैं। यह स्पष्ट विरोधात्मक बात है।

महोदय, अब मैं रंगभेद की नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका और अनधिकृत रूप से लिए गए नमीबिया में रंगभेद नीति लगातार निर्लज्ज अमानुषिकता का रूप दिखा रही है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सभी आदर्शों के विरुद्ध है। रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष तथा दक्षिण अफ्रीका में जातीय शासन को समाप्त करने का संघर्ष बहुत तेज हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बशीर, कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें। आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री टी० बशीर : मुझे कहना चाहिए कि भारत को इस रंगभेद नीति को समाप्त करने की दिशा में आगे आना चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के राजनैतिक दलों के बीच हमारी विदेशी नीति झगड़े की जड़ या विवाद का विषय नहीं है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया हूं कि इस सम्बन्ध में जहां तक श्री दिनेश सिंह जैसे मंजे हुए संसद सदस्य तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ का सम्बन्ध है जो अपनी राजनयिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं वह किस लिए इस अहानिकारक सामयिक प्रस्ताव का पक्षपातपूर्ण विवाद का तीखा आयाम देंगे। जैसाकि आप सभी जानते हैं कि विदेश नीति के क्षेत्र में हमारा जो सामान्य दृष्टिकोण वह हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की बहुमूल्य विरासत के एक भाग के रूप में हमें मिला है। जवाहरलाल नेहरू के कल्पनाशील नेतृत्व में जो हमारे पहले प्रधान मन्त्री के, इस दृष्टिकोण को बल मिला है।

लेकिन तो भी यह ऐसा अवसर नहीं है जब हम अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों का सामान्य सर्वेक्षण या उनकी व्यापक समीक्षा करें। मैंने सोचा था कि यह प्रस्ताव केवल वर्तमान विश्वव्यापी घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने के लिए है ताकि हम उनके संबंध में शीघ्र पहल के रूप में अपनी निश्चित नीतियां तैयार कर सकें।

महोदय, इस सचाई में कोई संदेह नहीं है कि हाल में जेनेवा में हुए महाशक्तियों के शिखर सम्मेलन के बाद वातावरण में अब तनाव कम हो गया है परन्तु वातावरण में जो यह तनाव कम हुआ है वह थोड़ा धोखा है क्योंकि इस सम्मेलन से वास्तविक रूप में कोई विशेष या ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। श्री रीगन और श्री गोरबाचेव दोनों नेताओं ने आपस में अपनी इच्छा व्यक्त करने

का फैसला किया था। बस यही स्थिति है लेकिन वे शस्त्रों के नियन्त्रण की दिशा में कोई पहल नहीं कर सके हैं। निश्चय ही श्री रीगन अभी भी अन्तरिक्ष युद्ध के अपने प्रिय कार्यक्रम में लगे हुए हैं। यही कारण है कि जबकि 1975 में विश्व रक्षा पर 350 अरब डालर खर्च कर रहा था। लेकिन आज 1985 में 10 वर्षों के बाद भी हम 700 अरब डालर से अधिक खर्च कर रहे हैं और अगले दो वर्षों में यह 1000 अरब डालर से अधिक बढ़ जाएगा। विश्व के विकसित देश रियायती वित्त सहायता का अपना कोटा कम कर रहे हैं। सातवीं संपूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था ने अपनी सहायता 16 अरब से घटाकर 9 अरब डालर तक कम कर दी है। आठवीं संपूर्ति के लिए विकास-शील देश 15 अरब डालर की सहायता के लिए मांग कर रहे हैं। औद्योगिक राष्ट्र इस छोटी राशि को देने की स्थिति में नहीं है। हमारी विदेशी नीति जिसके कारण गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का शक्तिशाली अभियान आरम्भ हुआ, एक दृष्टि से सफल नहीं हुई है। वे रक्षा पर होने वाले व्यय के संबंध में महान शक्तियों पर पर्याप्त प्रभाव नहीं डाल सके। जब बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की पहली बैठक हुई थी तो उस समय 5000 आणविक हथियार थे। आज हमारे पास 50,000 आणविक हथियार हैं। हालांकि हमारे प्रधान मन्त्री जी ने पिछले वर्ष के दौरान विदेश भ्रमण का आनन्द लिया है। स्पष्टतः वह विदेशों का दौरा कर रहे हैं और इस देश के लोग उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं बल्कि उन्हें केवल दूरदर्शन पर देखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि जिन लोगों के पास टी० वी० सेट हैं वे प्रतिदिन प्रधान मन्त्री की तस्वीर लगभग एक घंटे तक देखने के लिए मजबूर होते हैं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आदिवासी क्षेत्रों में भी जाने पर।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आदिवासी क्षेत्रों में हेलीकाप्टर में उड़कर जाना वास्तव में उन क्षेत्रों का दौरा नहीं है। परन्तु मेरे विचार से ये दौरे विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्षों के साथ औपचारिक मेलजोल बढ़ाने के लिए ही थे। मैं विदेश मन्त्री से जानना चाहता हूं कि उन दौरों से हमारे राष्ट्र को क्या मिला है? क्या पाकिस्तान को अधिक सैनिक सहायता न देने के लिए अमरिका को मनाने में हमारे प्रधान मन्त्री जी सफल हुए हैं? क्या संयुक्त राज्य अमरीका को वह खतरा दिखाने में उन्होंने सफलता पाई है जो पाकिस्तान के आणविक अस्त्रों से लैस होने पर पैदा होगा। क्या हमारे प्रधान मन्त्री ने रीगन पर यह दबाव डाला है कि हमारे देश को अधिक रियायती वित्त सहायता उपलब्ध की जाए जो केवल तीसरी दुनिया के देशों को है। रीगन ने हमारे प्रधान मन्त्री के सामने यह कहा था कि सहायता प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है कि हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं अपने दल से बोलने वाला केवल एक ही व्यक्ति हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही दस मिनट ले लिए हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने अभी अपनी आधी बात भी नहीं कही है। प्रीटोरिया शासन पर दबाव डालने में हमारे प्रधान मन्त्री जी को किस तरह सफलता प्राप्त हुई है? इन दौरों के क्या ठोस परिणाम हैं? मैं विदेश मन्त्री से इस पहलू पर प्रकाश डालने के लिए अनुरोध करता हूं। एक औसत भारतीय की तरह ही हमारे प्रधान मन्त्री जी भी पश्चिम देशों के दौरों में अधिक दिलचस्पी

रखते हैं। मैं विदेश मन्त्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी दुनिया के कितने देशों का दौरा किया है? सत्तादल के सदस्यों ने दबे शब्दों में यहां तक कहा है कि प्रधान मन्त्री को विश्व नेता की मान्यता मिल चुकी है। मैं उन सदस्यों के लाभ के लिए बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति भारत जैसे देश का प्रधान मन्त्री बनता है, जो विश्व में सबसे अधिक जनवादी लोकतन्त्र है और विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय लोकतन्त्र है, वह स्वतः ही विश्व राजनेता की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है?

एक माननीय सदस्य : श्री मोरारजी देसाई के बारे में क्या कहना है?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे खुशी है कि वे श्री मोरारजी देसाई को याद करते हैं। हाल ही में, जब प्रधान मन्त्री······ **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। यह क्या है?

श्री टी० बशीर : वह कुछ भी कह सकते हैं······ **(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जब हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने हाल ही में ब्रिटेन का दौरा किया था तो आकाशवाणी ने समाचार के भाग के रूप में हमें बताया था कि श्रीमती मारग्रेट थैचर अपनी परम्परा को तोड़कर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने आईं। उपाध्यक्ष जी क्या मैं आपको बता सकता हूं कि जब श्री मोरारजी देसाई ब्रिटेन के दौरे पर गये थे तो तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री जेम्स कालाघन भी उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे प्रधान मन्त्री की ओर से यह संकेत दिया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह क्या है? क्या आप हमसे विवाद में कोई योगदान चाहते हैं या नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : दिए गए समय में आप योगदान कर सकते हैं। मैंने 10 मिनट दिए हैं। आपने उससे अधिक समय ले लिया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : क्या हम विदेश नीति पर चर्चा कर रहे हैं या किसी अन्य विषय पर? **(व्यवधान)**

क्या आप मुझसे मेरे दल के दृष्टिकोण को सुनना चाहते हैं या आप मुझसे चाहते हैं कि मैं भी चापलूसी तथा दरबारियों की पंक्ति में शामिल हो जाऊं? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप और कितना समय चाहते हैं?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उन्होंने पूरा समय नष्ट कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। यह तरीका नहीं है। आपका व्यवहार ठीक नहीं है। मैं आपको समाप्त करने के लिए दो मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उन्हें एक मिनट का भी समय न दिया जाए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : विदेशी यात्राएं इस प्रकार प्रायोजित न की जाएं कि उनसे देश के भोले-भाले लोगों पर प्रभाव डाला जा सके। इन विदेशी यात्राओं के कुछ निश्चित परिणाम निकलने चाहिएं। मेरे विचार से, सभी विदेशी यात्राएं औपचारिक रूप से आपसी जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से की जाती हैं। इसलिए, मेरे विचार से अपने प्रधानमन्त्री को तृतीय विश्व के देशों का भ्रमण करना चाहिए। वास्तव में गुट-निरपेक्ष विश्व में हमारी गतिविधि बढ़नी चाहिए। हमारे वरिष्ठ राजनयिक राजदूत के रूप में दूसरे दर्जों के पश्चिमी देशों में भी तैनात किए जाते हैं किन्तु तृतीय विश्व के महत्वपूर्ण देशों में तैनात नहीं किए जाते। वरिष्ठ राजनयिकों में तृतीय विश्व के महत्वपूर्ण देशों में नियुक्त किया जाना चाहिए। नाइजीरिया में भारतीय उच्चायुक्त की जो उपेक्षा की गई है, उसका कारण ही यही है कि तृतीय विश्व देशों में हमारे राजनयिक आकस्मिक रूप से आते-जाते हैं। आठ महीने से अधिक समय से उच्चायुक्त का पद वहां रिक्त था। लागोस में वाणिज्यिक आयुक्त का पद अभी तक रिक्त है।

हम सभी जानते हैं कि विदेश नीति का अर्थ वास्तव में विदेश व्यापार से है। पश्चिमी देशों का भारत में अधिक रुचि दिखाने का एक कारण यह भी है कि हाल ही में उन्हें पता चला है कि भारत में उनके लिए आधार की बड़ी गुंजाइश है। ये देश अपने लिए सीमा-शुल्क की गुंजाइश बढ़ा रहे हैं और वे चाहते हैं कि भारत के सीमांत प्रदेश उनमें वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए खुल जाएं। तृतीय विश्व को देश होने के नाते हमें अन्तवर्ती प्रौद्योगिकी विकसित करने की पहल करनी चाहिए जो तृतीय विश्व के लिए उपयुक्त है। इस क्षेत्र में हम तृतीय विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं।

सार्क शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा का स्वागत करता हूं। सार्क सम्मेलन में की गई घोषणा का पालन करना आवश्यक है।

श्रीलंका के बारे में मैं एक शब्द कहना चाहूंगा। हम तुल्फ के प्रतिनिधियों और श्रीलंका सरकार के मध्यम बैठकें करा सके हैं। किन्तु हम उसमें कोई प्रगति नहीं करा पाए। इससे श्रीलंका को अपनी सैन्य शक्ति सुदृढ़ करने तथा सैनिक गतिविधियां तेज करने का अवसर मिल गया है। इसलिए, विदेश मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रपति जयवर्धने पर और अधिक दवाव डाला जाए तथा समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए अन्यथा यह एकतरफा समाधान बनकर रह जाएगा और इसके बारे में हमारा देश कुछ भी नहीं कर पाएगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं श्री दिनेश सिंह द्वारा रखे गए प्रस्ताव का इसलिए स्वागत करता हूं कि भारत सरकार की विदेश नीति निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी रही है और इसलिए सभा का इसे पूर्ण समर्थन प्राप्त होना चाहिए तथा इसे सभा की स्वीकृति मिलनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके कारण पूरा विश्व हमारी ओर आकर्षित हुआ है, वह यह है कि जेनेवा सम्मेलन में हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हम सभी जानते हैं, विशेषकर वे लोग जो विश्व और अन्तर्राष्ट्रीय मामले में कुछ करने को इच्छुक हैं, वे यह जानते हैं कि जेनेवा सम्मेलन से एक मोड़ आया है। इससे उस अंधकार में आशा की किरण प्रस्फुटित हुई है, जो विश्व पर अच्छादित था कि हम उस विषय पर वार्ता करने में सफल हो पाए हैं जिसपर विश्व की दो महान शक्तियां परमाणु यिरस्त्रीकरण के विषय पर वार्ता करने तक को तैयार नहीं थे। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम पूर्णरूपेण सफल हो रहे हैं किन्तु इस सफलता की यह प्रारम्भिक अवस्था है। मेरे विचार से

इस बात का पता लगाना तथा विश्लेषण करना तर्कसंगत होगा कि वस्तुतः क्या हो रहा है। यदि श्री रीगन अथवा श्री गोर्बाचोव द्वारा दिए गए वक्तव्यों पर ध्यान दिया जाए तो पता चल जाएगा कि इस वार्ता के दौरान वास्तव में क्या हुआ है। यद्यपि श्री रीगन का यह कहना है कि उनकी स्पष्ट और खुली वार्ता हुई है किन्तु उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने यह निर्णय लिया था कि निरस्त्रीकरण की नीति जारी रखी जाए। इसके विपरीत, हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि श्री गोर्बाचोव ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हमें परमाणु युद्ध के खतरे को निश्चित रूप से कम करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे प्रधानमन्त्री ने जो प्रयत्न किए हैं उस पर पूरे विश्व ने ध्यान दिया है तथा अभिव्यक्त भी किया है। मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी यहां नहीं हैं। मैं चाहता था कि वह यहां होते······

एक माननीय सदस्य : वह यहीं हैं। क्या आप उन्हें नहीं देख पाए हैं ?

श्री पी० आर० कुमारमगलम : जी नहीं; वह छिपे हुए थे। मुझे खेद है। किन्तु ऐसे छिपे हुए थे कि मैं उन्हें नहीं देख सका। वास्तविकता तो यह है कि हमारे देश में एक से अधिक प्रधानमन्त्री हुए हैं किन्तु जेनेवा सम्मेलन में श्री गांधी के जो प्रयास रहे हैं, उसका पूरे विश्व ने स्वागत किया है। लोगों ने ऐसा कहा है—भाग्यवश मुझे पेरिस जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था······

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, वह बहुत ही गम्भीरतापूर्वक औपचारिक राजनयिक प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा विचार है कि मेरे मित्र मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि ये उद्गार औपचारिक राजनयिक प्रशंसा से मुक्त नहीं थे और यह कहना चाहता था कि मैंने यह प्रशंसा कहां सुनी थी। यह खेद की बात है कि उन्होंने मेरी बात सुनने के लिए प्रतीक्षा तक नहीं की। मैंने सुना था। उन्होंने श्री मोरारजी देसाई के बारे में कहा था। हम सभी जानते हैं कि वह किस लिए प्रसिद्ध थे······और···**···

(व्यवधान)**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : यह सत्य है और मैं इसे स्पष्ट कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : प्रतिकूल टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जानी चाहिए। महोदय······(व्यवधान)। यह अनुचित है······

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी हुई तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा······

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : श्री मोरारजी देसाई उस समय उप प्रधानमन्त्री थे; जब श्रीमती गांधी उन लोगों की नेता थीं······(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि कोई प्रतिकूल टिप्पणी हुई तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। कृपया बैठ जाइये······

(**व्यवधान**)

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी होगी; तो मैं उसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा······

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : न तो···**···ना ही···**यहां उल्लेख होना चाहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैंने केवल इतना ही कहा था कि हर व्यक्ति जानता है कि वह किसलिए प्रसिद्ध थे।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी। आप परेशान क्यों हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : वास्तविकता यह है कि एक सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री फैलीरियों ने मुझे पेरिस भेजने की कृपा की थी। उस सम्मेलन में मैं अनेक लोगों से मिला था जो विभिन्न राजनैतिक दलों से यूरोप और अमरीका तथा सोवियत रूस से आए थे और उन लोगों ने जेनेवा सम्मेलन में श्री राजीव गांधी द्वारा जो भूमिका अदा की गई थी, उसकी विशेष रूप से बहुत अधिक प्रशंसा की थी। मैं यह बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि यह प्रशंसा सुन राजनयिकों ने और उन राजनीतिज्ञों ने की थी जो विश्व के विभिन्न देशों के विभिन्न दलों का नेतृत्व करते हैं। मैं समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्यों के आधार पर नहीं कह रहा हूं अपितु मैं उस जानकारी के आधार पर कह रहा हूं जो मैंने स्वयं एकत्र की है।

तथापि मैं जेनेवा सम्मेलन के मामले पर यह कहकर प्रकाश डालना चाहता हूं जबकि श्री राजीव गांधी ने वियतनाम का दौरा किया था। उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि विश्व शांति के लिए हमें केवल परमाणु निरस्त्रीकरण तक ही सीमित रहना चाहिए अपितु सामान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण पर जोर देना चाहिए। इसीलिए, मेरे विचार से हमारे प्रयत्न से तथा सरकार के प्रयत्न से जेनेवा सम्मेलन का परिणाम आशा की झलक से कहीं और अधिक आशा का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिशा की ओर बढ़ते हुए हमारा मंतव्य और अधिक बैठकें आयोजित करने का है तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना सर्वाधिक प्रयत्न करके तथा प्रभाव डालकर हम चाहते हैं कि दो महान शक्तियों में परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में कोई समझौता हो जाए।

बल्कि यह दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी दलों ने अन्तर्राष्ट्रीय मामले को उठाकर सरकार पर प्रहार किया है। मैं यह कहना चाहता हू कि विश्व में यह धारणा व्याप्त है कि हमारी विदेश नीति एक सी रही है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि विश्व के समाचार पत्रों में हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की जो इतनी ख्याति हुई है, उससे विरोधी दल के लोग असंतुष्ट हैं। मैं यह समझता हूं कि उनसे कुछ लोग इस प्रकार की कुछ प्रशंसा पाने के लिए लालयित हैं। किन्तु उनकी आलोचना पर ध्यान न देते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि जेनेवा की वार्ता के अलावा भी ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनका उल्लेख करके हम अपने नेता और अपने दल के सम्मान में चार चांद लगा सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हाल ही सार्क सम्मेलन समाप्त हुआ है और श्री जयपाल रेड्डी ने उसका स्वागत किया था। मैंने उस पर ध्यान दिया था और उन्होंने हमारे ऊपर जो भी थोड़ी सी कृपा की है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

इस सम्मेलन में सामूहिक आत्म-निर्भरता की मांग उभरकर आई है; जिससे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन आया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि दक्षिण एशियाई देशों की ओर जो यह मांग उभरकर आई है वह एक स्थाई चीज है। इससे न केवल अन्य सदस्य देशों को मदद मिलेगी अपितु हमारे देश को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

इस्पात, आटोमोबाइल और इलेक्ट्रोनिक जैसे मामलों के सम्बन्ध में जापान के साथ आर्थिक क्षेत्र में जो हमारा समझौता और सहयोग हुआ है, उसका वास्तव में, सभी लोगों ने, यहां तक कि विरोधी दलों के सदस्यों ने भी जिनका इसका समर्थन करने में निहित स्वार्थ है, स्वागत किया है किन्तु पूरा देश इस बात को समझता है कि आर्थिक क्षेत्र में हुए इस द्विपक्षीय समझौते से हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसे ही समय में पोलिसेरियों आन्दोलन के कारण एस० ए० डी० आर० जो उत्पत्ति हुई है, उसे भारत सरकार ने जो मान्यता प्रदान करने का कार्य किया है; उसकी इस आशय से पूरे विश्व ने सराहना की है कि भारत सरकार अपनी निष्पक्षता और गुट-निरपेक्षता पर दृढ़ है और विशेषकर इसलिए कि भारत ने विश्व भर में प्रत्येक की स्वतन्त्रा की लड़ाई का समर्थन करता रहा है।

6.00 म० प०

अन्त में, मैं कुछ शब्द श्रीलंका के बारे में कहना चाहूंगा। विरोधी दल की ओर से माननीय सदस्य श्री जयपाल रेड्डी ने अपने भाषण में इस विषय पर न्यायसंगत बात कहने की चेष्टा की थी। किन्तु उन्होंने इसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत कहा है, उसके लिए मैं इसलिए, उनका आभारी हूं; क्योंकि मेरे विचार से उनके पास समय की कमी थी। अन्यथा, इस अवसर पर तमिलों के पक्ष में समर्थन के बारे मे वह और भी कुछ कहते। इस मामले में मूल बात यह है। (व्यवधान) श्री अमल दत्त को यह शंका है कि मैं तमिलवासी हूं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं एक भारतीय हूं। तमिलनाडू से जो निर्वाचित होते हैं; क्या वे केवल तमिल हैं? वे पहले भारतीय हैं और उसके बाद तमिल हैं। न वह पहले बंगाली हैं और इसके बाद भारतीय। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि श्रीलंका की समस्या थोड़ी बहुत हाथ से बाहर होती जा रही है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए वास्तव में भारत सीधी तरह से उत्तरदाई नहीं है। किन्तु फिर भी, चूंकि यहां शरणार्थियों का आगमन हुआ और चूंकि मानव जाति की इस आबादी वाले भाग से हमारा सम्बन्ध है तथा मानव जाति की आबादी के अन्य भाग से हमारा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है और इसलिए भी कि श्रीलंका हमारे देश से सबसे अधिक निकट है, अब यह समस्या हमारी अपनी समस्या बन गई है।

मैं महसूस करता हूं कि बातचीत फिर से आरम्भ करने के हमारे प्रयास निष्फल रहे हैं।

हमें याद रखना चाहिए कि थिम्पू वार्ता के बाद श्रीलंका सरकार ने कहा था वह युद्ध विराम करने के लिए सहमत है और युद्ध विराम की ओर में, वास्तव में वह अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा में संलग्न हैं; और सभी प्रकार के विरोधी तत्वों का सफाया कर रही है तथा वास्तविकता यह है कि वह एक जाति को समूल नष्ट करने पर तुली हुई है। क्या भारत शांत बैठा रहेगा और यह कहता रहेगा कि यह हमारा मामला नहीं है ? हम इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यह श्रीलंका का आंतरिक मामला नहीं है। यह अब पूरे विश्व की समस्या बन गई है। इस समस्या का सम्बन्ध मानवीय अधिकार से है। बहुत आधारभूत मामले सामने आए हैं। क्या हम इस ओर से बेपरवाह होकर केवल यह कहते रहेंगे कि श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्द्धने हैं; वह सहृदय है और वह इसका राजनैतिक समाधान चाहते हैं; और इतना कहकर हम चुप होकर बैठ जाएंगे ? हम जानते हैं कि वह हमसे स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं; जबकि उन्होंने यहां आकर हमारे प्रधानमन्त्री और हमारे नेताओं और हमारे प्रतिनिधियों से बड़े स्पष्ट और सकारात्मक ढंग से बात की, पर श्रीलंका में उनके अपने लोग क्रोध से पागल हो रहे हैं। वे महिलाओं और बच्चों को भी छोड़ना नहीं चाहते। आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने केवल विद्रोहियों को ही नहीं, महिलाओं और बच्चों को भी अपना लक्ष्य बनाया है। जहां तक श्रीलंका के बारे में हमारी नीति का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसका एकमात्र समाधान राजनैतिक समाधान ही हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका समाधान कैसे किया जाए। इस सभा का सदस्य होने के नाते मैं विदेश मन्त्री और माननीय प्रधानमन्त्री जी से अपील करता हूं कि यदि सम्भव हो तो वे इस समस्या का समाधान करें अन्यथा स्थिति काबू से बाहर हो सकती है और समय पर न होने से हम स्यय को दोषी महसूस करेंगे। मैं अन्तिम बार यह कहना चाहता हूं कि भारत की विदेश नीति का इसलिए समर्थन किया जाना चाहिए कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का सम्बन्ध है, हमें पूरे विश्व में शक्तिशाली माना गया है, हमें महत्वपूर्ण माना गया है। और अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं कहूंगा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि विपक्षी दलों के सदस्य इस पर नाराजगी दिखा रहे हैं, वे भी इस देश के ही नागरिक हैं, उन्हें यह बात नहीं भूलनी चाहिए; और उन्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा देश अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों की लम्बी सूची है। लेकिन समय 6 से ऊपर हो चुका है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : यह महत्वपूर्ण मामला है। अत: हम इसे कल तक के लिए स्थगित करना चाहेंगे।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मेरे विचार से सभा का समय $1\frac{1}{2}$ घंटे और बढ़ा दिया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : अब आप सभा स्थगित कर दीजिए और कल इसे जारी रखा जाए।

श्री अमल दत्त : कल प्रधानमन्त्री महोदय बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : चूंकि कल मन्त्री महोदय को राज्य सभा में जवाब देना है। (व्यवधान) अतः मेरा अनुरोध है कि हम सभा का समय $1\frac{1}{2}$ घंटा और बढ़ाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसके लिए $1\frac{1}{2}$ घंटा समय और बढ़ाएंगे। मेरा विचार है कि सभा इससे सहमत होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कार्य सूची के अनुसार यह चर्चा दोपहर दो बजे शुरू की जानी थी, किंतु यह चर्चा 2 बजे शुरू न होकर 2 बजकर 45 मिनट पर शुरू की गई।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः हम सभा का समय बढ़ा रहे हैं। हम उसके बाद देखेंगे।

श्री अमल दत्त : जी नहीं महोदय। इस पर चर्चा कल ही की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : कल उन्हें राज्य सभा में जवाब देना है। अतः वह कल यहां कैसे उपस्थित हो सकते हैं ? (व्यवधान) हमें सभा का समय $1\frac{1}{2}$ घंटा बढ़ाकर इस चर्चा को समाप्त कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह प्रधानमन्त्री जी पर निर्भर करता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : आज आप पहले ही पूरा दिन ले चुके हैं। कल पुनः इस पर पूरा दिन लग जाएगा। एक ही विषय पर वाद-विवाद के लिए हमें दो दिन लगाने पड़ेंगे। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में आप हमें सहयोग दें।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अपने दल के उन वक्ताओं को, जो बार-बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, मना क्यों नहीं करते ?

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं समझता हूं कि आपके दलों की सदस्य संख्या देखते हुए हमारी संख्या कम है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : हम चाहते हैं कि विदेश मन्त्री जी अपनी बात विस्तार में कहें जबकि हम भी तरोताजा महसूस कर रहे हों, दिन भर की थकान के बाद हम उनकी बात नहीं सुन पाएंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम सभा का समय $1\frac{1}{2}$ घंटा और बढ़ायेंगे।

इससे पहले कि मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, श्री जनार्दन पुजारी पत्र सभापटल पर रखेंगे।

6.10 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र [—जारी]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की

धारा 159 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या 356/86 सी० शु० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 9 दिसम्बर, 198९ को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सभी किस्म के कच्चे लोहे, चाहे उनमें फासफोरस की अन्तर्वस्तु हो या न हो, जब उनका भारत में आयात किया जाए, को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-1571/85]

6.11 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

16वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.12 म० प०

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और उसके संबंध में भारत सरकार की नीति के बारे में प्रस्ताव—जारी

[अनुवाद]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से बार-बार आ रही इस आवाज को सुना है कि उन्हें इस देश पर गर्व है। सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि केवल सत्ता रूढ़ दल के सदस्यों को ही नहीं वरन् हम सबको इस देश पर गर्व है। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में हमारे नेताओं के सहयोग का संबंध है, हमें उनका समर्थन करना होगा और देखना होगा कि वे किसी तरह की गलती न करें। अतः इन दिनों हमारे समक्ष जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हमें बहुत आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक रुख अपनाना होगा।

विदेश मन्त्री जी ने सभा में अपना वक्तव्य देते समय जो तीन विशेष मुद्दे बताये हैं, मैंने उन्हें ध्यान से सुना है : (1) सार्क एक ऐतिहासिक घटना है, (2) जेनेवा में हुई इस अन्तर्राष्ट्रीय बैठक से एक युग का आरम्भ हुआ है और (3) हमारे देश की ओर से हमारे प्रधानमन्त्री जी ने इसमें भाग लिया, जिससे इस विश्व में शांति स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्तव्य में जो तीन मुद्दे कहे गये हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। पहले मुद्दे के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि मेरे सहयोगी प्रो० रंगा ने आज इस सभा में सार्क के पांचवें खण्ड की तीव्र आलोचना की है। अपने भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं

कर सकते और यही कारण है कि हम युद्ध न करने का समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। सार्क के सम्बन्धित खण्ड में कहा गया है कि सभी पक्षों को सब विवाद शांतिपूर्ण ढंग से हल करने चाहिए। दस दस्तावेज पर हमारे प्रधानमन्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया-उल-हक, दोनों ने इस विश्वास से हस्ताक्षर किये हैं, कि वे सभी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाएंगे। अतः जब प्रो० रंगा ने कहा "हम युद्ध न करने की संधि करने नहीं जा रहे हैं" इससे इस घोषणा के प्रथम खण्ड का उल्लंघन हुआ है और पहले ही दिन हमने देखा कि यह संगठन या संस्था में लड़खड़ा रही है। कल मैंने हमारे माननीय विदेश मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य सुना, उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है और वास्तव में पाकिस्तान द्वारा ऐसा करना हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। इस दस्तावेज में एक खण्ड यह है कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कुछ ऐसी विरोधी बातें हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्क की नींव मजबूत नहीं है। कल ही मैंने सुना है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह कहा कि आप तमिलों का समर्थन कर रहे हैं। अगले ही दिन उन्होंने उसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया कि कोई देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों, उनकी प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इन परिस्थितियों में, ये पांच खण्ड केवल राजनीतिक दावपेंच हैं।

भविष्य में हमें इस पर दुःख होगा क्योंकि हम इन घोषणाओं और घोषणा-पत्र के बारे में इस पिछले 20 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। हर रोज ही शांति, अखण्डता आदि बनाए रखने सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किये जाते हैं और हम देखते हैं कि धीरे-धीरे परमाणु अस्त्रों की होड़ लग रही है। घोषणा के समय परमाणु हथियारों की जो मात्रा थी, अब अब उससे 10 गुना अधिक ऐसे हथियार एकत्र किए जा चुके हैं। जहां तक अन्य हथियारों का संबंध है, उनकी संख्या अब 30 गुना अधिक पहुंच चुकी है। इन परिस्थितियों में मुझे यह सुनकर दुःख हो रहा है कि विदेश मन्त्री महोदय का यह कहना कि दो महा शक्तिशाली नेताओं की हुई बैठक से एक नए युग का आरम्भ हो रहा है। प्रो० रंगा, जो इस सभा के बहुत पुराने सदस्य हैं, उनकी बात का समर्थन यह कहकर किया है कि कम से कम हम जेनेवा में उनकी बैठक करा पाने में सफल हुए हैं। हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी जेनेवा में उनके साथ बैठक करने में सफल हुए हैं और आप समझते हैं कि यह छोटी-सी उपलब्धि है। यह आश्चर्य की बात है। वास्तव में यह बैठक इन दो महाशक्तियों ने बहुत समय पूर्व तय की थी और मैं नहीं जानता कि हमारे माननीय प्रधानमत्री ने क्या किया था। वह बात गुप्त है। उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार करने अथवा दो महाशक्तिशाली देशों के बीच कुछ मुद्दे निपटाने के कुछ प्रयास जरूर किए होंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला ? इसको कोई उपलब्धि नहीं हुई, इसमें कोई सफलता नहीं मिली, अस्त्रों की होड़ कम करने की घोषणा नहीं की गई, अस्त्रों को नष्ट करने और उन्हें हटाने तथा दूर तक मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करने संबंधी कोई घोषणा नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल यही समझौता हुआ है कि वे पुनः बैठक करेंगे। और इस घोषणा को, विश्व में एक युग में प्रवेश करना कहा जा रहा है। मुझे खेद है, कि वास्तव में स्थिति इतनी आशापूर्ण नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है। हम आज भी इन बातों से अनजान हैं और इसका मूल्यांकन करते हुए हमें बहुत सजग रहना होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही समय पूर्व वैज्ञानिकों, भू-वैज्ञानिकों और विशेष रूप से खगोलशास्त्रियों/ज्योतिषियों को विश्व मे केवल एक सौर मंडल होने की बात पता थी। कुछ ही वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने नये सौर मण्डल की बात कही। इसी तरह का दूसरा सौर मण्डल था जिसे पहले विश्व युद्ध से पहले साम्राज्यवादी सौर मण्डल के नाम से जाना जाता था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद, एक

नया मण्डल सामने आया है, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं । यद्यपि पहला सौर मण्डल इंगलैंड में था और अब वह वाशिंगटन में है, नया सौर मण्डल मास्को में है और विश्व में अब सबको केवल यही पता है कि यहां उपग्रह हैं, ग्रह हैं । ये नये सौर मण्डल बहुत शक्तिशाली हैं ।

वे देश, जो आज भी कल्पना के स्तर पर हैं, समझते हैं कि वे महान हैं, उनका देश महान देश है । इस तरह की विचारधारा होना ठीक नहीं है । हमें चुपचाप शांति से बैठकर सोचना होगा कि किस तरह से ये दो सौर मण्डल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से अन्य देशों की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं । हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था अन्य राष्ट्रों आदि पर निर्भर है । जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह अंतत, एक ही सौर मण्डल पर निर्भर करेगी ।

यद्यपि मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक घटना है, मुझे समझ नहीं आता कि क्या यह ऐतिहासिक घटना विश्व के मंच पर है या प्रादेशिक मंच पर ही है । यदि विपक्षी दल के मेरे सहयोगी यह कहना चाहते हैं कि यह विश्व मंच पर ऐतिहासिक घटना है तो मुझे खेद है कि ऐसा नहीं है । यह बहुत छोटी घटना है । हमें इन घोषणाओं से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए ।

पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है । कुछ शक्तियां उसका समर्थन कर रही हैं और पाकिस्तान को हर तीसरे दिन नये शस्त्र मिलते हैं । पाकिस्तान ये शस्त्र किसके लिए इकट्ठे कर रहा है ? क्या इनका इस्तेमाल वह भारत के अलावा किसी और देश के लिए करेगा ? ऐसी घोषणाएं हुई हैं । क्या वे राष्ट्र को यह बताना चाहते हैं कि "आराम से बैठिए, अब सब कुछ ठीक हो गया है ?" मैं नहीं समझता कि यह दृष्टिकोण उचित है और उस दृष्टिकोण से सार्क की सराहना नहीं की जानी चाहिए । इससे हमें आत्मसंतोष मिलेगा । अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

हमें प्रत्येक बात पर पुनर्विचार करना होगा और उसका मूल्यांकन करना होगा । जहां तक परमाणु अस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी समझौते का सम्बन्ध है, हमारी यह राय है कि हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं । ठीक है, इतना काफी है । हमें बहुत साहस से यह कहना चाहिए कि हम इस पर इसलिए हस्ताक्षर करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम भी एक बम बनाने के लिए तैयार हैं । यदि कोई देश एक बम बना रहा है तो हम दो बम बनायेंगे । हमारे ऐसा कहने से सब राष्ट्रों को पता चलेगा कि हममें दृढ़शक्ति है और हम ऐसा करेंगे । लेकिन मात्र यह कहना कि चूंकि इसमें समानता नहीं है, सही नहीं है ।

पाकिस्तान को यह पता होना चाहिए कि यदि वह एक कदम आगे बढ़ता है तो हम दो कदम आगे बढ़ेंगे । यदि हम अपने पड़ोसी देश को यह बात स्पष्ट कर दें तभी वह उस दिशा में जाने में झिझकेगा, अन्यथा नहीं ।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इन हालात में मेरे मित्रों ने हमारी विदेश नीति की सराहना की है । निःसंदेह हमारी विदेश नीति में कुछ बातें बहुत ही अच्छी हैं । जहां तक गुट-निरपेक्षता का सम्बन्ध है, यह एक अच्छा विचार है और इसकी सराहना की जानी चाहिए किंतु हम कुछ बातों में असफल रहे हैं ।

उदाहरण के लिए मध्यपूर्व के देश गुट-निरपेक्ष हैं । उनके पैट्रो-डालर अमरीका, कनाडा, इंग्लैंड और फ्रांस के बैंकों में भी जमा होते हैं । इन गुट-निरपेक्ष देशों ने हमारे लिए क्या छोड़ा है ?

मित्रता और भाईचारे के मात्र कुछ शब्द ? अगर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन वास्तविक है तो पेट्रो-डालर गुट-निरपेक्ष देशों में जमा कराए जाने चाहिए। गुट-निरपेक्ष देशों का एक बैंक होना चाहिए। इस तरह हम कारगर और सही ढंग से आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। अतः इन कुछ कमियों के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारी विदेश नीति है, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूं और खासकर अभी इन 2-3 रोज में जो सार्क की स्थापना की गई है, उसके परिप्रेक्ष्य में ज्यादा समर्थन करता हूं। जिन देशों को लेकर इस सार्क की स्थापना शान्ति बनाने के लिए, विकासशील देशों की मदद के लिए और दूसरे देशों की स्वतन्त्रता के लिए की गई है, यह बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आज पूरा विश्व इसका स्वागत करता है। इसमें जो सचिवालय बनाया जायेगा, उससे निकट के राष्ट्रों से जो हमारी गलतफहमियां हैं, उसको हल करने में भी मदद मिलेगी चाहे वह समस्या श्रीलंका, पाकिस्तान या दूसरे देशों से हो। इस परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व ज्यादा बढ़ गया है। आज इसकी आवश्यकता भी बहुत अधिक थी कि इस प्रकार का कोई संगठन यहां के निकट के देशों का बने जिससे रोजमर्रा की समस्याएं और आपस में जो गलत फहमियां पैदा होती हैं, वह दूर हो जायें।

आज नेपाल, भूटान और बंगलादेश को लें, हमने हर वक्त उनको मदद देने की कोशिश की है चाहे वह सहायता तकनीकी, कर्जे और किसी अन्य प्रकार की सहायता के रूप में हो। हमने विश्व में देखा है कि किसी भी देश के अपने निकट के राष्ट्र से ज्यादा झगड़े हैं। सार्क से इन झगड़ों को निपटाने में सहायता मिलेगी। यह हमारी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्रीलंका में तमिलों की समस्या के बारे में कई माननीय सदस्य बोले हैं। यह सही है कि वहां की सरकार तमिलों के साथ जो व्यवहार कर रही है, वह सही नहीं है। हमें कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि समझौता हो जाये और जो गलत फहमी पैदा हो गई है वह दूर हो जाए। इस बारे में तमिलों को भी समझाने की आवश्यकता है। हमें इस बारे में इसी प्रकार की विदेश नीति बनानी होगी।

आज हम गुट-निरपेक्ष के नेता माने जाते हैं। इसी के नाते हमारा दायित्व है कि साउथ अफ्रीका में जो गुलामी में रह रहे लोग पीड़ित और निर्धन हैं, हमें उनके लिए ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि अभी जो कान्फ्रेंस हुई, जिसमें श्रीमती थैचर का जो रुख देखा है वह संतोषजनक नहीं है। हमें इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए कि हम दक्षिण अफ्रीका से अपने आर्थिक सम्बन्ध कतई तोड़ लें और दूसरों के भी तुड़वाने की कोशिश करें। मानव शक्ति के शत्रुओं से लोहा लेने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

विरोध पक्ष के सदस्यों के भाषणों को सुनकर बहुत निराशा हुई। भारत की विदेश नीति इतनी सशक्त, मजबूत व स्वागत योग्य है कि उनके पास कुछ कहने को नहीं रहा, वह आलोचना करते तो क्या करते। एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजीव गांधी को हम यहां नहीं देखते हैं, वह तो टेलिविजन में दिखायी देते हैं। श्री वेंकट रत्नम जी ने अज्ञानता में कहा कि अफगानिस्तान की

समस्या भारत को सुलझानी चाहिए। अगर अफगानिस्तान की समस्या भारत सुलझा लेता है तो पाकिस्तान को अमेरिका मदद नहीं करेगा। उनको यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान के जन्म से ही अमेरिका उसको शस्त्र देता रहा है और अन्य कई प्रकार की भी सहायता देता रहा है। अफगानिस्तान की समस्या तो 5-6 साल पहले पैदा हुई है। जापान की मदद के लिए एक सदस्य ने कहा कि जापान से हमें क्या मिलता है? अगर राजीव गांधी जापान गये तो हमें क्या मिला? मैं उनकी जानकारी के लिए उनसे कहूंगा कि 140 मिलियन डालर की मदद वहां से मिली है। हमें इसके एमाउन्ट में न जाकर, दूसरी तरह से भी इसका स्वागत करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने प्रधान मन्त्री के लिए कहा कि प्रधान मन्त्री हाऊस में आते हैं तो तालियां बजाकर स्वागत किया जाता है। जब वह बोलते हैं, तब भी तालियां बजायी जाती हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश को ऐसा नेता का व्यक्तित्व बनाना होगा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति प्राप्त हो सके। देश के प्रधान मन्त्री की हैसियत से ही इस देश को जाना जायेगा, उनके कार्यों से ही, उनकी विदेश नीति से ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत में इस देश को सराहा जायेगा। इसलिए इस प्रकार की बातें कम से कम यहां पर तो नहीं कही जानी चाहिए। पब्लिक में आप कुछ भी प्रधान मन्त्री के खिलाफ कहें लेकिन यहां पर, जहां मौलिक विचार होते हैं, इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिए।

परमाणु शस्त्रों के सम्बन्ध में मैं माननीय विदेश मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अब वह समय आ गया है जब कुछ वर्षों में ही हमें इस बात का अन्तिम फैसला कर लेना चाहिए—कभी हम कहते हैं कि बनायेंगे, कभी कहते हैं नहीं बनायेंगे तो हमें एक समय निश्चित कर लेना चाहिए कि उसके अन्दर यदि निशस्त्रीकरण हो जाता है और जितने भी बम बने हैं वह समाप्त कर दिए जाते हैं तब हमें भी परमाणु बम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु उस समय के अन्दर यदि इस प्रकार का निशस्त्रीकरण नहीं होता है तो हमें भी परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बनाना चाहिए या देश की रक्षा के लिए जो भी जरूरी हो और उस पर चाहे जितना खर्चा क्यों न आए, उसको करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय प्रधान मन्त्री तथा विदेश मन्त्री जी, जोकि विदेश नीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं, धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा की लगभग समाप्ति के समय बोल रहा हूं लेकिन आपके द्वारा घंटी बजाने से पूर्व मुझे एक-दो बातें कहनी हैं। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेश नीति के इस प्रश्न पर हमारे समक्ष दो प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव विदेश मन्त्री जी ने रखा है और दूसरा स्थानापन्न प्रस्ताव मेरे मित्र श्री दिनेश सिंह ने रखा है। मेरा सुझाव है कि विदेश मन्त्री द्वारा रखे प्रस्ताव पर विचार करना सदन के लिए बेहतर होगा क्योंकि वर्षों से हम जिस विदेश नीति का पालन करते आ रहे हैं उस पर इस देश में आमतौर पर सदैव सहमति रही है। मुझे भय है कि अगर श्री दिनेश सिंह के स्थानापन्न प्रस्ताव को यहां स्वीकार कर लिया गया तो उसे यहां एकमत से स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसका विदेशों और संसद के बाहर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महोदय, आप पूछेंगे कि इस पर हमें क्या आपत्ति है ? हमें आपत्ति यह है कि हम विदेश नीति को सामान्य तौर पर समर्थन देते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम यह नहीं समझते कि इस नीति में अनेक त्रुटियां हैं और उसके कार्यान्वयन में काफी कमियां रह जाती हैं। इसलिए श्री दिनेश सिंह का प्रस्ताव, जोकि पूर्ण समर्थन की बात करता है, मेरे विचार से इस पर बेवजह जोर दे रहा है। हम नहीं चाहते कि इसे हम पर जबर्दस्ती लादा जाए। अगर इस प्रस्ताव को पारित कराना है तो आप करा सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुमत है लेकिन हमें मजबूर होकर इसका विरोध करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से विदेश नीति सम्बन्धी इस मसले पर हममें मतभेद नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा हम विदेश मन्त्री द्वारा यहां रखे गए प्रस्ताव पर विचार करें। इस प्रस्ताव में केवल विचार करने के लिए कहा गया है लेकिन हम इस संसदीय शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और सभी जानते हैं कि हम इस नीति का सामान्यतः समर्थन करते हैं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, इस मामले में श्री इन्द्रजीत गुप्त के दृष्टिकोण से हम भी सहमत हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, सार्क पर कुछ कहने से पूर्व मैं हाल ही में घटी एक-दो घटनाओं के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन सरकार ने दो-तीन ऐसे निर्णय लिए हैं जो कम से कम राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के नाते हमें बहुत परेशान करने वाले हैं और शांति की दिशा में हमारे और अन्य देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के एकदम विरुद्ध हैं।

सर्वप्रथम सभी जानते हैं कि राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर ब्रिटेन की प्रधानमन्त्री ने क्या रवैया अपनाया था। इसके बाद नम्बर आता है उस निर्णय का जिसकी घोषणा हाल ही में ब्रिटेन सरकार ने की है कि वह संयुक्त राष्ट्र अमरीका के अन्तरिक्ष युद्ध कार्यक्रम में सरकारी तौर पर भाग लेगा और इस कार्यक्रम का सरकारी तौर पर भागीदार बन गया है। जहां तक मुझे मालूम है हमारी सरकार ने इसका विरोध किया है। हमारे प्रधानमन्त्री ने इस बारे में एक से अधिक बार बोला है। ब्रिटेन सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन को छोड़ने का निर्णय लिया है। अमरीका ऐसे पहले ही कर चुका है जिसके कारण उक्त संगठन को अपने बजट में से मालूम नहीं, 25 से 30% तक राशि से हाथ धोना पड़ेगा और संगठन ठप्प होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। अब ब्रिटेन सरकार ने भी, जिसका सालाना योगदान मेरे ख्याल से 15-16 मिलियन डालर है, घोषणा कर दी है कि वह भी उक्त संगठन को छोड़ देगा। इस संगठन को खत्म करने का षड्यन्त्र रचा जा रहा है। जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगी कार्य करने वाली यह संस्था हमारे और अन्य देशों, खासकर विकासशील देशों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह दोनों देश अपने राजनैतिक कारणों से इस संस्था को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। मालूम नहीं इसपर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। ब्रिटेन सरकार एक के बाद एक मामले पर इस तरह व्यवहार कर रही है। मेरे विचार से राष्ट्रमंडल के देशों में सबसे बड़े देश भारत को, ब्रिटेन सरकार पर कुछ दवाब डालने और कारगर विरोध करने के लिए राष्ट्रमंडल के कुछ अन्य देशों को प्रेरित करने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर भारत राष्ट्रमंडल से निकल जाता है तो राष्ट्रमंडल में बचेगा क्या ? पर मैं आपको राष्ट्रमंडल छोड़ने के लिए नहीं कह रहा क्योंकि इस प्रश्न पर आप विचार जानते हैं। लेकिन जो कुछ वह कर रहे हैं उसके विरोध में मेरा

विनम्र सुझाव है कि एक के बाद जो कुछ हो रहा है उसके विरोध में हमें राष्ट्रमंडल सचिवालय की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। क्या हम राष्ट्रमंडल में यही देखने के लिए हैं ? इसलिए कृपया इस पर विचार करिए।

एक और स्थिति पैदा हो गई है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अखबारों में पढ़ा है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के प्रश्न पर कोलम्बो में आयोजित किए जाने वाले प्रस्तावित सम्मेलन का संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने आरम्भ से ही विरोध किया और उसमें रुकावटें डालीं। कुछ ही दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में भारत और कुछ अन्य देशों द्वारा बहुत जारदार ढंग से प्रस्ताव रखा गया था उसका विरोध किया गया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्मेलन 1988 से पूर्व नहीं हो सकता। हमने स्थिति से समझौता कर लिया है क्योंजि अमरीका का कहना है कि उनके लिए उचित समय नहीं है इसलिए अभी कोई सम्मेलन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे ? स्पष्ट है कि हम तब तक आगे कार्यवाही नहीं कर सकते जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर अपनी मंजूरी नहीं दे देता। भारत सरकार को मेरा सुझाव है कि वह इस पर हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों के साथ मिलकर गम्भीरता से विचार करे। तटवर्ती देशों से तात्पर्य उन देशों से है, जिनके तटों को हिन्द महासागर का जल छूता है। मेरे विचार से इनमें एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश आ जाते हैं और ये सभी हिन्द महासागर को असैन्य क्षेत्र बनाने के बहुत इच्छुक हैं और चाहते हैं कि इसे शांति क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। हमारी सरकार एक विशाल देश की सरकार होने और गुट निरपेक्ष आन्दोलन की नेता होने के नाते इन तटवर्ती देशों का एक औपचारिक या गैर सरकारी सम्मेलन बुलाने के लिए पहल क्यों नहीं करती। आप कहेंगे "मैं इस प्रश्न को जानता हूं" इस मामले को जब पहले सदन में उठाया गया था तो उत्तर दिया गया था कि यह बैठक तब तक उपयोगी या कारगर सिद्ध नहीं हो सकती जब तक संयुक्त राष्ट्र अमरीका और सोवियत संघ द्वारा इसमें भाग लेना सुनिश्चित न हो जाए क्योंकि बैठक का फायदा क्या है ? अगर ऐसा है तो मैं कहूंगा कि आज विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण का कोई भी प्रश्न अमरीका और सोवियत संघ के बिना प्रभावी नहीं है। इस सत्य के बावजूद हमारी सरकार ने छः राष्ट्रों का शिखर सम्मेलन आयोजित करने में पहल की। इस सम्मेलन ने अमरीका और सोवियत संघ से परमाणु निरस्त्रीकरण का प्रस्ताव रखा। आपने ऐसा क्यों किया जबकि अन्यों ने इसमें भाग नहीं लिया ? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऐसे मामलों में पहल करने का यही सही तरीका है। आपके ऐसा करने पर एकदम तो परिणाम नहीं निकलेंगे। लेकिन हमने देखा कि इसके परिणाम निकले हैं, तो ऐसे कि कम से कम सोवियत संघ की सरकार ने इस प्रस्ताव का सकारात्मक उत्तर दिया है। तो हिन्द महासागर के प्रश्न पर क्यों नहीं, जिसे वर्षों से टाला जा रहा है। हमने अन्य मित्र देशों के साथ मिलकर हिन्द महासागर के तटवर्ती देशों का एक सम्मेलन आयोजित करने का प्रयास किया। इसमें हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने के लिए कुछ ठोस उपाय करने के बारे में सुझाव दिए जा सकते हे और इससे विश्व जनमत तथा अमरीका और सोवियत संघ पर भी बहुत प्रभाव डाला जा सकेगा अन्यथा आपको इसी तरह चलना होगा।

1988 में भी हमसे यही कहा जाएगा कि सारी बात में अमेरिका ने अड़ंगा लगा दिया है और इसलिए कोई भी प्रगति नहीं हो सकती।

छः राष्ट्रों ने भी बहुत अच्छा कार्य किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि जेनेवा शिखर वार्ता के बाद और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन (सार्क) वार्ता के बाद, छः राष्ट्रों ने जो पहल की उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, यह ऐसी चीज नहीं है जो कि अब समाप्त हो चुकी है। सरकार को इन मामलों पर विचार करना चाहिए।

मैं यहां पर अपने उन मित्रों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने कहा है कि अपनी इतनी विदेश यात्राओं के द्वारा प्रधानमन्त्री देश के लिए कुछ विशेष नहीं लाए। दरअसल, मुझे कुछ आशंकाएं हैं। निश्चय ही उनकी अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैण्ड तथा अब जापान की यात्राओं से उच्च तकनीक के लिए सहयोग के नाम पर, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के हमारे देश में प्रवेश का रास्ता बहुत बड़े स्तर पर तैतार हो रहा है। यह वह प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि शांति और गुट-निरपेक्षता की हमारी विदेश नीति, जिसका निर्माण तथा पालन पण्डित जवाहर लाल नेहरू के दिनों से होता रहा है, का दृढ़ आधार है आत्म-निर्भरता की नीति। प्रत्येक कांग्रेसी जानता है कि आत्म-निर्भरता की नीति और अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होने की नीति के बिना तथा अपनी आर्थिक स्वतन्त्रता को बनाए बगैर विदेश नीति का निर्माण नहीं हो सकता था और उसे आगे नहीं ले जाया जा सकता था। मैं सरकार को केवल आगाह करना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि हम बहुत से दूसरे देशों से अधिक मजबूत हैं तथा और भी ऐसी ही बातें मैं जानता हूं, लेकिन यदि आधुनिकीकरण के नाम हर इस प्रक्रिया को बहुत आगे ले जाया जाता है और खुले दरवाजे की नीति का पालन किया जाता है जो कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को बड़े पैमाने पर यहां आने की अनुमति देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति का आधार विकृत हो जाता है तथा उसे हानि पहुंचती है। कृपया इसे उस हद तक नहीं ले जाइए। यह कोई काल्पनिक चीज नहीं है। ऐसी चीजें हो ही जाती हैं।

एक भारतीय के नाते मुझे इस बात पर अपमान का अनुभव होता है कि वारेन एण्डरसन ने जो कि यूनियन कार्बाइड के प्रमुख हैं, यह वक्तव्य देने की धृष्टता और दुस्साहस किया है कि यदि भोपाल केगैस पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने के प्रश्न पर सरकार उनके साथ एक उचित समझौते पर नहीं पहुंचती तो उसे अमेरिका से आगे कोई सहायता शायद न मिले। वह अपने को क्या समझते हैं? यह तो हद है, वे समझने हैं कि भारत सरकार के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए यह सबसे बड़ा तर्क है, इस काली छाया से उन्हें आतंकित किया जा सकता है कि अमेरिका सहायता बन्द कर दी जाएगी। अच्छा होगा कि भारत जो कुछ वे कहते हैं उसको सुने। मैं जानता हूं कि हम आधुनिकीकरण और तकनीक के नाम पर इस तरह गुलाम नहीं होने जा रहे हैं, कृपया इस तरह की बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के क्रिया-कलापों पर सख्त निगरानी रखिए, जिन्होंने विश्व के कई देशों में बहुत बर्बादी कर दी है। हमें मालूम है कि उन्होंने विश्व के कई देशों में क्या किया है, किस तरह उन्होंने राष्ट्रीय प्रभुता और स्वतन्त्रता को हानि पहुंचाई, वे ही ऐमे संवाहक हैं जिनके माध्यम से नव-उपनिवेशवाद फैलाया जा रहा है।

यदि आप इस रास्ते में बहुत दूर तक बढ़ जाएंगे तो एक दिन हम पायेंगे कि धीरे-धीरे हमारी विदेश नीति को भी नुकसान पहुंच गया है।

फिर, महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहूंगा, मैं समझता हूं कि यह बहस अधिक लाभकर रहती यदि यह दो या तीन दिन बाद होती क्योंकि तब सरकार के पास, ढाका में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग शिखर सम्मेलन (सार्क) में जो हुआ उसके बारे में हमें बताने का समय

होता। यह कल रात ही खतम हुई। आप जानते ही हैं, कि हमारे पास सुबह के अखबारों को ढंग से समझने और उनमें किसी बातों का आशय निकालने आदि के लिए समय नहीं, आप हमसे यह अपेक्षा कैसे करते हैं कि हम इस प्रश्न् पर अपना योगदान देंगे? यह बड़ा कठिन है ? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहां कुछ लोग यूं ही बोले जा रहे हैं, घोषणा के विषय में कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि जो कुछ चल रहा है वह उस घोषणा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। उस घोषणा के अनुसार, सार्क के सदस्य राष्ट्र को स्वयं ही बेहिचक प्रत्येक प्रकार के आणविक अस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए। नहीं तो, घोषणा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और मैं समझता हूं कि हमें भी विचार करना प्रारम्भ कर देना चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल इसी समय कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे आशा है कि भारत सरकार इस बात को भी ध्यान में रखेगी कि दूसरे सार्क देश, हमारे पड़ोसी, भारत से बहुत छोटे हैं, यह मत भूलिए कि हमारा देश अत्यधिक बड़ा है। मान लीजिए, किसी समय भारत सरकार यह तय करती है कि हमें भी अणु बम बनाना चाहिए तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि श्रीलंका या बंगलादेश यह कहना प्रारम्भ नहीं कर देंगे कि, "अब चूंकि भारत ने बम बना लिया है, और हालांकि हम जानते हैं कि वह अभी हम पर आक्रमण करने नहीं जा रहा है, हमारे पास भी एक निवारक होना चाहिए। हमारे पास भी भारत के बम के विरुद्ध एक निवारक साधन क्यों न हो?" अतः वे देश जिनके पास अभी अणु बम बनाने की क्षमता नहीं है, इस विषय में सोच सकते हैं। पाकिस्तान दूसरों की मदद से इस क्षमता को प्राप्त कर रहा है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जिनकी बिल्कुल भी कोई क्षमता नहीं है। आप उनसे ढाका में तथा अन्य कई स्थानों में बातचीत कर रहे हैं, यदि हम किसी विशेष समय पर बम बनाते हैं तो कृपया मुझे बताएं कि क्या सार्क के ये सदस्य, जो कि हम पर सदा कोई खास भरोसा और विश्वास नहीं रखते, क्या उनमें से कोई यह कहना प्रारम्भ कर देगा कि चूंकि भारत के पास बम है उनके पास भी अपनी सुरक्षा के लिए, श्रीलंका को अपनी सुरक्षा के लिए या बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा के लिए एक निवारक साधन प्राप्त करना चाहिए। तब महोदय, यदि उनके पास स्वयं ऐसी क्षमता नहीं है तो किसी अन्य से, जो कि उनके देश में जड़ जमाए होगा, ऐसा निवारक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अतः इस क्षेत्र की आणविक अस्त्र स्पर्धा की भगदड़ में सम्मिलित हो जाने से पहले हमें दस बार सोचना चाहिए क्योंकि श्री रीगन की योजनाओं के लिए इससे बढ़िया बात और कोई नहीं होगी। पहले से ही वे तीसरी दुनिया के देशों को एक दूसरे के विरुद्ध दुश्मनी के लिए उकसा रहे हैं ताकि कई अस्त्र दौड़ें प्रारम्भ हो जाएं तथा दसों तथा हजारों रुपए और डालर अस्त्र-शस्त्रों पर खर्च हो बजाय इसके कि लोगों की गरीबी दूर करने पर खर्च हो; यदि हम एक कदम आगे जायें, यदि हम अपने पूरे क्षेत्र में एक लघु आणविक अस्त्र स्पर्धा प्रारम्भ कर दें तो इससे किसकी चाल सफल होगी? ऐसा होना कौन पसन्द करेगा? इसलिए कृपया इस पर विचार कीजिए क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, और मुझे नहीं मालूम कि जनरल जिया 17 तारीख को, केवल एक दिन के लिए, यहां क्यों आ रहे हैं। कोई बहुत आवश्यक मामला होगा लेकिन वे हमें नहीं बता रहे हैं। दोनों सरकारों को आपस में किसी बहुत आवश्यक बात पर बातचीत करनी होगी। जो भी, बातचीत हमेशा अच्छी होती है, लेकिन मैं इस बात को, आणविक संयंत्रों को देखने की बात को कभी नहीं समझ सका। कुछ दिनों से हम यह कह रहे हैं कि हमें जाकर उनकी आणविक सुविधाओं का निरीक्षण करना चाहिए तथा जनरल जिया को आकर हमारे आणविक संयंत्रों का निरीक्षण करना चाहिए। इसके पीछे मकसद क्या है? ऐसी चीज से आप क्या हासिल करने जा रहे हैं? मुझे आशा है कि यह ख्याल अब छोड़ दिया गया है। मुझे समझ

नहीं आता कि हमें इस बात से क्या मिलेगा कि राजीव गांधी जायें और जिया का आणविक संयंत्र देखें तथा वह आयें और हमारा संयंत्र देखें। मेरे विचार से तो यह एक अस्तव्यस्त बिचार है। इसका लक्ष्य क्या है ? कृपया आप हमें बताइए। मैं इन बातों को नहीं समझता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह जिया द्वारा त्याग दिया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा इसलिए कि अचानक उन्हें याद आ गया कि 16 दिसम्बर को, जिस दिन उन्हें यहां आना था, संयोगवश वह तारीख है जिस दिन पाकिस्तानी सेनाओं ने 1971 में ढाका में हमारे सम्मुख आत्म-समर्पण किया था। अत: उस तिथि को 16 से 17 में बदल दिया गया है। यदि ऐसा संयोग घटित हो गया होता और वह 16 को आए होते, तो क्या हम उन्हें अपने अणु संयंत्रों को दिखाने ट्राम्बे या कहीं और ले जाते ? किस लिए ? खैर, फिर भी जयवर्धने ने भी यह कहा कि वह अभी भी तमिल समस्या के सैनिक समाधान के पक्ष में हैं, वे कुछ और नहीं देखते। और इस समय कोई युद्ध विराम नहीं है। बातें हो रही हैं। मैं समझता हूं कि यदि ऐसा चलते रहने दिया गया, तो आखिरकार, मुझे बड़ी आशंका है कि वह वातावरण को और भी खराब कर देगा तथा श्रीलंका और भारत के बीच सम्बन्ध खराब हो जाएंगे। यह हमारे हित में है कि हम शांति की पुनर्स्थापना चाहते हैं और वहां एक राजनैतिक हल की स्थापना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि तमिल संयुक्त स्वाधीनता मोर्चे (टुल्फ) ने क्या प्रस्ताव रखे हैं। उन्होंने कुछ पत्र दिए हैं, प्रस्ताव वाले कुछ पत्र हमारी सरकार के सम्मुख भी रखे हैं। मैं मंत्रीजी से यह आशा नहीं करता कि वे इस विषय में यहां बताएं। लेकिन कम से कम उन्हें हमें यह बताना चाहिए कि क्या कुछ उम्मीद है, कुछ सकारात्मक तत्व इस टुल्फ के मसौदे में है जिसके आधार पर सरकार किसी राजनैतिक हल के लिए काम कर सके। श्रीमान्, श्री जयवर्धने ने ढाका में एक वक्तव्य दिया है जिसको प्रेस में उद्धृत किया गया है। मुझे नहीं मालूम कि यह सही या नहीं। उन्होंने कहा "श्री राजीव गांधी हमारे नेता हैं, और यह कि वे हमारे जलयान के संचालक हैं, आदि" उन्हें इस बात के प्रति चौकस रहना चाहिए कि जलयान में, कोई विद्रोह न हो। मुझे नहीं मालूम। फिर भी ऐसा लगता है कि विद्रोह के कुछ तत्व दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के इस जहाज में भी देखे जा सकते हैं, वे क्या हैं मुझे नहीं मालूम। शायद श्री भगत को हमें बताना चाहिए, खैर मैं तो केवल यह कहकर बात समाप्त करना चाहूंगा कि आप जानते हैं, लोग कह रहे हैं, जेनेवा शिखर वार्ता का कोई भी परिणाम नहीं निकला, तथा ऐसी ही बातें, यह सत्य है। आपने इसमें से परिणाम निकलने की उम्मीद की थी। जेनेवा वार्ता के दौरान, उससे एक या दो दिन पहले, दुनिया में साधारणतया कैसी मनःस्थिति थी ? वे यह उम्मीद कर रहे थे कि सारी बात चौपट हो जाएगी, और यह कि बातचीत टूट जाएगी, इसे असफल बना दिया जाएगा। इसे असफल बनाने के प्रयत्न हुए। फिर, जबकि श्री रीगन जेनेवा के लिए उड़ान भर रहे थे, उनके रक्षा सचिव श्री वीनबर्गर से एक पत्र पहले ही सर्वविदित हो गया। श्री वीनबर्गर द्वारा राष्ट्रपति रीगन को लिखा गया एक बहुत गुप्त पत्र बड़ी आसानी से विश्व प्रेस को पहले ही सर्वविदित हो गया जिसमें कि श्री वीनबर्गर ने राष्ट्रपति को सलाह दी थी कि—"आप जेनेवा जा रहे हैं लेकिन इन सोवियत लोगों के जाल में मत पड़ना। उन पर विश्वास न करना, उनपर भरोसा मत करना, ये बड़े धोखेबाज लोग हैं। वे आप पर दबाव डालेंगे लेकिन आपको प्रतिरोध करना होगा।" इस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया। श्रीमान्, व्यक्तिगत रूप से स्वयं मैं भी ऐसा ही सोच रहा था कि इसका कुछ परिणाम भी नहीं निकलेगा। और आपने उम्मीद की थी कि दो दिन की उनकी वार्ता से वे आणविक निशस्त्रीकरण लाने जा रहे हैं। अब इससे हुआ क्या है कि इससे हमें थोड़ा सांस लेने का समय मिल गया है जिससे

हम अपने प्रयत्नों को और भी मजबूत कर सकें। दुनिया के लोगों को थोड़ा-सा राहत का समय मिला है जिससे कि वे दूनी शक्ति से प्रयत्न करें और यह दबाव डालने के लिए एक जुट हो जाएं कि विश्व को युद्ध की दिशा में लुढ़कने से रोका जाए और इसे निरस्त्रीकरण के रास्ते में आने को विवश किया जाए। संघर्ष की बजाय बातचीत की ओर लाया जाए। बस यही इतना ही आपको इससे मिला है, और मैं कह दूं कि श्री गोर्बचेव ने स्वदेश लौटने के बाद जेनेवा वार्ता पर अपनी रिपोर्ट को सोवियत संघ की संसद "सुप्रीम सोवियत" के सम्मुख रखा। मुझे आशा है कि आप उसे पढ़ चुके हैं। यह एक बड़ा जानकारी देने वाला दस्तावेज है। इस संदर्भ में मैं थोड़ा ही संक्षेप में उल्लेख करूंगा :

> "गुट निरपेक्ष आन्दोलन के साथ पारस्परिक क्रिया जिसमें कि भारतीय गणतन्त्र के साथ विस्तृत सहयोग भी सम्मिलित है जिसकी जनता तथा नेताओं के प्रति हमारे मन में बड़ा आदर है तथा जिसने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।"

प्रश्नों के उत्तर में श्री राजीव गांधी ने पहले ही देश को बता दिया है कि वह श्री गोर्बचेव के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। मुझे आशा है कि वह श्री रीगन के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए नहीं हैं। श्री गोर्बचेव आगे कहते हैं :

> "यह क्षेत्र, एशिया और प्रशांत सेल, तनाव का स्रोत नहीं है और सशस्त्र टकराव का क्षेत्र नहीं है। हम शांति, अच्छे पड़ोसी की भावना, पारस्परिक विश्वास एवं सहयोग के हित में, इस क्षेत्र के सारे राष्ट्रों के बीच राजनैतिक वार्तालाप को और भी विस्तृत करने के पक्ष में हैं।"

यदि सार्क इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ता है तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। हम जानते हैं इस क्षेत्र में और भी समूह या गुट हैं। लेकिन एशियाई सहयोग का विचार अब केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है। यह अधिकाधिक रूप से वास्तविकता बनता जा रहा है क्योंकि और बातों के अतिरिक्त विश्व के लोगो ने, जो कि गरीब हैं, इसका स्वागत किया है। एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करने के संघर्ष में तथा अन्तर्राष्ट्रीय तथा वित्तीय जगत में शक्तियों के संतुलन में परिवर्तन लाने के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं उसमें उन्हें हमारा साथ देना है।

मुझे याद है, कि कई वर्ष पूर्व संसद के सेंट्रल हाल में स्वर्गीय श्री ल्योनिड ब्रेजनेव ने संसद सदस्यों को सम्बोधित करते हुए एशियाई सामूहिक सुरक्षा की आवश्यकता का उल्लेख किया था। मैंने सोचा कि यह विचार उस समय थोड़ा असामयिक था। इसका यह अर्थ नहीं कि वह इसे किसी पर जबरदस्ती थोपना चाहते थे बल्कि उन्होंने कहा था कि वह इस क्षेत्र के देशों से यह चाहते हैं कि वे एशियाई सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के विषय में सोचें। किन्तु इतने वर्षों के बाद इस क्षेत्र में विभिन्न गुटों ने इस बारे में कुछ विचार और बात करना तो शुरू की हैं और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) इसका नवीनतम उदाहरण है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि भारत पर भी बहुत जिम्मेवारी आ पड़ी है। यह सत्य है कि भारत को एक विशेष स्थान प्राप्त है, महान शक्ति और अधिक प्रतिष्ठा मिली है और विभिन्न देशों के साथ उसके बहुत अच्छे सम्बन्ध हुए हैं और इसकी शांतिनीति, गुट-निरपेक्षता नीति, साम्राज्यवाद विरोधी नीति, जाति-भेद विरोधी नीति, परमाणु शस्त्रों के विरुद्ध नीति, निरस्त्रीकरण के पक्ष में नीति—इन सब बातों से उसे निस्सन्देह प्रतिष्ठा

प्राप्त हुई। लेकिन हम चाहेंगे कि इसे अधिक गतिशील ढंग से प्रयोग किया जाए। इन सभी मुद्दों पर अधिक पहल की जानी चाहिए। हमें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए और सामान्य ढंग से कार्य नहीं करना चाहिए। हमें इस नीति की रक्षा भी करनी चाहिए और किसी भी प्रकार अपने देश की अर्थव्यवस्था के द्वार उन शक्तियों को खोलकर यह नीति कमजोर या प्रभावहीन नहीं बनने देना चाहिए जो हमारी विदेश नीति के प्रति शत्रु-भाव रखते हैं और हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता को क्षति पहुंचाने पर तुले हुए हैं।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री दिनेश सिंह द्वारा प्रस्तुत इस सरकार की विदेश नीति के अनुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जैसा कि उन्होंने कहा है, विदेश नीति का क्षेत्र बहुत ही बिस्तृत है और थोड़े समय में विदेश नीति के हर पहलू पर प्रकाश डालना एक कठिन कार्य होता। अतः मैं केवल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की उपलब्धियों पर ही बल दूंगा जिसे कल ही आरम्भ किया गया है। निस्संदेह इस संगठन के सम्मेलन के परिणामों का पूरी तरह मूल्यांकन करना कठिन है क्योंकि अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है। किन्तु मैं कहता हूं कि इस सरकार की नीति की यह एक महान उपलब्धि है। दो कारणों से इन दक्षिण एशियाई देशों को एक मंच पर लाना बहुत कठिन था : एक तो उनमें अपने क्षेत्र संबंधी विवाद है; हम जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे गम्भीर मतभेद हैं तथा परमाणु शस्त्रों के संबंध में उसके कार्यक्रमों के प्रति काफी आशंकाए हैं और इसके युक्तियुक्त प्रमाण हैं कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमन्त्री को बताता है या यूं कहिए कि हमारे प्रधानमन्त्री को सलाह दी है कि हम इस मामले की चरम सीमा पर पहुंचने से पूर्व पाकिस्तान के साथ बातचीत करें।

इन सब बातों से यह बात स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है।

और, हमें इस संबंध में भी शिकायत प्राप्त हुई है कि पाकिस्तान हमारी सीमा के बाहर आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। इस पृष्ठभूमि में इन सब देशों को एक मंच पर लाना कठिन था।

इसी प्रकार, श्रीलंका में युद्ध विराम के उल्लंघन तथा प्रतिदिन तमिलों की हत्या के कारण हमें दुःख हो रहा है। शरणार्थी तथा मानव अधिकार समस्या हमें इस मामले की ओर ध्यान देने पर मजबूर करेगी। अतः, इस दृष्टिकोण से भी किसी सीमा तक श्रीलंका तथा हमारे देश के बीच गंभीर मतभेद हुआ है। अतः विभिन्न क्षेत्रीय विवादों के रहते इन सभी देशों को एक स्थान पर इकट्ठे करना कठिन था।

दूसरा कारण, इस क्षेत्र में भारत की प्रभुत्वपूर्ण स्थिति है जिसने छोटे पड़ोसी देशों को हमसे दूर ही रखा है। निस्संदेह, इन सभी देशों में अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनमें सब साझी हैं। यह सभी कम आय वाली अर्थव्यवस्था के देश हैं जैसा कि विश्व बैंक ने 1983 में प्रति व्यक्ति 400 डालर के कुल राष्ट्रीय उत्पादन वाले देशों को परिभाषित किया था। बंगला देश में यह 130 डालर है और पाकिस्तान में 390 डालर है। इसी प्रकार सत्तरवें दशक में इन देशों में विकास की दर 4 से 6% के बीच रही है। इन सभी देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र के छः देशों में विश्व की जनसंख्या का लगभग 20% है और इनका भू-क्षेत्रफल विश्व भू-क्षेत्रफल का लगभग 3.3% है। यह सभी

विकासशील देश हैं और "निर्धन" वर्ग में आते हैं। अतः इस सामान्य पृष्ठभूमि से हम उन कठिनाइयों को दूर कर सकें हैं जो पहले से ही थीं और इस संगठन की स्थापना की गई है। अतः मैं यह कहता हूं यह एक महान उपलब्धि है। न केवल वह संगठन ही बनाया गया है किन्तु एक घोषणा पत्र की घोषणा भी की गई है ताकि इन सभी देशों में कुछ विचार साम्य बने। घोषणा-पत्र में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के प्रति सात राष्ट्रों ने जो वचनबद्धता व्यक्त की थी, उसे इस घोषणा-पत्र में अधिक स्पष्ट रूप से दोहराया गया है। इसमें आर्थिक सहायता बढ़ाने तथा मानव तथा भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके सामाजिक विकास लाने का लक्ष्य भी शामिल है। शस्त्रों की निरन्तर बढ़ती हुई होड़, विशेषकर परमाणु शस्त्रों की होड़ का सभी राष्ट्रों ने विरोध किया है। अतः मैं कहता हूं कि यह दक्षिण एशियाई संगठन एक महान उपलब्धि है यद्यपि भविष्य में इसे सफल संगठन के रूप में पनपाने के लिए हमें सतर्क रहना है। इन राष्ट्रों में भारत की स्थिति प्रभुत्वपूर्ण होना एक मुख्य रुकावट है। अतः छोटे राष्ट्रों में सदा भय बना रहेगा। इस भय को हमें अत्यन्त चातुर्यपूर्ण राजनयिक ढंग से दूर करना पड़ेगा। इसलिए इन देशों में विश्वास की भावना पैदा करना जरूरी है ताकि यह संगठन एकजुट बना रहे और विश्व भर में शांति, समृद्धि तथा विकास गति बढ़ाने की दिशा में सहायक रहे।

7.00 म० प०

जहां तक निरस्त्रीकरण की दिशा में हमारी उपलब्धि का संबंध है, उसे कम आंकने का कोई लाभ नहीं होगा। यह सच है कि दो महाशक्तियां निरस्त्रीकरण के संबंध में समझौता नहीं कर पाई। किन्तु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने इस मामले में कोई योगदान नहीं किया। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, काम धीरे-धीरे होता है। प्रत्येक बैठक में कुछ तो उपलब्धि होती ही है। पहले तो दो महाशक्तियां आपस में कोई बैठक करने के लिए ही नहीं मान रही थीं परन्तु बाद में उन्होंने बैठक की। इसमें कम से कम एक ने मुस्कराया और दूसरे ने कहा कि परमाणु युद्ध सफल नहीं होंगे और वास्तव में यह युद्ध होने ही नहीं चाहिएं। उस सीमा तक तो प्रगति अवश्य हुई है और इस प्रयोजन से हमारे देश ने एक विनम्र भूमिका निभाई है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन ("नैम") में हम इस मामले के पीछे पड़े थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम इस मामले के पीछे लगे थे और तत्पश्चात् दिल्ली घोषणा भी हुई है। इतना योगदान करने पर हमें इस बात का गर्व होना ही चाहिए कि जहां तक विश्व में निरस्त्रीकरण तथा शांति का संबंध है, हमने भीअपनी ओर से थोड़ा बहुत सहयोग किया है क्योंकि अन्ततः विश्व जनमत के दबाव से ही निरस्त्रीकरण दौड़ को रोका जा सकता है, और विश्व जनमत तब तैयार किया जा सकता है जब तीसरे विश्व के देशों का विशेषकर उन देशों का जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े हैं, अन्य छोटे-छोटे देशों का इस बात पर बल होगा कि अन्तरिक्ष युद्ध नहीं होना चाहिए और परमाणु शस्त्रों पर रोक होनी चाहिए। इस दबाव से ही कुछ उपलब्धि हो सकती है, और मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विषय में न केवल छोटे विकासशील देश ही अपितु पश्चिमी यूरोप के देश भी निरस्त्रीकरण के पक्ष में किसी दृढ़ निश्चय पर डटे रहने का साहस दिखा रहे हैं। यह बहुत महत्व की बात है कि अन्तरिक्ष युद्ध कार्यक्रम में ग्रेट ब्रिटेन ने भाग लेना स्वीकार किया है। जबकि फ्रांस तथा अन्य देशों ने इसमें भाग लेने से इंकार कर दिया है। यह भी एक उपलब्धि है कि पश्चिमी यूरोप में भी

निरस्त्रीकरण, अन्तरिक्ष युद्ध, परमाणु युद्ध के विरुद्ध लहर चल रही है। अतः इस दृष्टिकोण से भी अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को मापा जा सकता है। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि इस प्रकार का वातावरण स्थापित करने के लिए हमारा देश विदेश मंत्रालय द्वारा एक अच्छी भूमिका निभा रहा है।

हम प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न देशों की की गई यात्राओं को भी कम महत्व नहीं दे सकते हैं। वर्तमान प्रधानमन्त्री की किसी अन्य प्रधानमन्त्री के साथ तुलना करना उचित नहीं है, किन्तु हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि वर्तमान प्रधानमन्त्री की नई गतिशीलता, उनके नए रुख से, विश्व भर में इस देश की प्रतिष्ठा में बहुत सुधार हुआ है, और विश्व को यह विश्वास हुआ है कि इस देश के वर्तमान प्रधानमन्त्री जी बहुत युवा हैं तथा गतिशील हैं और जिनके प्रगतिशील विचार हैं, विश्व में शांति, विकास तथा निरस्त्रीकरण की दिशा में बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगे।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं सराहना करूंगा, वजीरे आजम राजीव गांधी की, जब से वे इस मुल्क के प्रधान मन्त्री बने हैं, तो उन्होंने बड़ी ही सरगर्मी और बड़े ही जोश और जजबात के साथ मुख्तलिफ इण्टरनेशनल कान्फ्रेंसेस में और कान्फ्रेंसेस के अलावा जो एशिया की बिरादरी है, जैसे पिछले दिनों सार्क-समिट हुआ और इससे पहले छः मुल्की हुआ नई दिल्ली में, इस सारी जद्दो-जहद में, वजीरे आजम ने हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया इनसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें वावस्ता हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जरूरी बन जाता है कि हम उस हिम्मत, हौसले और इमेज इस वक्त सारी दुनिया में बनी है, उसकी सराहना करें। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी ये वक्त नहीं आया है कि हम मुकम्मल तौर पर और इतमीनान के साथ कह सकें कि इससे हिस्ट्री बन गई है और इस मुल्क की जो आस्पैक्टेशन्स हैं, वे पूरी हुई हैं। इसके लिए बहुत कम वक्त चाहिए। इसलिए श्री दिनेश सिंह की का जो रिजोल्यूशन है वह गैर-मुताल्लिका है, कब्ले वक्त है। क्योंकि अभी बहुत सारे इम्तिहान वजीरे आजम के सामने हैं। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान बड़ी साबित कदमी से दुनिया में मजलूम और पसमादा मुल्कों की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है और खासतौर से अफ्रीका की अपार्थाइड पालिसीज के सिलसिले में उसने नुमाया रोल अदा किया है। इस पालिसी में तसल्सुल है, पहले पं० जवाहर लाल नेहरू, उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी और अब श्री राजीव गांधी फिलिस्तीन के मामले में, जो कि एक बड़ा कजिया दुनिया में है सचाई का साथ दे रहे हैं, जिससे एक जायज कौम को अपने वतन से महरूम कर दिया गया है। वहां हम बड़े इस्तकलाल के साथ उस तहरीक का पी० एल० ओ० का साथ दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, क्योंकि हिन्दुस्तान खुद ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का बहुत शिकार हुआ है और हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी है, उस मुल्क को आजाद कराने में हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हम जान सकते हैं कि फिलिस्तीनियों का क्या हाल है और उनकी क्या मुसीबतें हैं। उनकी अपनी आजादी, मकाम और मुल्क पाने के लिए जितनी भी मदद करें, वह कम है।

उस सिलसिले में यासीर और अराफात को इस मुल्क में जो इज्जत मिली, महानता मिली,

उससे हमारा मकाम सारी दुनिया में क्या, अरब देशों में भी हमें एक स्थान मिला है, इज्जत मिली और यह उस पालिसी की देन है जो हमने बिल्कुल तसल्सुल के साथ अपनाई।

इसी तरह अफ्रीका में नसली इम्तियाज की पालिसी है, आज अफ्रीका बड़ी जाबराना पालिसी पर लगा हुआ है कि सरकार, रैसिस्ट रिजीम हैं, जो कि हजारों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रही हैं, अपने वतन में अफ्रीकियों के लिए जमीन तंग कर दी गई है और आये-दिन वहां जुल्मो तशद्दुद हो रहा है। सारी दुनिया के साथ हिन्दुस्तान की आवाज बड़े मायने रखती है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी डैमोक्रेसी है, मगर मैं अर्ज करूंगा कि इतना ही काफी नहीं होगा। इस दुनिया में खाली तकरीरें करना और खाली रैज्यूलूशन पास कर देना ही मैं समझता हूं काफी नहीं है, क्योंकि बड़ी-बड़ी ताकतें पीछे जाबिर कुव्वतों के साथ हैं।

अफ्रीका जो फासिस्ट रिजीम है, वह तनतनाह नहीं है, जंग लड़ रही है। इम्पीरियलिस्ट उसके पीछे हैं। आज अफ्रीका के लोग खुद अपने मुल्क को आजाद करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का फर्ज बन जाता है कि अब एक कदम और आगे बढ़े और अफ्रीका के उन मुजाहीदेने आजादी को, जो वहां क्रांतिकारी हैं, उनकी अमलन मदद करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें शर्माना नहीं चाहिए। जब बड़ी ताकतें नहीं शर्मा रही हैं, मालीतौर पर और मिलेटरेरी तौर पर उनकी मदद कर रही हैं और उन रिजीम्स को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए इस्तहकाम देने के लिए मदद कर रही है हिन्दुस्तान को चाहिए कि फिलीस्तीन की भी मदद करे और फिलीस्तीन पी० एल० ओ० की मदद के लिए आगे आए और अफ्रीका, जहां कहीं भी रेसिस्ट इम्पीरियलिज्म है, उनका किला कुमा करने के लिए हिन्दुस्तान को आगे जाना चाहिए। यह कदम आगे बढ़ाना होगा, यह बहुत जरूरी है।

यू० एन० ओ० जैसा फोरम, जिसकी हमने मदद की है, हमेशा हिमायत की है, हम चाहते हैं कि दुनिया में यू० एन० ओ० कायम रहे, उससे सारी दुनिया के लिए एक आशा है, आरजू बंधी है, उसके साथ उम्मीद लगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद यू० एन० ओ० में अमलन बड़ी ताकतों का गलवा है और वह मुल्क जो वाकई अक्सरियत में है मैजोरिटी में हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बावजूद यह कि हम यू० एन० ओ० की कमजोरियां बयान कर रहे हैं, हम यह नहीं चाहते कि यू० एन० ओ० का खातमा हो, क्योंकि इन मुश्किलात के बावजूद यू० एन० ओ० का रहना बहुत जरूरी है। लेकिन यू० एन० ओ० के बाहर जो नान-एलाइन्ड देश हैं, दुनिया में सबसे बड़े लीडर हम हैं, मैं समझता हूं कि वहां सिर्फ यू० एन० ओ० पर ही इन्हिसार करना, उसी पर भरोसा करना काफी नहीं है। हिन्दुस्तान को दो कदम आगे बढ़ना होगा।

आज के वक्त में सही है कि न्यूक्लीयर वार का खतरा मंडरा रहा है बड़ी-बड़ी ताकतें हैं जिनके पास हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, मगर उसके बावजूद भी सारी दुनिया चल रही है और एक बार भी न्यूक्लीयर होलोकास्ट का शिकार अगर कोई करे तो दुनिया बचने वाली नहीं है, बल्कि

साइंटिस्ट्स का कहना है कि एक बार नहीं, बड़ी ताकतों के पास इस कदर परमाणु हथियार हैं कि 10 बार भी दुनिया बने, तबाह हो जाए, उसके बाद भी न्यूक्लियर वैपन्स उनके पास आर्सनल में मौजूद होंगे।

इसलिए हमें परमाणु ब्लैक मेल से डरना नहीं चाहिए और हमको अपने तौर पर उन ताकतों का, जो आजादी और इंडिपैंडेंस के लिए सारी दुनिया में जद्दोजहद कर रही है, उनकी मदद करनी चाहिए और उस मामले में हमें यू० एन० ओ० के रैज्यूलूशन्ज जो कि फीके हैं, बेमाइने हैं, जिनको अभी अमल में नहीं लाया जा रहा है, परवाह नहीं करनी चाहिए।

कामन वैल्थ जिसके हम आज मैम्बर हैं, जिसके बारे में हमारी बड़ी तवक्कुआत थीं, लेकिन आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि अमली तौर पर जो यू० के० की सरकार अफ्रीका की अपारथीड़ सरकार की मदद कर रही है, वह किसी भी मामले में हमारा साथ नहीं दे रही है। जो आजादी पसन्द लोगों का मसला है, वहां अपने आप को अलग कर दिया है। मैं समझता हूं कि कामन वैल्थ जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फोरम है, वहां यू० के० ही नहीं है, और भी देश हैं जिनकी यही उम्मीदें हैं, यही एस्पीरेशन हैं उनको अपने साथ मिलाकर उसमें रहना चाहिए और जो हमारा मकसद है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। टाहम आज वह मकसद पूरा नहीं हो रहा है और रुकावटें भी डाली जा रही हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर है कि हम कामन वैल्थ से बाहर हो जाएं।

अफगानिस्तान का मसला एक बहुत बड़ा मसला है। अफगानिस्तान एक नान-एलाइण्ड और एक खुद मुख्तार रियासत थी, लेकिन बदकिस्मती से जो इस वक्त इन्टरनेशनल एरिना वार फेयर का बन चुका है, उसमें हिन्दुस्तान को दखल देना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि हमारे दरवाजे पर जंग दस्तक दे रही है। हम उसे गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। हम कम्प्यूचिया की बात करते हैं और दुनिया के मुल्कों में जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसको बहुत ही अहमियत देते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ हमारी नजर नहीं जा रही है। उसके मामले में हमने अपने जहन और जज़बात पर क्यों काबू पा लिया है, हम क्यों नहीं सही बात करते? अफगानिस्तान के मामले में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर इस वक्त रूसी फौजें हैं, अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है और बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई लड़ी जा रही है जो कि धीरे-धीरे सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हिन्दुस्तान को उठाना होगा।

आज अमेरिका पाकिस्तान की जो मिलिट्री मदद कर रहा है और पाकिस्तान के पास एफ-16 और बड़े जैट्स आ रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह, जैसा कि अमेरिका सरकार बता रही है कि पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान के मामले में उलझा हुआ है और 30 लाख के करीब अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान में आ चुके हैं। इसका हल खामोशी से नहीं होगा। आज हिन्दुस्तान का रूस सरकार के साथ बहुत करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूं कि अपने मुल्क के मुफाद में हमें रूस को भी मोटिवेट करना चाहिए कि इस मामले में कोई हकीकत पसंदाना प्रेक्टिकल रास्ता निकाले और अफगानिस्तान को फिर वही स्थान मिले जो नानएलाइंड देश के नाते उसका था। इस मामले में

हमारी बड़ी आलोचना हो रही है। अफगानिस्तान के मामले में हम जो कुछ कर रहे हैं, उससे न रूस का भला हो रहा है और न ही हिन्दुस्तान और वर्ल्ड पीस का भला हो रहा है। रूस के लिए भी बड़ी परेशानी है क्योंकि रूस की सरहद पर अफगानिस्तान है और इस तरीके से दूसरी तरफ से मुजाहिदीन को जो मदद मिल रही है उससे दूसरी वर्ल्ड पावर्स जो रूस को नीचा दिखाना चाहती हैं उनको मौका मिल रहा है। रूस की सरहदें भी महफूज नहीं हैं और खुद हिन्दुस्तान भी महफूज नहीं है। इसमें नेशनल इंटरस्ट सबसे आगे होना चाहिए। हमें सबसे पहले कौमी मफाद को देखना चाहिए। यह कोई जुर्म नहीं है कि अगर हम दो टूक और साफगो से अफगानिस्तान की बात करें चाहे रूस या अमेरिका नाराज हो जायेगा। इस वक्त की जो स्थिति है वह बहुत बिगड़ रही है। हमें इसका इलाज ढूंढ़ना चाहिए और हमारी सरकार को इस मामले में कोई फैसला करना चाहिए।

पाकिस्तान के साथ हमारी सरकार ने जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसकी मैं सराहना करता हूं। यह सही है कि पहले यह एक मुल्क रहा और बाद में इसका बंटवारा हुआ। आज पाकिस्तान के साथ जो हमारी दोस्ती हो रही है चाहे कल्चरल रिलेशंज, तिजारत कम्युनिकेशन के जरिये उसे बढ़ावा देने के लिए हमें पूरा जोर देना चाहिए। ताहम मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट टाक्स जनरल जिया और राजीव गांधी के बीच हो रही हैं। जब पाकिस्तान बात करता है तो कश्मीर का जिक्र करता है और कहता है कि पण्ढलग कश्मीर की है। मैं एक जिम्मेदार नुमाइन्दा उस पार्टी का हूं जो वहां का रीजनल आर्गेनाईजेशन है, नेशनल कांफ्रेंस की तरफ से मैं आपको खबरदार करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में जहां इण्टरनेशनल वार्डर नहीं है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसी को परमानेंट बनाने की चर्चा अखबारों में चली है, मुझे नहीं मालूम वह कहां तक सही है लेकिन इस मामले में आप हमको नजर-अन्दाज नहीं कर सकते हैं। हमको अलग करके आप जनरल जिया के साथ कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, हमारा हक है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में आप जो भी फैसला करें या जम्मू-कश्मीर की जो फोटोग्रैफी है जो जियोग्रैफी है उसके बारे में आप जो भी फैसला करें, जम्मू-कश्मीर के लोगों को भी आपको कांफिडेन्स में लेना होगा। यह बात मैं आपसे साफ तौर पर कह देना चाहता हूं।

इसी सिलसिले में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि चीन के साथ हमारी दोस्ती का हाथ बढ़ रहा है वह बढ़ना चाहिए क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी शक्ति है, हमारी सीमा पर है हम चाहते हैं उससे हमारी दोस्ती बढ़े और यह दोस्ती टूटने न पाये। चीन और हिन्दुस्तान के बीच जैसा कि आप जानते हैं सदियों तक कल्चर-और ट्रेड रिलेशंस रहे हैं। अभी हमारे एक बुजुर्ग एम० पी० साहब ने कांग्रेस की तरफ से कहा है कि चीन की दोस्ती की तरफ हमारी तवज्जह जानी चाहिए लेकिन आपको यह बात फरामोश नहीं करनी चाहिए कि जम्मू-कश्मीर का अकसाई-चिन का इलाका इस वक्त चीन के कब्जे में है, उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उसके बारे में आप बिलकुल खामोश होते जा रहे हैं—ऐसा क्यों हो रहा है ? जम्मू-कश्मीर के इस तरीके से बहुत सारे इलाके गैर-मुल्की कब्जे में हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे विदेश मंत्री इस हाउस को कांफिडेन्स में लें और बतायें इस बारे में उनकी क्या राय बनती है ?

[شری عبدالرشید کابلی (سری نگر): جناب ڈپٹی اسپیکر، میں سراہنا کروں گا وزیر اعظم راجیو گاندھی کی۔ جب سے وہ اِس مُلک کے پردھان منتری بنے ہیں تو انہوں نے بڑی ہی سرگرمی اور بڑے ہی جوش اور جذبات کے ساتھ مختلف انٹرنیشنل کانفرینس میں اور کانفرینس کے علاوہ جو ایشیا کی برادری ہے جیسے پچھلے دنوں سارک سمیٹ ہوا اور اس سے پہلے چھ مُلکی ہوا، نئی دلی میں اس ساری جدوجہد میں وزیر اعظم نے ہندوستان کا نام روشن کیا اور اُن سے ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اس ہمت اور حوصلے اور اِمیج اس وقت ساری دنیا میں بنتی ہے اُس کی سراہنا کریں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم مکمل طور پر اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکے کہ اس سے ہسٹری بن گئی ہے، اور اس ملک کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہوئی ہیں۔ اس کے لئے بہت کم وقت چاہیئے۔ اِس لئے شری دنیش سنگھ جی کا جو رزولیوشن ہے وہ غیر متعلقہ ہے۔ قبل وقت ہے کیونکہ ابھی بہت سارے امتحان وزیر اعظم کے سامنے ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بڑی ثابت قدمی سے دنیا میں مظلوم اور پسماندہ ملکوں کی مدد کے لئے آگے بڑھا ہے اور خاص طور سے افریقہ کی اپارتھیڈ پالیسیز کے سلسلے میں اس نے نمایاں رول ادا کیا ہے۔ اس پالیسی میں تسلسل ہے۔ سب سے پہلے پنڈت جواہر لال نہرو، اس کے بعد شریمتی اندرا گاندھی اور اب شری راجیو گاندھی فلسطین کے معاملے میں جو کہ ایک بڑا قضیہ دنیا میں ہے، سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جسمیں جائز قوم کو اپنے وطن سے محروم کر دیا گیا ہے وہاں ہم بڑے استقلال کے ساتھ اس تحریک کا پی ایل او کا ساتھ دے رہے ہیں اور دنیا بھی چاہیئے کیوں کہ ہندوستان خود برٹش امپیریلیزم کا شکار ہوا ہے، اور ہماری بہت بڑی قربانی ہے اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمیں بڑی قیمت چکانی پڑی ہے۔ ہم جان سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کا کیا حال ہے اور اُن کی کیا مصیبتیں ہیں۔ اُن کی اپنی آزادی مقام اور ملک پانے کے لئے جتنی بھی

مدد کریں ظلم ہے!

اِس سلسلے میں یاسر عرفات کو اس ملک میں جو عزّت ملی، مہاتما ملی اُس سے ہمارا مقام ساری دنیا میں کیا عرب دیشوں میں بھی ہمیں ایک استھان ملا ہے عزت ملی اور یہ اس پالیسی کی دین ہے جو ہم نے بالکل تسلسل کے ساتھ اپنائی۔

اِسی طرح افریقہ میں نسلی امتیاز کی پالیسی ہے۔ آج افریقہ بڑی جابرانہ پالیسی پر لگا ہوا ہے کہ سرکار ریسِسٹ رِجیم ہیں جو کہ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہی ہیں اپنے وطن میں افریقیوں کے لئے زمین تنگ کر دی گئی ہے اور آئے دن وہاں ظلم و تشدّد ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کے ساتھ ہندوستان کی آواز بڑے معنی رکھتی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے مگر میں عرض کر دوں گا کہ اتنا بھی کافی نہیں ہوگا۔ اِس دنیا میں خالی تقریریں کرنا اور خالی ریزالیوشن پاس کر دینا ہی میں سمجھتا ہوں کافی نہیں ہے کیوں کہ بڑی بڑی طاقتیں پیچھے کے ساتھ ہیں۔

افریقہ جو فاسِسٹ رجیم ہے وہ تن تنہا ہے جنگ لڑ رہی ہے۔ اِمپیریلسٹ اُس کے پیچھے ہیں۔ آج افریقہ کے لوگ خود اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لئے تگ و دو جدّ و جہد کر رہے ہیں۔ ہندوستان کا فرض بنتا ہے کہ اب ایک قدم اور آگے بڑھے اور افریقہ کے ان مجاہدینِ آزادی کو جو وہاں کرانتی کاری ہیں اُن کی عملاً مدد کرنی چاہیئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسمیں شرمانا نہیں چاہیئے۔ اب بڑی طاقتیں نہیں شرما رہی ہیں مالی طور پر اور ملٹری طور پر اُنکی مدد کر رہی ہیں اور ان رجیمس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کے لئے، استحکام دینے کے لئے مدد کر رہی ہیں۔ ہندوستان کو چاہیئے کہ فلسطین کی بھی مدد کرے اور فلسطین پی ایل او کی مدد کے لئے آگے آئے، اور افریقہ جہاں کہیں بھی ریسِسٹ اِمپیریلزم ہے ان کا قلع قمع کرنے کے لئے ہندوستان کو آگے جانا چاہیئے۔ یہ قوم آگے بڑھانا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے!!

یو این او جیسا فارم جس کی ہم نے مدد کی ہے ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں یو این او مضبوط رہے اس سے ساری دنیا کے لئے ایک آشا ہے آرزو بندھی ہے اس کے ساتھ امید لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود یو این او میں عملاً بڑی طاقتوں کا غلبہ ہے اور وہ ملک جو واقعی اکثریت میں ہیں بیچارگی میں ہیں ان کی بات نہیں سُنی جا رہی ہے۔ باوجود یہ کہ ہم یو این او کی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یو این او کا خاتمہ ہو کیوں کہ ان مشکلات کے باوجود یو این او کا رہنا بہت ضروری ہے۔ لیکن یو این او کے باہر جو نان ایلائنڈ دیش ہے، دنیا میں سب سے بڑے لیڈر ہم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں صرف یو این او پر ہی انحصار کرنا اسی پر بھروسہ کرنا کافی نہیں ہے، ہندوستان کو دو قدم آگے بڑھنا ہوگا۔

آج کے وقت میں یہ صحیح ہے کہ نیوکلیئر وار کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کے پاس ہتھیار ہیں، پرمانو ہتھیار ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی ساری دنیا بول رہی ہے اور ایک بار بھی نیوکلیئر ہولوکاسٹ کا شکار اگر کوئی کرے تو دنیا بچنے والی نہیں ہے بلکہ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک بار نہیں بڑی طاقتوں کے پاس اسقدر پرمانو ہتھیار ہیں کہ ۱۰ بار بھی دنیا بنے تباہ ہو جائے اس کے بعد بھی نیوکلیئر ڈیپنس اُن کے پاس آرسنل میں موجود ہوں گے۔

اس لئے ہمیں پرمانو بلیک میل سے ڈرنا نہیں چاہئے اور ہم کو اپنے طور پر ان طاقتوں کا جو آزادی اور انڈیپنڈینس کے لئے ساری دنیا میں جد و جہد کر رہی ہیں اُنکی مدد کرنی چاہئیے، اور اِس معاملے میں ہمیں یو این او کے ریزالیوشن جو کہ بھیکے ہیں، بے معنی ہیں جنکو کبھی عمل میں نہیں لایا جا رہا ہے اُن کی پرواہ نہیں کرنی چاہئیے۔ کامن ویلتھ جس کے ہم آج ممبر ہیں جس کے بارے میں ہماری بڑی توقعات تھیں لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عملی طور پر جو یو کے کی سرکار افریقہ کی اپارتھیڈ سرکار کی مدد کر رہی ہے۔ وہ کسی بھی معاملے میں ہمارا ساتھ

نہیں دے رہی ہے ۔ جو آزادی پسند لوگوں کا مسئلہ ہے وہاں اپنے آپ کو الگ کر دیا ہے ۔ میں سمجھتا ہوں کہ کامن ویلتھ جو بہت بڑا مہتو پورن فارم ہے وہاں یو کے ہی نہیں ہے اور بھی دیش ہیں جنکی بہی امیدیں ہیں۔ یہی آسپریشن ہیں انکو اپنے ساتھ ملاکر اسمیں رہنا چاہیئے، اور جو ہمارا مقصد ہے اسکو ہمیں پورا کرنا چاہیئے تاہم آج وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے اور رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہیں اسلئے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ہم کامن ویلتھ سے باہر ہو جائیں۔

افغانستان کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ۔ افغانستان ایک نان ایلائنڈ اور ایک خود مختار ریاست تھی لیکن بد قسمتی سے جو اس وقت انٹرنیشنل ایرینا وار فیئر کا بن چکا ہے اسمیں ہندوستان کو دخل دینا چاہیئے، کوئی راستہ نکالنا چاہیئے، کیونکہ ہمارے دروازے پر جنگ دستک دے رہی ہے ۔ ہم اسے گمبھیرتا سے نہیں لے رہے ہیں ہم کمپوچیا کی بات کرتے ہیں اور دنیا کے ملکوں میں جو لڑائیاں لڑی جاتی ہیں ان کو بہت ہی اہمیت دے دیتے ہیں، لیکن افغانستان کی طرف ہماری نظر نہیں جا رہی ہے ۔ اس کے معاملے میں ہم نے اپنے جذبات اور ذہن پر کیوں قابو پا لیا ہے ۔ ہم کیوں نہیں صحیح بات کرتے؟ افغانستان کے معاملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر اس وقت روسی فوجیں ہیں، امریکہ بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے اور بڑی طاقتوں کے بیچ لڑائی لڑی جا رہی ہے جو کہ دھیرے دھیرے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے ۔ اسمیں سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو اٹھانا ہوگا۔

آج امریکہ پاکستان کی جو ملٹری مدد کر رہا ہے اور پاکستان کے پاس ایف ۔ ۱۶ اور بڑے ہتھیار آ رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ جیسا کہ امریکہ سرکار بتا رہی ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے معاملے میں الجھا ہوا ہے اور ۲۴ لاکھ کے قریب افغان رفیوجی پاکستان میں آ چکے ہیں ۔ اسکا حل خاموشی سے نہیں ہوا ۔ آج ہندوستان کا روس سرکار کے ساتھ بہت قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے

ملک کے مفاد میں ہمیں روس کو بھی کرنا چاہیئے کہ اس معاملے میں کوئی حقیقت پسندانہ راستہ نکالے اور افغانستان کو پھر وہی اِستھان ملے جو نان ایلائنڈ دیش کے ناطے اُس کا تھا! اِس معاملے میں ہماری بڑی آلوچنا ہو رہی ہے۔ افغانستان کے معاملے میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اُس سے نہ روس کا بھلا ہو رہا ہے اور نہ ہی ہندوستان اور ورلڈ پیس کا بھلا ہو رہا ہے۔ روس کے لئے بھی بڑی پریشانی ہے، کیونکہ روس کی سرحد پر افغانستان ہے اور اِس طریقے سے دوسری طرف سے مجاہدین کو جو مدد مل رہی ہے اُس سے دوسری ورلڈ پاورس جو روس کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں اُن کو موقع مل رہا ہے۔ روس کی سرحدیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور خود ہندوستان بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس میں نیشنل انٹرسٹ سب سے آگے ہونا چاہئیے۔ ہمیں سب سے پہلے قومی مفاد کو دیکھنا چاہئیے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو روس یا امریکہ ناراض ہو جائیگا۔ اس وقت کی جو اِستھتی ہے وہ بڑی بگڑ رہی ہے! ہمیں اِسکا علاج ڈھونڈنا چاہئیے، اور ہماری سرکار کو اس معاملے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہئیے۔

پاکستان کے ساتھ جو ہماری سرکار نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا اس کی میں سراہنا کرتا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ پہلے یہ ایک ملک رہا اور بعد میں اسکا بٹوارہ ہوا۔ آج پاکستان کے ساتھ جو ہماری دوستی ہو رہی ہے، چاہے کلچرل ریلیشنز تجارت کمیونیکیشن کے ذریعہ بڑھاوا دینے کے لئے ہمیں پورا زور دینا چاہئیے۔ تاہم میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیکریٹ ٹاکس جنرل ضیا اور راجیو گاندھی کے بیچ میں ہو رہی ہیں۔ جب پاکستان بات کرتا ہے تو کشمیر کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پرابلم کشمیر کی ہے۔ میں ایک ذمہ دار نمائندہ ہوں اس پارٹی کا جو وہاں اور بجنل آرگنائزیشن ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے میں آپ کو خبردار کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان نے جموں کشمیر میں جہاں انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کو پرمانینٹ بنانے کی چرچا اخباروں میں چلی ہے مجھے نہیں معلوم وہ کہاں تک صحیح ہے،

لیکن اِس معاملے میں آپ ہم کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کو الگ کر کے آپ جنرل ضیا کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا حق ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں یا جموں کشمیر کی جو ٹوپوگرافی ہے، جو جیوگرافی ہے اس کے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں، جموں کشمیر کے لوگوں کو بھی آپ کو کانفیڈینس میں لینا ہوگا۔ یہ بات میں آپ سے صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ اسی سلسلے میں مَیں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی کا ہاتھ بڑھ رہا ہے، وہ بڑھنا چاہیئے کیونکہ چین ایک بہت بڑی شکتی ہے۔ ہماری سیما پر ہے، ہم چاہتے ہیں اُس سے ہماری دوستی بڑھے اور یہ دوستی ٹوٹنے نہ پائے۔ چین اور ہندوستان کے بیچ جیسا کہ آپ جانتے ہیں صدیوں تک کلچرل اور ٹریڈ ریلیشنز رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بزرگ ایم۔ پی صاحب نے کانگریس کی طرف سے کہا ہے کہ چین کی دوستی کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیئے۔ لیکن آپ کو یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیئے کہ جموں کشمیر کا اکسائی۔ چین کا علاقہ اس وقت چین کے قبضے میں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جموں کشمیر میں اِس طریقے سے بہت سارے علاقے غیر ملکی قبضے میں ہیں۔ میں چاہونگا کہ ہمارے وِدیش منتری اس ہاؤس کو کانفیڈنس میں لیں اور بتائیں اِس بارے میں اُن کی کیا رائے بنتی ہے؟]

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास शक्तिशाली द्वारा कमजोर का शोषण करने और सुविधा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा कम सुविधा प्राप्त व्यक्तियों का शोषण करने वाले किस्सों से भरा पड़ा है। आरम्भ में धर्म को फैलाने के नाम पर धर्म योद्धा दूसरों का शोषण करते रहे। इसके बाद सेना और उपनिवेशी शोषण का युग आया।

अब हम विकसित राष्ट्रों द्वारा अल्प-विकसित राष्ट्रों के आर्थिक शोषण के खतरे का सामना कर रहे हैं। इन हालातों में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) की स्थापना एक स्वागत-योग्य कदम है। बिगड़ती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में 'सार्क' की स्थापना हुई है।

इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधान मन्त्री को बधाई देता हूं। निर्गुट आन्दोलन के नेता के रूप में उनकी उपलब्धि महत्वपूर्ण है, परन्तु 'सार्क' की स्थापना कोई कम महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें राष्ट्राध्यक्षों का भी धन्यवाद करना चाहिए जो सहर्ष 'सार्क' में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गये हैं। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, कल हमारी बैठक होनी ही, तो हमें अब बैठने की क्या जरूरत है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें। हस्तक्षेप न करें। जब एक सदस्य बोल रहा हो तो व्यवधान न डालें।

श्री विजय एन० पाटिल : क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर मात्र विकसित राष्ट्रों का ही एकाधिपत्य नहीं हैं यद्यपि कुछ दशक पूर्व उन्होंने योरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कर इस दिशा में नेतृत्व किया। परन्तु वर्तमान में हम वहां क्या देखते हैं ? ब्रिटेन जो किसी समय सर्वशक्तिमान देश था आज संसार की एक बड़ी ताकत के इशारों पर नाच रहा है। महोदय, यह एक शोचनीय बात है कि ब्रिटेन ने 'यूनेस्को' से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। अब सबसे खराब बात यह है कि ब्रिटेन अमरीका के अन्तरिक्ष युद्ध कार्यक्रम में शामिल हो गया है।

एक बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे विकसित राष्ट्र को घोर विनाश के मार्ग पर ले जा रहा है। परन्तु यहां अग्रज भ्राता के रूप में भारत अपने अन्य बन्धु राष्ट्रों को आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग के मार्ग पर ले जा रहा है।

विपक्ष में बैठे मेरे मित्र यह आरोप लगा रहे हैं कि हम श्री राजीव गांधी की प्रशंसा करना चाहते हैं। कल्पना की यह कितनी ऊंची उड़ान है ? मेरी उनके साथ सहानुभूति है क्योंकि उनके दल में श्री राजीव गांधी के व्यक्तित्व जैसा कोई नेता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, झगड़ालू पड़ोसी की बजाय एक सहयोगी पड़ोसी होना अधिक अच्छा है। हमारी विदेश नीति में आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रहने और सहयोग करने की आशा की जाती है। भूमि, समुद्र के ऊपर तथा नीचे तथा अन्तरिक्ष में सहयोग करने की आवश्यकता है। भावी राष्ट्रों के साथ इस प्रकार के सहयोग करने वाली विदेशी नीति सबसे अच्छी नीति है। यह अच्छी बात है कि 'सार्क' की अगली बैठक भारत में करने के लिए हमने आतिथ्य देना स्वीकार कर लिया है। इसके अतिरिक्त संतोषजनक बात यह है कि औरतों के अधिक हिस्सा लेने की आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो राष्ट्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) में सहभागी हैं उनमें कई बातें सांझी हैं। विशेषकर, भारत हिमालय के प्राकृतिक संसाधनों में नेपाल तथा भूटान का साझीदार है, बंगला देश, श्रीलंका तथा पाकिस्तान के साथ एक ही समुद्र लगता है, पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ सांझी नदियां हैं। हिमालय तथा भारतीय समुद्र की प्राकृतिक संपदा का आपसी सहयोग तथा सांझी परियोजनाओं द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। हिमालय से बहने वाली नदियों में हजारों मेगावाट विद्युत पैदा करने की क्षमता है। योरोपीय आर्थिक समुदाय की तरह 'सार्क' के देशों में सीमा-शुल्क, आयात और निर्यात जैसी मदों में रियायतें दी जा सकती हैं। भारतीय समुद्र को कई क्षेत्रों में एक साथ मिलकर प्रयोग किया जा सकता है। कुछ समय पहले भारत और आबू-धाबी के बीच समुद्र के नीचे तार बिछाने की बात थी। वे इसे करांची से ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारे अन्दर थोड़ी झिझक थी। परन्तु पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी सम्बन्ध हों तो ऐसी कठिनाइयों पर काबू करके कोई परियोजना बनायी जा सकती है। इसी तरह से अन्तरिक्ष के क्षेत्र में हमारा 'इंसैट-वो' भू-मण्डल के एक-तिहाई भाग पर कार्य कर रहा है। कुछ समय पूर्व बंगलादेश में एक

समुद्री तूफान आया था जिसमें हजारों लोग मर गये तथा सम्पत्ति नष्ट हुई। उपग्रह की दूरस्थ संवेदन-शीलता का 'सार्क' के देशों में ऐसे समुद्री तूफानों की अग्रिम सूचना देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार हम सांझे भूगोल में, कुछ कम या अधिक, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, मिलजुलकर अनुसंधान कर सकते हैं। ये भिन्न क्षेत्र हैं जहां पर इस क्षेत्र के 'सार्क' देशों के साथ सहयोग किया जा सकता है, तथा जानकारी का आपस में आदान-प्रदान किया जा सकता है। यह एक स्वागत-योग्य कदम है।

अन्त में, मैं विरोध पक्ष से आग्रह करूंगा कि श्री दिनेश सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करने में वह सहयोग करें।

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है। क्या मैं माननीय मन्त्री से जवाब देने के लिए कह सकता हूं ?

श्री ई० अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : हम बोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप 5 मिनट में अपनी बात कह सकते हैं तो ठीक है।

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : मैं लम्बा भाषण देने की बजाय अपनी बात कुछ मुद्दों तक सीमित रखूंगा।

महोदय, ब्रिटिश सरकार ने जो कि राष्ट्रमंडलीय देशों का स्थायी सदस्य है, अन्तरिक्ष-युद्ध प्रोग्राम को समर्थन देने की जो कार्यवाही की है तथा 'यूनेस्को' से अपनी सदस्यता जो वापस ली है उससे गहरा सदमा लगा है। यह उस मनोहर महिला, श्रीमती मारग्रेट थैचर ऊपर से नरम परन्तु अन्दर से कठोर है। हाल के राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन मे भी उन्होंने अपने ही तरीके से कार्य किया। प्रीटोरिया सरकार के विरुद्ध राजीव द्वारा जो कठोर रुख अपनाया गया अन्त में जब संकल्प को पारित करने का प्रश्न आया तो उसे किसी तरह से कमजोर कर दिया गया था। उस महिला ने अपनी मर्जी चलायी और आम धारणा यह है कि वह महिला अपने रुख को स्वीकार करने के लिए राजीव को मनाने में सफल हो गयी।

अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा लिये गये पूर्व रुख को सारे अफ्रीकी राष्ट्रों का समर्थन था। मुझे नहीं मालूम उसके बाद जब सारे प्रस्ताव को कमजोर कर दिया गया और उस महिला के रुख को व्यावहारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी।

महोदय, जब राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन चल रहा था तो उस समय भी दक्षिण अफ्रीका सरकार ने अफ्रीकी नेता पर, जिसने अफ्रीका को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया, मुकदमा चलाने तथा फांसी लगाने का दुःसाहस किया। यह राष्ट्रमण्डलीय राष्ट्रों के प्रति बड़ा अनादर था। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि हम कुछ भी न कर सके। संपूर्ण राष्ट्रमण्डल भी इसके बारे में कुछ करने में असमर्थ रहा। राष्ट्रमंडल के एक अग्रणी सदस्य के रूप में हमारा देश कितना सफल रहा है, इसे अगर हम इस कसौटी पर अर्थात् ब्रिटिश सरकार द्वारा हाल में अपनाये गये रुख की कसौटी पर परखें तो हमें अपनी विदेश नीति की सफलता का निष्पक्ष और वस्तुपरक आंकलन कर सकेंगे।

महोदय, इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि अफ्रीका में तथा अन्य भूतपूर्व उपनिवेशी

राष्ट्रों में सूक्ष्म रूप से एशिया के लोगों में, नीग्रों तथा काले लोगों में, जाति भेद-भाव उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था जब फीनिक्स आश्रम पर तथा एशिया के लोगों और भारतीयों पर आक्रमण किया गया था? ब्रिटेन में भारतीयों पर किये गये आक्रमण के बारे में क्या हुआ? इन सब बातों को देखते हुए निश्चित ही कोई तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे दोनों राष्ट्रों, अर्थात् एशिया क्षेत्र के लोगों तथा नीग्रों, के बीच मतभेद समाप्त हो सके। कोई मतभेद तथा संशय नहीं है और उपनिवेशवाद तथा नव-उपनिवेशवाद अथवा आर्थिक आधिपत्य के खिलाफ लड़ने के लिए हम सब एक हैं। इस संबंध में कुछ कदम उठाने पड़ेंगे।

इसी प्रकार से, हमें आस्ट्रेलिया, बर्मा तथा यूरोप और अन्य क्षेत्रों के छोटे-छोटे लेकिन प्रगतिशील देशों के प्रति अपने रुख तथा संबंधों में सुधार करना होगा। क्योंकि हमें अपनी स्थिति तथा रुख में धीरे-धीरे सुधार करना होगा और भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भविष्य में शक्ति के गुरुत्व केन्द्र में परिवर्तन होगा और न केवल अपनी जनसंख्या के कारण बल्कि अपनी मूल्यवान विरासत, संस्कृति तथा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के कारण भारत की जो क्षमताएं हैं उन्हें देखते हुए भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दस या पन्द्रह वर्षों में उच्चतर स्तर तक पहुंच जायेगा। अतः हमें अपने हितों का विकास करना आवश्यक है तथा आस्ट्रेलिया, बर्मा तथा ऐसे राष्ट्रों से जो दिन-प्रतिदिन समाचारों में उल्लेखित नहीं होते हैं उन राष्ट्रों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे।

चीन के साथ हमारे संबंधों के बारे में, हाल ही में एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल गया है और चीन के साथ संबंध सुधार करना तथा सीमा-विवाद को तय करना आवश्यक है। क्योंकि इस सीमा-विवाद को अधिक समय तक लटकाया नहीं जा सकता। इस विवाद को किसी प्रकार से मित्रतापूर्वक, जिसमें भारत की आन व शान को आंच न आये, तय करना आवश्यक है।

जापान के साथ हमारे संबंध सुधरे हैं। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि जापान के साथ व्यापार में कई गुना वृद्धि होनी है और मेरे विचार से अगर हम जापान से तकनीकी सहायता लेने का प्रयत्न करते हैं तो इसमें किसी प्रकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सामने झुकने वाली या उन्हें आमन्त्रित करने जैसी कोई बात नहीं है।

महोदय, जहां तक अपने निकट पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों का प्रश्न है उसमें 'सार्क' से सफलता मिली है। मैं केवल आशा कर सकता हूं कि जो काव्यात्मक उल्लास ढाका में प्रदर्शित किया गया था वह सुगंध की तरह उड़ेगा नहीं। क्योंकि पहली बार दक्षिण एशियाई संघ ने बाहरी प्रभाव में न आने की आशा दी है। मेरी राय में 'सार्क' को लगभग 10 वर्ष पहले शुरू हो जाना चाहिए था। सातों राष्ट्रों के सभी राष्ट्राध्यक्षों ने जो भावनाएं ढाका में व्यक्त की थीं, मैं आशा करता हूं कि वे मात्र दिखावा नहीं थी बल्कि वे उपनिवेशवाद के शिकार लोगों की और जो उससे मुक्त हो चुके हैं और जो अपनी राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए कोशिश कर रहे हैं उनकी वास्तविक भावनाएं थीं और हम सभी जानते हैं कि हम एक साथ केवल तभी रह सकते हैं जब हम एक होंगे। यह कार्य 10 वर्ष पहले शुरू होना चाहिए था। परन्तु अभी इसकी शुरूआत हुई है और हम इसका स्वागत करते हैं, हमें इसे शक्तिशाली बनाना होगा और पड़ोसी राष्ट्रों के कुछ कटु मामलों को बीच में लाकर इसे कमजोर करने की कोशिशों से कोई लाभ नहीं है। ये सभी बातें भुला देनी चाहिए। गत समय को भूल जाना होगा क्योंकि यह जरूरी है, इसलिए कि यह सहयोग के नए

युग की शुरूआत हैं, विश्व के राजनैतिक वातावरण में अपना अस्तित्व बनाने के लिए तथा दक्षिण एशिया के राष्ट्रों में एकता के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए युग की शुरूआत है।

अगला मुद्दा जो मैं विदेश मंत्री के नोटिस में लाना चाहता हूं, वह जेनेवा में असहमति के लिए हुआ तथाकथित समझौता है। यह सर्वविदित है कि दोनों ही महाशक्तियां यह जानती हैं कि वे परमाणु युद्ध नहीं कर सकतीं। क्योंकि परमाणु युद्ध में कभी जीत नहीं हो सकती। वे ये भी जानते हैं कि परमाणु विध्वंश के बाद कोई भी अमीर या शक्तिशाली या विकसित या अर्द्ध-विकसित राष्ट्र नहीं रहेगा। सारी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। अतः वे अच्छी तरह से जानते हैं कि वे परमाणु युद्ध नहीं करेंगे। प्रलय की वह रात्रि कभी नहीं आएगी क्योंकि महाशक्तियां अच्छी तरह से जानती हैं कि वे परमाणु युद्ध में कभी नहीं जीत सकते। परन्तु परमाणु युद्ध का डर हमेशा बनाया जाएगा सिर्फ इस कारण से कि यह एक सर्व-विदित तथ्य है कि विश्व में सभी देशों द्वारा युद्ध बजट पर प्रति-मिनट 20 लाख डालर खर्च किया जा रहा है। यह स्वीकार किया गया है। 20 लाख डालर प्रति मिनट खर्च की राशि से जो उद्योग लाभ उठा रहे हैं उनको कायम रखने के लिए यह डर उत्पन्न किया जाता रहेगा। इस डर को निहित स्वार्थ लाभों के लिए कायम रखा जाएगा जोकि अर्द्ध-विकसित तथा विकसित राष्ट्रों को हथियार बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं। एशिया के देशों से इस बाजार को दूर रखने के लिए उन्हें एकजुट होना चाहिए, अर्थात् उन्हें आपसी मतभेद शांतिपूर्वक हल करने होंगे, वे फ्रांस या ब्रिटेन अथवा ऐसे किसी राष्ट्र से जिसमें हथियार बहुत मात्रा में हैं, क्योंकि हथियार बनाना उनका उद्योग हैं, हथियार खरीदने का प्रयत्न नहीं करेंगे। अतः निर्गुट राष्ट्रों के आन्दोलन को अपनी भूमिका अदा करनी होगी तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को शक्तिशाली बनाना होगा ताकि इस युद्ध के भय तथा भय की मानसिकता को वास्तव में गम्भीरता से न लिया जाए। भय रोजाना का स्थायी हो गया है। यही है जो कहा गया है तथा स्वयं तो हथियारों में और पूंजी-निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं जो स्वयं डर उत्पन्न करने में सहायक हो रहा है। अतः इस भय की मानसिकता को समाप्त करने के लिए अपनी विदेश नीति को इस तरह से ढालना होगा ताकि आपस में निरन्तर विचारों का आदान-प्रदान हो और गुट-निरपेक्ष संघर्ष को बहुत शक्तिशाली बनाया जाए।

निष्कर्ष में, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारी विदेश नीति का संबंध है इसका उद्‌भव वास्तव में हमारे स्वाधीनता संग्राम, हमारे उपनिवेशी इतिहास तथा उपनिवेश के दौरान जो हमने कष्ट सहे हैं वहां से है और इसने अपनी प्रेरणा बहुत-सी क्रांतियों से ली है तथा नेहरू जी स्वयं अपने आपको क्रांति की संतान बताते थे। नेहरू जी ने विदेश नीति बनाई थी और वह विदेश नीति हमें सही दिशा में ले जा रही है। यह हमारे स्वाधीनता संग्राम की प्रेरक रही है और जहां तक विदेश नीति का संबंध है इसमें कोई मतभेद नहीं है, और जहां तक प्रधानमन्त्री का संबंध है, वह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जब वे विदेश नीति पर बोलते हैं तथा जब वह दूसरे राष्ट्रों में जाते हैं। और जब वह अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसके व्यक्तित्व के महत्व को घटाना नहीं चाहते हैं।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रश्न पर सभा ने करीब 5 घंटे तक वाद-विवाद किया है और मुझे खुशी है कि सदन के दोनों पक्षों के 18 सदस्यों में से, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। एक दो को छोड़कर सभी ने विदेश नीति का जोरदार समर्थन किया है। मोटे तौर पर मैं इस संबंध में दिए गए भाषणों को तीन श्रेणियों में

बांटूंगा। सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्यों ने और विपक्ष के कुछ ही सदस्यों ने विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में हाल ही में हुई विभिन्न घटनाओं तथा उनसे निपटने के लिए प्रधानमन्त्री और सरकार द्वारा की गई पहल का समर्थन किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस समूचे प्रश्न के संबंध में विशिष्ट रूप से एक नई धारणा और दृष्टिकोण व्यक्त किया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज जिस विदेश नीति को कार्यान्वित किया जा रहा है और जिसका उन्होंने समर्थन किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। उन्होंने जो कुछ सुझाव दिए हैं और जो चेतावनी दी है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि उन्हें पूरी तरह ध्यान में रखा गया है। जहां तक साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के नए रूप और नव-उपनिवेशवाद की भूमिका तथा बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का संबंध है, मैं उनसे असहमत नहीं हूं। हम इस बारे में पूरी तरह जागरूक हैं। हम अब तक जिन नीतियों पर चले हैं, हमारी आत्म-निर्भरता की जो नीति रही है उसका हर पहलू हमारी राजनीतिक पहल, हमारे अन्तर-राष्ट्रीय संबंधों, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन, संयुक्त राष्ट्र में हमारी भूमिका, समाजवादी जगत में हमारे मित्र, और शांति तथा निरस्त्रीकरण के मूल मामलों में तथा उन समस्याओं में जिनका आज सामना करना पड़ रहा है तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आदि में प्रतिलक्षित होती है। इन सभी प्रश्नों के संबंध में हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने जो चेतावनी दी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हम जिस तरह की विदेश नीति अपना रहे हैं, वह उन्हें गलत प्रतीत हो रही है। मैं यह बात दोहराना नहीं चाहता, पर दोहराना जरूरी है कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संघर्ष के समय से विकसित हुई है और आज जो कांग्रेस अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रही है इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्यवाद-रविरोधी बल है। वह उस मूल बात से डिगकर कोई समझौता नहीं कर सकती जहां देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता का प्रश्न……।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कौन-सी कांग्रेस !

श्री बी० आर० भगत : ……और आत्म-निर्भरता का संबंध है। मैं माननीय सदस्य की बात पर आ रहा हूं। उन्हें बिलकुल चिंता नहीं है और उन्हें इस मामले के प्रति नकारात्मक रुख अपनाने पर ही संतोष होगा। मैं केवल यही कह सकता हूं कि वह अपनी सद्‌बुद्धि का गलत प्रयोग कर रहे हैं। महोदय, मैं तो कहूंगा कि मेरे सहयोगी श्री अमल दत्त और मेरे विद्वान् मित्र श्री जयपाल रेड्डी ने विदेश नीति के सबंध में हो रहे वाद-विवाद पर, जिस पर हम सबकी सहमति चाहते थे, के अनुकूल बात नहीं की, और इसी में सबका हित है, इसी में राष्ट्र का हित है और जहां भी इसका कार्यान्वयन आवश्यक है, वाद-विवाद इस बारे में होना चाहिए कि जिस नीति के अनुसार हम काम कर रहे हैं, वह कहां तक देश के हित को सुदृढ़ करेगी अथवा देश के हितों तथा मूल उद्देश्यों को संरक्षण प्रदान करेगी। जब आप विदेश नीति के मूल उद्देश्यों का प्रश्न उठाते हैं तो इससे हमारा अहित होता हैं, देश का अहित होता है और मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मेरे दोनों विद्वान् मित्रों श्री अमल दत्त और श्री जयपाल रेड्डी ने इसके मूल दृष्टिकोण के संबंध में प्रश्न किया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कोई प्रश्न नहीं पूछा। इसके विपरीत मैंने कहा है कि विदेशी नीतियां राष्ट्रीय सहमति से ही बनाई जानी चाहिए।

श्री बी०आर० भगत : जब आप बोल रहे थे तो मैंने बी । में बोलने की कोशिश नहीं की क्योंकि

मैं चुपचाप आपकी बातें नोट कर रहा था जहां तक श्री अमल दत्त और श्री जयपाल रेड्डी का संबंध है, यद्यपि उनकी राजनीतिक विचारधारा भिन्न-भिन्न है किन्तु वे एक मुद्दे पर एक-दूसरे से सहमत हैं कि प्रधानमन्त्री की विदेश यात्रा से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है और श्री अमल दत्त ने भी इस चर्चा के दौरान प्रश्न पूछा है। उन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि कि इस चर्चा का उद्देश्य क्या है और उन्होंने कहा है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि प्रधानमन्त्री की विदेश यात्रा के बारे में बताया जा सके और यह बताया जा सके कि उन्होंने महान कार्य किए हैं। सब जानते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति किस तरह कार्यक्रम बनाती है और कैसे वाद-विवाद निश्चित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम मंत्रणा समिति के निर्णयों के परिणामस्वरूप निश्चित किए जाते हैं और ऐसा नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में वाद-विवाद का निश्चय सरकार करती है या व्यक्तिगत रूप से ऐसा किया जाता है परन्तु माननीय सदस्य का कहना है कि यह वाद-विवाद प्रधानमन्त्री की विदेश यात्रा को औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया है। यदि यह नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है तो और क्या हो सकता है।

श्री जयपाल रेड्डी का कहना है कि प्रधानमन्त्री की विदेश यात्रा के क्या ठोस परिणाम निकले हैं ? किसी अन्य सदस्य ने भी कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे देशों की भी यात्रा की है जिनके साथ हमारी मैत्री नहीं है अथवा जो प्रगतिशील नहीं हैं और उन्होने कई विकासशील देशों की यात्रा नहीं की है, मैंने प्रधानमन्त्री की मई और जून के दौरान की गई द्विपक्षीय विदेश यात्रा का पूरा विश्लेषण करने का प्रयत्न किया है। यदि आप तीसरे विश्व के विकासशील देशों पर नजर डालें, दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे देश की यात्रा की गई है तो वे देश हैं—क्यूबा, वियतनाम, ओमन, बंगलादेश, मिस्र और अल्जीरिया। उन्होंने जिन विकसित देशों की यात्रा की है वे हैं—रूस, अमरीका, ब्रिटेन, हालैण्ड, जापान और फ्रांस तथा रूस इन सब देशों से अलग है। बहु-पक्षीय यात्राएं भी की गई हैं। उनकी राष्ट्रमंडल की यात्रा बहुत आवश्यक थी। मैं नहीं सोचता कि श्री जयपाल रेड्डी भी यह कहेंगे कि उनकी यात्रा जरूरी नहीं थी। फिर प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्र संघ की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर वहां गए, जिसमें 63 शासनाध्यक्ष और शासनाध्यक्ष उपस्थित हुए थे। मैं समझता हूं कि हर तरह उनकी वह यात्रा भी आवश्यक थी।

दूसरी तरफ, मेरे माननीय सहयोगी श्री दिनेश सिंह ने कहा कि अब भारत को पहल करनी चाहिए। यह प्रश्न ठीक है हमने पहले पहल की थी। उन्होंने छः राष्ट्रों द्वारा की गई पहल का जिक्र किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने महासचिव गोर्बाच्योव का वह वक्तव्य उद्धृत किया है जिसमें उन्होंने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है और उन्होंने विश्व में शांति बनाए रखने के संबंध में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की है। यद्यपि इस बात का श्रेय हम नहीं लेते कि हमारी पहल के परिणामस्वरूप ही जेनेवा में राष्ट्रपति रीगन और महासचिव गोर्बाच्योव के बीच वार्तालाप हो सका है लेकिन यह सही है कि भारत तथा अन्य देशों द्वारा तथा पहले भी भारत तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की गतिविधियों के कारण इसी मामले के सम्बन्ध में पहल की गई जिसके परिणामस्वरूप जेनेवा में वार्ता हुई। क्या यह सच नहीं है कि 1983 में शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा में दो मुख्य मामलों की ओर संकेत किया गया था। पहला मामला निरस्त्रीकरण विशेष रूप से परमाणु निरस्त्रीकरण और उस विनाश के बारे में उठाया था जिसका सामना परमाणु युद्ध के कारण विश्व को करना पड़ेगा। दूसरा मामला समूचे विश्व की बिगड़ती हुई अर्थ-व्यवस्था को पुनः

ठीक करने के संबंध में था। विकासशील देशों, निर्धनतम देशों या तथाकथित दक्षिण भाग के देशों को अपने देश की विकास दर को स्थिर बनाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनमें से अधिकांश देशों की गंभीर आर्थिक समस्यायें थीं। इसी तरह, विकसित देश, विशेष रूप से औद्योगिक देशों को बेरोजगारी, क्षमता का उपयोग कर पाने, मुद्रा-स्फीति आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वे देश भी मुश्किल में थे। अतः यह प्रश्न विश्व में देशों का अन्योन्याश्रित होने का, आर्थिक समस्या को सुलझाने का इसके सुधार का और वित्तीय सम्मेलनों पर उत्तरवर्ती निगरानी रखे जाने की आवश्यकता का है। 1983 में हुई बैठक के दौरान ये मामले सामने आए थे। तब 22 मई को हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दो महाशक्तियों को वार्ता के लिए आमंत्रित कर पहल की। तत्पश्चात् छः राष्ट्रों द्वारा ऋण-स्थगन तथा परमाणु परीक्षण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर पहल की गई। किस देश और किस आन्दोलन की नीति ऐसी है जिसमें शांति और विश्व में परिवर्तन लाने का स्पष्ट दिशा निर्देश हो। किस देश और किस आन्दोलन के फलस्वरूप विश्व को ऐसा नेतृत्व मिला जिसने विश्व को ऐसा मोड़ दिया जिसमें हर व्यक्ति आगे बढ़ सके। फल फूल सके, सभी आयामों में फैले साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद से लड़ सके? माननीय सदस्य श्री अमल दत्त ने कहा "ठीक है, आपका आन्दोलन शांति के लिए है और आप किसी से बात नहीं करते।" वह हमारे हर काम में गलती निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अभिप्राय क्या है? हमारी प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गुट-निरपेक्ष सम्मेलन को इतिहास का महानतम शांति आन्दोल नाम ठीक ही दिया था। क्या इससे बड़ा आन्दोलन कोई और हुआ है? इसे सबको मान्यता प्राप्त नहीं है। अब श्री दत्त ने यह गलती ढूंढ़ी है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व सुदृढ़ नहीं है, इसकी दिशा ठीक नहीं है; वह यह सब बातें कह रहे हैं। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए सभी शांति आंदोलनों, विभिन्न निकायों, विभिन्न शांति आंदोलनों, विभिन्न सरकारी संगठनों को करीब से देखा है। हम इन सभी संगठनों के निकट सम्पर्क में है। और माननीय सदस्य का कहना है कि हमें इस शांति आंदोलन से कुछ लेना-देना नहीं है।

मैं तो कहूंगा कि प्रधानमन्त्री ने यह यात्रा स्वयं को विश्व का नेता सिद्ध करने के उद्देश्य से नहीं की थी। यद्यपि यह सच है कि इस एक वर्ष में वह विश्व में एक सक्रिय और सम्माननीय नेता के रूप में उभरकर आए हैं। आज उनके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह पहल करें और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेता होने के नाते, यह उनका कर्त्तव्य भी है। उनका कर्त्तव्य है कि वह विश्व के नेताओं के साथ संबंध बनाए रखें ताकि वह उन्हें इस आंदोलन और आज के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के मुख्य बातों से अवगत कराएं। आज विभिन्न नकारात्मक ताकतें काम कर रही हैं। और आपको इनके बारे में जानना होगा। आज विश्व को सबसे बड़ा खतरा परमाणु युद्ध से है। आपको कम से कम विभिन्न ताकतों की, जो इसमें सक्रिय हैं, जानकारी रखनी होगी। आपको उन सकारात्मक घटकों, सकारात्मक नेतृत्व और सकारात्मक ताकतों से भी संबंध बनाए रखना होगा जो शांति के लिए और विश्व की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए काम करने जा रही हैं। अतः यह उनका कर्त्तव्य था और उन्होंने उसे पूरा किया है। यह सच है कि व्यक्तियों तथा विषयों के बारे में उनका जो अपना विवेक है उससे उन्हें एक नई अन्तंदृष्टि मिली है। वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता होने के नाते अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहे हैं और उनके लिए विश्व के विभिन्न नेताओं से सम्पर्क बनाए रखना आवश्यक है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि सभा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के प्रश्न पर कुछ मिनट चर्चा करे। यह घोषणा केवल 24 घंटे पहले ही की गई है। इस घोषणा पर ढाका में कल शाम 5-6 बजे के बीच हस्ताक्षर किए गए और मात्र 24 घंटे पूर्व ही सार्क की घोषणा की गई है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि माननीय सदस्यों ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है। कल प्रधानमंत्री ने अपने विदाई भाषण में नजरुल इस्लाम की प्रसिद्ध कविता से उद्धरण देते हुए इसे इस प्रदेश में 'नई भोर का जन्म' कहा है। उन्होंने सभी नेताओं से अपील की है कि वे सार्क को सफल बनाने के लिए काम करें।

एशिया में रहने वाले सभी लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि ब्रेझनेव ने एशिया में सामूहिक सुरक्षा पर हमारे इस सैन्ट्रल हॉल में भाषण दिया था। और उन्होंने जो विचार रखा हमें उसके अनुसार काम करना होगा।

हम सब 'एशियाई चेतना' के लिए किए प्रयासों से परिचित हैं। हम दक्षिण पूर्व एशिया में घटी घटनाओं से भी परिचित हैं, हम कोरिया में हो रहे संघर्षों से परिचित हैं, हम जापान चीन और उसके बाद वियतनाम में महाशक्तियों की भूमिका से परिचित हैं। इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि यहां हम प्रधानमंत्री की यात्राओं की केवल प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री की हवाना यात्रा के दौरान हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर तक सड़कों पर 5 लाख लोग लाइनों में खड़े रहे। इसी तरह वियतनाम में भी नेता, लोगों और हर किसी के मन में भारत और भारतीय जनता के प्रति अगाध प्रेम और स्नेह है। वे जानते हैं कि जिस तरह उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है उसी तरह भारतीयों ने भी लड़ी है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम ऐसे सूत्र हैं जिन्होंने भारतीय और वियतनामी जनता तथा भारतीय नेताओं को एक सूत्र में बांधा हुआ है। राजीव गांधी की यात्राओं ने इस सूत्र को—जनता के सूत्र को—और मजबूत किया है। इन आन्दोलनों ने परस्पर संबंधों में विश्वास पैदा किया है। वियतनाम ऐसा देश है जो एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसीलिए एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन हो रहा है। इस बारे में हमारे मतभेद थे किन्तु वियतनाम के बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व के कारण शांति और सहयोग तथा विचार-विमर्श और बातचीत का माहौल बना। हमें आशा है कि यह माहौल बना रहेगा। प्रधान मंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री से इस आधारभूत प्रश्न—एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के प्रश्न—पर बात की है। तो एक तरफ ताकतें हैं तो दूसरी तरह बाहरी हस्तक्षेप। बाहरी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप एक-दूसरे से लड़वा कर सबका शोषण करके देश को विभाजित करना चाहता है। देश में भी शक्तिशाली ताकतें हैं। इसलिए प्रत्येक देश का निर्माण आत्मनिर्भरता के आधार पर और क्षेत्रीयता के मामले में सामूहिक आत्मनिर्भरता के आधार पर किया जाना चाहिए। जब तक प्रत्येक देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत नहीं होती और वहां स्थायित्व नहीं बना रहता तब तक क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय स्थिरता नहीं आ सकती। जैसा कि घोषणा में उल्लखित है 'सार्क' का विकास स्थिरता और शांति क्षेत्र में हुआ है। एशियाई देशों को भी उन देशों के साथ सहयोग करना चाहिए जो शक्तिशाली हैं और प्रमुख देशों में से हैं। अभी हमें बहुत सफर तय करना है। लेकिन यही एक रास्ता है जिस पर चल कर इस महाद्वीप को शान्ति और स्थायित्व का महाद्वीप बनाया जा सकता है और इसी से 'एशियाई चेतना' का जन्म हो सकता है। महोदय, मेरे ख्याल से हमें इस परिप्रेक्ष्य मे देखना चाहिए और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि राष्ट्रपति जिया के इस वक्तव्य को लेकर कि इस क्षेत्र में परमाणु अस्त्र नहीं होने चाहिए अनेक वक्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी

अपने भाषण में कहा है कि वहां किसी भी तरह की शक्ति या परमाणु अस्त्र नहीं होने चाहिए। घोषणा में भी इसका उल्लेख किया गया है।

चार्टर के अनुच्छेद 1 के अनुसार :

"इसमें शांति और स्थायित्व तथा मित्रता, समान प्रभुसत्ता के सिद्धान्त, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, शक्ति का प्रयोग नहीं करने, अन्य देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों के शान्तिपूर्ण ढंग से निपटान पर जोर दिया गया है।"

कल ही बहुत से नेताओं ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें भी इससे भी इसको बल मिलता है।

इसके बाद ढाका घोषणा। इस घोषणा के पांचवें अनुच्छेद में भी यही बात कही गई है। एशिया के अनेक देशों के नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुपालन और देशों के समान प्रभुसत्ता के सिद्धान्त, विवादों के शान्तिपूर्ण निपटान, दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने तथा उनकी प्रादेशिक अखण्डता तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करने या उसकी धमकी नहीं देने में अपनी वचनबद्धता प्रकट की है। तो बहुत सतर्कता बरती जा रही है क्योंकि हम कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है—देशों के मध्य मौजूद कठिनाइयों और संबंधों तथा अविश्वास और संघर्ष से परिचित हैं। तो चार्टर में 'सार्क' में, इस क्षेत्रीय रूपरेखा में इसकी व्यवस्था है। लेकिन द्विपक्षीय विवादों और विवादास्पद राजनैतिक मामलों को इसमें नहीं लिया गया है।

8.00 म० प०

श्री इन्द्रजीत गुप्त : व्यापार की क्या स्थिति है ? क्या व्यापार का उल्लेख नहीं किया गया ?

श्री बी० आर० भगत : उसमें होगा। उसमें सहयोग लेकिन आर्थिक सहयोग का उल्लेख है। और घोषणा में व्यापार के बारे में उल्लेख है।

उन्होंने 9 क्षेत्रों को लिया है और उन पर एक समझौता होगा। 'सार्क' इस प्रकार कार्य करेगा। सर्वप्रथम इसके अन्तर्गत राजनैतिक मामले नहीं आने चाहिए, दूसरी बात यह कि सभी मामलों और विषयों पर अध्ययन किया जाएगा और उन पर कार्यवाही की जाएगी तथा सहयोग एकमत द्वारा होगा। उन्होंने नौ क्षेत्र निर्धारित किए हैं। तकनीकी समितियां इस पर विचार कर रही हैं। कुछ ने निर्णय ले लिए हैं और कुछ अर्थात् मंत्रिपरिषद्—विदेश मंत्री—निर्णय लेंगी। अन्त में जब शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा—इसकी बैठक अब वर्ष में एक बार होगी—तब उसमें निर्णय लिया जाएगा। वहां उन्होंने दो क्षेत्र निर्धारित किए हैं—आतंकवाद और नशीली दवाइयों का अवैध व्यापार तथा दुरुपयोग। अब सुझाव है कि इनमें से बहुत से नेताओं ने कहा है, कि "सार्क" अपने लक्ष्य तभी पूरे कर सकता है और उसकी क्षमता का तभी उपयोग किया जा सकता है जब यह आर्थिक अर्थात् व्यापार, उद्योग, पर्यावरण और अन्य मामलों को भी ले। लेकिन उसके लिए अभी तक सचिवालय भी नहीं है। उन्होंने एक सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, और ये सब बातें तभी होंगी जब संगठन अगामी सप्ताहों और महीनों में सुचारू रूप से काम करने लगेगा।

एक और मामला है। इस संबंध में मैं कुछ पड़ोसी क्षेत्रों, उदाहरण के लिए भारत-पाक संबंधों को लेना चाहूंगा। यहां राष्ट्रपति जिया के आणविक अस्त्रों के बारे में दिए गए वक्तव्य का उल्लेख

किया गया। किसी ने चेतावनी दी कि हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी और सदस्य, श्री गिल ने कहा, "हमें खुद एक बम बनाना चाहिए" और उन्होंने बम नहीं बनाने संबंधी श्री राजीव गांधी के वक्तव्य पर तथा राष्ट्रपति जिया की 17 दिसम्बर की यात्रा पर आपत्ति की। जहां तक आणविक अस्त्रों का संबंध है, हमने कहा है कि बम नहीं बनाया जा रहा लेकिन बहुत जगहों से जैसे अमरीकी कांग्रेस से इस बारे में खबरें मिल रही हैं। बहुतों का कहना है कि वे इसे विभिन्न देशों से प्राप्त कर रहे हैं और एक आणविक अस्त्र कार्यक्रम चला रहे हैं।

दूसरी बात यह कि हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम अणु प्रसारण निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे लेकिन इसका पाकिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों या पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्र बनाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह समझौता पक्षपातपूर्ण है। यह परमाणु बम नहीं बनाने वाले देशों के साथ पक्षपातपूर्ण हैं। हम अपने बड़े-बड़े कार्यक्रमों, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, अब तक किए गए विकास, कल्पक्कम रियेक्टर के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस रियेक्टर का उद्घाटन 16 को किया जाएगा। यह सही है कि राष्ट्रपति जिया को निमंत्रित किया गया है क्योंकि वह 16 को आ रहे हैं—निरीक्षण के लिए नहीं—और बड़े साफ शब्दों में कह दिया गया है कि निरीक्षण से प्रश्न का हल नहीं निकलेगा। हमें ऐसे उपायों का सृजन करना पड़ेगा जिनसे हममें विश्वास उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए हमारा कार्यक्रम एकदम स्पष्ट है। हम किसी गुप्त ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमने राष्ट्रपति जिया को कल्पक्कम आने का निमंत्रण दिया है। वह 17 को आ रहे हैं। हम आर्थिक उपायों पर चर्चा करेंगे। उनके वित्त मंत्री श्री मकबूल हक आए थे और उन्होंने कुछ व्यापार और आर्थिक समझौतों पर विचार-विमर्श किया। वह इस पर आगे और चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से उनकी यात्रा से फायदा होगा क्योंकि हम दो देशों के मध्य कुछ नए आर्थिक और व्यापार तथा अन्य मामलों पर विचार-विमर्श करेंगे।

हमारे युवा साथी श्री कुमार मंगलम और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने श्रीलंका के बारे में बहुत अधैर्यपूर्ण भाषण दिया है। उन्होंने तथा हमारे मित्र श्री कुलन्दईवेलू ने ठीक ही कहा है कि यह तमिल समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमने कहा था कि उच्च स्तर पर निरन्तर वार्ता जारी है। यहां तक कि ढाका में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जयवर्धने मिले। इससे पूर्व वे नसाऊ और ओमान में भी मिले थे। मामले का सार यह है कि इस समस्या का सैनिक हल नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है, अगर राष्ट्रपति जयवर्धने ने ऐसा कहा है, तो भी सैनिक हल नहीं हो सकता। जैसा कि उन्होंने कहा कि ऐसा सम्भव है तो भी ऐसा करना बुद्धिमतापूर्ण नहीं है। वह इस समस्या का सैनिक हल नहीं बल्कि राजनैतिक हल चाहते हैं। लेकिन यह भी सही है कि वहां हर रोज युद्ध विराम का उल्लंघन होता है और उल्लंघन के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। हम श्रीलंका के अधिकारियों को कहते रहे हैं कि उल्लंघन को रोका जाना चाहिए। हमने एक निगरानी समिति का गठन किया है। जिसका विस्तार तमिल समूह के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए किया गया और यह समिति ठीक ढंग से निगरानी का काम करेगी। लेकिन हम श्रीलंका में लगातार हिंसा से चिंचित हैं और यह बात हमने श्रीलंका के अधिकारियों तक पहुंचा दी है। हमने उन पर सुरक्षा बलों पर नियंत्रण रखने के महत्व पर भी जोर दिया है। कुमारमंगलम जी ने कहा है कि इससे फायदा नहीं हो रहा, अतः हमें एक बार फिर विचार करना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। इन लोगों का धैर्य खत्म होता जा रहा है। इस पर उन्हें ही चिंता नहीं हैं बल्कि हमें भी चिंता है। यह मामला राष्ट्रीय चिंता का है। यह तमिलनाडु तक सीमित नहीं है। हमने श्रीलंका सरकार को

सैन्य हल के प्रयास या एक सीमा-अवधि निर्धारित करने की व्यर्थता मानव जीवन की बरबादी तथा मानव द्वारा सही जाने वाली तकलीफों के बारे में बता दिया है। हम बातचीत द्वारा समझौता करने के लिए कार्यवाही करते रहेंगे। श्रीलंका के तमिलों की जायज शिकायतों का हमें ख्याल है और इन्हें किसी भी स्थायी समझौते के प्रस्ताव द्वारा दूर किया जाएगा। हम विभिन्न स्तरों पर जारी वार्ताओं में यह रास्ता अपना रहे हैं और इस दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री काबुली ने जम्मू-कश्मीर, वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में कहा और पूछा, "क्या हमने इस पर चर्चा की है?" माननीय सदस्य को मैं बता सकता हूं कि इन सभी बैठकों में अभी तक जम्मू-कश्मीर पर चर्चा नहीं की गई। वह हमारी स्थिति जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सैनिक उद्देश्यों से वहां वास्तविक नियंत्रण रेखा है लेकिन हमारा दृष्टिकोण यह है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन इस मामले पर राष्ट्रपति जिया-उल-हक से हाल ही में विचार-विमर्श नहीं किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका के बारे में हमारी स्थिति पता ही है। हम यथासम्भव कर रहे हैं। हमारा मत है कि उन्हें हरसम्भव सहायता दी जानी चाहिए। वहां संघर्ष और जोर पकड़ गया है और मेरे ख्याल से इससे वहां स्वतन्त्रा का उदय होगा। लेकिन वहां लड़ाई लम्बी चलेगी और हम उनकी सहायता कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : लेकिन हमें उनकी सैनिक सहायता भी करनी चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : हर मंच पर, संघर्ष में उनकी सहायता की जानी चाहिए। सहायता के तरीके आदि के बारे में अलग से सोचा जा सकता है किन्तु सैद्धान्तिक तौर पर हमने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया है।

इसी तरह फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन की लड़ाई जोर पकड़ गई है। साम्राज्यवादी उपनिवेशवादी, जातिवादी तथा रंग-भेदी उनमें फूट डलवाना चाहते हैं लेकिन वे एक हैं। इससे पूर्व उन्होंने गोरे-कालों में ऐसा किया था लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली और लड़ाई जारी रही। दुर्भाग्य से वहां इस तरह की एकता नहीं है। आप जानते ही हैं कि वहां क्या कठिनाइयां हैं और कौन-सी शक्तियां काम कर रही हैं, वहां बिल्कुल बाहरी शक्तियां काम कर रही हैं लेकिन हम अपनी दिशा पहचानते हैं। हम जानते हैं कि फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन के बारे में हमारा क्या दृष्टिकोण है···(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैंने अफगानिस्तान के बारे में भी मामला उठाया था। इस मामले पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं।

श्री बी० आर० भगत : हम इस मामले का राजनैतिक हल चाहते हैं और इस बारे में महासचिव गोर्बाचोव और राष्ट्रपति रीगन के बीच जनेवा में बातचीत हुई है। आशा है इस महीने बहुत शीघ्र जनेवा में महासचिव के प्रतिनिधियों की वार्ता होगी और उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। प्रश्न केवल सोवियत सेनाओं को हटाने का है ताकि बाहर से सैनिक या किसी और तरह का हस्तक्षेप न हो। इस सम्बन्ध में क्या तरीका अपनाया जाए, यह सोवियत संघ और अमरीका पर निर्भर करता है। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस समस्या का हल निकलेगा और इसका हल वार्ता तथा राजनैतिक समझौते के माध्यम से हो सकता है। इस मामले का कोई सैनिक हल नहीं हो सकता।

मेरे विचार से मैंने अधिकतर मुद्दों को ले लिया है। अगर कुछ छूट गया है तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनके द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेने और योगदान देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री दिनेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय अपने माननीय मित्रों और सहयोगियों को अपनी बात मनवाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो ही गया है। श्री इन्द्रजीत गुप्त और मेरे अन्य मित्रों ने हमारी नीति का समर्थन किया है, इसलिए मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव वास्तव में निष्फल हो गया है। इसके विरुद्ध इतने अधिक सस्दय बोले हैं कि मुझे इस पर मतदान कराने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थानापन्न प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को स्थानापन्न प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

स्थानापन्न प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

8.16 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1985/19 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, साउथ मौजपुर, दिल्ली-53